खण्ड–497, अंक–7
बुधवार, 04 भाद्रपद, शक संवत् 1937
(26 अगस्त, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2015)

(खण्ड 494 में 8 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रश्नोत्तर	7–32
कार्य–सूची के नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या–1 को लिये जाने का अनुरोध	32
प्रश्नोत्तर (जारी)	33–119
कार्य–सूची के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या–4 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	119–121
माननीय सदस्य द्वारा अपनी सुरक्षा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	121
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	121–122
जनपद बहराइच के कतिपय ग्रामों में व्याप्त विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	122
विधान सभा क्षेत्र मेरठ दक्षिण के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत/चौड़ीकरण व पुनः निर्माण/नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद की ग्राम सभा अशरफपुर मिधौल से ग्राम मड़हा, छोटी मिधौल, बड़ी मिधौल के मध्य सेंडा नाले पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद बांदा के राजस्व ग्राम बबेरू देहात की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	123–124
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	124–125
जनपद रायबरेली अन्तर्गत डलमऊ लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	125
जनपद फतेहपुर के खनिज कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	126
जनपद जालौन में विगत 18 वर्षों से पदास्थापित प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में	126–127

नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ...

जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत बाढ़ सागर परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 128

जनपद सोनभद्र के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 128–129

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद गाजियाबाद अन्तर्गत साहिबाबाद में पेयजल हेतु गंगा वाटर की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	129
प्रदेश के विभिन्न जनपदों के जन स्वास्थ्य रक्षकों की बहाली कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	129
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में दैवीय आपदा राहत पीड़ितों को सहायता राशि दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	130
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	130
जनपद शाहजहांपुर में शासनादेश के विपरीत सामुदायिक उपयोग के तालाब, पोखर का आवंटन मत्स्य पालन हेतु किये से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	130–131
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	131
नियम–51 एवं नियम–301 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं का जवाब 5 माह बीतने के पश्चात् आज तक न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	131–132
नियम–301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं के सम्बन्ध में निदेश के अन्तर्गत विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	132–133
विधान सभा की समितियों द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के बावजूद प्रकरणों के निस्तारण में समय–सीमा निश्चित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	133–135
जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा मा0 सदस्य को मिलने हेतु समय न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	135–136
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, 2014 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	136
यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2011–2012 (सदन के पटल पर रखी गयी)	137
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	137
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (विधान	137

परिषद् से वापसी की सूचना)... ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	137
उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	137
स्टिंग आपरेशन सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण की मद का स्थगन ...	137
नगर पालिकाओं, नगर निगमों से सम्बन्धित दोनों सदनों से पारित विधेयक पर महामहिम द्वारा हस्ताक्षर न किये जाने विषयक प्रकरण	137–140
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2015–2016) का बयालिसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	140–141
श्री सलिल विश्नोई द्वारा अपने सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति के निर्णय को सदन में लिये जाने का आग्रह	141
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	141–142
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित) ...	142
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	142–164
एरा विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 (पारित) ...	165–189
उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015 (पारित) ...	190–196
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015 (पारित)	197–211
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 (पारित) ...	211–212
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	212–216
लखनऊ की तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम कुरौनी की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य...	216–217
नोएडा स्थित डी0एन0डी0 टोल प्लाजा को टोल मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला बाथम द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	217

जनपद मेरठ में रजिस्ट्रियों पर लगातार सर्किल रेट बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य 217–218

विषय **पृष्ठ–संख्या**

नगर पालिका परिषद् गढ़मुक्तेश्वर में बिना मार्ग का निर्माण किये फर्जी भुगतान किये जाने की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य 219–220

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रामपुर में मंगापुर उदयपुर नाम से नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य 220–221

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में मवाना शुगर मिल द्वारा किसानों के गन्ने के बकाये का भुगतान न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रभुदयाल बाल्मिकी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... 221–222

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात नायब तहसीलदार द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 222–224

जनपद इलाहाबाद अन्तर्गत तहसील बारा के गांव भगदेवा में आराजी संख्या–114 पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दीपक पटेल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य 225

जनपद बलिया की तहसील रसड़ा में ग्रामीण मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना न किये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 226

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में फैले मस्तिष्क ज्वर एवं मलेरिया की रोकथाम कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रूबी प्रसाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... 226–227

जनपद बहराइच के नानपारा क्षेत्रान्तर्गत सरयू नदी के गढ़ी घाट के 227–228

पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती माधुरी वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...

नगर पालिका परिषद् गुलावठी, जनपद बुलन्दशहर के बीचों–बीच से गुजर रही 33 के0वी0ए0 की विद्युत लाइन के स्थानान्तरण हेतु निविदायें स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 228–229

विषय **पृष्ठ–संख्या**

जनपद चित्रकूट स्थित कामदगिरी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान सिंह पटेल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य ... 229–230

जनपद उन्नाव ट्रान्स गंगा सिटी की स्थापना हेतु अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 2011 की पुनर्वास नीति से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज गुप्ता द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 230–231

जनपद बुलन्दशहर में आई0टी0आई0 परीक्षा में सक्रिय नकल माफिया गिरोह की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलनवाज खान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी जाने की सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 231–232

जनपद मथुरा में पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए नई बोरिंग/रि–बोर कराते हुये जनता को मीठा पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य 232–235

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव अन्तर्गत कन्जौली घाट पुल के दोनों तरफ टूटी सड़कों का निर्माण तथा दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ... 235–236

जनपद–बहराइच में क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट को तोड़कर मलवे में फेंके जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य 236–237

द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...

जनपद शामली के थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य 237–238

उत्तर प्रदेश में भूकम्प से बचाव हेतु व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...
... ... 239–240

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान

बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2015

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य–330

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद़
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री बरेली
9. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
12. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
14. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
15. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
19. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
20. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
21. अमित गौरव यादव, श्री एटा
22. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
25. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमतीप्रतापगढ़
26. अरूण कुमार, डा0 बरेली
27. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
28. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
29. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
30. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
31. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
32. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
33. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
34. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
35. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
36. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
37. आलमबदी, श्री आजमगढ़
38. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
39. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
40. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
41. आशीष यादव, श्री बदायूं
42. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
43. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री लखनऊ
44. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
45. इकबाल, श्री बिजनौर
46. इकबाल महमूद, श्री संभल
47. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
48. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
49. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
50. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
51. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्रीलखीमपुर खीरी

52. उदयराज, श्री उन्नाव
53. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
54. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
55. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
56. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
57. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
58. ओम कुमार, श्री बिजनौर
59. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
60. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
61. कमाल युसुफ मलिक, श्रीसिद्धार्थनगर
62. करतार सिंह भड़ाना, श्रीमुजफ्फरनगर
63. काली चरन सुमन, श्री आगरा
64. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
65. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
66. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
67. कैलाश, श्री गाजीपुर
68. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
69. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
70. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
71. गजराज सिंह, श्री हापुड़
72. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
73. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
74. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
75. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
76. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
77. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
78. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
79. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
80. गोरख पासवान, श्री बलिया
81. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
82. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
83. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
84. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
85. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
86. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
87. जगपाल, श्री सहारनपुर
88. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
89. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
90. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
91. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
92. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
93. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
94. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
95. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
96. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
97. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
98. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्रीबस्ती
99. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
100. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
101. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
102. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
103. दलजीत सिंह, श्री बांदा
104. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
105. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
106. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
107. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
108. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
109. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
110. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
111. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
112. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
113. धर्मराज, श्री बाराबंकी
114. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़

115. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
116. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
117. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
118. नारद राय, श्री बलिया
119. नाहिद हसन, श्री शामली
120. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
121. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
122. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
123. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
124. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
125. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
126. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
127. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
128. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
129. पीतमराम, श्री पीलीभीत
130. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
131. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
132. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
133. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
134. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
135. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
136. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
137. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
138. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
139. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
140. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
141. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
142. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
143. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
144. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
145. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
146. बदलू खां, श्री उन्नाव
147. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
148. बाबू खां, श्री हरदोई
149. बाबूलाल, श्री गोण्डा
150. बावन सिंह, श्री गोण्डा
151. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
152. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
153. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
154. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
155. बैजनाथ, श्री मऊ
156. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
157. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
158. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
159. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
160. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
161. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
162. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
163. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
164. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
165. मनबोध, श्री देवरिया
166. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
167. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
168. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
169. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
170. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
171. महबूब अली, श्री अमरोहा
172. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
173. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
174. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
175. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
176. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
177. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच

178. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
179. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
180. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
181. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
182. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
183. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
184. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
185. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
186. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
187. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
188. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
189. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
190. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
191. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
192. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
193. यासर शाह, श्री बहराइच
194. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
195. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
196. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
197. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
198. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
199. रणजीत सुमन, श्री एटा
200. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
201. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
202. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
203. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
204. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
205. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
206. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
207. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
208. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
209. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
210. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
211. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
212. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
213. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
214. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
215. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
216. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
217. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
218. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
219. राधे श्याम, श्री अमेठी
220. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
221. राम करन आर्य, श्री बस्ती
222. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
223. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
224. राम गोविन्द, श्री बलिया
225. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
226. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
227. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
228. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
229. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
230. राम मगन, श्री बाराबंकी
231. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
232. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
233. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
234. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
235. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
236. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
237. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
238. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
239. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
240. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
241. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
242. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
243. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
244. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
245. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
246. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर

247. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
248. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
249. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
250. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
251. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
252. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
253. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
254. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
255. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
256. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
257. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
258. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
259. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
260. विजय सिंह, श्री रामपुर
261. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्रीफर्रुखाबाद
262. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
263. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
264. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
265. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
266. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
267. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
268. वीरपाल राठी, श्री बागपत
269. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
270. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
271. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
272. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
273. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
274. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
275. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
276. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
277. शाकिर अली, श्री देवरिया
278. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
279. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
280. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
281. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
282. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
283. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
284. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
285. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
286. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
287. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
288. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
289. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
290. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
291. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
292. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
293. संजय कपूर, श्री रामपुर
294. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
295. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
296. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
297. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
298. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
299. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
300. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
301. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
302. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
303. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
304. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
305. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं
306. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
307. सियाराम सागर, डा0 बरेली
308. सीमा, श्रीमती जौनपुर

309. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
310. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
311. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
312. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
313. सुधाकर, श्री मऊ
314. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
315. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
316. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
317. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
318. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
319. सुरेश राणा, श्री शामली
320. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
321. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
322. सुल्तान बेग, श्री बरेली
323. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
324. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
325. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
326. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
327. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
328. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
329. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
330. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन (राज्य मंत्री) (श्री राम सकल गूर्जर) भी सदन में उपस्थित थे।

ख1.01, प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में नदियों के बढ़ते जल स्तर से होने वाले नुकसान को रोकने हेतु कार्य योजना विषयक

'01–श्री नदीम जावेद तथा श्री वीरपाल राठी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रतिवर्ष नदियों का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों ग्राम प्रभावित होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इससे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

जी हां।

जी हां।

प्रदेश के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत अत्यन्त संवेदनशील स्थलों पर बाढ़ से बचाव हेतु तटबन्ध निर्माण, कटाव निरोधक व जल निकास की परियोजनाओं पर कार्य कराये जाते हैं। विगत तीन वर्षों में 332 परियोजनायें पूर्ण हुईं, जिन पर रु0 1123.56 करोड़ व्यय हुआ तथा वर्तमान में 179 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

श्री नदीम जावेद जी तथा वीरपाल राठी जी, ये मा0 सदस्य नहीं हैं।

श्री शमेशर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मा0 अध्यक्ष जी, चूंकि यह बाढ़ का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

यह ऐसे नहीं होता। इसमें आप कहो कि मैं रुचि ले रहा हूं लेकिन यह अभी नहीं होगा, जब और तारांकित प्रश्न हो जायेंगे और यदि जब समय बचेगा तब। अभी आप बैठिये।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में मच्छर जनित संक्रामक बीमारियों को रोकने हेतु किये जा रहे प्रयासों की जानकारी

'01–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मच्छर जनित संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए समय–समय पर तालाब/पोखरों, नाले–नालियों पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव के स्थानों पर मच्छरों को मारने के लिए दवाओं का छिड़काव करना सम्बन्धित विभागों द्वारा बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए एण्टी लारवा स्प्रे अथवा अन्य प्रकार की दवाओं का छिड़काव चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)–

जी नहीं।

प्रदेश में मच्छरों जनहित संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिये समय–समय पर तालाब/पोखरों, नाले/नालियों पर, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव के स्थानों पर इन मच्छरों को मारने के लिये एण्टी लार्वा दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, बरसात के इन दिनों में मच्छरों के कारण कई तरह की गम्भीर बीमारियां प्रदेश में फैलती हैं। जैसे मुख्य रूप से डेंगू और मलेरिया। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने जो कागजी जवाब दिया है कि समय–समय पर इन दवाईयों का छिड़काव हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके भी संज्ञान में होगा, हम लोगों के संज्ञान में भी है पिछले कई सालों से गांव के पोखरों, तालाबों, नालियों में डी0डी0टी0 का छिड़काव किया जाता था, एण्टी लार्वा का छिड़काव किया जाता था। मैं निश्चित जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी, हमारे आगरा शहर में तथा प्रदेश के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में इन दवाइयों को छिड़काव नहीं किया जा रहा है, शहर तथा गांव में भी नहीं किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस मद में स्टेट फण्ड में इस चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितने रुपयों की व्यवस्था की गई है और अगर वह कह रहे हैं छिड़काव हो रहा है तो आगरा सहित प्रदेश के किन–किन जिलों में इन दवाइयों को छिड़काव अभी हाल फिलहाल के तीन महीनों में किया गया है, कृपया बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

सूचना है आपके पास माननीय मंत्री जी।

श्री शंख लाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी आपने पूछा कि कितने रूपये की व्यवस्था की गई, इसकी सूचना फिलहाल अभी हमारे पास नहीं है। हम माननीय सदस्य को यह सूचना मंगवा करके उपलब्ध करवा देंगे। आगरा शहर में छिड़काव की जहां तक बात की है माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में मच्छर जनित रोगों से बचाव, उपचार और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मच्छर जनित रोग कार्यक्रम भारत सरकार के तकनीकी मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता से संचालित किया जाता है। शहरों में, बहुत सारे शहरों में नगरीय कार्य द्वारा मच्छर संख्या में वृद्धि एवं अंकुश लगाने के लिए फागिंग भी करायी जाती है। यद्यपि नगर विकास विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को मच्छर जनित परिस्थितियां न उत्पन्न करने के लिए वाइलॉज क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 1997 में शासनादेश के माध्यम से निर्देशित किया है तथा लंबी अवधि के अन्तराल के उपरांत भी कुछ महानगरों को छोड़कर अधिकांश महानगरों में वाइलॉज नहीं बनाये गये हैं। ग्रामीण अंचलों के जल भराव स्थलों में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के माध्मय से मच्छर रोधी उपाय, लार्वानाशक छिड़काव ग्राम पंचायतों द्वारा सम्पादित किया जाता है।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था कि कहां–कहां हाल–फिलहाल में प्रदेश के किन क्षेत्रों में छिड़काव हुआ, माननीय मंत्री जी का जवाब नहीं आया। मान्यवर, कृपापूर्वक जवाब तो दिलवा दें। माननीय अध्यक्ष जी, आज डेगू के मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। राजधानी में आज दो मरीज मिले हैं, यह बहुत गंभीर समस्या है माननीय अध्यक्ष जी, चाहे शहरी क्षेत्र हों या चाहे ग्रामीण क्षेत्र हों। अगर सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और गंभीर हो जाए सरकार और ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों, पोखरों में तेजी से छिड़काव शुरू कर दे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इन गंभीर बीमारियों से प्रदेश को बचाया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जो मेरी निश्चित जानकारी है उसके अनुसार आगरा के हमारे किसी भी ब्लॉक में, किसी भी गॉव में ये अभी शुरू नहीं हुआ है। क्या माननीय मंत्री जी इसे तुरन्त शुरू कराने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इनके यहां छिड़काव शुरू नहीं हुआ है, क्या शुरू करवाएंगे ?

श्री शंख लाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि आगरा के किसी मुहल्ले में छिड़काव नहीं शुरू हुआ है, निश्चित जानकारी के माध्यम से कह रहे हैं तो हम इनकी बात का प्रतिरोध नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम इसकी व्यवस्था दिखवा लेते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि सरकार की भी सदैव इस बात की चिंता रही है कि हम स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। यहां तक की निःशुल्क चिकित्सा की बात भी सरकार ने एक नहीं अनेकों बार इसी सदन में कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी,

मच्छरों से कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, जो बहुत भयंकर रोग के रूप में जन–जीवन को अस्त–व्यस्त करती हैं वह है इंसेफ्लाइटिस, डेंगू और मलेरिया, ये सभी बीमारियां मच्छरजनित हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय जी केवल आगरा में ही नहीं, विशेष रूप से आप पूर्वान्चल के सिद्धार्थनगर जिले से आते हैं, मैं भी पूर्वान्चल के कुशीनगर, पडरौना विधान सभा से आता हूं और भी पूर्वान्चल के बहुत से विधायक सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों में बैठे हुए हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि किसी भी जनपद में मच्छरों को मारने के लिए किसी प्रकार की दवा का छिड़काव नहीं होता है जो मेरी निश्चित जानकारी है और विशेष रूप से जो इन्सेफ्लाइटिस प्रभावित जिले गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सन्त कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, बलरामपुर, मऊ जनपद विशेष रूप से इन्सेफ्लाइटिस से भयंकर रूप से पीड़ित हैं और यहां तक की सैकड़ों बच्चों की प्रत्येक वर्ष अस्पतालों में मौत हो जाती है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं आपके माध्यम से केवल इतना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने छिड़काव निश्चित नहीं किया है जहां तक मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि फलां जिले में कब छिड़का गया आप कहेंगे कि मेरे पास ब्योरा नहीं है हकीकत यह है कि कहीं छिड़काव हुआ ही नहीं है तो ब्योरा होने का प्रश्न भी नहीं उठता। अब मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि क्या पूरे प्रदेश में मच्छर जनित बीमारियों को खत्म करने के लिए मच्छरों को मारने के लिए समय–समय पर दवा का छिड़काव करेंगे और इनसे उत्पन्न होने वाली बीमारियों पर अंकुश लगाने में प्रभावी कदम उठाया जा सके और इस बात को सुनिश्चित करके क्या सदन को भी आने वाले सत्र में अवगत करायेंगे या अभी आप अपने कमिटमेण्ट को यहां पर अवगत करायेंगे ?

श्री शंख लाल मांझी–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि मच्छरों से भयंकर बीमारी मस्तिष्क ज्वर, डेंगू, मलेरिया सहित तमाम जानलेवा बीमारियों का उद्भव होता है। हम आपकी बात से इत्तफाक रखते हैं और माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूंगा कि 2012 से लेकर जहां तक सवाल मलेरिया का है लगभग 52 हजार से ज्यादा रोगी पाये गये लेकिन हमें यह कहते हुए खुशी भी है कि 2012 से लेकर अब तक मलेरिया से एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। जहां तक डेंगू की बात है डेंगू में पिछले दिनों कानपुर में जो स्थिति आयी है हम उसको स्वीकार करते हैं और अब तक हमारे पास 24 तारीख तक की सूचना है जिसमें लगभग 72 मरीज पाये गये है जो पाजिटिव पाये गये हैं लेकिन इसमें अब तक 1 मृत्यु हुई है। जहां तक मस्तिष्क ज्वर की बात है हम यह मानते हैं कि यह एक महामारी के रूप में खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां से माननीय नेता प्रतिपक्ष और आप भी आते हैं और हम भी पूर्वान्चल से हैं। मैने पहले भी कहा है कि मस्तिष्क ज्वर की वजह से मेरे बड़े लड़के की मृत्यु हुई थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष और भी जो माननीय सदस्यगण हैं उनके जिज्ञासा को बताते हुए यह कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं खुद भुक्त–भोगी हूं इसलिए इस बीमारी की रोकथाम के लिए और मच्छर जनित बीमारियों की

भरपूर रोकथाम के लिए सरकार संकल्पित है, कार्यवाही हो रही है और व्यवस्थायें भी की जा रही हैं। हमने 10 अप्रैल को पूरे पूर्वान्चल के लगभग 8 जनपदों का, सभी जिन विभागों के को–आर्डिनेशन से हम रोकथाम की कार्यवाही करते हैं उनकी बैठक और जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ डी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में बैठक किया था, उसकी तैयारी के लिए, जागरूकता के लिए तमाम बाते कहीं और विस्तार से चर्चा भी की थी अप्रैल, मई में ही और उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मस्तिष्क ज्वर के बारे में आगे क्वैश्चन लगा है हम विस्तार से बता देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय मंत्री जी से जो पूछा था उसका उत्तर तो आया नहीं। बैठकें की हैं। 20 सितम्बर को बरसात बीत जायेगी और यह मच्छर बरसात के सीजन मे पैदा होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी सरकार तो कुम्भकर्णी नींद सो रही है। प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार ने भी उत्तर दिया नहीं कि हम छिड़काव करेंगे इसलिए माननीय अध्यक्ष जी बहुजन समाज पार्टी सरकार के इस रवैये का विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन कर चले गये)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी पूर्वांचल के हैं और आप भी पूर्वांचल के हैं और मैं भी वहीं का हूं। इंसेफ्लाइटिस की पीड़ा को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, सरकार दावा कर रही है कि हम यह मच्छररोधी सारे प्रयास कर रहे हैं कहां हो रहें है यह नहीं पता, होते हुए दिख तो किसी को नहीं रहा, किसी को नहीं दिख रहा है न हमें गोरखपुर में दिख रहा है न आपके सिद्धार्थनगर में दिख रहा है।

श्री अध्यक्ष–

यह छिड़काव का सवाल है यह ध्यान रहे। यह मच्छर मारने के लिए दवाओं के छिड़काव का ही प्रश्न है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

जी अध्यक्ष जी, तो मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि आखिर तीन साल से माननीय मंत्री जी हैं 3 साल से इस बीमारी की रोकथाम के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिद्वार्थ नगर से होते हुए गोरखपुर होते हुए देवरिया और कुशीनगर आदि में मच्छरों के छिड़काव पर मंत्री जी कृपया यह बतायें कि सरकार ने वास्तव में कितना खर्च किया है और कितने सघन मच्छररोधी कार्यक्रमों को संचालित करने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष–

वह तो पहले ही बता चुके हैं कि खर्च का व्यौरा नहीं है।

श्री शंख लाल मांझी–

मान्यवर, इस समय मेरे पास कितना खर्च हुआ है इसका व्यौरा नहीं है। मैंने कहा है कि वह उपलब्ध करायेंगे। मैं आपको बता देता हूं मैं साफ–साफ बताता हूं कोई चीज छिपाने की कोशिश नहीं करता हूं। मान्यवर, जहां तक छिड़काव की बात है शहरी क्षेत्रों में तो उनकी समितियां बनती हैं और उसके बायलाज बनाने के लिए कहा गया है। मैंने पहले ही कहा कि 1997 में इसका शासनादेश जारी हुआ बावजूद इसके अब तक बहुत सारे महानगर और नगरों के बायलाज नहीं बन पाये शहरी क्षेत्रों में इस मच्छर नियंत्रण के लिए फागिंग की भी व्यवस्था है बहुत सी जगह पर किया जाता है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात है तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति के माध्यम से मच्छररोधी उपाय लार्वानाशक छिड़काव ग्राम पंचायतों के द्वारा सम्पादित किये जाते हैं और ग्राम पंचायतों के लिए 10 हजार रुपये प्रति गांवसभा लगभग बजट हर साल दिया जाता है अब कहीं अगर कमीं है तो उसे हमारे संज्ञान में लायेंगे तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के जवाब से स्पष्ट है, सरकार यह कह रही है कि हमने महानगरों को बायलाज बनाने के लिए कहा और महानगरों ने बायलाज नहीं बनाया। अब सवाल यह है कि अगर बायलाज नहीं बनाया तो जिम्मेदारी किसकी है अगर सरकार नहीं जानती कि बायलाज नहीं बने हैं तब तो बात समझ में आती लेकिन सरकार जानती है कि बायलाज नहीं बने हैं बायलाज नही बने तो स्वाभाविक रूप से कार्यवाही नहीं हुई और कार्यवाही नहीं हुई इसीलिए इंसेफ्लाइटिस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो यह सरकार की संवेदनहीनता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है जो अभी माननीय मंत्री जी ने इस सदन में स्वीकार किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसे गम्भीरता के साथ लेना चाहेगी। हम यह जानना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी ने बायलाज के अन्दर नगरों, महानगरों को क्या–क्या निर्देश दिये थे। अगर सरकार ने अभी तक बायलाज ही नहीं बनाया तो यह मच्छररोधी प्रक्रिया चला कैसे रही है। मान्यवर, मच्छररोधी प्रक्रिया चल ही नहीं रही है माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर रहे हैं ग्राम स्वच्छता समिति के 10 हजार रुपये, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 10 हजार रुपये पहुंचते भी नहीं हैं आधे पहुंचते हैं और वह आधे कहां जाते हैं हम और आप सब जानते हैं ग्राम स्वच्छता के नाम पर इसका कोई उपयोग नहीं है। सरकार ने सफाईकर्मी रखे हैं माननीय मुख्य मंत्री का बयान मैं पढ़ रहा था अखबारों में छपा है हमने सफाई कर्मी दिये और सफाई कर्मियों ने किराये पर सफाई कर्मी रख दिये। अगर सरकार यह जान रही है कि सफाई कर्मी जिन्हें नियुक्त किया है किराये पर किसी और को रख लिया और उसके बाद भी सरकार अपने आपको अक्षम महसूस कर रही है यह गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया आप बैठिये।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक ही प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कानपुर नगर के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन मेरे पूछने से पहले ही माननीय मंत्री जी ने स्वीकारा कि वहां पर डेंगू से मत्यु हुई है और वहां पर 76 रोगी भी इनकी जानकारी में हैं। रोज वहां पर अखबारों में छपता है और हम सब लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती है कि वहां पर डेंगू का बहुत भयंकर प्रकोप है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी को कानपुर महानगर में डेंगू के प्रकोप की जानकारी है, तो इन्होंने दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है। किसी आदमी के खिलाफ कार्यवाही करने का मकसद यह होता है कि जो लोग अपनी जिम्मेवारी का निवर्हन ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं उनको कड़ा संदेश जाना चाहिये। जब माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह है कि वहां पर मृत्यु हुई है और वहां पर 76 या इससे ज्यादा लोग डेंगू की बीमारी से प्रभावित हैं, तो क्या जिस क्षेत्र में लोग बीमार पाये गये हैं और जिन लोगों के ऊपर उस क्षेत्र की देखभाल करने अथवा रोकथाम करने की जिम्मेदारी थी, तो क्या उनके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की है। यदि की है, तो क्या की है और यदि नहीं की है तो क्या करेंगे ?

श्री शंख लाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने डाक्टर साहब की बात को भी सुना और माननीय महाना जी की बात को भी सुना। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार अपनी सच्चाई को कभी छिपाती नहीं है। जहां तक आपने कहा कि बाइलाज नहीं बना है तो बाइलाज के संबंध में वर्ष 1997 में ही कई शासनादेश हुये थे और तब से कई सरकारें बनी हैं। हम इसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं और निर्देश भी जारी किये हैं। दूसरी बात, जो महाना साहब ने डेंगू के बारे में कही है, माननीय महाना जी आपके नगर में डेंगू का प्रकोप हुआ यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया होता तो जो संख्या आई है और यह शायद अभी अपुष्ट है, उससे कहीं ज्यादा संख्या होती। हम लोग इसकी रोकथाम के लिए सतत प्रयत्नशील हैं और सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है, कृतसंकल्पित हैं और इसके लिए व्यवस्था की गई है। वहां पर इतनी बड़ी संख्या में मरीज पाये जाने के बाद महज एक मृत्यु हुई और यह मृत्यु उस दशा में हुई थी जो पहले से परिभाषित ही नहीं हो पाई थी, परिलक्षित भी नहीं हो पाई थी। हमने उसके बावजूद भी उसका परीक्षण करवाया और उसमें पाजीटिव पाया तो उसको हमने छिपाया नहीं। इसलिये हमने स्वीकार किया कि एक मृत्यु डेंगू के द्वारा हुई है और बाकी जो रोगी पाये गये, हमने उनका उपचार किया है और विशेष देखभाल की है।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने क्या विशेष देखभाल की है ?

श्री शंख लाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बता तो रहा हूं कि उनके उपचार और देखभाल के लिए अगर आवश्यक व्यवस्था हमने नहीं की होती, तो स्थिति भयावह हो सकती थी, लेकिन हमने इसको कण्ट्रोल कर लिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार न तो संवेदनशील है और न ही रोगों को रोकने में सफल है। इन्सेफ्लाइटिस से भी लगातार मौतें हो रही हैं और सफाई के बारे में जो सरकार का बयान आया है, वह सबके संज्ञान में है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं और मेरा दल सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

प्रदेश में ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए ऋण माफी की मांग

'02–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2015 में हुई भारी ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से किसानों को हुए भारी नुकसान को देखते हुए उनके द्वारा लिए गये ऋणों को माफ करने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रदेश में अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से कृषि फसलों को हुई क्षति तथा किसानों के समक्ष उत्पन्न विकट स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 तक कृषकों के अवशेष मुख्य राजस्व देयों (भू, राजस्व, सिंचाई) की वसूली स्थगित रखी जाये। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में कृषि ऋण से सम्बन्धित विविध देयों की वसूली हेतु कृषकों के विरुद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फरवरी, मार्च में गेहूं की फसल थी और ओलावृष्टि और अतिवृष्टि हुई थी और उस समय विधान सभा का सत्र भी चल रहा था। यहां अन्य दलों ने और भारतीय जनता पार्टी ने भी किसानों की इस समस्या को पुरजोर तरीके से विधान सभा में उठाया था। मान्यवर, बिजनौर जिले में किसानों की फसल का 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ और अधिकारियों ने सरकार का चहेता बनने के लिये किसानों का 15 प्रतिशत ही नुकसान दिखाया। सरकार की यह नीति थी कि यदि किसानों की फसल का 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान होगा तो उनको सरकार के द्वारा किसी न किसी रूप में अनुदान दिया जायेगा। लेकिन वहां अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। 50 प्रतिशत से अधिक

नुकसान हुआ और लोगों ने गेहूं भी नहीं काटे, क्योंकि सारी बाल और गेहूं खेत में ही गिर गया था, इस प्रकार बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने किसानों की अनदेखी की और वैसे भी सरकार यह कहती है कि हम इस वर्ष को किसान वर्ष के रूप में मना रहे हैं तो इसका मापदंड क्या है। अब यह तो पता हो नहीं सकता कि कितना नुकसान हुआ, क्योंकि किसानों की वह फसल तो कट चुकी है। लेकिन सरकार क्या कोई ऐसी कमेटी गठित करने पर विचार करेगी जो बिजनौर जिले में जाये और जिन अधिकारियों ने यह लापरवाही की है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर तो आ गया है। वैसे सहकारी ऋण माफ करने की योजना विभाग स्तर पर कोई विचाराधीन नहीं है। जहां–जहां जिस विभाग से ऋण लिया जाता है, वही विभाग इसे माफ करने पर विचार कर सकता है। तो सहकारिता विभाग में ऐसा कोई विचार नहीं है।

'03–श्री सुरेश राणा, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री रामचन्द्र यादव, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री पूरन प्रकाश, श्री सुनील कुमार सिंह यादव तथा श्री अगयश राम सरन वर्मा

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फरवरी, 2015 से अब तक अतिवृष्टि तथा ओलावृष्टि से प्रदेश भर में हुए नुकसान के कारण कितने किसानों की मृत्यु हुई है तथा मृत्यु उपरान्त सरकार द्वारा पीड़ित किसानों के परिवारों को मुआवजा दिये जाने की कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गयी है ? क्या सरकार उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माह फरवरी, 2015 से अब तक ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रदेश में कुल 93 जन–हानि हुई है।

जी हां।

शासनादेश संख्या–315/1–11–2015–1 (जी)/2015 टी0सी0, दिनांक 05–06–2015 के अनुसार ओलावृष्टि से हुयी जन–हानि के प्रभावित परिवारों के आश्रितों को राज्य आपदा मोचक निधि से रु0 4.00 लाख तथा राज्य सरकार की ओर से भी अतिरिक्त सहायता के रूप में रु0 3.00 लाख अर्थात् कुल रु0 7.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर दिया और यह प्रश्न इसलिये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब जितने लोग यहां बैठे हैं, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, अधिकांशतः हम

सबका सम्बन्ध किसान परिवारों से है और कहीं न कहीं हम सब लोग जब ग्रामीण अचंलों में घूमते हैं तो किसानों की क्या स्थिति है, उसका आंकलन हम सबको अच्छी तरह से है जवाब आया कि 93 जनहानि हुई है। जनहानि तो बहुत ज्यादा हुई है लेकिन यदि मैं 93 की ही बात करूं तो 93 जवाब ही अपने आप में इतना बड़ा है कि जहां किसान वर्ष चल रहा है, जहां सरकार लगातार किसानों को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, जहां लगातार सरकार के वायदे, सरकार की योजना, सरकार का घोषणा–पत्र लगातार किसानों की चर्चा करता है वहां 93 कैजुअलिटी होना स्वयं इशारा करता है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। मा0 अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से कारण है, ठीक है, यह दैवीय आपदा है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, कृपया सवाल पूछें।

श्री सुरेश राणा–

मा0 अध्यक्ष जी, किसान की फसल बरबाद हुई, किसान खेत पर गया और देखा पूरी फसल बरबाद हो गई, मुआवजे का आधार तय हुआ और जिस तरह से कार्यालय में बैठ करके मुआवजे की राजनैतिक आधार पर सूची तैयार की गई, मेरे पास पर्याप्त जानकारी है कि जिस प्रकार से कार्यालय में बैठ करके मुआवजे की सूची तैयार हुई।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल पूछिये।

श्री सुरेश राणा–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं सवाल पर ही आ रहा हूं। मा0 मुख्य मंत्री जी भी सदन में विराजमान हैं, मेरा सरकार से सवाल है कि जिस प्रकार से मुआवजा वितरण में भारी गड़बड़ी और भारी राजनैतिक दुरुपयोग किया गया है क्या सरकार

(श्री जाहिद बेग के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 बेग साहब आप शान्त रहें।

श्री सुरेश राणा–

क्या सरकार ऐसे अधिकारियों की ऐसे जनपदों में जांच कराकर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और जो लोग मुआवजे से वंचित हैं और आज भी पीड़ा का शिकार हैं क्या उन लोगों को सरकार मुआवजा देगी। मेरा दूसरा प्रश्न है कि मृतकों को जो 7 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही गई है।

श्री जाहिद बेग–

मा0 अध्यक्ष जी, ये सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

बेग साहब आप शान्त रहें, वह प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। मा0 राणा साहब आप सवाल पूछें।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, आप सदन व्यवस्थित कर दें तो मैं सवाल पूछ लूं। मा0 अध्यक्ष जी, किसान मर रहा है, किसान तड़प रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों को गड़बड़ी के कारण, अधिकारियों की लापरवाही के कारण मुआवजा नहीं मिल पाया है क्या ऐसे लोगों की पुनः जिलेवार जांच कराकर जहां 35 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है क्या सरकार उन्हें मुआवजा देगी। मेरा दूसरा प्रश्न है कि सरकार ने जो 7 लाख रुपए की बात कही है कि 7 लाख रुपया मृतकों को दिया गया है तो क्या सरकार इस 7 लाख रुपए को बढ़ाकर कम से कम 15 लाख रुपए करेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने ओलावृष्टि और अतिवृष्टि को बहुत ही संवेदनशीलता से लिया है। मा0 सदस्य हाउस के सामने असत्य बोल रहे हैं। आजादी के बाद शायद यह पहली सरकार है जिसने इतनी मदद दी और इतनी जल्दी राहत देने का काम किया है। जब भारत सरकार की टीम आई थी तो भारत सरकार की टीम और हमारी प्रदेश सरकार की टीम दोनों टीमें मौके पर गईं और जितना नुकसान हुआ था उसका सर्वे करके हमने भारत सरकार को भी भेजा था वह था 7543.14 करोड़। इसे हमने तुरन्त भेजा और बहुत जल्दी भेजा, उसके बाद हमारी सरकार ने 7 लाख रुपया जहॉ पर दुर्घटना हो गई है दिया। फिर उसके बाद 05 लाख जो हाउस में माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा थी, 07 और 05 कुल मिलाकर 12 लाख रुपये दिये गये। जहां–जहां पर भी किसान की मृत्यु हुई, उसको मद्द दी गयी। इसके अलावा भी जहां–जहां से सूचना मिली कि हार्ट–अटैक से मृत्यु हुई है, वैसे कोई रिपोर्ट नहीं आयी है कि सदमें से कोई किसान मरा। दुर्घटना में जो मरे हैं उन्हें 12 लाख रुपये दिये गये हैं। जहां–जहां भी किसी सदस्य ने या किसी अन्य लोगों ने सूचना दी, वहां भी मुख्य मंत्री राहत कोष से मद्द की गयी है। हमारे पास सूचना भी है। भारत सरकार को तुरन्त मद्द करनी चाहिए थी लेकिन अभी लेटर आया है इसी 11 तारीख को। जो शेष पैसा है, जैसे ही भारत सरकार पैसा दे देगी हम तुरन्त बंटवा देंगे।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री सुरेश राणा, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी व श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

इस पर कितना सवाल पूछोगे, सारे उत्तर आ गये। इसमें कार्य–स्थगन भी लगा हुआ है। आप लोग बैठ जाईये, माननीय मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार को लगभग देना था 2500 करोड़ रुपये, शेष भारत सरकार को देना था लेकिन प्रदेश सरकार दे चुकी है 3446.77 करोड़ रुपये। भारत

सरकार ने अभी तक पैसा नहीं दिया है। (सत्तापक्ष की तरफ से शेम–शेम की आवाजें आयी।)

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी की तरफ से भी लेटर जा चुका है और हमारी तरफ से भी लेटर प्रधानमंत्री जी को जा चुका है। जैसे ही भारत सरकार पैसा देगी हम वितरण करा देंगे। अगर ज्यादा चिंतित हैं तो भारत सरकार के पास जांए, उनके खिलाफ बोलें।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, आपका तो इसमें है नहीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो आज सदन के सामने 93 की संख्या बतायी गयी है वह विधान परिषद में 233 बतायी गयी है।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना जी अपने आसन पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहे।)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मूल प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

अजय कुमार लल्लू जी, आप प्रश्न पूछिये। खन्ना जी आप बैठ जाईये, अजय कुमार लल्लू जी का मूल प्रश्न है उनको सवाल पूछ लेने दीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है, केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार रोज मीड़िया में, टी0वी0 में और पेपरों में यह देखा जा रहा है कि 6 हजार करोड़, 7 हजार करोड़ रुपया मुआवजें के तौर पर दिया गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, सदमे से, हृदय गति रुक जाने से यहां 93 किसानों की मृत्यु की संख्या दी गयी है जबकि विधान परिषद् में यह संख्या 233 बतायी गयी है। सरकार गम्भीर है तो दोनों सदनों में उत्तर एक ही आना चाहिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अध्यक्ष महोदय, अगर आप तहसील से रिकार्ड मंगा लें तो तहसीलों की स्थिति यह है कि 13 करोड़,...

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, आप बैठ जाईये, अजय कुमार लल्लू जी सवाल पूछ रहे हैं।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा अपनी बात कहते रहने पर)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अध्यक्ष जी, इनको बिठाईये। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने घोषणा किया लेकिन अब तक एक रुपया भी नहीं दिया और सबसे बड़ा दुःख का विषय यह है कि केन्द्र सरकार के कृषि मंत्री ने किसानों की आत्महत्या पर मजाक उड़ाया है। इसलिये मैं चाहूंगा कि पूरे सदन की तरफ से केन्द्र सरकार के मंत्री के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव भेजा जाय।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल सहित नारे लगाते हुए सदन का बहिगर्मन कर गये।)

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात कहें। सवाल नहीं पूछ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अध्यक्ष महोदय, यह इतने गहरे दुःख का विषय है कि केन्द्र सरकार के एक जिम्मेदार कृषि मंत्री ने इतनी बड़ी और किसानों के प्रति गैर जिम्मेदाराना बात कही और आत्महत्या को किस लहजे में लिया यह पूरा देश जानता है। मैं सदन से मांग करूंगा कि उनके खिलाफ निन्दा प्रस्ताव जारी किया जाय। मान्यवर, दूसरा विषय यह है कि तहसीलों में, आज आप रिकार्ड तहसीलों से मंगवाकर देख लें। 13 करोड़, 15 करोड, 20 करोड़ मुआवजा बना, मात्र अब तक उत्तर प्रदेश सरकार से किसी तहसील में 3 करोड़ गया, किसी तहसील में 4 करोड़ गया और अभी भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया हैं तो आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या तहसीलों में जो मुआवजे की बकाया राशि है उसको जल्द से जल्द समयबद्ध तरीके से भिजवाने की व्यवस्था करेंगें। क्योंकि अध्यक्ष महोदय अभी धान पर भी सूखे की मार पड़नी है और स्थिति गम्भीर है इसलिये तहसीलों में जो बकाया पैसा है उसको भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब क्या है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, जवाब आ जाय।

श्री अध्यक्ष–

जवाब आ गया। अब आगे बढ़ने दीजिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मैंने पूछा यह कि क्या तहसीलों में जो अनुदान की राशि बकाया है माननीय मंत्री जी उसको जल्द समय–सीमा प्रतिबद्धित करके उन तहसीलों में जहां मात्र 3 करोड़ गया 10 करोड़ बकाया है, कहीं 12 करोड़ बकाया है वहां अनुदान की राशि जल्द भिजवाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि भारत सरकार से पैसा मिलेगा तब दिया जायेगा। इस पर बार बार क्या पूछना।

श्री पूरन प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अनुपूरक करने का अवसर दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दैवी आपदा में हमारे जनपद मथुरा में 150 करोड़ रुपये अनुदान भिजवाया। मेरा इसमें एक अनुरोध है मान्यवर कि जितना ज्यादा नुकसान प्रदेश में मथुरा जनपद में हुआ। भीषण तूफान और अत्यधिक वर्षा और एक–एक किलो के ओले पड़ने से किसानों की फसल को नुकसान हुआ। 40 आदमी खत्म हुए और जिलाधिकारी मथुरा ने 335 करोड़ रुपये का आंकलन बनाकर भेजा है। मान्यवर, मथुरा जनपद में जो 150 करोड़ रुपये अनुदान राशि के मिले हैं उससे 45 प्रतिशत किसानों को ही मुआवजा मिल पायेगा और 55 प्रतिशत किसान उससे वंचित रह जायेंगे। किसानों के गाय, भैंस आदि पशु भी इस दैवीय आपदा में मरे हैं उसका भी उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले तीन महीने से कोई काम नहीं हो रहा है। रोज किसान जिला प्रशासन के सामने धरना–प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

सवाल किसानों की मत्यु पर मुआवजे से संबंधित था और आप लोग उसका विस्तार करते चले जा रहे हैं। अब आप खत्म करें। नीरज जी आप कहें। अपने सवाल तक ही सीमित रहियेगा।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में एक सूचना देना चाहता हूं, साथ ही साथ मेरे दो छोटे–छोटे अनुपूरक भी हैं। मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में एक बहाड़िया गांव है जहां राम पाल कश्यप की मत्यु हुई थी ओलावष्टि के समय हार्ट अटैक से। और इसकी सूचना पर तहसील के अधिकारी भी गये और उस सूचना को जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा भी गया लेकिन अब तक इस व्यक्ति के परिवार को एक पैसे की आर्थिक सहायता नहीं मिली। मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको अपने संज्ञान में ले लें। मेरे दो छोटे–छोटे अनुपूरक हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब दिया कि प्रदेश में 93 जन हानि हुई तो मैं यह जानना चाहता हूं कि फरवरी 2015 से अब तक कितने परिवारों को 7 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई 93 लोगों में से और कतने अभी शेष है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि शाहजहांपुर में कितनी जनहानि हुई ? कितने परिवारों को 7 लाख की मदद दी गई और कितने अभी शेष हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसे अवगत कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी शाहजहांपुर से संबंधित इनका सवाल है।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी हार्ट अटैक से कोई व्यक्ति नहीं मरा है हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। केवल ओलावृष्टि और अतिवृष्टि हुई है उसमें 93 लोगों की सूची मेरे पास है इसमें जो मैंने सात लाख, तीन लाख, चार लाख और पांच लाख जिलाधिकारियों के माध्यम से जो सूचना आ गई है उसमें कहा है कि सबको दे दिया जाए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, केवल मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का आश्वासन चाहता हूं चूंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के मुद्दे पर यहां अनेकों बार चर्चा हुई, सरकार ने भी इसको गम्भीरता से लिया और यहां तक कि मा0 मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी द्वारा इस बात को कहा गया, कि लगभग सवा तीन हजार करोड़ रुपया इस विषय पर आवंटित किया है और जो जिलों से सूची उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी गई है उसमें से मात्र तीस प्रतिशत लोगों को अनुदान मिल पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि जो शेष जिलों से भेजी गई सूची है उसमें जो बचे हुए लोग हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र सहायता दिलाना सुनिश्चत करायेंगे।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, मैंने अभी बताया कि प्रदेश सरकार में तीन हजार चार सौ छियालिस दशमलव सत्तर करोड़ और इसी अनुपूरक बजट में आठ सौ करोड़ रुपया है और 2801 करोड़ रुपया आ चुका है शेष भारत सरकार से जैसे ही रुपया आएगा वैसे ही यह किया जाएगा।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, यह बहुत गरीब आदमी है।

श्री अध्यक्ष–

आपने सब बता दिया और मंत्री जी ने सुन लिया। अब अगला प्रश्न ले रहे हैं बैठिए।

प्रदेश के अनेक जिलों में कम बारिश होने से किसानों की हो रही मौत से निजात दिलाने हेतु आर्थिक सहायता एवं कार्रवाई की जानकारी

'04–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014 में प्रदेश के अनेको जिलों में कम बारिश होने से किसानों को बहुत ही बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा है ? क्या यह भी सही है कि माह सितम्बर, 14 में बुन्देलखण्ड में कम बारिश व कर्ज में डूबे एक किसान ने आत्म हत्या कर ली जबकि फसल की बर्बादी देखकर दो किसानों की हार्ट अटैक से मौत हो गयी ? यदि हां, तो सरकार ऐसी परिस्थिति से किसानों को

निजात दिलाने हेतु क्या कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

वर्ष 2014 में प्रदेश में कम बारिश होने के कारण 58 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था।

जी नहीं।

माह सितम्बर, 14 में बुन्देलखण्ड में कम बारिश व कर्ज के कारण किसी भी किसान द्वारा आत्महत्या किये जाने व फसल की बरबादी देखकर किसी भी किसान के हार्ट अटैक से मृत्यु का प्रकरण शासन के संज्ञान में नहीं आया है।

सूखे से निपटने के लिये सरकार द्वारा मुख्य रूप से निम्न कार्यवाही की गयी है :

1–सूखा से प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों/विभागीय अधिकारियों को शासनादेश संख्या–318/1–11–2014–18(जी)/2006, दिनांक 16–09–2014 तथा शासनादेश संख्या–456/1–11– 2014–18(जी)/2006, दिनांक 17–11–2004 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये।

2–उक्त सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह भी निर्णय लिया गया है। कि आगामी रबी की फसल आने तक (दिनांक 31 मार्च, 2015) कृषकों के अवशेष मुख्य राजस्व देयों (भू–राजस्व एवं सिंचाई) की वसूली के स्थगन के आदेश दिनांक 31 मार्च, 2015 तक के लिये दिये गये थे जिसकी अवधि अब शासनादेश दिनांक 16–7–2015 द्वारा दिनांक 31–10–2015 तक के लिये बढ़ा दी गयी है। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में कृषि ऋण से सम्बन्धित विविध देयो की वसूली हेतु कृषकों के विरुद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी।

3–सूखे से कृषि फसलों को हुई क्षति तथा इससे निपटने के लिये रु0 4790.89 करोड़ की धनराशि का मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रेषित करते हुये राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया था।

4–प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित मेमोरेण्डम के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा रु0 490.28 करोड़ की धनराशि प्रदेश सरकार को प्रदान की गयी थी जिसे प्रभावित जनपदों को कृषि निवेश अनुदान, हैण्डपम्पों के रि–बोर तथा मरम्मत और मत्स्य पालकों को निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये स्वीकृत कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि 2014 में कम बारिश होने के कारण 58 जिले सूखाग्रस्त घोषित किये गये थे और यह भी कहा कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय मैं 1989 से इस सदन में आ रहा हूं कई ऐसे मौके पर मैंने सवाल लगाया है यह सही है कि व्यक्ति की मृत्यु अनेक कारणों से होती है अवसाद के कारण, डिप्रेशन के कारण आदि अनेकानेक कारण फसल बरबाद होने के

कारण परिवार के संकट में होने के कारण लेकिन कभी भी यह उत्तर नहीं आया कि इन कारणों से मृत्यु हुई जब भी उत्तर आया कि बीमारी से मृत्यु हुई। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह जो सूखाग्रस्त घोषित किया गया इसके नीचे बताया गया कि इन–इन शासनादेशों को निर्गत किया गया मेरे समझ में यह नहीं आ रहा है कि इन शासनादेशों के मार्फत जो प्रभावित किसान है आपदाग्रस्त किसान है उनको क्या राहत मिली ? एक जगह जरूर यह पढ़ने में आया है कि 490.28 करोड़ की जो राशि है वह केन्द्र सरकार से मिली थी ओर उसको हैण्ड पम्प रि–बोर आदि में खर्च कर दिया गया। तो क्या यह जो किसान वर्ष सरकार ने घोषित किया है इसमें राज्य सरकार ने क्या किया इसका कहीं उल्लेख नहीं आया, आता तो अच्छा होता प्रदेश की जनता को मालूम होता। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने क्या किया ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी जब 60 प्रतिशत से कम बारिश हुई थी तो उसमें पहले 44 जिले थे फिर प्रदेश सरकार के 50 प्रतिशत पर लेने से 58 जिले हो गये। तो मान्यवर, जब सूखा पड़ा तो 58 जिलों में राजस्व वसूली पर पूरी रोक लगा दी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर पूरी रोक लगा दी। फिर भारत सरकार के लिये हमने मेमोरेण्डम भेजा था जिसमें भारत सरकार की भी टीम और प्रदेश सरकार की भी टीम थी। तो जब हमने मेमोरेण्डम भेजा तो 4790.89 करोड़ को जब फिर भारत सरकार से बजट का प्राविधान हो चुका था उसके बाद 490 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से आया। तो जब बजट में कोई प्राविधान नहीं था तब भी हमारी प्रदेश सरकार ने कंटीजेंसी से वह पैसा पूरे किसानों में राहत के रूप में बांट दिया हमने उत्पीड़नात्मक कार्यवाही को रोक दिया राजस्व वसूली को रोक दिया पहले रोका था दिसम्बर तक फिर रोक दिया 31 मार्च तक उत्पीड़नात्मक कार्यवाही और राजस्व वसूली पर रोक लगा दी यह प्रदेश सरकार ने किया।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी साहब अब सारी बातों का जवाब आ गया।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

माननीय अध्यक्ष जी मेरी जिज्ञासा तो शांत हो जनता को भी तो मालूम हो आपने निरोधात्मक कार्रवाई की बात बताई निरोधात्मक कार्रवाई का मतलब है स्टे आगे उसको देना है तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि प्रदेश सरकार ने यह निरोधात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त आपदाग्रस्त जनता को किसानों को क्या मदद की जो कैश रिलीफ है वह क्या दिया ? आपने जो कुछ दिया, वह जो केन्द्र सरकार ने दिया था आपके पास वह फंड आया नहीं था, लेकिन आपने उसको अपने कन्टेन्जेंसी फंड से दे दिया, लेकिन आपने अपनी ओर से क्या दिया, यह तो आपने कहीं बताया नहीं। आप बताईये कि आपने अपनी ओर से क्या दिया ?

श्री शिव पाल सिंह यादव–

मा0 अध्यक्ष जी, मेमोरेन्डम गया था 4,790.89 करोड़ का। यह राष्ट्रीय समस्या है। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा यह राष्ट्रीय समस्या है। जब भारत सरकार की टीम आयी और भारत सरकार की टीम के साथ–साथ हमारे प्रदेश के अधिकारियों की टीम भी गयी थी और मुझे याद है कि जब सूखा पड़ा तो केन्द्रीय मंत्री भी बहुत घूमे और केन्द्रीय मंत्रियों ने हमारे प्रदेश का हेलीकाप्टर और प्रदेश का पेट्रोल भी जलाया और आश्वासन भी दिये और जब आश्वासन दिये। यह धन कब आया ? यह धन जब सूखा पड़ा था तो तुरन्त आ जाना चाहिये था, 15 दिन के अन्दर आ जाना चाहिये था। सूखा पड़ा था अगस्त और सितम्बर में और यह धन आ रहा है जनवरी के लास्ट में, जब बजट का पूरा प्रावधान हो गया, तब भी हम लोगों ने कन्टेन्जेंसी से पैसा लेकर के किसानों को राहत दी और पूरी राजस्व वसूली से लेकर के उत्पीड़नात्मक कार्रवाई सब रोक दिया तो भारत सरकार से कहिये कि हमारा जितना शेष वह तो दिलवा दें।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

मा0 अध्यक्ष जी, कोई तर्क–वितर्क के लिये मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं। आपके उत्तर से यह स्पष्ट हो गया कि आपने भारत सरकार द्वारा प्रेषित जो धनराशि थी जिसका पेमेन्ट आने में देर हो रही थी आपने अपने कन्टेन्जेंसी मनी में से देकर उसका भुगतान किया, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी ओर से कुछ भी नहीं दिया। राज्य सरकार ने अपनी राशि से कुछ भी राहत नहीं दी।

श्री अध्यक्ष–

चलिये, अब समाप्त करें। आगे बहुत इम्पार्टेन्ट प्रश्न हैं। मा0 सदस्यगण, मा0 मुख्य मंत्री जी आते हैं तो यह जो चर्चाएं होती हैं जो प्रश्न होते हैं उसके माध्यम से प्रदेश की समस्याओं की जानकारी लेते हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप सारे लोग उनको घेर कर बात करने में ही मशरूफ रहते हैं जिससे बहुत–सी जानकारियां जो उनके संज्ञान में आनी चाहियें नहीं आ पाती हैं। कम से कम इतना तो ध्यान रखिये कि प्रश्न प्रहर में न आया करिये।

प्रदेश में वर्तमान में विद्युत की मांग के आधार पर बिजली उपलब्ध कराने विषयक

'05–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में कितनी विद्युत की मांग है एवं वितरण हेतु कितनी बिजली उपलब्ध है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्तमान में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितने–कितने समय की कटौती निर्धारित की गयी है ? क्या उक्त कटौती को समाप्त करने हेतु सरकार के पास कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री यासर शाह)–

प्रदेश में 24 अगस्त को औसतन प्रतिबन्धित मांग 269.74 मि0यू0 थी, जिसके सापेक्ष उपलब्धता 270.69 मि0यू0 थी। वर्तमान में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के निर्धारित समय का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	क्षेत्र का नाम	आपूर्ति
1	ग्रामीण स्तरीय क्षेत्र	10 घण्टे
2	तहसील स्तरीय क्षेत्र	12 घण्टे
3	जनपद व समकक्ष स्तरीय क्षेत्र	15 घण्टे
4	मण्डल स्तरीय क्षेत्र	18 घण्टे
5	महानगर स्तरीय क्षेत्र	20 घण्टे
6	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	15 घण्टे
7	औद्योगिक क्षेत्र	24 घण्टे
8	ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र	24 घण्टे

जी हां।

विजन–2016 के अन्तर्गत उ0 प्र0 सरकार ने माह अक्टूबर, 2016 से महानगरों में 24 घण्टे, जनपद मुख्यालयों में 22 घण्टे, तहसीलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों को 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया है।

वर्ष 2019 के उपरान्त ट्यूबवेल को छोड़कर सभी स्थानों पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने की योजना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी, आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में विद्युत की जितनी मांग है इनके पास उससे ज्यादा उपलब्ध थी। मान्यवर, यह उत्तर है। यह पढ़ने में निश्चित रूप से सुखद लग रहा है, लेकिन यह वास्तविकता से परे है। मान्यवर, मैं अपनी निश्चित जानकारी के हिसाब से कह सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में चार घंटे से ज्यादा विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर मंत्री जी देंगे या संयुक्त रूप से सभी ने उत्तर देना तय कर लिया है ?

श्री अध्यक्ष–

महाना जी, इस विषय पर तो 02 घण्टे की चर्चा भी हो चुकी है, चूंकि आपका प्रश्न है, इसलिए प्रश्न कर लीजिए।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो उत्तर आया है कि जितनी विद्युत की आवश्यकता है, उससे ज्यादा विद्युत, प्रदेश के पावर कारपोरेशन के पास है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी कर सकता हूं कि विगत 03 वर्षों के अन्तर्गत मार्च, 2012 में यह सरकार

आई, 15 मार्च, 2012 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथ ली थी। 31 मार्च, 2012, 31 मार्च, 2013 और 31 मार्च, 14 और आज की तारीख में कितना विद्युत उत्पादन बढ़ा, अगर मंत्री जी इसका उत्तर दे देंगे तो हम इस उत्तर को सही मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, क्या यह सूचना आपके पास है ?

श्री यासर शाह–

मान्यवर, इसकी सूचना भी यहां नहीं है और यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित भी नहीं है।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन सुन लीजिए, क्या इसका प्रोडक्शन और सप्लाई से सम्बन्ध नहीं है ? मान्यवर, यह भी एक अजीब सी बात विधान सभा में सुनने को मिली है कि इसका प्रोडक्शन और सप्लाई से सम्बन्ध नहीं है, यह मा0 मंत्री जी का उत्तर है। मतलब उत्पादन है भी नहीं और जब उत्पादन ही नहीं है तो सप्लाई कहां से होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न का आधार ही यही होता है, हम पूछना चाहते है कि कितना उत्पादन है और कितनी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। मान्यवर, उत्पादन कितना और वितरण कितना है, इसकी जानकारी दे देंगे तो हम आपके उत्तर को सही मान लेंगे। अगर गलत जानकारी मंत्री जी दे रहे हैं तो इस गलत जानकारी के लिए आप क्या कहेंगे और क्या इस सदन के अन्दर मा0 मंत्री जी ईमानदारी से कहेंगे कि 12 घण्टे बिजली हम गॉव को दे रहे हैं ?

श्री यासर शाह–

अध्यक्ष जी, महाना जी बड़े सीनियर सदस्य हैं, घुमा–फिरा कर कोई बात अपनी ऐसे कहते हैं और कोशिश करते हैं कि सरकार को फंसा सकें। मान्यवर, मेरे जवाब में, सरकार के जवाब में साफ–साफ यहां पर लिखा हुआ है कि मांग के सापेक्ष उपलब्धता 270.69 मि0यू0 थी। यह उत्तर में लिखा हुआ है, आप समझ नहीं पाए, अगर आप अलग से समय देंगे तो मैं आपको पूरा समझा दूंगा।

(डा0 राधामोहन दास अग्रवाल के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, 02 घण्टे चर्चा चली है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, मेरा मंत्री जी से सवाल है, मांग है 269 मि0 यूनिट और उपलब्ध है 270 मि0 यूनिट तो यह कटौती क्यों हो रही है ? जितनी जरूरत है, अगर उससे ज्यादा बिजली पड़ी हुई है तो आखिर यह कटौती के घण्टे क्यों तय किए गए हैं, 24 घण्टे बिजली क्यों नहीं दी जा रही है ? मंत्री जी यह बता दें।

श्री यासर शाह–

अध्यक्ष जी, नींद उड़ गई भाजपा की, मुझे लगता है कि रात की नींदें उड़ी हुई हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। मैंने कहा कि प्रतिबन्धित मॉग, इसमें साफ–साफ लिखा हुआ है कि प्रतिबन्धित मॉग 269.74 मि0यूनिट थी, प्रतिबन्धित मॉग मैंने आपको पढ़ कर बता दी। प्रतिबन्धित मांग को पूरा करने के लिए हमें आवश्यकता थी 269.74 मि0यूनिट की और हमारे पास उपलब्धता थी 270.69 मि0यूनिट की। मान लीजिए उस दिन प्रतिबन्धित मॉग 10 घण्टे थी तो हमने साढ़े दस घण्टे, 11 घण्टे विद्युत आपूर्ति की। हमने प्रतिबन्धित मॉग के ऊपर हमने विद्युत आपूर्ति की, यह इस प्रश्न का जवाब है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब प्रश्न संख्या–6।

प्रदेश के ग्रामों में स्थापित ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने की मांग

'06–श्री सुदेश शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गांवों के अन्दर विद्युत ओवर लोडिंग के कारण बार–बार जल रहे ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि की कोई कार्य योजना वर्तमान में संचालित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुदेश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से इस सवाल के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में ट्रान्सफार्मरों की रिपेयरिंग में सरकार का कुल कितना खर्च आया और यदि उन्हीं ट्रान्सफार्मरों की जगह पर नए ट्रान्सफार्मर क्षमता बढ़ाकर लगाये जाते तो कितना खर्च आता, इसके बारे में जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष–

आपका सवाल है कि प्रदेश में गांव के अंदर विद्युत ओवर लोडिंग के कारण बार–बार जल रहे ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की कोई कार्ययोजना वर्तमान में संचालित है। मंत्री जी ने कहा नहीं, आप जरा इसको ठीक से पढ़कर सवाल पूछिए।

श्री सुदेश शर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं। बार–बार ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग पर जो खर्चा आ रहा है यदि उनका लोड बढ़ा दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। इससे तो सरकार की बार–बार हानि हो रही है। जगह–जगह से यह शिकायत आ रही है कि 65 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर है और 100 के0वी0ए0 की जरूरत है। चार–चार बार वह ट्रांसफार्मर फुकता है और बार–बार उसको लगाया जाता है। उस पर बहुत खर्चा आ रहा है। मैं तो सरकार के फायदे की बात कर

रहा हूं। ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ा दी जाये तो उसका खर्चा आना बंद हो जायेगा और बार–बार ट्रांसफार्मर फुकना बंद हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। मा0 मंत्री जी, इनका कहना यह है कि क्या आप इसकी क्षमता बढ़ाकर देंगे ? फुंकने का कारण है कि लोड बढ़ जाता है। तो इनका कहना है कि ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ा कर लगा दिया जाये।

श्री यासर शाह–

मा0 अध्यक्ष जी, यह एक सतत् प्रक्रिया है ट्रांसफार्मर बदलने की, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की। बिजनेस प्लान में जितना लोड होता है, जितने कनेक्शन होते हैं उसके अनुसार ही ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। यदि कहीं पर 63 के0वी0ए0 का लोड है तो 63 का लगाया जाता है। कहीं पर 25 के0वी0ए0 का लोड है तो 25 का, और कहीं पर 10 का है तो 10 का लगाया जाता है। अगर लोड के ऊपर कनेक्शन से ज्यादा लोड आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर विद्युत चोरी हो रही है। उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है कि विद्युत चोरी रोकी जाये। सरकार इस बात के लिए सुनिश्चित करेगी कि 2016 में जो विजन है तब तक समय आते–आते हम सारी क्षमता वृद्धि कर चुके होंगे, ट्रांसफार्मर बदल चुके होंगे। केन्द्र सरकार से 19 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव राज्य सरकार दे चुकी है। मैं मा0 सदस्यों से यह भी कहूंगा कि यहां उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार के बहुत सारे एम0पी0 भी हैं, हम लोग तो एक साल से कह रहे हैं, अगर आप लोग कह दें, तो शायद जल्दी हो जाये। यह आपके खुद के कार्यक्रम में भी है, तो उसके पैसे दिलवा दें। मा0 सदस्य जी की जो मंशा है ट्रांसफार्मर बदलवाने की।

श्री सुदेश शर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी मंशा ट्रांसफार्मर बदलवाने की नहीं है, आपका विभाग जो एक ही महीने में उसी ट्रांसफार्मर को चार–चार बार बदल रहा है, हो सकता है आपकी जानकारी में न हो, इससे राजस्व की बहुत ज्यादा हानि हो रही है। आप मुझे जरा यह रिकार्ड बता दें कि पिछले तीन सालों में इस पर कितना खर्चा आया है, आपको स्वतः ही पता चल जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप बैठ जाइए। श्री नीरज कुशवाहा मौर्य जी।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, जैसा कि सर्वविदित है कि प्रदेश में ट्रांसफार्मर फुंकने की बहुत–सी सूचनाएं हमारे पास आती रहती हैं। अभी जो मा0 मंत्री जी ने कहा कि क्षमता बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि यदि किसी गांव में 25 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगा है या 10 का लगा है उसके बाद यदि कोई नया कनेक्शन एप्लाई करता है तो क्षमता बढ़ा कर दिया जायेगा या उसी पर कनेक्शन दे दिया जायेगा। चूंकि यह गड़बड़ी विभाग द्वारा हो रही है कि क्षमता 10 कनेक्शन की है और वहां 22 कनेक्शन देने से लोड बढ़ता है और ट्रांसफार्मर फुंकता है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना

चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी ऐसी कोई योजना बनाने पर विचार करेंगे कि हम कनेक्शन तभी देंगे जब वहां पर दूसरा बड़ा ट्रांसफार्मर उससे बड़ी क्षमता का लगा दिया जायेगा।

श्री यासर शाह–

मा0 अध्यक्ष जी, कनेक्शन तभी दिया जाता है जब ट्रांसफार्मर में लोड उठाने की क्षमता हो। इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि हम कनेक्शन तभी दें जिससे कम से कम समस्या जनता को बिजली देने में हो। मा0 सदस्य की जो जिज्ञासा है वह यह है कि ओवर लोडिंग न हो। मैं मा0 सदस्य जी की भावनाओं की कद्र करता हूं और इस बात के लिए सदन को सुनिश्चित तौर पर बताना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह गंभीर है और बिजली की समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने 22 तारीख को अभी कार्यक्रम किया था जिसमें 4 हजार करोड़ की परियोजना शुरू की है, यह सारी योजनाएं जब खत्म हो जायेंगी, पूरी हो जायेंगी तो आपकी ओवर लोडिंग की समस्या खत्म हो जायेगी। मा0 अध्यक्ष जी, लोड तभी दिया जाता है कनेक्शन तभी दिया जाता है जब ट्रांसफार्मर में लोड उठाने की क्षमता हो।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बैठिए। नहीं, अब नहीं। अब हो गया। अरे राठी साहब, अपने सवाल पर तो रहे नहीं, दूसरे के सवाल पर प्रश्न करने आ गए। बैठिए।

'07–श्री वीरपाल राठी–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना गरीबों को लाभ पहुंचाने के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरों में उपलब्ध कराने की योजना की जानकारी

'08–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के साथ–साथ टाउन एरिया/नगरों में भी इस योजना का लाभ गरीबों को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उसके लिए अर्हता क्या है एवं इसके अन्तर्गत कितने रुपयों तक का इलाज एक साल में सम्भव है ? क्या इसमें नवीनीकरण का प्राविधान है ? यदि हां, तो किन शर्तों पर तथा कितने समय के लिए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंखलाल मांझी–

जी हां।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु स्मार्ट कार्ड का होना आवश्यक है। स्मार्ट कार्ड की सुविधा ग्रामीण अंचलों के साथ–साथ शहरी एवं टाउन एरिया आदि सभी जगहों पर लागू है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में ऐसे लाभार्थी समूह सम्मिलित हैं, जिनका नाम जनगणना 2002 की बी0पी0एल0 सूची में अंकित है।

एक कार्ड पर रु0 30,000/– (रु0 तीस हजार मात्र) तक की चिकित्सीय सुविधा परिवार के मुखिया सहित परिवार के पांच सदस्यों को अनुमन्य है।

जी हां।

यह कार्ड एक वर्ष के लिये वैध/मान्य होता है प्रत्येक वर्ष प्रति कार्ड रु0 30.00 (रु0 तीस मात्र) के भुगतान पर नवीनीकरण किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री के उत्तर में दो छोटे–छोटे सवाल पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न यह है कि वर्तमान वर्ष में स्मार्ट कार्ड जारी करने का लक्ष्य कितना था और कितने कार्ड जारी किये गये और दूसरा सवाल यह है कि जो तीस हजार रुपया एक वर्ष में एक परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा दिये जाने का जो प्राविधान है इसके सत्यापन का क्या प्राविधान है ? मान्यवर, स्थिति यह है कि जो डाक्टर्स अधिकृत हैं इनका इलाज करने के लिए, वह लोग अपने मनमाने तरीके से इलाज कर लेते हैं और उसका बिल कुछ भी हो, वह पूरा–पूरा पैसा दिखा देते हैं कि तुम्हारा पैसा खर्च हो गया। यानी जितना पैसा दिया जाता है उतने का इलाज उस लाभार्थी को नहीं मिलता है। मान्यवर, इस प्रश्न के पीछे आशय यह है। तो मान्यवर, जो दो सवाल मा0 मंत्री जी से पूछे हैं उनका उत्तर दिलवा दें।

श्री शंख लाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, संयोग से यह सूचना अभी मेरे पास नहीं है। वैसे वर्तमान चरण में कुल 38 लाख 07 हजार 666 बी0पी0एल0 परिवारों का नामांकन योजनान्तर्गत किया जा चुका है। दूसरा, जो आपने कहा है कि डाक्टर के द्वारा फर्जी बिलों को लगाकर उनका पूरा पैसा खर्च दिखा दिया जाता है। तो यह मरीज जो होता है उसको जो दवा दी जाती है उसी के आधार पर उसका बिल बनता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आपके माध्यम से संरक्षण चाहता हूं। वर्तमान में इस कार्ड को जारी करने का लक्ष्य कितना था और कितने कार्ड जारी हुये ? यह भी स्पष्ट प्रश्न है। दूसरी बात कि जो डाक्टर्स इलाज करते हैं उनके सत्यापन की क्या व्यवस्था है ? तो मान्यवर, इसका उत्तर चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

कार्ड वाला तो बता दिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, कार्ड वाला भी स्पष्ट उत्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

सत्यापन की क्या व्यवस्था है ?

श्री शंख लाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि मरीज को खुद ही दवा लेना रहता है तो मरीज को जो दवा मिलेगी और मरीज को पता है कि हमको 30 हजार रुपये तक की सीमा में दवा होनी है। तो मरीज को अगर दवा नहीं मिलेगी और दवा का बिल प्रस्तुत होगा तो वह तो मरीज का खुद का विषय होता है कि वह इसको देखे। और इसको मरीज देखता है कि हमें कितने का बिल अब तक दिया जा चुका है। क्योंकि उसको तीस हजार की सीमा निर्धारित है तो मरीज इतना गंवार नहीं है कि फर्जी बिल जो डाक्टर कह देगा वही मान लेगा। इसका सबसे बड़ा सत्यापन का तो यही तरीका है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, यह इतनी अच्छी योजना भारत सरकार ने बनायी है कि बी0पी0एल0 कार्ड धारक लोगों को तीस हजार रुपये का इलाज दिया जाएगा। मान्यवर, मेरी निजी जानकारी है कि जितने भी बी0पी0एल0 कार्ड हैं। सब लोगों का स्मार्ट कार्ड नहीं बना है। और वह ऑनलाइन भी हैं। तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने भी बी0पी0एल0 कार्ड ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हैं उनको इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड बनवाने की कृपा करेंगे जिससे सबको इलाज मिल सके।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, आपका प्रश्न है कि जितने बी0पी0एल0 कार्ड होल्डर हैं, उनका सबका स्मार्ट कार्ड आप बनवा देंगे।

श्री शंखलाल मांझी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि इसी चरण में 387666 बी0पी0एल0 कार्ड होल्डरों का लक्ष्य है, तो जितने लोगों का है, उतना इस बार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

प्रदेश में उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन से नियामक आयोग द्वारा बिलिंग सम्बन्धी दिये गये आदेशें की मांग

'09–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन ने प्रदेश में 10 किलोवाट तथा 13.04 हार्स पावर से कम के उपभोक्ता जो थ्री फेज बिजली के कनेक्शन धारक है, से के0डब्ल्यू0एच0 (किलोवाट हावर) के बजाय के0पी0एच0 (किलोवाट एम्पियर ऑवर) के अनुसार विद्युत बिलिंग की योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य विद्युत नियामक आयोग की सिफारिशों/आदेशों को दृष्टिगत रखा गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आयोग के क्या आदेश है ?

श्री यासर शाह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था कि विद्युत नियामक आयोग ने मई, 2015 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को एक आदेश दिया था कि प्रदेश में 10 किलोवाट तथा 13.4 हार्सपावर से कम के जो विद्युत उपभोक्ता हैं और जिनके पास तीन फेज का कनेक्शन है, उनसे किलोवाट आवर के0वी0एच0 के बजाय, किलोवाट एम्पीयर के हिसाब से विद्युत बिल लिया जाय, यह निर्देश विद्युत नियामक आयोग ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को दिया। मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, इसको हम लागू नहीं करेंगे, तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विद्युत नियामक आयोग ने क्या निर्देश दिया था और उसको लागू न करने के क्या कारण हैं।

श्री यासर शाह–

मा0 अध्यक्ष जी, ऊर्जा विभाग, विद्युत नियामक आयोग के हर आदेश का पालन करता है, उसके आदेशों पर चलता है। वर्तमान में नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के आधार पर 10 किलोवाट से नीचे के उपभोक्ताओं की बिलिंग हेतु फिक्स चार्ज किलोवाट में एवं एनर्जी चार्ज किलोवाट ऑवर आधार पर किये जाने का प्राविधान है। 10 किलोवाट एवं इससे अधिक भार वाले उपभोक्ताओं के बिलिंग में फिक्स चार्ज के0वी0ए0 आधार पर एवं एनर्जी चार्ज के0वी0ए0 ए0एच0 आधार पर बिलिंग इस समय की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

प्रदेश में क्षय रोगियों के उपचार हेतु राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किये जाने की मांग

'10–श्री मनीष असीजा–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्षय रोगियों के प्रभावी उपचार एवं क्षय रोग के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप राज्य में क्षय रोग की वास्तविक स्थिति के आंकलन हेतु राज्य व्यापी क्षय रोग सर्वेक्षण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंखलाल मांझी–

जी हां।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य वार्षिक कार्य योजना (पी0आई0पी0) 2015–16 में उच्च जोखिम समूहों (हाई रिस्क ग्रुप) में क्षय रोग का सर्वेक्षण कराने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। उक्त प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पी0आई0पी0 2015–16 में अस्वीकृत कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

श्री मनीष असीजा–

मा0 अध्यक्ष जी, टी0वी0 अपने आप में बहुत गम्भीर बीमारी है और हम सब जानते हैं कि ज्यादातर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है वहां पर इस बीमारी का ज्यादा प्रभाव है। अनेक कारणों से टी0वी0 का पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो सका और बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश के नागरिकों को जीवन हानि का सामना करना पड़ रहा है। मा0 मंत्री जी के जवाब में यह उत्तर आया है कि भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, मेरा यह साफ प्रश्न था कि क्या राज्य अपने स्तर पर इसका व्यापक सर्वेक्षण करायेगी। तो मैं पहला प्रश्न तो यह पूछता हूं कि क्या राज्य अपने स्तर पर इसका व्यापक सर्वेक्षण करायेगी और दूसरा जो मल्टी ड्रग्स रजिस्टेंश है, अनेक प्रकार की दवाओं के कारण से टी0वी0 की बहुत सारी दवाओं ने असर करना बंद कर दिया है या बहुत कम कर दिया है। इसकी वजह से भी टी0वी0 के मरीजों को बहुत अधिक तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा दूसरा प्रश्न है मा0 अध्यक्ष जी, कि मल्टी ड्रग्स रजिस्टेंश के कारण जो टी0वी0 की दवाओं ने असर कम करना या असर करना बंद कर दिया है, इसको सरकार ने संज्ञान में लेकर इस समस्या के निराकरण के लिए कोई नई योजना बनाई है।

श्री शंखलाल मांझी–

मा0 अध्यक्ष जी, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों एवं आर्थिक सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क जांच, निदान, उपचार और औषधियां क्षय रोगों की समस्त सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

श्री मनीष असीजा–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी मल्टी ड्रग्स रजिस्टेंश के बारे में भी बता दें।

श्री अध्यक्ष–

इस सवाल में मल्टी ड्रग्स कहां आता है ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, मल्टी ड्रग्स इसी सवाल में आता है।

श्री अध्यक्ष–

आप डाक्टर हैं, इसलिए आपको ज्यादा पता है, हमें ज्यादा नहीं पता है।

श्री शंखलाल मांझी–

मान्यवर, क्षय रोग जो मुख्य रूप से बीमारी है, वह ट्यूबर क्लोसिस यानी टी0वी0 है। जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार की आपसी हिस्सेदारी है। इसमें 127 करोड़

रुपये की स्वीकृति 2014–15 में केन्द्र सरकार द्वारा की गई थी और मात्र 56 करोड़ रुपया दिया गया।

(डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा बीच में खड़े बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, मंत्री जी का उत्तर आ जाने दीजिये न।

श्री शंखलाल मांझी–

आप सुन लीजिये, हमारी बात तो सुन लीजिये। इसमें 88 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने दिया है। 127 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था 2014–15 में और दिया गया मात्र 56 करोड़ रुपया। राज्य सरकार 88 करोड़ रुपये अपनी तरफ से खर्च करके इस कार्यक्रम को कर ही रही है। वर्ष 2014 में 2 लाख 55 हजार मरीजों का निदान किया गया है और यह निदान मुफ्त किया जाता है इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, एक सवाल है, मा0 सदस्य ने क्षय नियन्त्रण के बारे में बहुत स्पेशिफिक प्रश्न पूछा। यह क्षय रोग की समस्या है और अब दवायें फायदा नहीं कर रही हैं। मा0 सदस्य जानना चाहते हैं कि ऐसे मरीजों को जिनमें दवायें फायदा नहीं कर रही हैं, उनके लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है सरकार उस योजना को बता दे।

ख12.20, कार्य–सूची के नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न सं0–1 को लिये जाने का अनुरोध

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, यह पहला प्रश्न जिसमें प्रश्न को प्रस्तुत करने वाले मा0 सदस्यगण नहीं थे। उस प्रश्न में हमारे जनपद लखीमपुर खीरी के विधायक शेरू जी का इण्टरेस्ट है।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, चूंकि उनकी विधान सभा का मामला है और आपके माध्यम से केवल संज्ञान में लाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा बैठिये, अब प्रश्न समाप्त।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मा0 अध्यक्ष जी,

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये, इसमें आपका नहीं है। अब आगे नियम–301 की सूचनायें लेने दीजिये न। अब मा0 मंत्री जी, खड़े हैं कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन लो। मा0 सदस्य, शेरू जी आप बैठिये न। मा0 मंत्री जी खड़े हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। आप सुन लीजिये मंत्री जी को।

(श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, अरे आप बैठो न। यह क्या तरीका है, मैं कह रहा हूं कि बैठ जाओ, आप बैठ नहीं रहे हो। आप बैठिये, आपका कुछ लिखा ही नहीं जायेगा। आपका कुछ लिखा–विखा नहीं जायेगा, आप बैठो।

प्रदेश के विद्युत कर्मियों को निःशुल्क विद्युत उपलब्ध करवाने पर कारपोरेशन को कोटा विषयक प्रकरण

'11–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन नियमों के तहत सरकार विद्युत विभाग तथा उनसे सम्बद्ध विभिन्न कार्पोरेशन के कर्मियों को किस सीमा तक निःशुल्क या सस्ती बिजली उपलब्ध कराती है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा विद्युत कार्पोरेशन को इसका भुगतान किया जाता है। यदि नहीं, तो क्या इसे कार्पोरेशन के घाटे में गिना जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

जी हां।

उ0 प्र0 विद्युत सुधार स्थानान्तरण स्कीम 2000 की धारा–12;इद्ध ;पपद्ध एवं भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–133 (2) के तहत कारपोरेशन के कर्मियों को मा0 नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दर सूची एल0एम0वी0–10 के अनुरूप रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध करायी जाती है।

जी नहीं।

भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–61, 62 एवं 64 के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत मा0 उ0प्र0 नियामक आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दरें निर्धारित की जाती हैं। विधिक अनुमन्यता होने के कारण इसको घाटे में शामिल नहीं माना जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विगत पांच वर्षों में लाइन हानियों तथा उसमें आयी कमी को पूरा करने हेतु सरकार की ओर से उठाये प्रयासों की जानकारी

'12–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत पांच वर्षो में विद्युत विभाग की वर्षवार लाइन हानि क्या रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि लाइन हानि कम करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या–क्या कदम उठाये जा रहे है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

विगत पांच वर्षों में लाइन हानियों तथा उसमें आयी कमी का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	लाइन हानियां	लाइन हानियों में कमी
2010–11	27.62	––
2011–12	27.92	–0.30
2012–13	27.21	0.71
2013–14	25.89	1.32
2014–15	23.26	2.63

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जी हां।

वर्ष 2021–22 तक 15 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य प्राप्ति हेतु विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मातृ शिशु दर एवं बाल शिशु मृत्यु दर को कम करने की योजना की जानकारी

'13–डा0 अरुण कुमार–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मातृ शिशु दर एवं बाल शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले कहीं ज्यादा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे कम करने के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)–

जी हां।

जी हां।

प्रदेश में मातृ मृत्यु दर को कम करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनेकों योजनाएं जैसे जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम, होम बेस्ड न्यूबार्न केयर (एच0बी0एन0सी0) आदि संचालित किये जा रहे हैं।

प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनेकों योजनाएं जैसे होम बेस्ड न्यूबार्न केयर (एच0बी0एन0सी0), नवजात शिशु देखभाल स्थान (एन0बी0सी0सी0), नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (एन0बी0एस0यू0), गंभीर नवजात शिशु इकाई (एस0एन0सी0यू), पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन0आर0सी0), न्यूमोनिया व डायरिया कार्यक्रम प्रबन्धन आदि संचालित किये जा रहे हैं।

प्रदेश में वर्ष 2015–16 को मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है जिसमें रक्त अल्पता $\leq$11 तथा अति गम्भीर रक्त अल्पता $\leq$7 वाली गर्भवती महिलाओं की जांच व उपचार, 0–3 वर्ष के बच्चों में कुपोषण की पहचान एवं उपचार, शीघ्र स्तनपान का बढ़ावा देना तथा किशोरी स्वास्थ्य के अन्तर्गत किशोरियों के एनीमिया का प्रबंधन की सुविधाएं तथा कुपोषित बच्चों की जांच हेतु वी0एच0एन0डी0/आंगनबाड़ी में उचित उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही हैं।

प्रदेश में बिजली की मांग और आपूर्ति के अन्तर को रोकने के लिये बनाई गयी कार्य योजना की जानकारी

'14–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय कुल कितना विद्युत उत्पादन उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की उत्पादन इकाइयों द्वारा किया जा रहा है और उसका उत्पादन मूल्य प्रति यूनिट कितना है ? वर्तमान में कुल कितनी बिजली किन–किन कम्पनियों आदि से क्रय की गयी और उसकी प्रति यूनिट उत्पादन कीमत क्या थी ? क्या यह सही है कि प्रदेश में बिजली की मांग और आपूर्ति में अन्तर निरन्तर बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अन्तर्गत उत्पादनरत् इकाईयों वर्तमान में माह अगस्त, 2015 में औसत उत्पादन 3140 मे0वा0 (1431.816 मि0यू0) है एवं औसत विद्युत उत्पादन लागत जून, 2015 तक रु0 3.17 प्रति यूनिट है।

प्रदेश में उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के नियंत्रणाधीन जल विद्युत गृहों से वर्तमान में औसत विद्युत उत्पादन 2477.7 मे0वा0 (5.945 मि0यू0) एवं औसत उत्पादन लागत 80.78 पैसा प्रति यूनिट है।

उपक्रम का नाम	क्रय ऊर्जा (मि0यू0)	समेकित दर (रु0 प्रति यू0)
एन0टी0पी0सी0	4402.47	3.26
एन0एच0पी0सी0	823.94	2.80
एन0पी0सी0आई0एल0	445.72	2.88
टी0एच0डी0सी0	269.03	4.68

एस0जे0वी0एन0एल0	353.76	2.79
जल वि0वि0नि0लि0	139.78	0.70
को–जनरेटर्स	376.78	4.45
माइक्रोहाईडिल	0.64	2.25
आई0पी0पी0	3781.79	3.84
सी0पी0पी0	23.77	5.06
सोलर	7.45	10.38
एन0वी0वी0एन0 बन्डल्ड थर्मल पावर	92.34	3.06
एन0वी0वी0एन0 बन्डल्ड सोलर पावर	26.48	11.11
ताला (पी0टी0सी0)	13.44	2.02

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

- वर्ष 2014–15 में अनुमानित बेस लोड 15224 मे0वा0 के सापेक्ष शुद्ध उपलब्धता 11741 मे0वा0 है एवं अन्तर 3483 मे0वा0 का है।
- वर्ष 2015–16 में अनुमानित बेस लोड 17423 मे0वा0 के सापेक्ष शुद्ध उपलब्धता 15601 मे0वा0 है एवं अन्तर 1822 मे0वा0 है।
- वर्ष 2016–17 में अनुमानित बेस लोड 19619 मे0वा0 के सापेक्ष शुद्ध उपलब्धता 19070 मे0वा0 है एवं अन्तर 549 मे0वा0 है।

प्रदेश में जलाशयों के संरक्षण के लिये किये जा रहे उपायों की जानकारी

'15–श्री धर्मपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जलाशय बड़े तेजी से खत्म हो रहे है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके संरक्षण हेतु कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रदेश में जलाशयों के सृजन, संवर्धन एवं संरक्षण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–08/38–7–11–377 एन0आर0ई0जी0 ए/08, दिनांक 24 फरवरी, 2011 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इसी क्रम में राजस्व परिषद्, उ0प्र0 के

आदेश संख्या–आर0जी0–15/जी–5–1डी/2007, दिनांक 07 मार्च, 2011 द्वारा भी प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।

उक्त के अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंच लाल तिवारी बनाम कमला देवी में पारित आदेश दिनांक 25–7–2001 के अनुपालन में प्रदेश के सार्वजनिक तालाबों से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्देश निर्गत किये गये हैं। तद्नुसार जनपदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों मे तेजी से फैल रहे सेरीब्रल–पेलसी जैसे रोगों के रोकथाम के उपाय

'16–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्सेफ्लाइटिस के कारण प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों में तेजी से फैल रही सेरीब्रल–पेलसी जैसे रोग से बड़ी तादाद में बच्चे विकलांग बन रहे है ? यदि हां, तो क्या सरकार सेरीब्रल–पेलसी जैसी बीमारी की रोक–थाम तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां। प्रदेश के पूर्वान्चल के गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के जनपदों में इन्सेफ्लाइटिस रोग की जटिलता के फलस्वरूप रोगी के मस्तिष्क में हुई क्षति (सेरीब्रल–पेलसी) के कारण बच्चों में विकलांगता उत्पन्न हो रही है।

जी हां।

इन्सेफ्लाइटिस रोग एवं इसकी जटिलता जिसमें सेरीब्रल–पेलसी भी सम्मिलित है, की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये ए0ई0एस0/जे0ई0 नियंत्रण कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई की जाती है। इन्सेफ्लाइटिस रोगी के मस्तिष्क की क्षति को कम करके सेरीब्रल–पेलसी जटिलता में कमी करने के लिये गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के ब्लाक स्तरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर इन्सेफ्लाइटिस ट्रीटमेन्ट सेन्टर (ई0टी0सी0) स्थापित किये गये हैं, जिससे रोगी को तत्काल आक्सीजन, आई0वी0 फ्लूईड्स के माध्यम से ग्लूकोज एवं अन्य सहायक उपचार उपलब्ध कराकर मस्तिष्क की क्षति की रोकथाम की जाती है।

इन्सेफ्लाइटिस (एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिण्ड्रोम (ए0ई0एस0)/जापानीज इन्सेफ्लाइटिस (जे0ई0) नियंत्रण कार्ययोजना का विवरण निम्नवत् है :–

जलजनित ए0ई0एस0 रोग के नियंत्रण हेतु :–

- शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, वातावरण एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के उपाय,
- बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिये रक्त अल्पता (एनीमिया) को कम करना एवं बच्चों में कुपोषण की रोकथाम,

मच्छर जनित जे0ई0 रोग की रोकथाम के लिये :–

- वेक्टर सर्वेक्षण–रोगवाहक मच्छर की संख्या में वृद्धि के अनुश्रवण हेतु।
- वाहक मच्छर नियंत्रण द्वारा रोग प्रसार पर नियंत्रण :–
  - प्–मच्छर के लार्वा नियंत्रण तथा मच्छर जनक परिस्थितियों पर नियंत्रण– लार्वानाशक रसायन/लार्वाभक्षी मछली का उपयोग तथा मच्छर जनक परिस्थितियों को समाप्त करने के उपाय तथा जन जागरण।
  - प्प्–वयस्क मच्छरों के नियंत्रण–कीटनाशक छिड़काव एवं फॉगिंग।
  - प्प्प्–सूकर मच्छर के सम्पर्क को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय तथा जन जागरण।
  - प्ट–मनुष्य मच्छर के सम्पर्क को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय तथा जन जागरण।
- जे0ई0 टीकाकरण :–भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्रदेश के 37 जनपदों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत जे0ई0 टीकाकरण एवं इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों एवं जे0ई0 वैक्सीन उपलब्ध कराने पर जनपदों में विशेष जे0ई0 टीकाकरण अभियान का क्रियान्वयन।

निदान एवं उपचार :–

- फीवर ट्रैकिंग– आरम्भिक अवस्था में रोगियों की पहचान।
- ज्वर का निदान एवं त्वरित उपचार।
- रोगियों के परिवहन हेत निःशुल्क एम्बुलेन्स की व्यवस्था– रोगियों को नजदीकी उपचार केन्द्र पर ए0ई0एस0/जे0ई0 रोगी को निःशुल्क 108 एवं 102 एम्बुलेन्स में प्रशिक्षित कर्मियों की देख–रेख में शीघ्र पहुंचाने की व्यवस्था।
- ए0ई0एस0/जे0ई0 रोगियों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के लिये गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के समस्त जनपदों में ब्लाक स्तर पर 107 इन्सेफ्लाइटिस ट्रीटमेन्ट सेन्टर (ई0टी0सी0) पर ए0ई0एस0/जे0ई0 रोगियों के प्रारम्भिक उपचार की व्यवस्था,
- गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के 8 चिकित्सालयों एवं जनपद बहराईच एवं लखीमपुरी खीरी के जिला चिकित्सालय में पीडियाट्रिक आई0सी0यू0 में ए0ई0एस0/जे0ई0 रोगियों की उच्च स्तरीय उपचार की व्यवस्था।
- मस्तिष्क ज्वर के अन्य कारणों की डिफ्रेन्शियल डायग्नोसिस/इन्सेफ्लाइटिस की पुष्टि हेतु प्रयोगशाला परीक्षण की व्यवस्था।
- जिला स्तरीय चिकित्सालय/सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपचार के मानकों के अनुसार आवश्यक उपकरण/औषधियों की उपलब्धता।

स्वास्थ्य शिक्षा/प्रचार–प्रसार–

- रोग से बचाव हेतु निरोधात्मक उपायों की जानकारी सहित निकटतम चिकित्सालय में रोगी के उपचार के लिए पहुंचाने हेतु, वातावरणीय एवं व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ शौचालय के उपयोग व शुद्ध पेयजल के उपयोग हेतु स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार–प्रसार द्वारा जन जागरण।

प्रशिक्षण–

- मेडिकल, पैरामेडिकल एवं अन्य कर्मियों (विभागीय एवं अन्तर्विभागीय) का इन्सेफ्लाइटिस रोगियों के उपचार एवं जांच तथा रोग की रोकथाम के उपाय से सम्बन्धित प्रशिक्षण।

पुनर्वासन क्रियाकलाप–

- जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग उपरान्त उत्पन्न हुई शारीरिक/मानसिक विकलांगता से ग्रसित रोगियों की काउंसिलिंग, उपचार एवं वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था।

अन्तर्विभागीय समन्वय–

- इन्सेफ्लाइटिसस (ए0ई0एस0/जे0ई0) रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण की गतिविधियों हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, परिवार कल्याण विभाग, ग्राम विकास विभाग, जल निगम, पंचायती राज विभाग, पशुधन विभाग, मत्स्य विभाग, बाल एवं महिला कल्याण विभाग (आई0सी0डी0एस0), शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग, समाज कल्याण/विकलांग कल्याण विभाग द्वारा सहयोग एवं योगदान।

- अन्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं यथा–सी0डी0सी0 अटलान्टा/इण्डिया, निम्हांस बंगलुरु, एन0सी0डी0सी0 भारत सरकार, एस0जी0पी0जी0आई0 एवं के0जी0एम0यू0, लखनऊ, प्रोग्राम फॉर एप्रोप्रियेट टेक्नालाजी इन हेल्थ (पाथ) संस्था से ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग के नियंत्रण, उपचार, जांच एवं शोध कार्य में सहयोग उपलब्ध कराना।

रिपोर्टिंग तथा अभिलेखन–

- अभिलेखों का रख–रखाव एवं सम्बन्धित उच्च स्तरीय अधिष्ठानों को सूचना का सामयिक सम्प्रेषण।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी जनपदों में ट्रामा सेन्टर स्थापित करने की कार्य योजना की जानकारी

'17–श्री नदीम जावेद–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जनपदों में ट्रामा सेन्टर स्थापित करने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ट्रामा सेन्टर की स्थापना किया जाना विभाग मे चिकित्सा विशेषज्ञों, तकनीकी चिकित्सा कर्मियों, सरकार के वित्तीय संसाधनों व भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसके दृष्टिगत विभाग द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित चिन्हित चिकित्सालयों एवं चिकित्सा इकाइयों की आकस्मिक सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करके ट्रामा सेन्टर स्थापित किये जाने के लिये प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। वर्तमान समय में प्रदेश के 08 जनपदों में भारत सरकार की सहायता से तथा 28 जनपदों में उ0प्र0 सरकार की योजनान्तर्गत ट्रामा सेन्टर निर्माणाधीन हैं।

अतारांकित प्रश्न

जनपद चन्दौली के क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

01–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 13 मार्गों के नव निर्माण/पुनः निर्माण एवं क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख–5 नं0 321827, दिनांक 04–07–2014 अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय के लगे ट्रांसफार्मरों को ठीक कराये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

02–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुगलसराय न0पा0 परिषद् क्षेत्र नगरीय इलाकों में लगे कुल 26 स्थानों के ट्रान्सफार्मरों की लो–वोल्टेज, विद्युत ट्रिपिंग, अत्यधिक लोड व नये कनेक्शनों की बड़ी संख्या के मद्देनजर नया ट्रान्सफार्मर लगवाकर विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख–5 नं0 321823, दिनांक 25–06–2014 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–प्प मुगलसराय चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

इंगित पत्र में 26 स्थानों के बजाय 20 स्थानों के नाम का वर्णन है। मुगलसराय नगर पालिका परिषद् क्षेत्र नगरीय इलाकों में ट्रान्सफार्मरों की लो वोल्टेज, विद्युत ट्रिपिंग, अत्यधिक लोड व नयें कनेक्शनों की बड़ी संख्या के मद्देनजर सुचारु विद्युत आपूर्ति से संबधित स्थल वार विवरण निम्नवत् है–

1–अलीनगर चौहान बस्ती–पूर्व में 250 के0वी0ए0 परिवर्तक से विद्युत आपूर्ति की जा रही थी, वहां 2 अद्द के0वी0ए0 के अतिरिक्त परिवर्तक माह जनवरी 2015 में स्थापित कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

2–अलीनगर मुस्लिम बस्ती–पूर्व में 400 के0वी0ए0 परिवर्तक से विद्युत आपूर्ति की जा रही थी, वहां 2 अदद 100 के0वी0ए0 के अतिरिक्त परिर्वतक माह जनवरी 2015 में स्थापित कर विद्युत आपूर्ति की जा रही हे।

3–मुगलसराय धर्मशाला रोड–1 अदद 400 के0वी0ए0 परिवर्तक से विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से की जा रही है।

4–लाल बहादुर शास्त्री कटरा–1 अदद 630 के0वी0ए0 परिवर्तक से विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है।

5–कसाब महाल–पूर्व में 1 अदद 630 के0वी0ए0 परिवर्तक से विद्युत आपूर्ति की जा रही थी, बिजनेस प्लान के अन्तर्गत माह अगस्त 2015 में 1 अदद 250 के0वी0ए0 का अतिरिक्त परिवर्तक स्थापित कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

6–काली महाल–पूर्व में 250 के0वी0ए0 परिवर्तक से विद्युत आपूर्ति की जा रही थी, बिजनेस प्लान के अन्तर्गत माह अगस्त 2014 में क्षमतावृद्धि कर 250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0 कर दिया गया है।

7–मुगलचक–पूर्व में अदद 400 के0वी0ए0 परिवर्तक से विद्युत आपूर्ति की जा रही थी, माह जनवरी 2015 में 2 अदद 100 के0वी0ए0 के अतिरिक्त परिवर्तक स्थापित कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

8–कैलाशपुरी– पूर्व में 2 अदद 400 के0वी0ए0 परिवर्तक एवं 1 अदद 250 परिवर्तक से विद्यत आपूर्ति की जा रही थी, माह अगस्त 2014 में 1 अदद नया 400 के0वी0ए0 का अतिरिक्त परिवर्तक स्थापित किया गया। माह अगस्त, 2014 में ही 1 अदद 250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0 क्षमता वृद्धि कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत माह फरवरी 2015 में अतिरिक्त 1 अदद 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित किया गया है।

9–नई बस्ती–पूर्व में 400 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित था। आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत 2 अदद 100 के0वी0ए0 का अतिरक्ति परिवर्तक स्थापित कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

10–रविनगर (डा0 कमला के पास)–पूर्व में 1 अद्द 630 के0वी0ए0 परिवर्तक से विद्युत आपूर्ति की जा रही थी, आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत 1 अदद 100 के0वी0ए0 का अतिरिक्त परिवर्तक स्थापित कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

11–हरिशंकरपुर मुस्लिम बस्ती–पूर्व में 1 अदद 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित था, वर्तमान में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत 1 अदद 100 के0वी0ए0 का अतिरिक्त परिवर्तक स्थापित कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

12–सतपोखरी–1 अद्द 100 के0वी0ए0, 1 अदद 250 के0वी0ए0 एवं 1 अदद 400 के0वी0ए0 के परिवर्तक से विद्युत आपूर्ति सूचारु रूप से चल रही है।

13–दुल्हीपुर शकुर का भट्टा–1 अदद 250 के0वी0ए0 परिवर्तक से विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है।

14–सिकटिया–1 अदद 100 के0वी0ए0 एवं अदद 400 के0वी0ए0 के परिवर्तक से विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है।

15–चतुर्भुजपुर–पूर्व से 1 अदद 250 के0वी0ए0 के परिवर्तक द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा रही है, माह अगस्त 2014 में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत 1 अदद 250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0 क्षमता वृद्धि कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

16–तारनपुर–1 अदद 100 के0वी0ए0 परिवर्तक से सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

17–न्यू महाल– 1 अदद 250 के0वी0ए0 एवं 2 अदद 400 के0वी0ए0 परिवर्तक से सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

18–बिछड़ी–2 अदद 250 के0वी0ए0 परिवर्तक से सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

19–मवई–1 अदद 250 के0वी0ए0 परिवर्तक से सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

20–कूढ़कला–1 अदद 250 के0वी0ए0 परिवर्तक से सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

उपरोक्त के अलावा मुगलसराय नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट–बी योजना के अन्तर्गत जर्जर एल0टी0 तार बदल कर 88 किमी0 ए0बी0सी0 लगाया गया है, 11 के0वी0 लाइनों का 5 कि0मी0 जर्जर तार बदला गया है। 70 अदद एच0टी0 पोल बदले गये हैं। 14 अदद 100 के0वी0ए0 के परिवर्तक स्थापित किये गये हैं। 2 अदद 250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0 परिवर्तक की क्षमता वृद्धि की गयी है। 22 अदद परिवर्तकों की अर्थिंग, टी0पी0एम0ओ0 आदि कार्य सुचारू विद्युत आपूर्ति के लिए कराये गये हैं। 1 अदद नया 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र अलीनगर (क्षमता 1ग5 एम0वी0ए0) का भी निर्माण किया जा रहा है। मुगलसराय नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में ही बिजनेस प्लान के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, चन्धासी की क्षमता 2ग10ग5 से 3ग10 एम0वी0ए0 क्षमता वृद्धि की गयी तथा टाउन न0–1 फीडर को विभक्त कर टाउन नं0–5 का 1 अतिरिक्त पोषक बनाया गया है। 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र साहूपुरी की क्षमता 2ग10 से 2ग10 1ग5 एम0वी0ए0 क्षमता वृद्धि की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र के अन्तर्गत वि0ख0 नियमताबाद में दो सड़कों के निर्माण सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

03–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड नियमताबाद में प्रश्नकर्ता के पत्र में दो सड़कों पर एक वर्ष पूर्व गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है, जिससे आम जन मानस को आने जाने में बड़ी कठिनाई होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख–5 नं0 321864, दिनांक 06–08–2014 अधिशासी अभियन्ता, पी0डब्लू0डी0, पी0एम0जी0एस0वाई0, जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

संदर्भगत पत्र में क्रमांक–1 पर वर्णित मार्ग लेपन स्तर तक पूर्ण कर दिया गया है एवं क्रमांक–2 पर वर्णित मार्ग पर टॉप कोट का कार्य प्रगति में है, जिसे पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के क्षेत्र मुगलसराय में छलका, पुलिया, माइनर लाइनिंग कुलवा का कार्य करने हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

04–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत छलका, पुलिया, माइनर लाइनिंग कुलावा का कार्य कराने के लिए कुल 6 प्रस्ताव पर प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख–5 नं0 321337, दिनांक 07–10–2014 अधिशासी अभियन्ता, मुसाखाड प्रखण्ड, चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 07–10–2014 में मात्र 05 प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है।

उक्त पत्र पर अब तक बिन्दुवार की गई कार्यवाही निम्नवत् हैः–

1–हिन्दवारी बगया माइनर में छलका निर्माण कार्य–प्रश्नगत छलका का निर्माण कार्य गन्ना विकास विभाग द्वारा कराया गया है।

2–हिन्दवारी बगया माइनर पर पुलिया का निर्माण कार्य–प्रश्नगत पुलिया का निर्माण कार्य गन्ना विकास विभाग द्वारा कराया गया है।

3–छित्तमपुर में टूटे नहर की लाइनिंग का कार्य–छित्तमपुर माइनर के टूटे हुए भाग की मरम्मत कराकर बैंक को मजबूत करा दिया गया है। वर्तमान में इस भाग में सीपेज की कोई समस्या नहीं है। लाइनिंग का कार्य कराया

जाना आवश्यक नहीं है। नहर की टेल तक पानी पहुंच रहा है तथा सिंचाई भलीभांति हो रही है।

4–सरने माइनर में मनोहरपुर के पास बनवारी विन्द के पास कुलाबा लगाने का कार्य। रेमा की तरफ (पूरब तरफ)–सरने माइनर मे मनोहरपुर ग्राम के पास बनवारी विन्द के पास नहर के किमी0 1.100 पर बायें बैंक पर स्वीकृत कुलावा नं0–4 मौके पर लगा हुआ है। इस कुलाबे से इसके सम्पूर्ण कमाण्ड तथा मा0 सदस्य द्वारा वांछित क्षेत्र की सिंचाई सुगमतापूर्वक हो रही है। अतः अतिरिक्त कुलाबें की आवश्यकता नहीं है।

5–गोधना हाइवे रोड माइनर पर लाइनिंग कार्य–नरायनपुर मुख्य नहर के किमी0 20.150 पर दाहिने बैंक से पचोखर माइनर निकलती है। यह नहर जी0टी0 रोड (हाइवे रोड) को नहर के किमी0 0.650 पर गोधना ग्राम में क्रास करती है। पचोखर माइनर के हेड से हाइवे क्रासिंग किमी0 0.650 तक नहर में सीपेज की कोई समस्या नहीं है। दोनों बैंक मजबूत है एवं टेल तक सिंचाई सुगमतापूर्वक होती है। अतः लाइनिंग की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

05–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बवुरी पटवा के घर से इस्लामिया स्कूल होते हुए गौरी गांव तक पिच रोड पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का लेपन कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु यातायात चालू है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत गांव मनकेड़ा क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण

06–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव मनकेड़ा से नगला कारे पिनानी के बीच की क्षतिग्रस्त सड़क में जल भराव होने के कारण नागरिकों को आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु यातायात चालू है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में फतेहपुर सिकरी रोड की कतिपय पटरियों की टूटी सड़कों का निर्माण

07–श्री काली चरन सुमन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में फतेहपुर सिकरी रोड मिढ़ाकुर से नागर तक, इरादतनगर रोड देवरी से ककरारी माइनर तक तथा श्यामों पवावली इस्लामपुर नगला नाथू पावासर माइनर की पटरियों की सड़कें टूटी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की लेपन स्तर तक मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र के गांव देवरी का नगला देवरी रोड आदि के क्षतिग्रस्त होने के कारण निर्माण कराया जाना

08–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव देवरी का नगला देवरी रोड से होती लाल कुशवाहा के घर से लेकर स्वरूप कुशवाहा के घर तक जाने वाला रास्ता नगला माकरौल ग्वालियर रोड क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु यातायात चालू है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में शमशाबाद रोड से अकबरपुर, ब्रह्मनगर बुढेरा फतेहाबाद आदि सड़क का लेपन स्तर तक कार्य कराया जाना

09–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में शमशाबाद रोड से अकबरपुर, ब्रह्मनगर बुढेरा फतेहाबाद रोड तक कलाल खेडिया से वाया महुआ खेड़ा, कबीरन नगला सबला चौराहा तक जगनेर रोड मलपुरा से बरारा माइनर नहर वाया

सहारा मिढ़ाकुर रोड तक जगनेर रोड नौमील से खल खलौआ सुतेड़ी वाया गढसानी तक जारूआ कटरा बैंक से बाईखेड़ा सिरौली मोड़ तक फतेहपुर सीकरी रोड से वाया लडामदा बिचपुरी रोड फाटक तक की सड़के गड्ढायुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत व लेपन कार्य कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जगनेर रोड मलपुरा से बरारा माइनर नहर वाया सहारा मिढ़ापुर रोड तक मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है। फतेहपुर सीकरी रोड से वाया लड़ामदा बिचपुरी रोड फाटक तक मार्ग की दशा संतोषजनक है। मार्ग का शेष भाग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। शमशाबाद रोड से अकबरपुर ब्रह्मनगर बुढेरा फतेहाबाद मार्ग पी0एम0जी0 एस0वाई0 में स्वीकृत है। कलाल खेडिया से वाया महुआ खेड़ा, कबीरन नगला सबला चौराहा तक के मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगति पर है। इन्हें पूर्ण किया जाना तथा लोक निर्माण विभाग के शेष मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में स्थित पारीक्षा थर्मल पावर लि0 के 14 के0वी0 सिस्टम कार्य हेतु निविदा आमंत्रण में की गई अनियमितता की जांच

10–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में स्थित पारीक्षा थर्मल पावर लि0 में 2ग210 एम0डब्लू0 के 14 के0वी0 सिस्टम के रूटीन एण्ड ब्रेक डाउन मेण्टीनेन्स कार्य हेतु वर्ष 2006–2007 से वर्ष 2014–2015 तक निविदा एक ही फर्म एम0आर0पी0 कन्सट्रक्शन को निविदा आमंत्रण/स्वीकृति सम्बन्धी नियमों के विपरीत प्रदान की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस निविदा आवंटन की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद झांसी में स्थित पारीछा थर्मल पावर स्टेशन में 2ग210 मे0वा0 में 14 के0वी0 का कोई भी सिस्टम नहीं लगा है।

2ग210 मे0वा0 में 'रूटीन एण्ड ब्रेक डाउन मेन्टीनेन्स' कार्य हेतु वर्ष 2006–07 से वर्ष 2014–15 तक एक ही फर्म एम0आर0पी0 कन्स्ट्रक्शन को, निविदा आमंत्रण/स्वीकृति सम्बन्धी नियमों के विपरीत प्रदान नहीं की गई है। वरन् निविदा सम्बन्धित कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ खुली निविदा आमंत्रित करके ही न्यूनतम निविदादाता को ही आवंटित किये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के नगर पालिका परिषद् चिरगांव–भाण्डेर रोड पर चिरगांव में रेलवे ओवर ब्रिज/अण्डर ब्रिज का निर्माण कराया जाना

11–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के नगर पालिका परिषद् चिरगांव के बीच पड़ने वाला झांसी–कानपुर रेलवे लाइन पर प्रतिदिन लगभग 90 ट्रेनें गुजरती है जिससे हमेशा जाम लगा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार चिरगांव–भाण्डेर रोड पर चिरगांव में रेलवे ओवर ब्रिज/अण्डर ब्रिज का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कर्मचारियों को नीति के विरुद्ध सम्बद्ध करके अनैतिक कार्य की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना

12–श्री पूरन प्रकाश–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में दर्जनों कर्मचारियों को शासन के नीति के विरुद्ध सम्बद्ध करके अनैतिक कार्य करवाने की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री के आदेश सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10592129, दिनांक 12–03–2015 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

उक्त प्रकरण की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी से करायी गयी।

जांच आख्या से स्पष्ट है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भदोही में कई कर्मचारियों को सम्बद्ध करके काम लिया जा रहा है। उनकी सम्बद्धता समाप्त करके उन्हें मूल तैनाती के स्थान पर वापस किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भदोही को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के क्षेत्र बरौली में आर0आर0आर0 योजना के अन्तर्गत तालाबों का विकास कराये जाने सम्बन्धी पत्र

13–श्री दलवीर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में आर0आर0आर0 योजना के अन्तर्गत तालाबों का विकास कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0–50/रालोद/विमद/2015, दिनांक 03–03–15 उन्हे प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार पत्र में उल्लिखित तालाबों का इस योजना के अन्तर्गत विकास करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी हां। रिपेयर, रेनोवेशन एण्ड रेस्टोरेशन योजना के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के तालाबों के पुनरोद्धार हेतु रु0 892.06 लाख की परियोजना तैयार कर ली गयी है। उक्त परियोजना को भारत सरकार द्वारा निर्धारित माप दण्डों/प्रक्रिया के आधार पर परीक्षणोंपरान्त उपयुक्त पाये जाने तथा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में स्थापित प्राथमिक उप स्वा0 केन्द्र को संचालित करने हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाना

14–श्री दलवीर सिंह–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में कितने प्राथमिक उप स्वा0 केन्द्र स्थापित है तथा उनमें से कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र कर्मचारियों की कमी के कारण बन्द है ? क्या सरकार बन्द केन्द्रों में कर्मचारियों की नियुक्ति करके उन्हें चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जनपद अलीगढ़ में 333 उप स्वास्थ्य केन्द्र (उपकेन्द्र) स्वीकृत हैं। उक्त में से 202 उपकेन्द्रों पर नियमित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) कार्यरत हैं तथा 74 उपकेन्द्रों में संविदा की स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) कार्यरत हैं। शेष 57 उपकेन्द्र में पद रिक्त हैं।

संविदा पर ए0एन0एम0 की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में उक्त रिक्त उपकेन्द्रों का कार्य (टीकाकरण एवं अन्य परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कार्य) दूसरे उपकेन्द्रों पर कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) से अपने कार्य के साथ–साथ सप्ताह में दो दिन सम्पादित कराये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के क्षेत्र बरौली में अधूरे एवं क्षतिग्रस्त व नवीन पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में पत्र

15–श्री दलवीर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बरौली जनपद अलीगढ़ में अधूरे एवं क्षतिग्रस्त व नवीन पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक 70/रालोद/विमंद/2015, दिनांक 10–03–2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगणन बनवाकर उक्त कार्यों को कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

आगणन तैयार कर लिया गया है। निर्धारित प्रक्रियानुसार स्वीकृति के उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के मध्य से निकल रही सड़क पर एटा चुंगी चौराहे पर निर्मित पुलिया की चौड़ाई बढ़ाया जाना

16–श्री दलवीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ शहर के मध्य से निकल रही (पुराना एन0एच0–91) सड़क पर एटा चुंगी चौराहे पर निर्मित पुलिया की चौड़ाई कम होने के कारण वाहनों को निकलने में कठिनाई होती है ? क्या सरकार उक्त पुलिया को चौड़ा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

उक्त पुलिया अलीगढ़ ड्रेन पर स्थित है, जिसका स्वामित्व नगर निगम, अलीगढ़ का है। पुलिया का चौड़करण नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा करा दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद नगर में मोहल्ला शास्त्रीनगर में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत बिजली के खम्भे एवं केबिल डालने विषयक पत्र पर कार्रवाई

17–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में मोहल्ला शांतिनगर (झील की पुलिया के पास) के गली नं0 3 से 6 तक में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत बिजली के खम्भे एवं केबिल डालने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क–5 नं0 325009, दिनांक 13–10–2014 अधीक्षण अभियन्ता दक्षिणांचल विद्युत वितरण नि0लि0, फिरोजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

सम्बन्धित क्षेत्र शहरी परिसीमन के बाहरी क्षेत्र में होने के कारण आर0ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट 'बी' योजना के अन्तर्गत चयनित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर फिरोजाबाद में मोहल्ला दखल (आश्रम नगर) बम्बा चौराहा कोटला रोड क्षेत्र में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत बिजली के खम्भे एवं केबिल डालने की मांग

18–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में मोहल्ला दखल (आश्रम नगर) बम्बा चौराहा कोटला रोड क्षेत्र में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत बिजली के खम्भे एवं केबिल डालने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क–5 नं0 325679, दिनांक 22–08–2014 उन्हे प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उक्त पत्र की कार्यालय में प्राप्त की पुष्टि नहीं हो पायी हैं

सम्बन्धित क्षेत्र शहरी परिसीमन के बाहरी क्षेत्र में होने के कारण आर0ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट 'बी' योजना के अन्तर्गत चयनित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम हेतमपुर, ब्लाक कलां में वर्ष 2000 से प्रारम्भ हुई चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराया जाना

19–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामान्यतः एक ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया पूरी करने के समय की कोई सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि ग्राम हेतमपुर, ब्लाक कलां, जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2000 में प्रारम्भ हुई चकबन्दी प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार आपत्तियों का शीघ्र निस्तारण करवाकर चकबन्दी प्रक्रिया पूरी करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी मैनुअल के प्रस्तर–72 में विहित व्यवस्थानुसार चकबन्दी क्रियाओं को पूरा करने की सम्पूर्ण अवधि 60 माह है।

जी हां।

वर्तमान में समस्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है एवं कब्जा परिवर्तन का कार्य दिनांक 29–07–2015 को पूर्ण हो गया है। निगरानियों के निस्तारण एवं अन्तिम अभिलेख तैयार होने पर चकबन्दी प्रक्रिया का शीघ्र समापन हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में स्थित पोस्टमार्टम हाउस को नया बनाकर बाहर लोगों को बैठने हेतु स्थान उपलब्ध कराना

20–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के पोस्टमार्टम हाऊस की स्थिति अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण है, क्या सरकार को जानकारी है कि पोस्टमार्टम हाऊस के बाहर लोगों के बैठने का कोई समुचित स्थान नहीं है तथा बहुत गन्दगी भी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पोस्टमार्टम हाऊस को नया बनवाकर उसके बाहर लोगों के बैठने के लिए स्थान भी उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम अजीजगंज परगना जमौर, तहसील सदर में आधुनिक चीरघर के भवन निर्माण के लिये शासनादेश संख्या–1555/पांच–6–2015–26 (नि0)/15 दिनांक 08–07–15 द्वारा निर्णय लिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई हेतु निजी नलकूपों का कनेक्शन देने/ऊर्जीकृत करने हेतु वर्तमान नीति

21–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई हेतु निजी नलकूपों का कनेक्शन देने/ऊर्जीकृत करने के लिए वर्तमान में क्या नीति है ? क्या सरकार आवेदन की तिथि से कनेक्शन दिये जाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सिंचाई हेतु निजी नलकूपों का कनेक्शन देने/ऊजीकृत करने के लिए वर्तमान में तुरन्त संयोजन देने की नीति है।

सभी प्रकार के संयोजन देने हेत 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण

22–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत गंग नहर अनूप शहर अमरपुर भोजपुर तक तथा जहांगीराबाद बुलन्दशहर मार्ग से महना तक सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को

आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्गों का मरम्मत कार्य कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

गंग नहर अनूपशहर अमरपुर भोजपुर सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई 2.70 कि0मी0 के सापेक्ष 1.50 कि0मी0 लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। मार्ग का शेष भाग (1.20 कि0मी0) गन्ना विभाग के स्वामित्व में है। जहांगीराबाद बुलन्दशहर से गहना तक मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। दोनों मार्गों पर यातायात चल रहा है।

जहांगीराबाद बुलन्दशहर से गहना तक मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत लखावटी कालेज पसौली से पियावा होते हुए बांदरा वासा खैंडी तक मार्ग का निर्माण

23–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत लखावटी कालेज पसौली से पियावा होते हुए बांदरा वाया खैंडी तक जर्जर मार्ग होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण जनहित में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग पर यातायात चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत सैमली मार्ग तक जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

24–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत लखावटी से पसौली होते हुए सैमली मार्ग तक जर्जर सड़क होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण जनहित में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग पर यातायात चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर क्षेत्र अनूपशहर में महाभारत कालीन ऐतिहासिक स्थलों के विकास की योजना

25–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर में महाभारत कालीन ऐतिहासिक स्थलों का विकास कर पर्यटकों को आकर्षित करने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार बुलन्दशहर जनपद के आहार गंगा किनारे स्थित रूक्मणि कुण्ड एवं मन्दिर स्थल के विकास की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी नहीं।

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

मन्दिर का विकास पर्यटन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधार्थ केन्द्रीय योजना/राज्य योजना/जिला योजना के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान में प्रश्नगत स्थल को विकसित करने का कोई भी प्रस्ताव पर्यटन विभाग में विचाराधीन नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर के ग्रामीण मार्ग की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

26–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के ग्रामीण मार्ग बुलन्दशहर–अनूपशहर रोड से गहना मंडी मार्ग, जहांगीराबाद से बहियापुर होते हुए रौरा मार्ग, जहांगीराबाद से बिननेर देवी होते हुए जटवाई मार्ग, जहांगीराबाद से खनपुरा मार्ग एवं खनपुरा से नवीनगर मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद बुलन्दशहर में लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले मार्ग जहांगीराबाद से बहियापुर होते हुए रौरा मार्ग एवं जहांगीराबाद से बिन्नेर देवी होते हुए जटवाई मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु मार्गों पर यातायात चल रहा है।

प्रश्नगत मार्गों में से बुलन्दशहर अनूपशहर रोड से गहना मंडी मार्ग, जहांगीराबाद–खनपुरा मार्ग एवं खनपुरा से नवीनगर मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।।

जनपद रामपुर के क्षेत्र चमरउवा में अघोषित बिजली कटौती समाप्त करने की मांग

27–श्री अली यूसुफ अली–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरउवा में अघोषित बिजली कटौती होने के कारण क्षेत्रीय जनता को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अघोषित विद्युत कटौती की समस्या को समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं

विधान सभा क्षेत्र चमरउवा जनपद रामपुर को प्रदेश में घोषित रोस्टर के अनुसार प्रतिदिन 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में कभी–कभी आकस्मिक कटौती करनी पड़ जाती है। स्थिति सामान्य होने पर आपूर्ति पूर्व की भांति कर दी जाती है।

जनपद फैजाबाद में मदरसा दारुल उलूम ग्राम मखदूमपुर पतरंगा के सामने की सड़क का निर्माण

28–श्री अली यूसुफ अली–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–125– कैम्प/मु0अभि0मु0–1/2013, दिनांक 28–01–2013 द्वारा मदरसा दारुल उलूम ग्राम मखदूमपुर पतरंगा, जनपद–फैजाबाद के सामने की सड़क का निर्माण कराये जाने हेतु आगणन तैयार किये जाने के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

उक्त के अनुपालन में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत रु0 120.26 लाख का आगणन गठित कर अग्रिम कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी को प्रेषित है। उक्त कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर विधान सभा क्षेत्र में सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 का अस्पताल का निर्माण कराये जाने की मांग

29–श्री अली यूसुफ अली–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोई सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 का 100 बेड का अस्पताल न होने के कारण क्षेत्र के बीमार लोगों को इलाज कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षेत्र में सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 का 100 बेड के अस्पताल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं, जनपद रामपुर में 150 शैया जिला चिकित्सालय पूर्व से ही क्रियाशील है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय, रामपुर को 150 से 300 शैया के उच्चीकरण हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुपालन के लिये शासनादेश दिनांक 11–11–14 द्वारा उपकरणों/साज–सज्जा सामग्री के क्रय के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा जनपद में वर्तमान में 05 सी0एव0सी0, 26 ए0पी0एच0सी0 व 04 ब्लाक स्तर की पी0एच0सी0 चल रही है।

जनपद बिजनौर में 21 नहटौर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड हलदौर के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जाना

30–श्री ओम कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में 21 नहटौर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड हलदौर में ग्राम सफीपुर नगली, पल्लीजट उमरी दुल्लावाला में विद्युतीकरण न होने से क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जनपद बिजनौर में 21 नहटौर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड हल्दौर के ग्राम सफीपुर नंगली, पल्लीजट उमरी दुल्लावाला राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण (11वीं) योजना एवं (12वीं) योजना के अन्तर्गत चयनित है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में मजरों/आंशिक रूप से विद्युतीकरण कार्यदायी संस्था मैसर्स ई0टी0ए0 इंजीनियरिंग प्रा0 लि0, नोएडा तथा मैसर्स यू0बी0 टेक प्रा0 लि0, फरीदाबाद द्वारा किया जा रहा है, जोकि

प्रगति पर है। सन्दर्भित ग्रामों का विद्युतीकरण उपरोक्त योजनान्तर्गत इसी वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में 21 नहटौर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड हलदौर के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना

31–श्री ओम कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में 21 नहटौर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड हलदौर में ग्राम सफीपुर नंगली पालीजट हरिजन बस्ती उमरी (बरूकी) दुल्लावाला उर्फ डुल्ली ग्रामों में विद्युतीकरण न होने से क्षेत्रीय जनता, किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त विकास खण्ड के ग्रामों का विद्युतीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जनपद बिजनौर में 21 नहटौर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड हल्दौर के ग्राम सफीपुर नंगली, पल्लीजट हरिजन बस्ती, उमरी (बरूकी), दुल्लावाला उर्फ डुल्ली राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण (11वीं) योजना एवं (12वीं) योजना के अन्तर्गत चयनित है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में मजरों/आंशिक रूप से विद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण कार्यदायी संस्था मैसर्स ई0टी0ए0 इंजीनियरिंग प्रा0 लि0, नोएडा तथा मैसर्स यू0बी0टेक प्रा0लि0, फरीदाबाद द्वारा किया जा रहा है, जोकि प्रगति पर है। सन्दर्भित ग्रामों का विद्युतीकरण उपरोक्त योजनान्तर्गत इस वर्ष के दौरान पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में 21 नहटौर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मोहम्मदपुर देवमल में क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

32–श्री ओम कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में 21 नहटौर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मोहम्मदपुर देवमल में ग्राम बरूकी से उमरी प्राइमरी स्कूल तक, बरूकी से थम्मूचाउ तक तथा नगीना मार्ग से दर्गपुर होते हुए थम्मूचाउ तक पक्के क्षतिग्रस्त मार्ग में जल भराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

विकास खण्ड मोहम्मदपुर देवमल में ग्राम बरूकी से उमरी प्राइमरी स्कूल तक व बरूकी से थम्मूचाउ तक मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामितव में है। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, परन्तु आवागमन चल रहा है।

नगीना मार्ग से दर्गपुर होते हुए थम्मूचाउ तक मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले मार्गों का डामरीकरण/मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बिजनौर के क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत बिलाई शुगर मिल में बकाये गन्ने मूल्य का भुगतान

33–श्री ओम कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र, नहटौर के अन्तर्गत बिलाई शुगर मिल के द्वारा गत वर्ष से पड़े हुए गन्ने का भुगतान 15 जनवरी, वर्ष 2014 तक का किया गया है जबकि जिले की अन्य मिलों में 7 मार्च, 2014 तक भुगतान आ चुका है परन्तु भुगतान सरकारी रेट के अनुसार 280 रु0 प्रति कुन्तल के हिसाब से न करके 257 रु0 प्रति कुन्तल के हिसाब से किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार गन्ना किसानों का सरकारी रेट से भुगतान समय से करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

पेराई सत्र 2013–14 में राज्य सरकार द्वारा गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया थाः–

1–अगेती प्रजाति रु0 290 प्रति कुन्तल

2–सामान्य प्रजाति रु0 280 प्रति कुन्तल

3–अनुपयुक्त प्रजाति रु0 275 प्रति कुन्तल

बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0, बिलाई, जनपद–बिजनौर द्वारा पेराई सत्र 2013–14 में कुल 85.39 लाख कुन्तल गन्ना क्रय किया गया था, जिसके सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा पेराई सत्र 2013–14 के लिए निर्धारित राज्य परामर्शित मूल्य (एस0ए0पी0) के अनुसार देय गन्ना मूल्य की दर से कुल गन्ना मूल्य रु0 23583.82 लाख रु0 देय हुआ था। उक्त देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष चीनी मिल द्वारा सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में, पेराई सत्र 2013–14 के अन्तर्गत चीनी मिल बिलाई, जनपद–बिजनौर पर गन्ना मूल्य के मद में कोई धनराशि बकाया नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में विकास खण्ड नहटौर के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना

34–श्री ओम कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में 21 नहटौर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड नहटौर में ग्राम मटौरामान मडौरा हरिजन बस्ती टपरौली पाड़लीमाण्डु खदाना उमरी (तरकौला) ग्रामों में विद्युतीकरण न होने से क्षेत्रीय जनता, किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त विकास खण्ड के ग्रामों में विद्युतीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जनपद बिजनौर में 21 नहटौर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड नहटौर में ग्राम मटौरामान मडौरा, हरिजन बस्ती, टपरौली, पाड़लीमाण्डु खदाना, उमरी (तरकौल) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण (11वीं) योजना एवं (12वीं) योजना के अन्तर्गत चयनित है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में मजरों/आंशिक रूप से विद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण कार्यदायी संस्था मैसर्स ई0टी0ए0 इंजीनियरिंग प्रा0लि0, नोएडा तथा मैसर्स यू0बी0टेक प्रा0लि0, फरीदाबाद द्वारा किया जा रहा है, जोकि प्रगति पर है। सन्दर्भित ग्रामों का विद्युतीकरण उपरोक्त योजनान्तर्गत इसी वर्ष के दौरान पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली मुगलसराय के क्षेत्रान्तर्गत जगदीशपुर मुल से गुम्मा होते हुए भदौलिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

35–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जगदीशपुर पुल से गुम्मा होते हुए भदौलिया तक पिच रोड पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु यातायात चालू है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत भिखारीपुर बनौली पट्टी तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

36–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भिखारीपुर से बनौली चट्टी तक अत्यन्त क्षतिग्रस्त मार्ग को बनवाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, चन्दौली को प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ग 5 एन0 140861, दिनांक 19–8–2014 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत हटिया बसन्तपुर माइनर से सिकन्दरपुर बार्डर तक पिच रोड का निर्माण कराया जाना

37–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हटिया बसन्तपुर माइनर से सिकन्दरपुर बार्डर तक पिच रोड अत्यन्त खराब हो गयी जिससे जनमानस को आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का लेपन कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु यातायात चालू है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा अमोघपुर वि0ख0 नियामताबाद में जमीन पर अवैध कब्जा हटवाया जाना

38–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा अमोघपुर, वि0ख0 नियामताबाद में चकिया मार्ग के पश्चिम उत्तर बेचन यादव का मकान दक्षिण अमोघपुर मार्ग की चौहद्दी की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीन पर से अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद व तहसील चन्दौली के परगना मवई के मौजा अमोधपुर में आराजी संख्या–126/166 रकबा 0.049 हे0 बंजर खाते की भूमि है, जिस पर राम सूरत पुत्र बेचन, निवासी–ग्राम गोधना, नई बस्ती हाल मुकाम अमोधपुर चन्दौली द्वारा अवैध रूप से कमरा व बाउन्ड्री बनाकर कब्जा कर लिया गया था।

उक्त के विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122बी के अन्तर्गत रिपोर्ट लेखपाल बनाम राम सूरत मु0नं0–8/59 न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर/तहसीलदार, चन्दौली के यहां प्रस्तुत हुआ। जिसमें न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर/तहसीलदार, चन्दौली द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध जारी 49क की नोटिस अपने आदेश दिनांक 7–2–2014 द्वारा वापस ले लिया गया। तहसीलदार का उक्त आदेश ग्राम सभा के विरुद्ध था। ऐसी स्थिति में तहसीलदार के उक्त आदेश के विरुद्ध जिलाधिकारी न्यायालय, चन्दौली में निगरानी वाद संख्या–डी–201514180066 गुलाब नाथ बनाम राम सूरत आदि दाखिल किया गया, जिसमें जिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा ग्राम सभा के हित के दृष्टगत अपने आदेश दिनांक 19–6–15 द्वारा तहसीलदार का आदेश दिनांक 7–2–2014 स्थगित कर दिया गया है तथा मौके पर यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है। न्यायालय के निर्णयानुसार अग्रिम कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत हिन्दवारी कुण्डलिया में फैक्ट्री मालिकों द्वारा अतिक्रमण किये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्रवाई

39–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हिन्दवारी कुण्डलिया, सेगर होते हुए जिवनाथपुर औद्योगिक नगर से गंगा नदी में मिले राजवाहा की सफाई एवं फैक्ट्री मालिकों द्वारा अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख–5 नं0–321894, दिनांक 18–8–14 जिलाधिकारी जनपद–चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड तजवापुर ग्राम विजौव्वा में विद्युतीकरण कराने विषयक पत्र पर कार्रवाई

40–श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम विजौव्वा, विकास खण्ड तजवापुर, जनपद बहराइच में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–घ–5/04264, दिनांकित 19–12–2014 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत, जनपद

बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। पत्र की प्राप्ति की पुष्टि नहीं हो पायी है।

ग्राम–विजौव्वा विकास खण्ड तजवापुर जनपद बहराइच में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु आबादी मानक के अनुरूप न होने के कारण चयनित नहीं है। वर्तमान में 2001 की जनगणना के अनुसार जिन ग्राम/मजरों की आबादी 300 अथवा इससे अधिक है, का विद्युतीकरण रा0गा0ग्रा0वि0यो0 (11वीं0 योजना) के अन्तर्गत कराया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है, जिसकी स्वीकृति के उपरान्त कार्य कराना सम्भव हो सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ की ग्राम गभाना पर 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने की मांग

41–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ की ग्राम गभाना पर 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र प्रस्तावित है ? यदि हां, तो सरकार उक्त विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कब तक करायेगी ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उक्त विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु, भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया में है। उपकेन्द्र का निर्माण मार्च, 2017 तक पूर्ण करना लक्षित है।

जनपद अलीगढ़ की ग्राम दोरऊ व कन्होई पर स्थित रेलवे फाटक पर ऊपरगामी रेलवे पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

42–श्री दलवीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ की ग्राम दौरऊ व कन्होई पर स्थित रेलवे फाटक पर जनहित में ऊपरगामी रेलवे पुल प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इनका निर्माण कार्य कब आरम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम कन्होई स्थित रेलवे फाटक संख्या–118सी पर रेल ऊपरगामी सेतु के निर्माण की स्वीकृति दिनांक 24–03–2015 को प्रदान की जा चुकी है। सेतु निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। सेतु का मुख्य कार्य अगस्त 2015 से प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

ग्राम दौरऊ स्थित रेलवे फाटक संख्या–120 पर सेतु निर्माण के लिये उत्तर मध्य रेलवे से प्रोफाइल स्केच प्रतीक्षित है। इस ऊपरगामी सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के अन्तर्गत अधूरे पड़े सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

43–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के अन्तर्गत दतिया देवस्थान से मजरा मझटोला ऐलहा तक अधूरे पड़े पक्का सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 3.00 कि0मी0 पर पक्के गड्ढायुक्त एवं बरसात के समय मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम पंचायत ऐलहा बढैया का मजरा ऐलहा व मझटोला, जो ऊंचाडीह सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 5 से दांयी ओर होते हुए मझटोला तक जाता है, जिसकी कुल लम्बाई 3.00 कि0मी0 है, जिसके प्रारम्भ का 0.600 कि0मी0 तक मार्ग ग्राम पंचायत द्वारा सोलिंग स्तर तक निर्मित है, तथा मार्ग का शेष भाग कच्चा है।

ग्राम पंचायत के मजरे ऐलहा व मझटोला की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार क्रमशः 220 व 130 है। अतः प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य 500 से कम आबादी होने के कारण सम्प्रति लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के 237 मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण किया जाना

44–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के 237 मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सुरौधा स्थित अशोक चौराहा से नहर सर्विस होते हुए ग्राम कींपा तक लगभग 3.00 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग तथा अशोक चौराहा के आगे उत्तर दिशा स्थित नहर पुलिया से ग्राम मटियारा होते हुए ग्राम मण्डार तक लगभग 5.00 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग गड्ढायुक्त एवं बरसात के समय मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम सुरौंधा स्थित अशोक चौराहा से नहर सर्विस होते हुए ग्राम कोपा तक मार्ग की दशा सन्तोषजनक है। अशोक चौराहा के आगे उत्तर दिशा स्थिति नहर पुलिया से ग्राम मटियारा होते हुए ग्राम मण्डौर तक मार्ग का आंशिक भाग क्षतिग्रस्त है।

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के क्षेत्र मानिकपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराया जाना

45–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के 237 मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रामपुर कल्याणगढ़ से ग्राम इटवा डूडैला के आगे तक पूर्ण रूप से ध्वस्त पक्की सड़क जो मध्य प्रदेश सीमा को जोड़ती है गड्ढायुक्त एवं बरसात के समय मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु आवागमन चल रहा है।

मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग सुदृढ़ीकरण नाबार्ड योजनान्तर्गत स्वीकृत है तथा अनुबन्ध गठन की कारवाई प्रगति में है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के असोहा पावर हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना

46–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01–05–2015 जो कि जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के क्षेत्र में व्याप्त विद्युत समस्या के निराकरण हेतु ग्राम–पाठकपुर में स्थापित 33/11 के0वी0 उप संस्थान क्षमता 1ग5 एम0वी0ए0 को सरकार द्वारा मार्च 2015 तक चालू किये जाने हेतु दिये गये आदेशों के अनुपालन कराये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद–उन्नाव के असोहा पावर हाउस के निर्माण का कार्य पूर्ण कर दिनांक 22–06–2015 को ऊजीकृत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पदों पर वर्तमान में कार्यरत पदधारकों की लैब टेक्नीशियन के पदों पर पदोन्नति किये जाने विषयक पत्र पर कार्रवाई

47–डा0 रमेश चन्द बिन्द–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11–05–2015 जो कि शासनादेशानुसार प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पदों पर वर्तमान मे कार्यरत पदधारकों को लैब टेक्नीशियन के 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति किये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 11–5–2015 में प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के वर्तमान पदधारकों में से लैब टेक्नीशियन के 25 प्रतिशत पदों पर शासनादेश दिनांक 02–6–2014 के अनुपालन में पदोन्नति का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में तत्सम्बन्धी संवर्गों की सेवा नियमावलियों में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रस्तावित संशोधन के पश्चात, नियमों के अन्तर्गत पदोन्नति की कार्रवाई सम्भव हो सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर की जर्जर मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

48–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधानसभा क्षेत्र अनूपशहर के लखावटी निसुर्खा मार्ग नहर से वाया गंगाहरी अगौता शुगर मिल तक का मार्ग अत्यन्त जर्जर होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु मार्ग पर यातायात चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के कतिपय जर्जर मार्गों को ठीक करवाने सम्बन्धी विषयक

49–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत औरंगाबाद से चीनी मिल होते हुए बीहरा मार्ग तक जर्जर सड़क का सरकार द्वारा निर्माण जनहित में कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर हैं

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों के डामरीकरण करवाने विषयक

50–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत किनाई चौपाल से रौरा गांव तक क्षतिग्रस्त काली डामर रोड का सरकार द्वारा मरम्मत कार्य जनहित में कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानसुार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के खराब पड़े नलकूपों को वितरण कम्पनी से ठीक करवाने विषयक

51–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निजी नलकूपों के खराब/जले हुए परिवर्तकों को भण्डार गृह तक ले जाने व मरम्मतशुदा परिवर्तकों को किसानों द्वारा व्यय वहन किये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी वितरण कम्पनी को दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निजी नलकूप का खराब/जला परिवर्तक तत्काल बदल सके, इस कारण से इसको भण्डार गृह तक ले जाने की व्यवस्था सम्बन्धित उपभोक्ता की निर्धारित है।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा के अन्तर्गत आने वाली कतिपय सड़कों को बनवाये जाने सम्बन्धी विषयक

52–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 10 सड़कें बनवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क–5 नं0–403710, दि0 13–03–2015 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित 10 मार्गों में से 04 मार्गों (क्रमांक 4, 7, 8, व 9) का मरम्मत/निर्माण वित्तीय वर्ष 2014–15 में पूर्ण किया गया है, शेष 06 मार्गों (क्रमांक 1, 2, 3, 5, 6 व 10) की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर हैं

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली जर्जर पड़ी कतिपय विकास खण्ड की पिच रोड के निर्माण करवाये जाने के सम्बन्धी विषयक

53–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड–नियमताबाद में चन्दाइत नहर पुलिया से पचोखर डिहुलिया, हसनपुर (मछरिया होते हुए गोपालपुर घुरहुपुर) तक पीच रोड पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने से आवागमन में जनमानस को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 4.60 कि0मी0 है जिसमें 2.00 कि0मी0 भाग (डिहुलिया हसनपुर से घुरहूपुर) लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है जिसकी दशा संतोषजनक है।

शेष 2.60 कि0मी0 (चन्दाइत नहर पुलिया से डिहुलिया) लम्बाई का भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के क्षेत्र पंचायत मडवापुर में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

54–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के 237 मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के अन्तर्गत मडैयन जू0वि0 से दाऊ का पुरवा तक दूरी लगभग 4 कि0मी0 तक एवं उडकी सम्पर्क मार्ग से सलैया पक्का मार्ग दूरी लगभग 1.50 कि0मी0 तक अधूरे पड़े सम्पर्क मार्ग गड्ढायुक्त एवं बरसात

के समय मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन हेतु क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 4.00 कि0मी0 के सापेक्ष 2.00 कि0मी0 जिला पंचायत द्वारा खण्डजा (कट स्टोन) स्तर तक निर्मित है। मार्ग का शेष भाग कच्चा है।

उड़की माफी सम्पर्क मार्ग से सलैया पुरवा सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई 2.00 कि0मी0 है। ग्राम सलैया पुरवा की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 407 है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी शून्य है, अतः 500 से कम आबादी होने के कारण प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

55–डा0 रमेश चन्द बिन्द–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत बनी पुल के समीप से ग्राम हिनौरा, ग्राम सहरावां, ग्राम लालाखेड़ा से होते हुए तहसील पुरवा जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित मे उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 21.30 किमी0 के सापेक्ष 18.90 किमी0 में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत कार्य कराया जा रहा है। शेष 2.40 किमी0 लोक निर्माण विभाग का लेपित मार्ग है जिसकी दशा संतोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के कतिपय ग्रामों की क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

56–डा0 रमेश चन्द बिन्द–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत बनी पुल के समीप से ग्राम हिनौरा, ग्राम पाठकपुर होते हुए ब्लाक

असोहा को जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है जिसके कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित मे उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य कारायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, तथा यातायात चालू है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी की तहसील नवाबगंज के ग्राम गंगवारा में ग्राम सभा की भूमि के आवंटन सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

57–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी बाराबंकी को सम्बोधित जिला–बाराबंकी, तहसील–नबावगंज के अन्तर्गत ग्राम गंगवारा के ग्राम समाज की भूमि आराजी संख्या–720 पर काबिज अनु0 जाति के व्यक्तियों को पट्टे आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री का पत्र संख्या–2216/ओ0एस0डी0(जे0)/सी0एम0/2015, दिनांक 28–01–2015, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रकरण की जांच कराये जाने पर यह पाया गया कि शिकायतकर्ता का आराजी संख्या–720 में आवासीय पट्टा है जिसमें वह स्वयं काबिज दाखिल है और अन्य किसी का कोई कब्जा नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मऊ के ग्राम नींबी के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

58–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के 237, मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मऊ में ग्राम नींबी से दानूबाबा के आगे लपांव अधूरे सम्पर्क मार्ग गड्ढायुक्त एवं बरसात के समय मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 10.00 कि0मी0 के सापेक्ष 8.00 कि0मी0 लो0नि0वि0 का आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त लेपित मार्ग है। शेष 2.00 कि0मी0 कच्चा है।

ग्राम नींबी से दानू बाबा के आगे तक नीबी लपांव लेपित सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग) लम्बाई 8.00 कि0मी0 मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। दानू बाबा से ग्राम लपांव तक का कच्चा रास्ता, लम्बाई 2.00 कि0मी0, वन क्षेत्र में होने के कारण लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम कल्यानपुर की सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

59–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड–मानिकपुर में ग्राम कल्यानपुर स्थित बरदहा नाला रपटा से धारकुण्डी गौशाला आश्रम होते हुए म0प्र0 की सीमा तक अधूरे सम्पर्क मार्ग गड्ढायुक्त एवं बरसात के समय मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

विकास खण्ड मानिकपुर में ग्राम कल्याणपुर स्थित बरदहा नाला (नदी) रपटा से धारकुण्डी गौशाला आश्रम होते हुए म0प्र0 की सीमा तक भाग की कुल लम्बाई 4.00 कि0मी0 के सापेक्ष 1.00 कि0मी0 लो0नि0वि0 द्वारा निर्मित आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, शेष भाग धारकुण्डी गौशाला आश्रम से मध्य प्रदेश की सीमा तक 3.00 कि0मी0 तक कच्चा मार्ग, जो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य लो0नि0वि0 की किसे योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम जमुनिहाई से सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

60–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड–मानिकपुर में ग्राम जमुनिहाई से अमरावती आश्रम होते हुए सती अनुसुइया आश्रम तक अधूरे पड़े सम्पर्क मार्ग गड्ढायुक्त एवं बरसात के समय मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम जमुनिहाई से अमरावती आश्रम तक 2.00 कि0मी0 एवं अमरावती आश्रम से मध्य प्रदेश की सीमा तक 1.50 कि0मी0 कुल 3.50 कि0मी0 कच्चा मार्ग वन क्षेत्र से गुजरता है। मध्य प्रदेश की सीमा से अनुसुइया आश्रम तक 1.00 कि0मी0 कच्चा मार्ग है, जो मध्य प्रदेश का भाग है।

ग्राम जमुनिहाई से अमरावती आश्रम होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा तक 3.50 कि0मी0 कच्चा मार्ग का निर्माण कार्य लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर से जाने वाले सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

61–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड–मानिकपुर में ददरीमाफी से अनुसुइया आश्रम तक तथा मारकुण्डी से ददरीमाफी मडैयन होते हुये ग्राम बहिलपुरवा तक अधूरे सम्पर्क मार्ग पक्के गड्ढायुक्त एवं बरसात के समय मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 22.500 कि0मी0 के सापेक्ष लो0नि0वि0 द्वारा निर्मित 16.00 कि0मी0 मार्ग की दशा सन्तोषजनक है, शेष 6.500 कि0मी0 कच्चा है।

विकास खण्ड मानिकपुर में ददरीमाफी से अनुसुइया आश्रम तक के भाग की लम्बाई 6.500 कि0मी0 कच्चा रास्ता लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के फतेहाबाद रोड की क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

62–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फतेहाबाद रोड से ठाकुर ढाबा होते हुए दुर्गा एन्क्लेव कालोनी फेस–प्प (तोरा) को जाने वाले मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र आगरा के गांव देवरौठा में क्षतिग्रस्त मार्ग व नाली का निर्माण कराये जाने की मांग

63–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव देवरौठा में पृथ्वीनाथ रेलवे फाटक से रेलवे लाइन के किनारे देवरौठा फाटक सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण नाली सहित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु यातायात चालू है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के वोदला अवधपुरी की क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

64–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वोदला अवधपुरी रोड से मिल्टन पब्लिक स्कूल जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है जिससे लोगों को आने–जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

65–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी रोड पथौली से वाया नगला अक्के के बिचपुरी तक एवं शमशाबाद रोड से अकबरपुर ब्रहमनगर बुढ़ेरा फतेहाबाद रोड क्रासिंग तक की सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

फतेहपुर सीकरी रोड पथौली से वाया नगला अक्के के बिचपुरी तक मार्ग 2.300 किमी0 लम्बाई में से आरम्भ का 0.850 किमी0 लम्बाई का मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है जिसकी दशा संतोषजनक है। मार्ग के शेष भाग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है तथा शमशाबाद रोड से अकबरपुर ब्रहमनगर बुढ़ेरा फतेहाबाद मार्ग आंशिम रूप से क्षतिग्रस्त है।

शमशाबाद रोड से अकबरपुर ब्रहमनगर बुढेरा फतेहाबाद मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 में स्वीकृत है एवं कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्राम लखनपुर के तालाब का सौन्दर्यीकरण कराने की मांग

66–श्री काली चरन सुमन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव लखनपुर जो आगरा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आता है, में स्थित तालाब बरसात के समय पानी से ओवरफुल हो जाने के कारण तालाब का पानी गलियों में भर जाता है, जिससे लोगों को आने–जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव के तालाब के किनारे को पक्का कराकर सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। सीमित संसाधनों के दृष्टिगत तालाब सौंदर्यीकरण की प्राधिकरण द्वारा अभी कोई कार्ययोजना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के ग्राम सेगली की जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग

67–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सेगली, ब्लाक–अगौता को जाने वाले मुख्य मार्ग लखावटी–सैदपुर मार्ग से सेगली मार्ग जो जर्जर है तथा जिस पर वाहन चलाने एवं पैदल चलने में क्षेत्रवासियों को कठिनाई होती है ? क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु मार्ग पर यातायात चल रहा है।

मार्ग के निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के ग्राम खेड़ी की जर्जर सड़क का निर्माण कराने की मांग

68–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खेड़ी, ब्लाक अगौता को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग खेड़ी से पिपाला होते हुए लखावटी सैदपुर मार्ग जो अत्यधिक जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के ग्राम बौदरा की जर्जर सड़कों का निर्माण

69–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के गांव बौदरा, ब्लाक अगौता जो कि औरंगाबाद से जमालपुर मार्ग से बौदरा मार्ग को जोड़ता है जो अत्यन्त जर्जर है ? यदि हां, तो जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के लखावटी सैदपुर के जर्जर मार्ग को ठीक करवाने की मांग

70–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के लखावटी सैदपुर मार्ग वर्तमान में जर्जर हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्गों को ठीक करवाने विषयक

71–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड नियमताबाद में सुरौली मेन पीच रोड से प्रा0 पा0 तक एवं सुरौली नहर से मैनुउद्दीन पुर गांव तक पीच रोड पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सुरौली मेन पीच रोड से प्रा0पा0 तक का भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। सुरौली नहर से मैनउद्दीनपुर गांव तक मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले मार्ग का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जी0टी0 रोड से कतिपय सम्पर्क मार्गों को ठीक करवाने विषयक

72–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जी0टी0 रोड महाबलपुर से जल निगम पानी की टंकी तक का मार्ग सम्पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे जनता को आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कतिपय 6 मार्गों को ठीक करवाने विषयक

73–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 06 मार्गों को बनवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5नं0–321704 दिनांक 16–01–2015 अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कतिपय ग्रामों के जर्जर तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19–4–15 पर की गई कार्रवाई की जानकारी

74–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा–धपरी, वि0ख0 चन्दौली में विद्युत के जर्जर तारों को बदलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ग–5नं0–140824, दिनांक 19–04–15 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम जनपद–चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद–चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम धपरी विकास खण्ड चन्दौली में विद्युत के जर्जर तारों को बदलने के कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। अतः कार्य उक्त योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृति के उपरान्त ही सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज स्थित लोहिया गांव पिपराघाट के अनेकों गांवों में बूढ़ी गण्डक नदी के कटान को रोकने की मांग

75–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तमकुहीराज स्थित लोहिया गांव पिपराघाट के लगभग 12 गांवों के बूढ़ी गण्डक नदी के कटान को रोकने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र

सं0–सी0एम0/वि0को0/एम0/ 10474355/2014, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत गांव बन्धे तथा नदी के मध्य फ्लड प्लेन जोन में स्थित है। तकनीकी मानकों के अनुसार नदी के फ्लड जोन में निर्माण कार्य कराने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज में नारायणी नदी के कटान विषयक पत्र पर कार्यवाही

76–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज में नारायणी नदी के कटान विषयक प्रश्नकर्ता के प्रश्न के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र सं0–सी0एम0/ वि0को0/एम0/पी0जी0–10493530/2014, प्रमुख सचिव/सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत नदी से होने वाली कटान की रोक थाम हेतु निर्मित ए0पी0 तटबंध के किमी0 6.00 से 8.173 तक के बीच में निम्नांकित 4 अदद परियोजनायें स्वीकृत की गयी है :–

1–ए0पी0 तटबन्ध के किमी0 7.320 पर स्थित स्पर एवं किमी0 7.413 पर स्थित स्टड के पुनर्स्थापना का कार्य, लागत रु0 208.37 लाख।

2–ए0पी0 तटबन्ध के किमी0 7.320 से 7.900 के मध्य रिवेटमेंट बनाने (लांचिंग एप्रन एवं स्लोप पिचिंग) के कार्य, लागत रु0 708.99 लाख।

3–ए0पी0 तटबन्ध के किमी0 7.915 पर स्थित स्पर के पुनर्स्थापना की परियोजना, लागत रु0 235.89 लाख।

4–ए0पी0 तटबन्ध के किमी0 8.157 पर स्थित स्पर के पुनर्स्थापना के कार्य की परियोजना, लागत रु0 221.97 लाख।

उक्त परियोजनाओं की संवेदनशीलता के दृष्टिगत राज्य आकस्मिकता निधि से धन स्वीकृत किया जा चुका है तथा कार्य प्रगति में है, तटबंध सुरक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के सलेमगढ़ से सड़कों का पुनःनिर्माण कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

77–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में सलेमगढ़ से तरया सुजान तक की सड़कों का पुनः निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र सं0–सी0 एम0/वि0 को0/एम0/ पी0जी0–10585238/2015, प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जनपद कुशीनगर में विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का पुनः निर्माण कराये जाने विषयक पत्र के क्रमांक–1, 4, 6 एवं 7 पर उल्लिखित मार्ग के पुर्ननिर्माण/सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण के कार्य हेतु क्रमशः शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2015, शासनादेश दिनांक 25–02–2015 एवं शासनादेश दिनांक 10–07–2015 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, कार्य प्रगति पर है। क्रमांक–5 पर उल्लिखित मार्ग ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत निर्मित एवं उनके अधीन अनुरक्षण के अन्तर्गत है। शेष क्रमांक–2, 3 पर उल्लिखित मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट की कालोनियों के ऊपर की हाईटेंशन लाइनों को भूमिगत कराये जाने की मांग

78–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के कैन्ट विधान सभा क्षेत्र स्थित कालोनियों एवं इन्द्रानगर विस्तार में मकानों के ऊपर से हाईटेंशन लाइन गयी है, जिससे रिहायशी क्षेत्रों में जानलेवा दुर्घटना हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार हाईटेंशन लाइन को हटवाने या भूमिगत करवाने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

उक्त रिहायशी क्षेत्र में जानलेवा दुर्घटना की सूचना संज्ञान में नहीं है।

वाराणसी के कैन्ट विधान सभा क्षेत्र में स्थित कालोनियों एवं इन्द्रानगर विस्तार में मकानों के ऊपर हाईटेंशन लाइन गुजर रही है, लेकिन लाइनों के नीचे मकान का निर्माण बाद में हुआ है। विद्युत विभाग की लाइनें पुरानी हैं। लाइन शिफ्ट करने हेतु स्थान उपलब्ध होने की दशा में ही यदि कोई उपभोक्ता आवेदन करता है, तो विभाग द्वारा उक्त स्थान का सर्वे कराने के उपरान्त तकनीकी रूप से सम्भव होने पर एवं प्राकलन की पूर्ण धनराशि उपभोक्ता द्वारा जमा करने के बाद ही लाइन शिफ्ट की जा सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से गार्डिंग कराने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम रामापुर–बरकतपुर के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने की मांग

79–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार शाहजहांपुर स्थित एन0एच0 24 से रामापुर–बरकतपुर गांव रेलवे फाटक होते हुए पैतापुर तक जाने वाले मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम रामापुर बरकतपुर एवं पैतापुर पूर्व से लेपित मार्गों से जुड़े हैं। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना सम्प्रति लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में शीतलहर व ठण्ड से मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता

80–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिसम्बर, 2014 से जनवरी, 2015 तक शीतलहर व ठण्ड के कारण कितनी मौतें होने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो ठण्ड से हुई मौतों के मृतक परिवारों को सरकार द्वारा कितनी–कितनी आर्थिक राहत प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से दिसम्बर, 2014 से जनवरी, 2015 तक कुल 14 जन हानि हुई है।

भारत सरकार के पत्र संख्या–32–7/2011–एन0डी0एम0–1, दिनांक 16–01–2012 द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार प्रत्येक मृतक के परिवार को रु0 1.50 लाख की आर्थिक राहत प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना अनूपशहर के स्याना मार्ग में नहर पटरी के जर्जर मार्ग का पुनः निर्माण

81–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के स्याना मार्ग पर पड़ने वाले लखावटी नहर की पटरी जर्जर हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नहर की पटरी जर्जर हालत में नहीं है। वर्तमान में सड़क आवागमन योग्य है।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के गांव लखावटी के क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

82–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के गांव लखावटी जो कि बुलन्दशहर–स्याना मार्ग से लखावटी नहर से बकौरा नौबतपुर किशनपुर व शिवाली होते हुए बुढ़ाना तक क्षतिग्रस्त सड़क होने के कारण आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग तीन मार्गों में समाहित है :–

1–लखावटी नहर की पटरी–प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

2–शिवाली–जाडौल मार्ग कि0मी0 2 तक–यह मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु यातायात चल रहा है।

3–शिवाली होते हुए बुढ़ाना मार्ग–मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु यातायात चल रहा है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र के औरंगाबाद के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

83–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के औरंगाबाद से बालका गांव की ओर जाने वाला सम्पर्क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग पर यातायात चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र के गांव लोहरका के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराने की मांग

84–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के गांव लोहरका को जाने वाला मार्ग जो कि बुलन्दशहर औरंगाबाद मार्ग से रजवाहा की पटरी पर होता हुआ भवसी के बराबर से लोहर तक का मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामवासियों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग पर यातायात चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र के गांव लोहरका की क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

85–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के गांव लोहरका को जाने वाला मार्ग जो कि औरंगाबाद से ख्वाजपुर होते हुए गठिया–मानपुर गांव का मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु मार्ग पर यातायात चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 को गैस बाटलिंग प्लाण्ट की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने की मांग

86–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड को भूमि उपलब्ध कराने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक कराकर दस एकड़ भूमि सिंचाई विभाग से इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 को

दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0 एम0/वि0 को0/एम0/पी0 जी0–10585313/2015, प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 को गैस बाटलिंग प्लाण्ट की स्थापना करने हेतु जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा–रजवटिया, तप्पा–हवेली, परगना–सिं0जो0, तहसील–तमकुहीराज में स्थित सिंचाई विभाग की 4.033 हे0 भूमि (लगभग 10 एकड़ भूमि) हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19–03–2015 को मुख्य सचिव स्तरीय समिति की सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार भूमि का मूल्य रु0 37,10,36,000.00 (रुपये सैतीस करोड़, दस लाख, छत्तीस हजार मात्र) के भुगतानोपरान्त इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 को अन्तरित किये जाने हेतु मत स्थिर किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 की सहमति प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में राज्य योजना अन्तर्गत मार्ग के चौड़ीकरण सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

87–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत चैनेज 150.03 से 174.1 गोडरिया से तमकुहीराज तक पी0एम0सी0टी0 मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10585942/2015 प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के पिपराघाट तटबन्ध में बाढ़ पूर्व कार्य कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

88–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ खण्ड कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में अमवा–खास एवं पिपराघाट तटबन्ध के चैनेज व अन्य स्थानों पर बाढ़

पूर्व कार्य कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10586651/2015, प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10586651/ 2015 प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि मा0 सदस्य का पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0– 10586551/2015 प्राप्त हुआ है।

उपर्युक्त प्राप्त पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10586551/2015 में उल्लिखित बिन्दुओं पर स्थिति निम्नवत् है :–

अवमाखास तटबंध किमी0 1.00 (बरवापट्टी):–इस कार्य स्थल पर रु0 386.54 लाख की परियोजना स्वीकृत है, जिस पर कार्य प्रगति में है।

अवमाखास तटबंध किमी0 9.00 (लक्ष्मीपुर):–अमवाखास बांध के किमी0 8.500 से 8.600 एवं किमी0 9.00 से किमी0 9.150 के मध्य 8 अदद स्टड के पुनर्स्थापना की परियोजना लागत रु0 296.02 लाख की टी0ए0सी0 से स्वीकृत है, परन्तु स्थाई संचालन समिति से अनुमोदित नहीं है। परियोजना के साध्य पाये जाने एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात् कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

अहिरौलीदान पिपराघाट तटबंध किमी0 1.48 (बिनटोली):–इस कार्य स्थल पर 1. 48 पर स्थित स्पर के क्षतिग्रस्त नोज स्लोप की पुनर्स्थापना एवं किमी0 1.48 से 1.600 के मध्य रिवेटमेन्ट के कार्य की परियोजना रु0 503.41 लाख की स्वीकृत है, जिस पर कार्य प्रगति में है।

अहिरौलीदान पिपराघाट तटबंध किमी0 2.400 से 3.000 तक (घघवा जगदीश):–इस कार्य स्थल पर किमी0 2.600 पर स्थित स्पर की पुनर्स्थापना एवं स्पर के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 50 मीटर की लम्बाई में रिवेटमेन्ट कार्य की परियोजना रु0 276.77 लाख की स्वीकृत है। जिस पर कार्य प्रगति में है।

अहिरौलीदान पिपराघाट तटबंध किमी0 7.320 से 8.520 (बिरवट कोन्हवलिया):–इस कार्य स्थल पर दो परियोजना किमी0 7.320 पर स्थित स्पर एवं किमी0 7.413 पर स्थित स्टड की पुनर्स्थापना का कार्य लागत रु0 208.37 लाख एवं किमी0 7.320 से 7.900 के मध्य रिवेटमेन्ट का कार्य लागत रु0 708.99 लाख की स्वीकृत है। जिस पर कार्य प्रगति में है।

ए0पी0 तटबंध के एक्सटेंशन नरवाजोत पर स्थित भंगीटोला से तवकल टोला तक बन्धे का निर्माण स्पर स्टड व रिवेटमेन्ट:–उक्त कार्य स्थल पर कोई परियोजना स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड–मानिकपुर के ग्राम कल्याणपुर से गड्ढायुक्त सड़कों के निर्माण की मांग

89–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड–मानिकपुर में ग्राम कल्याणपुर से धारकुण्डी आश्रम तक अधूरे सम्पर्क मार्ग गड्ढायुक्त एवं बरसात के समय मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम कल्याणपुर से धारकुण्डी आश्रम के मध्य 3.00 कि0मी0 कच्चा मार्ग है, जो उ0प्र0 की सीमा के अन्तर्गत है तथा रानीपुर वन्य विहार (वन क्षेत्र) के मध्य से गुजरता है।

उक्त मार्ग रानीपुर वन्य विहार (वन क्षेत्र) में होने के कारण उक्त मार्ग लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के भौरी कोपा से गड्ढायुक्त सड़कों का निर्माण कराने की मांग

90–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के 237, मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र की क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के अन्तर्गत भौरी कोपा से चक भडेसर तक सम्पर्क मार्ग लगभग 2.00 कि0मी0 तक व भौरी मजरा कलपारा पुरवा छेहरिहा कलबारा पुरवा पक्का सम्पर्क मार्ग लगभग 700 मी0 तक गड्ढायुक्त मार्ग पर बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग कच्चा होने के कारण आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ग्राम भौंरी कोपा तथा ग्राम छेछरिहा पूर्व से लेपित मार्ग से संतृप्त है तथा ग्राम भड़ेसर एवं ग्राम कलवारा पुरवा की आबादी क्रमशः 188 व 200 है। अतः प्रश्नगत मार्गों

का निर्माण कार्य 500 से कम आबादी होने के कारण सम्प्रति लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

91–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

ख्2सरे शुक्रवार के अता0 प्र0सं0–16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।,

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मऊ की गड्ढायुक्त सड़कों का निर्माण कराने की मांग

92–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के 237, मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र की क्षेत्र पंचायत मऊ के अन्तर्गत एन0एच0–76 से ग्राम मुजरा तक लगभग 5.00 कि0मी0 पक्के गड्ढायुक्त मार्ग पर बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

एन0एच0–76 के कि0मी0 351 से ग्राम मुजरा तक मार्ग की लम्बाई 3.00 कि0मी0 है जिसमें 0.50 कि0मी0 लेपित, 0.50 कि0मी0 डब्लू0बी0एम0 तथा शेष भाग कच्चा है।

लेपित व डब्लू0बी0एम0 मार्ग का निर्माण जिला पंचायत द्वारा कराया गया है। ग्राम मुजरा की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 150 है, अतः प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य 500 से कम आबादी होने के कारण सम्प्रति लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

93–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के 237, मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड–मानिकपुर में ग्राम–लक्ष्मणपुर से रामपुर नहर पट्टी तक लगभग 2.50 कि0मी0 पक्का अधूरे पड़े गड्ढायुक्त सम्पर्क मार्ग पर बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

94–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फतेहपुर सीकरी रोड से वाया नानपुर पथौली रोड तक सड़क पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे नागरिकों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु यातायात चालू है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के पश्चिमपुरी सिकन्दरा में नाली व सड़क निर्माण की मांग

95–श्री काली चरन सुमन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के अन्तर्गत पश्चिमपुरी सिकन्दरा आगरा में मकान नं0 289 से लेकर मकान नं0 333 तक जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण जगह–जगह जलभराव रहता है जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर नाली व सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। पश्चिमपुरी कालोनी निजी विकासकर्ता कविरा सहकारी आवास समिति लि0 आगरा द्वारा विकसित कालोनी है, जिसके आन्तरिक विकास एवं अनुरक्षण का दायित्व उक्त समिति/ अनुरक्षणकर्ता का है।

96–श्री काली चरन सुमन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के अन्तर्गत आने वाले लखनपुर में हर प्रसाद पहलवान से लेकर परिक्रमा मार्ग क्षतिग्रस्त हैं तथा रास्ते में जलभराव की विकट समस्या रहती है जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार परिक्रमा मार्ग में सी0सी0 रोड का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

मार्ग कुछ जगह पर क्षतिग्रस्त है, परन्तु जल भराव की स्थिति नहीं है तथा मार्ग आवागमन के प्रयोग में है। सीमित संसाधनों के दृष्टिगत सी0सी0 रोड निर्माण की प्राधिकरण द्वारा अभी कोई कार्य–योजना प्रस्तावित नहीं है।

97–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इरादत नगर रोड से ककरारी वाया सलैमाबाद, भाहई ग्वालियर तक सड़क में जगह–जगह गहरे गड्ढे हो गये, जिससे लोगों का आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु यातायात चालू है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में दिये गये प्रस्ताव पर कार्य न कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

98–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता को दिये गये प्रस्ताव पर कार्य न कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5नं0–321569, दिनांक 21–02–2014, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कर्रवाई हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्न में संदर्भित पत्र दिनांक 21–02–2014 में कतिपय पत्रों का उल्लेख किया गया है, जिनमें 26 मार्गों के निर्माण/मरम्मत की मांग की गयी है, जिनकी सूचना निम्नवत है :–

(अ) पत्र सं0–5एन0ख–321195 (026 1टी), दिनांक 25–10–2013 एवं पत्र सं0–0278 दिनांक 13–02–2014 में वर्णित मार्ग एक समान हैं। इन पत्रों में वर्णित 08 मार्गों में से 02 मार्ग (क्रम सं0–3, 5) की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है, 03 मार्ग (क्रम सं–4, 6 व 7) का निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है तथा 03 मार्ग (क्रम सं0–1, 2 व 8) का निर्माण पंचायती राज विभाग द्वारा किया गया है, अतः कार्रवाई सम्बन्धित विभाग द्वारा अपेक्षित है।

(ब) पत्र सं0–140725(0262टी) दिनांक 25–10–2013 एवं 0277 दिनांक 13–02–2014 में वर्णित 18 मार्गों में से 03 मार्ग (क्रम सं0–3, 5, 14) का निर्माण वित्तीय वर्ष 2014–15 में पूर्ण किया गया है, जिसकी दशा संतोषजनक है, 01 मार्ग (क्रम सं0–7,) निर्माणाधीन है, जिसका कार्य प्रगति पर है, 04 मार्गों (क्रम सं0–1, 2, 6, 11) की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। 09 मार्ग (क्रम सं0–4, 7बी, 8, 9, 10, 12, 13, 15 एवं 16 पर वर्णित मार्ग) का निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है। क्रम सं0–17 पर वर्णित मार्ग की कुल लम्बाई 0,70 कि0मी0 के सापेक्ष 0.45 कि0मी0 लोक निर्माण विभाग का आंशिक क्षतिग्रस्त मार्ग है, जिसकी मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है, शेष–भाग कच्चा है, जिसका निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कुशवाहा बस्ती से लो वोल्टेज की समस्या के निरवारण की मांग

99–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड नं0–12, चन्धासी न0पा0 परिषद्, मुगलसराय के कुशवाहा बस्ती में लो वोल्टेज विद्युत की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए एवं उपभोक्ताओं की संख्या को आधार मानकर उक्त बस्ती में 100 के0वी0ए0 का एक ट्रान्सफार्मर लगवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

व्यापार विकास निधि के अन्तर्गत जनपद–चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड नं0–12 चन्धासी नगर पालिका परिषद् मुगलसराय के कुशवाहा बस्ती में 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक माह मई, 2014 में स्थापित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम–सभा लौदा में जर्जर विद्युत तार व पोल के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही

100–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा लौदा, वि0ख0 नियमताबाद में जर्जर विद्युत तार व पोल के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख–5(नं)–321395, दिनांक 15–12–14 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद–चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा लौदा विकास खण्ड–नियमताबाद में जर्जर विद्युत तार व पोल बदलने का कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल कर लिया गया है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है, जिसकी स्वीकृति के उपरान्त कार्य करना सम्भव हो सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली की क्षतिग्रस्त कतिपय क्षतिग्रस्त मार्ग के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

101–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के दानो लुइयां से पड़री सिसवा, परसा गांव के पूरब होते हुए समग्र गांव हटवा बाजार तक क्षतिग्रस्त मार्ग के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख–5–नं0–643126, दिनांक 26–4–2015 अधि0अभि0, लोक निर्माण प्रथम, बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित मार्ग का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली की क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही

102–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में सुरवार से हनुमानगंज पैडी से नकहा तक क्षतिग्रस्त मार्ग दूरी 4 कि0मी0 के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क–5–नं0–373558, दिनांक 26–4–2015 अधि0अभि0, लोक निर्माण बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

पत्र में वर्णित मार्ग का निर्माण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली की कतिपय सड़कों का निर्माण कराने की मांग

103–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत सुरवार हनुमानगंज मार्ग कुड़ी चौराहे से नकहा लम्बाई 4 कि0मी0 मार्ग पर वर्ष 2001 में लो0नि0 विभाग द्वारा पत्थर/कटस्टोन डालकर छोड़ दिया गया है, जिससे आम जनमानस को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। आंशिक रूप से।

प्रश्नगत मार्ग रूधौली में बखिरा मार्ग पर स्थित कूड़ी चौराहे से आगे मार्ग का वास्तविक नाम सुरूवार हनुमानगंज मार्ग कूड़ी चौराहे से सेहुड़ा नोनहा होते हुए महआर रायठ मार्ग है, यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है तथा मार्ग की वास्तविक लम्बाई 4.00 किमी0 है। मार्ग का निर्माण पू0वि0नि0 (राज्यांश) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1999–2000 में रु0 50.87 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रु0 15.20 लाख अवमुक्त किया गया, जिससे मार्ग के 4.00 किमी0 लम्बाई में मिट्टी एवं सोलिंग का कार्य, 3.00 किमी0 लम्बाई में टाप कोट एवं 1.00 किमी0 लम्बाई में लेपन का कार्य कराया गया है। शेष कार्य पूर्ण करने हेतु लगभग रु0 81.40 लाख का व्यय आंकलित है।

मार्ग का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली की कतिपय सड़कों के निर्माण कराने की मांग

104–श्री संजय प्रताप जयसवाल

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत रूधौली टाऊन एरिया से मुडियार तथा मदरहना मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

105–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत भानपुर रूधौली मार्ग के ग्राम असुरैना पोखरे से मझौआ नाले होते हुए कचन चौराहा तक का मार्ग जिसकी लम्बाई 5 कि0मी0 है, पर मात्र 1 कि0मी0 मार्ग ग्राम मझौआ लाल सिंह में खड़न्जे से निर्मित शेष मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को खडन्जे से लेपन कार्य करवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत भानपुर रूधौली मार्ग के ग्राम असुरैना पोखरे से मझौआ नाले होते हुए कंचन चौराहा तक का मार्ग, लम्बाई 5.00 कि0मी0 है, जिसमें मझौवा लाल सिंह ग्राम रूधौली भानपुर मार्ग से निकलने वाले लेपित मार्ग से जुड़ा है तथा कंचनपुर चौराहा नरखोरिया सगरा मार्ग पर स्थित है, जो लेपन स्तर का मार्ग है, अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना सम्प्रति लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग

106–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जटपुरा चीनी मिल मार्ग से खालौर तथा खालौर ग्राम से बम्बे की पटरी मार्ग तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत जनहित में सरकार द्वारा कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्गों के निर्माण/मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

107–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त चचरई रोड से गुचावली सम्पर्क मार्ग (नव निर्माण) का मरम्मत कार्य सरकार द्वारा जनहित में कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत ग्राम पूर्व से सी0सी0 मार्ग से जुड़ा है। चचरई रोड से गुचावली सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

108–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्याना रोड से उटरावली तक के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण सरकार द्वारा कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

109–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त स्याना रोड से करन मार्ग का निर्माण कार्य सरकार द्वारा कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग का पुनः निर्माण एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत स्वीकृत है तथा प्रगति पर है, जिसको पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

110–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बुलन्दशहर अनूपशहर मार्ग से गरहरा तक तथा बी0ए0 रोड से तीली खलौर तक मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्गों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं परन्तु दोनों मार्गों पर यातायात चल रहा है।

मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में कतिपय कैडर बनाये जाने का कथित प्रकरण

111–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में विशेषज्ञों (एम0डी0एम0एस0 तथा डी0एन0बी0) तथा अति विशेषज्ञों (डी0एम0, एम0सी0एच0) की कमी को देखते हुए क्या सरकार सामान्य विशेषज्ञ तथा अति विशेषज्ञ कैडर बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश में विद्युत फीडर्स और डिस्ट्रीव्यूशन ट्रान्सफार्मर पर मीटर लगाये जाने का उद्देश्य

112–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत फीडर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफार्मर पर मीटर लगाये गये हैं ? यदि हां, तो ये मीटर किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लगाये गये हैं और शासन ने उन उद्देश्यों को कहां तक प्राप्त किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

विभाग में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों के विद्युत परिवर्तकों व फीडरों पर मीटर स्थापित किये गये हैं एवं इन मीटरों को माडेम के माध्यम से कम्प्यूटर सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे ऊर्जा प्राप्ति एवं लाइन हानियों की गणना की जा सके। जिन स्थानों पर लाइन हानियां संज्ञान में आ रही है, वहां पर चेकिंग अभियान किया जा रहा है। यह कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत की जा रही है तथा लाइन हानियों की रोक के सम्बन्ध में प्रगति आ रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–कुशीनगर की ग्राम सभाओं के लोगों की चखनीताल ड्रेन में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

113–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के ग्राम सभाओं के लगभग 150 लोगों को चखनीताल ड्रेन में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान कराने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0 / वि0को0 / एम0 / पी0जी0–10587236 / 2015, प्रमुख सचिव / सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

उक्त संदर्भित पत्र मा0 मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा सीधे प्रमुख अभियन्ता / विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन, लखनऊ को उपलब्ध कराया गया है।

चखनीताल ड्रेन के ग्राम–सरया खुर्द, डिबनी बंजरवा, छपरा अहिरौली, रामपुर राजा के लगभग 25 काश्तकारों की भूमि के मुआवजे का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–कुशीनगर में बांसी नदी पर पुल का निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही

114–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में लोहिया गांव पिपराघाट के गोलाघाट पर बांसी नदी में स्थित पुल के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10587510/2015, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत पुल की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–कुशीनगर के पडरौना में ट्रांमा सेन्टर स्थापित करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

115–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के जिला अस्पताल पडरौना में सरकार द्वारा ट्रामा सेन्टर स्थापित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/ एम0/पी0जी0–10547704/2014, प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,उ0प्र0 लखनऊ को शासन के पत्र संख्या–वी0आई0पी0–235/5–6–2014–5(4)/2014, दिनांक 12–01–2015 द्वारा निर्देशित किया गया है।

ट्रामा सेन्टर की स्थापना राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित चिन्हित चिकित्सालयों एवं चिकित्सा इकाइयों की आकस्मिक सेवाओं को सुदृढ़ीकरण कर की जाती है, जो चिकित्सा विशेषज्ञों, तकनीकी चिकित्सा कर्मियों एवं सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–कुशीनगर के ब्लाक तमकुहीराज के अनेकों ग्रामों मे विद्युत ट्रान्सफार्मर की क्षमता में वृद्धि विषयक पत्र पर कार्यवाही

116–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के ब्लाक तमकुहीराज के ग्राम हरपुर बेतली, विशुनपुरा, धुरिया कोट तथा भटवलिया के जर्जर विद्युत पोलों, तारों का नवीनीकरण व ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि कराने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10628796/2014, प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद–कुशीनगर के ब्लाक तमकुहीराज के ग्राम हरपुर बेतली के ढीले तारों को टाइट कर पूर्व स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक के स्थान पर 63 के0वी0ए0 परिवर्तक स्थापित कर दिया गया है। ग्राम विशुनपुरा एवं धुरियाकोट के जर्जर तार एवं विद्युत पोल के बदलने की कुल प्राक्कलित धनराशि रु0 9,37,707.00 है वर्ष 2015–16 में बिजनेस प्लान योजना के अन्तर्गत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है। ग्राम भटवलिया ग्राम में स्थापित 100 के0वी0ए0 परिवर्तक के स्थान पर 250 के0वी0ए0 के परिवर्तक को स्थापित करने हेतु पैकेज स्वीकृत है अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कर शीघ्र पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में बांसी नदी के गौरीघाट पर पुलों का निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही

117–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर में बांसी नदी के गौरी घाट आदि पुलों का निर्माण कराये जाने के लिये प्राप्त आगणन के आधार पर शीघ्र धन आवंटित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0–10474277/2014, प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

1–जनपद कुशीनगर में बांसी नदी पर स्थित गौरी घाट पर 4ग25 मीटर स्पान के दीर्घ सेतु के निर्माण हेतु, आंकलित लागत रु0 530.00 लाख है। कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

2–जनपद कुशीनगर में बांसी नदी पर 5ग25 मीटर स्पान के दीर्घ सेतु के निर्माण हेतु आंकलित लागत रु0 650.00 लाख है, कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

3–टी0बी0 रोड, कि0मी0 2 में बांसी नदी पर 5ग25 मीटर के स्पान के दीर्घ सेतु के निर्माण की स्वीकृति दिनांक 27–02–2015 द्वारा प्रदान की जा चुकी है, कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–चन्दौली के विकास खण्ड–नियमताबाद के ग्राम सभा भिसौड़ी में विद्युत की समस्या विषयक पत्र पर कार्यवाही

118–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चन्दौली के विकास खण्ड नियमताबाद के ग्राम सभा भिसौड़ी के प्रार्थीगणों के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5 नं0–321734, दिनांक 19–4–2015 जो बुनकरों एवं हथकरघा पावर लूम चलाने के लिये विद्युत की समस्या विषयक अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण–प्प मुगलसराय चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद–चन्दौली के ग्राम सभा भिसौड़ी में बुनकरों एवं हथकरघा पावरलूम की विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र भूपौली के 11 के0वी0 कुण्डा ग्रामीण पोषक से पोषित की जा रही है। तकनीकी रूप से शहरी पोषक द्वारा उक्त ग्राम को नहीं जोड़ा जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण की मांग

119–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कटेशर जी0टी0 रोड से नाथूपुर तक पीच रोड पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का लेपन स्तर तक का कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु यातायात चालू है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–आगरा 90, ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र जगनेर की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

120–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जगनेर रोड से टोरंट पावर हाउस अजीजपुर टमरा रोड तक सड़क पर जगह–जगह गड्ढे हो गये जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मत का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु यातायात चालू है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

121–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जगनेर रोड अजीजपुर सौहल्ला रेलवे फाटक तक सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मत का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु यातायात चालू है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

122–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत देवरौठा नं0–1 से देवरौठा नं0–2 पृथ्वीनाथ फाटक आजमपाड़ा रेलवे के किनारे जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु यातायात चालू है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

123–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम हिगोट खेड़िया परिकुमा मार्ग मेन रोड से इकथरा रोड तक सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु यातायात चालू है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लो0नि0वि0 के 0.700 कि0मी0 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। ग्राम पंचायत भौरी का मजरा गेटा पुरवा तथा गुड्डू पुरवा (गडियन पुरवा) की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार क्रमशः 200 तथा 90 है। अतः प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य 500 से कम आबादी होने के कारण सम्प्रति लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–चित्रकूट के क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के ग्राम भौरी की गड्ढायुक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग

124–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के अन्तर्गत ग्राम–भौरी मजरा गेटा पुरवा प्रावि0 से नहर पटरी होते हुए गुड्डू पुरवा दूरी लगभग 2 कि0मी0 तक अधूरे पड़े सम्पर्क मार्ग गड्ढायुक्त एवं बरसात के समय मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 2.00 कि0मी0 के सापेक्ष 0.700 कि0मी0 (लो0नि0वि0) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु आवागमन चल रहा है। मार्ग का शेष भाग कच्चा है।

जनपद–चित्रकूट के क्षेत्र पंचायत मऊ के ग्राम बिलयावल से गड्ढायुक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग

125–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के क्षेत्र पंचायत मऊ के अन्तर्गत ग्राम–बिलयावल से मेडिया के डेरा तक पक्का सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 1.50 कि0मी0 तक अधूरे पड़े सम्पर्क मार्ग गड्ढायुक्त एवं बरसात के समय मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

क्षेत्र पंचायत मऊ के ग्राम बियावल से मेडिया के डेरा तक कच्चा मार्ग है, जिसकी लम्बाई 1.500 कि0मी0 है।

ग्राम बियावल पूर्व से ही लेपित मार्ग से संतृप्त है तथा ग्राम मेडिया का डेरा की आबादी 243 है। अतः प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य 500 से कम आबादी होने के कारण सम्प्रति लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के ग्राम बरवारा की गड्ढायुक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग

126–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के 237 मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बरवारा तक पूर्ण रूप से ध्वस्त पक्की सड़क जो गड्ढायुक्त एवं बरसात के समय मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 6.75 कि0मी0 है जिसका प्रथम 2.00 कि0मी0 भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग का शेष भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले भाग का निर्माण/मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–चित्रकूट के क्षेत्र पंचायत रामनगर के ग्राम धुनुवा की गड्ढायुक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

127–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के क्षेत्र पंचायत रामनगर के अन्तर्गत ग्राम–धुनुवा सम्पर्क मार्ग कुम्हारन के पुरवा तक अधूरे पड़े सम्पर्क मार्ग गड्ढा युक्त एवं बरसात के समय मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

क्षेत्र पंचायत रामनगर के अन्तर्गत एन0एच076 के कि0मी0 311 से दांयी ओर ग्राम घुनुवा सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 2 से बांयी ओर ग्राम कुम्हारन पुरवा तक की लम्बाई 2.00 कि0मी0 कच्चा मार्ग है।

ग्राम कुम्हारन पुरवा की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 54 है। अतः प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य 500 से कम आबादी होने के कारण सम्प्रति लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–चित्रकूट के क्षेत्र पंचायत मऊ के ग्राम–पिपरौडा की गड्ढायुक्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराने की मांग

128–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के क्षेत्र पंचायत मऊ के अन्तर्गत ग्राम–पिपरौडा के मजरा गदारी का पुरवा खरसहा नाले पर रपटा तक दूरी लगभग 2 कि0मी0 तक अधूरे पड़े सम्पर्क मार्ग गड्ढा युक्त एवं बरसात के समय मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित सम्पर्क मार्ग–गदारी का डेरा के स्थान पर मदारी का डेरा, की लम्बाई 2.00 कि0मी0 कच्चा मार्ग है।

ग्राम मदारी का डेरा की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 30 है। अतः प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य 500 से कम आबादी होने के कारण सम्प्रति लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्री–पेड मीटर स्थापित किये जाने का कार्य

129–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार बिजली उपभोक्ताओं के लिये प्री–पेड बिजली कनेक्शन देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बिजली कनेक्शन झुग्गी–झोपड़ी, मलिन बस्तियों के निवासियों के लिये सस्ते दरों पर उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्री–पेड मीटर स्थापित किये जाने का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

झुग्गी झोपड़ी एवं पटरी दुकानदारों को प्री–पेड मीटर के माध्यम से 2 किलोवाट भार तक अस्थाई संयोजन निर्गत किया जाता है। बी0पी0एल0 कार्डधारकों को 1 किलोवाट भार तक उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित सस्ती दर पर विद्युत संयोजन निर्गत किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–कुशीनगर के बुन्नी सिंह घाट पर पुल निर्माण करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

130–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में बुन्नी सिंह घाट पर पुल निर्माण करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10585195/2015 प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत स्थल पर सेतु का निर्माण विभाग में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–चित्रकूट के क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के ग्राम–भौरी से गड्ढायुक्त सम्पर्क मार्ग को निर्माण कराने की मांग

131–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के अन्तर्गत ग्राम–भौरी से कूड़ी हार नहर पटरी से सी0सी0 रोड दूरी लगभग 2 कि0मी0 तक अधूरे पड़े सम्पर्क मार्ग गड्ढा युक्त एवं बरसात के समय मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 3.00 कि0मी0 के सापेक्ष प्रथम 1.00 कि0मी0 रा0मा0 76 का भाग है, जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। शेष 0.500 कि0मी0 सी0सी0 मार्ग जिला पंचायत द्वारा निर्मित है तथा 1.50 कि0मी0 कच्चा है।

ग्राम भौरी के मजरा रमजूपुर की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 100 है। अतः प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य 500 से कम आबादी होने के कारण सम्प्रति लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की नई बस्ती में विद्युत सब स्टेशन के निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही

132–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् मुगलसराय के वार्ड नं0 एक नई बस्ती में विद्युत सब–स्टेशन के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5 एन0–321745 दिनांक 20–04–2015 अधिशासी अभियन्ता प विद्युत वितरण मुगलसराय चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद–चन्दौली के नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र क्षमता 1ग5 एम0वी0ए0 अलीनगर का निर्माण कार्य आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना पार्ट–बी में कराया जा रहा है। माह, नवम्बर, 2015 तक कार्य पूर्ण होना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की ग्राम सभा महदीउल से गड्ढायुक्त सड़क का निर्माण कराने की मांग

133–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा महदीउल में मकवापर से पुलिया होते हुए लौदा ग्राम दलित बस्ती तक मार्गों में बड़े–बड़े गड्ढे बन गये हैं, जिससे जनमानस को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग की कुल लम्बाई 1.30 कि0मी0 के सापेक्ष 0.60 कि0मी0 लो0नि0वि0 के स्वामित्व का है एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, शेष भाग कच्चा है।

लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाले मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। ग्राम महदेउल, मकवापुर व लौंदा दलित बस्ती पूर्व में ही लेपित मार्गों से संतृप्त हैं। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा के जहांगीराबाद आहार मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने की मांग

134–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जहांगीराबाद आहार मार्ग से जलीलपुर तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/निर्माण सरकार द्वारा कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग की मरम्मत/निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्यधता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

135–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सैदपुरा ब्लाक लखावटी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत न होने के कारण उक्त सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

136–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मिल्क मकनपुर सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण लेपन स्तर तक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु यातायात चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

137–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भिरौली ब्लाक जहांगीराबाद से ग्राम नौबतपुर ब्लाक लखावटी को जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग खराब होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम भिरौली, शिवाली–जाडौल अन्य जिला मार्ग के कि0मी0 6 पर स्थित है तथा ग्राम नौबतपुर हेतु बुलन्दशहर–अनूपशहर मार्ग के कि0मी0 11 से बालका होते हुए लेपित सम्पर्क मार्ग है, जिसकी लम्बाई 8.65 कि0मी0 है।

ग्राम भिरौली व ग्राम नौबतपुर पूर्व से ही लेपित सम्पर्क मार्ग से जुड़े हुए हैं, अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना सम्प्रति लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

138–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम आलमगीरपुर नैनसुख उर्फ छोटी सराय ब्लाक लखावटी के सम्पर्क मार्ग जो कि आलमगीरपुर नैनसुख उर्फ छोटी सराय से मकनपुर–बालका मार्ग पर जुड़ता है, की हालत जर्जर होने के कारण किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपर स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम आलमगीर नैनसुख उर्फ छोटी सराय से मकनपुर बालका मार्ग की लम्बाई 2.10 कि0मी0 है, जो खडन्जा स्तर का मार्ग है।

ग्राम आलमगीरपुर नैनसुख उर्फ छोटी सराय, बुलन्दशहर–अनूपशहर मार्ग के कि0मी0 9 से निकलने वाले मार्ग से संतृप्त है। उक्त ग्राम एकल दिशा सम्पर्क मार्ग से जुड़ा होने के कारण प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य सम्प्रति लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–सीतापुर के गन्ना पर्यवेक्षक श्री सुन्दर लाल की मृत्योपरान्त मृतक आश्रित पुत्र की नियुक्ति विषयक पत्र पर कार्यवाही

139–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, गन्ना को सम्बोधित, मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र 0153/ने0वि0द0/2015, दिनांक 23–02–2015 जो कि जनपद सीतापुर के जिला गन्ना विकास अधिकारी सीतापुर के अधीन गन्ना विकास परिषद् महोली में कार्यरत गन्ना पर्यवेक्षक सुन्दरलाल की दिनांक 23–07–2013 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु के उपरान्त मृतक आश्रित उनके पुत्र की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मा0 नेती विरोध दल का पत्र दिनांक 23–02–2015 जो स्व0 सुन्दर लाल, गन्ना पर्यवेक्षक के पुत्र को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है प्राप्त हुआ है।

उपर्युक्त मा0 नेता विरोधी दल के पत्र दिनांक 23–02–2015 पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु गन्ना आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 10–03–2015 द्वार उप गन्ना आयुक्त, परिक्षेत्र लखनऊ को निर्देशित किया गया, जिस के अनुपालन में उन्होंने अपने आदेश दिनांक 21–07–2015 द्वारा स्व0 सुन्दर लाल के पुत्र श्री मनीष कुमार वर्मा की नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर मृतक आश्रित के रूप में कर ली गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बस्ती के जिला महिला चिकित्सालय के मरीजों के शोषण विषयक पत्र पर कार्यवाही

140–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला महिला चिकित्सालय बस्ती में मरीजों के शोषण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30–07–2014 अति0 महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बस्ती मण्डल, बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां, पत्र दिनांक 30–07–14 अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बस्ती मण्डल बस्ती को प्राप्त हुआ है।

कार्यालय, अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मण्डल बस्ती के पत्र दिनांक 07–08–14 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, बस्ती एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती को मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र में वर्णित तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बस्ती के कतिपय मार्गों को चौड़ीकरण कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17–6–2014 के सम्बन्ध में कृत कार्रवाई विषयक

141–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती मण्डल के मेंहदावल डुमरियागंज वाया रूधौली मार्ग के चौड़ीकरण विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17–06–2014, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मार्ग को उच्चीकृत कर चौड़ीकरण कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद–बस्ती के रूधौली विधान सभा क्षेत्र में अधूरे पड़े मार्ग को पूर्ण करवाये जाने विषयक

142–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में बखिरा मार्ग पर स्थित कूड़ी चौराहे से आगे मार्ग पर विगत 10 साल पहले विभाग द्वारा सिर्फ गिट्टी डाल कर निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। आंशिक रूप से।

प्रश्नगत मार्ग रूधौली में बखिरा मार्ग पर स्थित कूड़ी चौराहे से आगे मार्ग का वास्तविक नाम सुरूवार हनुमानगंज मार्ग कूड़ी चौराहे से सेहुड़ा नोनहा होते हुए महुआर रायठ मार्ग है, यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है तथा मार्ग की वास्तविक लम्बाई 4.00 किमी0 है। मार्ग का निर्माण पू0वि0नि0 (राज्यांश) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1999–2000 में रु0 50.87 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रु0 15.20 लाख अवमुक्त किया गया, जिससे मार्ग के 4.00 किमी0 लम्बाई में मिट्टी एवं सोलिंग का

कार्य, 3.00 किमी0 लम्बाई में टाप कोट एवं 1.00 किमी0 लम्बाई में लेपन का कार्य कराया गया है। शेष कार्य पूर्ण करने हेतु लगभग रु0 81.40 लाख का व्यय आंकलित है।

मार्ग का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उर्पयुक्तानुसार।

जनपद–बस्ती के शव विच्छेदन के अधूरे पड़े निर्माण को पूर्ण कराये जाने विषयक

143–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में चीरघर का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण शव विच्छेदन का कार्य मोमबत्ती की रोशनी में किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार समस्त संसाधनों से युक्त शव विच्छेदन गृह का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

आधुनिक चीरघर निर्माणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–आगरा के आगरा ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों के क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक करवाने विषयक

144–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत धाधूपुरा से ग्राम महलबादशाही तक सीवर लाइन डालने के कारण सड़क एवं आम रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे नागरिकों का आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु यातायात चालू है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

145–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नगला कली से सैमरी तक सीवर लाइन डाले जाने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे नागरिकों का आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त हुई उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु यातायात चालू है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

146–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड अकोला में जारूआ कटरा से मुढ़हेरा तक एवं जारूआ कटरा बैंक से सिरौली की पुलिया तक की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्न में वर्णित जारूआ कटरा से मुढ़हेरा तक मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है। जारूआ कटरा बैंक से सिरोली की पुलिया तक मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

लोक निर्माण विभा के स्वामित्व वाले मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ट्रान्सफार्मर के क्षमता में वृद्धि करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 14–5–2015 पर की गई कार्रवाई की मांग

147–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में विद्युत के लो–वोल्टेज तथा कनेक्शनों की अधिक संख्या को देखते हुए जनहित की मांग पर ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5 एन0 321784, दिनांक 14–05–2015, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण प्प मुगलसराय, चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

रविनगर क्षेत्र के चुंगी पर स्थापित 630 के0वी0ए0 परिवर्तक, बी0एन0 सिंह 400 के0वी0ए0 परिवर्तक, सिंचाई कालोनी के पास 400 के0वी0ए0 एवं एस0जी0 पब्लिक स्कूल के पास 400 के0वी0ए0 से विद्युत आपूर्ति की जाती है। उक्त क्षेत्र में 250 के0वी0एं0 का एक भी परिवर्तक नहीं है।

अमोधपुर में पूर्व में 2ग250 के0वी0ए0 एवं 100 के0वी0ए0 परिवर्तक से आपूर्ति की जा रही थी, माह मार्च, 2015 में एक अदद 63 के0वी0एं0 का अतिरिक्त परिवर्तक लगा दिया गया है।

नई बस्ती आलू मिल रोड के आस–पास पूर्व में 250 के0वी0ए0 परिवर्तक से विद्युत आपूर्ति की जा रही थी, वर्तमान में माह जून, 2015 में एक अतिरिक्त 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक लगा दिया गया है।

हथेरवां में पूर्व में एक 25 के0वी0ए0 परिवर्तक से विद्युत आपूर्ति की जा रही थी, माह नवम्बर, 2015 में 25 के0वी0ए0 का एक अतिरिक्त परिवर्तक लगा दिया गया है।

सहजौर में पूर्व में 2ग63 के0वी0ए0 परिवर्तक से विद्युत आपूर्ति की जा रही थी, वर्तमान में एक अदद् 10 के0वी0ए0ं का परिवर्तक माह जुलाई, 2015 में स्थापित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–इलाहाबाद के विकास खण्ड–चाका स्थित कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण करवाये जाने के विषयक

148–श्री दीपक पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड–चाका स्थित ग्राम सभा डभांव में रीवा रोड सम्पर्क मार्ग से ददरी ताल्लुका नौगवा तक अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिहं यादव–

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

149–श्री दीपक पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड–चाका स्थित ग्राम सभा मड़ौका में मड़ौका सम्पर्क मार्ग से होते हुए प्राथमिक विद्यालय तक की सड़क अत्यन्त जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिहं यादव–

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत का कार्य माह जून, 2015 तक पूर्ण करा दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों के सम्पर्क के निर्माण विषयक

150–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नवीनगर से डबकौरा सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

151–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम डूंगरा जाट का सम्पर्क मार्ग जो जहांगीराबाद नई मण्डी, कोल्ड स्टोर के बराबर से चीनी मिल होते हुए डूंगरा जाट मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

यह मार्ग दो भागों में निम्नवत हैः–

(1) जहांगीराबाद से चीनी मिल तक सम्पर्क मार्ग पर लोक निर्माण का स्वामित्व नहीं है।

(2) चीनी मिल से डूंगरा जाट तक सम्पर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

152–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम उटरावली सम्पर्क मार्ग, बुलन्दशहर–स्याना मार्ग से उटरावली व बुलन्दशहर–अनूपशहर मार्ग से उटरावली मार्ग अत्यन्त जर्जर होने की वजह से जनता

को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो उक्त गांव के सम्पर्क मार्गों को बनवाये जाने की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु मार्ग पर यातायात चल रहा है।

मार्गों का बनवाये जाने/मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बस्ती के रूधौली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सेहुड़ा नगाहरी तिघरा एवं मथुरा पुर तक मार्ग के ठीक करवाने विषयक

153–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली अन्तर्गत सेहुड़ा नगाहरी तिघरा एवं मथुरा पुर तक जाने वाला मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–फिरोजाबाद के राजा के ताल से मक्खनपुर तक आउटर रिंग रोड के निर्माण विषयक

154–श्री मनीष असीजा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–2 नगर फिरोजाबाद की अत्यन्त घनी आबादी के बीच से गुजरता है, जिससे उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग से निकलने वाले वाहनों से आये दिन होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं से बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है ? यदि हां, तो सरकार राजा के ताल से मक्खनपुर तक आउटर रिंग रोड बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

कतिपय स्थानों पर कुछ दुर्घटनांए हुई।

रिंग रोड का निर्माण कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित है जो भारत सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–पीलीभीत की किसान सहकारी चीनी मिल मझौला के कर्मचारियों के बकाये वेतन के भुगतान विषयक

155–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की किसान सह0 चीनी मिल मझौला, 22 दिसम्बर, 2009 से बन्द पड़ी है, के कर्मचारियों को वर्ष 2011 से वर्ष 2014 तक की बकाया ड्यूटी का भुगतान की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

22 दिसम्बर 2009 से बंद पड़ी किसान सहकारी चीनी मिल मझौला (जनपद पीलीभीत) के कर्मचारियों की वर्ष 2011 से 2014 तक की ड्यूटी अवधि का कोई भुगतान अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बस्ती के रूधौली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बखिरा स्थित दुबे–बर्नवाल गली में विद्युत आपूर्ति हेतु सीमेन्ट के खम्बे स्थापित करवाने विषयक

156–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के रूधौली कस्बे में बखिरा स्थित दुबे–बर्नवाल गली में विद्युत आपूर्ति बांस–बल्ली के सहारे की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर सीमेन्ट के खम्भे और तार की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जनपद–बस्ती के रूधौली कस्बे में बखिरा मार्ग स्थित दुबे–बर्नवाल गली में विद्युत आपूर्ति हेतु बल्ली के स्थान पर पी0सी0सी0 पोल लगाने का कार्य बिजनेस प्लान 2015–16 के अन्तर्गत इसी वर्ष के दौरान पूर्ण कराना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती विद्युत मांगों को दृष्टिगत रखते हुए ट्रान्सफार्मर की क्षमता में वृद्धि की मांग

157–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या तथा बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में सरकार कब तक निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि एक सतत् प्रक्रिया है, जो धन की उपलब्धता के अनुसार की जाती है।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत की जानी प्रस्तावित है। योजना स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है जिसकी स्वीकृति पश्चात् इस कार्य हेतु अतिरिक्त धन की उपलब्धता हो सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद–बस्ती के रूधौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कतिपय ग्रामों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण की मांग

158–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में ग्राम सोनहा से शिवाघाट मार्ग पर मिरिया से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरौली सुमाली को जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

159–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रूधौली जनपद बस्ती की क्षतिग्रस्त सड़कों देईपार भैंसहवा मार्ग, भानपुर तेनुआ असनहरा मार्ग, सोनहा कोठिला मार्ग नरखोरिया परसा कुतुव मार्ग, जोगिया मार्ग, उकड़ा शंकरपुर मार्ग, लोढवा बड़ोखर मार्ग, सोनहा शिवाघाट मार्ग, खैरा घोषण मार्ग, पचमोहनी दौरूवा मार्ग तथा सल्टौआ छनवतिया मार्ग का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्न में वर्णित 11 मार्गों में पचमोहनी से दौरुवा मार्ग (वास्तविक नाम पंचमोहनी–गौहनिया–चौकवा मार्ग) की मरम्मत करा दी गयी है, जिसकी दशा संतोषजनक है एवं देईपार से भैसहवा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य स्वीकृत एवं प्रगति में है। भानपुर तेनुआ असनहरा मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है। शेष 08 मार्गों का निर्माण/मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बस्ती के ब्लाक सल्टौआ के कई वर्षों से अधूरे पड़े मार्गों के निर्माण कराये जाने विषयक

160–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ में कई वर्षों पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित रेगी से होकर मुड़वरा जाने वाला 7 कि0मी0 मार्ग वर्तमान में जर्जर एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण दर्जनों गांवों के लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक

161–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र की विधान सभा क्षेत्र ओबरा के विभिन्न ग्राम सभाओं जैसे सागरदह, ननहरी, गाडापाथर, बैरपुर, खटिहवा, सुखरा कनहरा, चोपनवाड़ी, बेलगढ़ी, पटवाटोला में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

ग्राम सागरदह एवं बैरपुर (ब्लाक–चोपन) का वर्ष 2008 में विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा ग्राम कनहरा (ब्लाक–चोपन) का विद्युतीकरण डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत किया जा चुका है।

ग्रम ननहरी, गोड़ापाथर, खटिहवा, सुखरा, चोपन (बाड़ी) बालीगढ़ी एवं पटवाटोला (ब्लाक–चोपन) के विद्युतीकरण का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं) में चयनित है। जिसका एल0ओ0आई0 मेसर्स ए0के0 इन्फ्राप्रोजेक्ट प्राइवेट लि0, वाराणसी को दिनांक 01–08–2015 को जारी किया जा चुका है। कार्य पूर्ण करने की अवधि जुलाई, 2017 लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में आय, जाति, निवास प्रमाण–पत्र बनवाये जाने हेतु एकल खिड़की पुनः आरम्भ करवाने की मांग

162–श्री संजय प्रताप जयसवाल

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आय, जाति, निवास प्रमाण–पत्र बनाने का कार्य एकल खिड़की को बन्द कर जनवादी केन्द्रों द्वारा बनवाया जा रहा है जिससे महीनों का समय लग रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः एकल खिड़की प्रारम्भ कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रदेश में आय, जाति, निवास प्रमाण–पत्र बनाने सम्बन्धी एकल खिड़की व्यवस्था को औपचारिक रूप से बन्द नहीं किया गया है, किन्तु स्थानीय स्तर पर जनसुविधा केन्द्रों पर एकल खिड़की कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्गत होने वाले प्रमाण–पत्र उपलब्ध हो जाने के कारण एकल खिड़की व्यवस्था अप्रचलित हो गयी है।

सुदूर शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में स्थापित जनसुविधा केन्द्रों पर राजस्व विभाग एवं अन्य शासकीय विभागों की सेवाएं एक साथ उपलब्ध हो सकने के कारण एकल खिड़की व्यवस्था को पुनः प्रभावी बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं पायी गयी।

जनपद–बस्ती में स्थापित ई–गवर्नेंस सुविधा के तहत कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी कार्य में लापरवाही न बरतने हेतु आदेश दिये जाने की मांग

163–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में ई–गवर्नेंस के तहत उपलब्ध सुविधा के बावजूद लोगों को महीनों आय एवं जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिये तहसीलों का चक्कर लगाना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित कर्मचारियों के द्वारा सरकार के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद–बस्ती में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्रों का समय–सीमा के अन्तर्गत निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु जनपद में तहसीलदार के 03 पद, राजस्व निरीक्षक के 17 पद तथा लेखपाल के 196 पद रिक्त होने के कारण कुछ प्रकरण में निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत निस्तारण करने में कठिनाई होती है।

राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सरकार के आदेशों का अनुपालन समय से सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र में आने वाले कतिपय ग्रामों के गड्ढायुक्त मार्गों को ठीक करवाने विषयक

164–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मौसमगढ़ से बुलन्दशहर–अनूपशहर सम्पर्क मार्ग

अत्यन्त जर्जर व गड्ढायुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों के जर्जर मार्गों को ठीक कराने विषयक

165–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम आकराबाद–कूढ़ा सम्पर्क मार्ग की हालत अत्यन्त जर्जर हो चुकी है जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु यातायात चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

166–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भंडौरिया ब्लाक लखावटी का सम्पर्क मार्ग की हालत अत्यन्त जर्जर हो गई है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु यातायात चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

167–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के कृषि मण्डी विभाग द्वारा निर्मित–जहांगीराबाद से डबकौरा सम्पर्क मार्ग वर्तमान में जगह–जगह से टूट रहा है ? यदि हां, तो इस मार्ग की मरम्मत/निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

168–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम नवीनगर से खनपुरा तक कृषि मण्डी विभाग द्वारा बनाया गया सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ–करनपुर–ठाकुरद्वारा मार्ग के मध्य रामगंगा नदी पर पुल निर्माण करवाये जाने की मांग

169–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ–करनपुर–ठाकुरद्वारा मार्ग के मध्य रामगंगा नदी पर सरकार ने वर्ष 2014–2015 में पुल निर्माण स्वीकृत कर धन आवंटित किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण शुरू कराने हेतु निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम गढ़ी सलेमपुर में अधूरे पड़े विद्युतगृह के निर्माण की मांग

170–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम गढ़ी सलेमपुर में वर्ष 2010 से 33/11 का निर्माणाधीन विद्युतगृह जो अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त विद्युत गृह को पूर्ण करने का निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

कार्यदायी संस्था को उपकेन्द्र का कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु नोटिस दिया जा चुका है।

दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 तक कार्य पूर्ण करना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–आगरा के विकास खण्ड बरौली के कतिपय ग्रामों की क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत की मांग

171–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर में ग्राम नधौता से सीताराम की मड़रिया तक, सीताराम की मड़रिया से कछपुरा फतेहाबाद रोड तक रजरई से नगलाकली तक एवं नगलाकली से सैमरी इरादत नगर रोड तक की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग रजरई से नगला कली की दशा संतोषजनक है एवं सीताराम की मड़रिया कछपुरा फतेहाबाद मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है। रजरई से नगलाकली तक एवं नगलाकली से सैमरी इरादत नगर मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

नधौता से सीताराम की मड़रिया तक मार्ग पर नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा नगलाकली से सैमरी इरादत नगर तक मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–आगरा के विकास खण्ड बिचपुरी के कतिपय ग्रामों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग

172–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड बिचपुरी में बरारा से खाल खलौआ तक एवं फतेहपुर रोड से नगला बसुआ

मिर्जापुर बल्हेरा तक की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग बरारा से खाल खलौआ एवं मिर्जापुर बल्हौरा मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है। फतेहपुर रोड से नगला बसुआ मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु यातायात चालू है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–आगरा के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने विषयक

173–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में फतेहाबाद रोड से नगला गाड़े तक एवं बरारा रोड से ग्राम सहारा परिक्रमा मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–आगरा के विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत आने वाली नहर पर पुलिया के निर्माण कराये जाने विषयक

174–श्री काली चरन सुमन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत ग्राम नगला बसुआं रजबा मलपुरा वाली नहर तथा ग्राम ठाकुरदास की घड़ी रजबा रोहता वाली नहर पर पुलिया न होने के कारण नागरिकों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–आगरा के 90 आगरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड बिचपुरी में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक

175–श्री काली चरन सुमन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगला तुहीराम (लखनपुर) विकास खण्ड बिचपुरी में सिर्फ विद्युत पोल (खम्भे) खड़े हुये हैं, गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ है जिससे गांव में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जनपद आगरा के अन्तर्गत नगला तुहीराम ग्राम सभा लखनपुर विकास खण्ड बिचपुरी में विद्युत की समस्या के निराकरण हेतु पैकेज बिजनेस प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत ग्राम में 32 नं0 पोल लगाकर 1740 मी0 तार, 1330 मी0 केबिल ए0बी0सी0 डालकर एक नग 100 के0वी0ए0 परिवर्तक स्थापित कर ग्राम के विद्युतीकरण का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य माह नवम्बर, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–इलाहाबाद के विकास खण्ड करछना की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

176–श्री दीपक पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद के विकास खण्ड करछना के साधुकुटी चौराहा से जारी तक का मार्ग अत्यन्त जर्जर/क्षतिग्रस्त है, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का सुदृढ़ीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। यातायात चालू है।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–पीलीभीत के नोवेल शुगर इकाई बरखेड़ा द्वारा गन्ना कृषकों को समर्थन मूल्य दिलाने की मांग

177–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य का भुगतान नोवेल शुगर इकाई वरखेड़ाकला द्वारा नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार घोषित समर्थन मूल्य गन्ना कृषकों को दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद पीलीभीत में स्थित नोवेल शुगर इकाई–बरखेड़ा कला एक खाण्डसारी इकाई है। खाण्डसारी इकाइयों पर राज्य सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य लागू नहीं होता है।

जनपद–फैजाबाद के विकास खण्ड मिल्कीपुर में घोषणा के अनुरूप मार्गों एवं पुलों के निर्माण की मांग

178–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर अन्तर्गत दिनांक 21–01–2015 को भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सड़कों एवं पुलों के निर्माण की घोषणा की गयी है ? यदि हां, तो घोषणा में शामिल मार्गों एवं पुलों का निर्माण किये जाने हेतु धन आवंटन कर कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में दिनांक 21–01–2015 को नहीं अपितु दिनांक 18–01–2015 को सड़कों एवं पुलों के निर्माण की घोषणा की गयी है।

घोषणा में कुल 13 कार्य सम्मिलित थे जिनमें से 05 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत हो चुकी है। इन कार्यों को प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही प्रगति में है। शेष 08 कार्यों में 7 कार्यों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन एवं 01 कार्य हेतु भूमि उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती बीमारियों के अनुरूप चिकित्सकों की तैनाती की मांग

179–श्री सुरेश राणा–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बढ़ती बीमारियों को देखते हुए सभी चिकित्सालयों में मानक के अनुसार डाक्टरों की तैनाती की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानक के अनुसार प्रदेश भर के चिकित्सालयों में डाक्टरों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं। प्रदेश भर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बढ़ती बीमारियों को देखते हुए सभी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर तैनाती की गयी है।

मानक के अनुसार रिक्त पदों के सापेक्ष चिकित्सा अधिकारियों के चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है। चयनोपरान्त तैनाती की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद–फैजाबाद की नहर शाखा की सिल्ट सफाई हेतु कमेटी के गठन सम्बन्धी जानकारी

180–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद नहर शाखा एवं सुल्तानपुर नहर शाखा की सिल्ट सफाई से निकली सिल्ट नीलामी हेतु जनपद स्तर पर किसी कमेटी का गठन किया गया है ? यदि हां, तो नीलामी से कुल कितनी धनराशि की प्राप्ति हुई ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्राप्त धनराशि को राजस्व की भांति राजकीय कोष में जमा कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

181–श्री रामचन्द्र यादव–

खदिनांक 18–08–2015 को अता0प्र0सं0–160 द्वारा उत्तरित,

जनपद–हाथरस के लोअर मांट ब्रांच की कतिपय रजवाहों के टेल तक पानी उपलब्ध कराने सम्बन्धी जानकारी

182–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोअर माट ब्रांच से निकलने वाले रजवाह धगेंटा, खंदौली, कुरसण्डा व सैमरा के टेल तक तथा हाथरस ब्रांच से निकलने वाले रजवाह सहपऊ व बहरन के टेल तक अभी तक पानी नहीं पहुंचा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रजवाहों के टेल तक पानी उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

राजवाह धगेंटा, खंदौली, कुरसण्डा, सैमरा, सहपऊ व बरहन माट ब्रांच/हाथरस ब्रांच के टेल पर स्थित है। राजवाह धगेंटा एवं सैमरा माइनर की टेल फीड कर दी गई है तथा राजवाह खंदौली, कुरसन्डा एवं राजवाह सहपऊ व बरहन की टेल शीघ्र फीड करा दी जायेगी।

जी हां।

माट ब्रांच एवं हाथरस ब्रांच में लगातार वांछित जल उपलब्धता होने के फलस्वरूप माह अगस्त, 2015 के अन्त तक पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–हाथरस के मांट ब्रांच की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में जानकारी

183–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मांट ब्रांच की क्षमता वृद्धि के लिए सरकार द्वारा 31 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो इस कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त पहले से परिकल्पित मांट ब्रांच की क्षमता में कितने क्यूसेक पानी की वृद्धि होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मांट ब्रांच की क्षमता वृद्धि हेतु परियोजना तैयार नहीं की गई है बल्कि मांट फीडर के किमी0 0.00 से किमी0 17.200 की क्षमता वृद्धि एवं मांट ब्रांच के किमी0 0.00 से किमी0 52.800, किमी0 53.000 से किमी0 128.800 तक की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना (कुल लागत रु0 3063.92 लाख) स्वीकृत की गयी है।

परियोजनाओं मे प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त पहले से परिकल्पित मांट ब्रांच की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होगी, अपितु परिकल्पित क्षमता में हुये ह्रास को पुनर्स्थापित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण हेतु योजना

184–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण हेतु दो से अधिक बच्चे पैदा करने वालों पर दण्ड का प्राविधान सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम एक स्वैच्छिक व लक्ष्य मुक्त कार्यक्रम है। किसी व्यक्ति पर बल पूर्वक, भय दिखाकर या प्रलोभन के द्वारा परिवार नियोजन की किसी विधि को अपनाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन की विधियों को अपनाने के लिए दम्पतियों को प्रेरित किया जाता है।

जनपद–फिरोजाबाद में मजदूरों हेतु आवासीय योजना के निर्माण सम्बन्धी जानकारी

185–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में बहुत बड़ी संख्या में मेहनतकश मजदूर नागरिकों को निजी/अवैध छोटी–छोटी कालोनियों में अवस्थापना सुविधाओं से रहित नारकीय स्थिति में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मेहनतकश मजदूर नागरिकों के लिए अवस्थापना सुविधाओं से युक्त एक बड़ी आवासीय योजना के निर्माण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद के पास लैण्ड बैंक न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा कोई आवासीय योजना विकसित नहीं की जा सकी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–आगरा के सिकन्दरा क्षेत्र के कतिपय ऐरिया में सड़क एवं नाली के निर्माण की मांग

186–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के सिकन्दरा क्षेत्र में विश्वकर्मा एन्क्लेव शास्त्रीपुरम् विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत कालोनी की सड़क एवं नाली जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

विश्वकर्मा इन्क्लेव कालोनी निजी विकासकर्ता द्वारा विकसित कालोनी है। जिसके आन्तरिक विकास एवं अनुरक्षण का दायित्व विकासकर्ता/अनुरक्षणकर्ता का है।

उक्त कालोनी में विटुमिनस रोड एवं नाली निर्मित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बांदा की तहसील नरैनी के अनेकों ग्राम पचोखर पुरवा के क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराने की मांग

187–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील नरैनी में ग्राम पचोखर–बालगोविन्द का पुरवा, बद्री का पुरवा, गरीबदास का पुरवा एवं पल्टू का पुरवा के मार्ग कच्चे एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों का आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्न में वर्णित ग्राम पचोखर, पूर्व से लेपित मार्ग से संतृप्त हैं तथा इससे सम्बन्धित बालगोविन्द का पुरवा, बद्री का पुरवा, गरीबदास का पुरवा एवं पल्टू का पुरवा को लेपित मार्ग से जोड़ा जाना लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–बांदा की तहसील नरैनी

188–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील नरैनी में ग्राम–मोतियारी का पुरवा–पिपरहरी मार्ग कच्चा एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण

लोगों का आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत ग्राम मोतियारी का पुरवा एवं पिपरहरी दोनों लेपित मार्गों से जुड़े हैं। इन ग्रामों को आपस में जोड़ा जाना लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–कासगंज के कतिपय ग्रामों की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

189–श्री ममतेश शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कासगंज अन्तर्गत ग्राम मानपुर नगरिया न्योली से नयासुर तक की सड़क, जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित है, के अन्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण जनता को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–रामपुर के विकास खण्ड सैदनगर के कतिपय ग्राम की सड़कों का पुनः निर्माण कराने की मांग

190–श्री अली यूसुफ अली–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र जनपद–रामपुर के विकास खण्ड सैदनगर के ग्राम झुरकझण्डी, खुशहालपुर चौराहे से ग्राम धीरज नगर तक 10 वर्ष पहले सड़क का निर्माण हुआ था, जो वर्तमान में बुरी तरह जर्जर हो चुकी है तथा आवागमन भी बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

क्षत्रिग्रस्त मार्ग का पुनः निर्माण पूर्व में कराया जा चुका है। मार्ग की दशा संतोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–इलाहाबाद की तहसील फाफामऊ के सोरांव के कतिपय क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराने की मांग

191–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के फाफामऊ की तहसील सोरांव के अन्तर्गत नेवादा चौराहा से ग्राम बर्दनी होते हुए गोविन्दपुर चांदनी चौक तक (ल0 लगभग 2 कि0मी0) की सड़क क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। यातायात चालू है।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अभापुर के विकास खण्ड–सिड़पुडा के ग्रामों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

192–श्री ममतेश शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अभापुर के विकास खण्ड–सिड़पुड़ा अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों, नगला राजन, मिचकुरी, नगला देसी, नादर मई के मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम मिचकुरी व नादरमई के लेपित मार्ग आंशिक क्षतिग्रस्त है तथा ग्राम नगला राजन व नगला देसी के मार्ग वर्तमान में कच्चे हैं।

प्रश्नगत मार्गों के निर्माण/मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–मथुरा के ग्राम पंचायत दौलतपुर की कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध–कब्जा सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

193–श्री पूरन प्रकाश–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री के आदेश सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0–10597157/2015, दिनांक 25–03–2015

जो विकास खण्ड फरह जनपद मथुरा के ग्राम पंचायत दौलतपुर जनपद मथुरा के अन्तर्गत श्री मुरारी लाल शर्मा नगर पंचायत अध्यक्ष फरह के द्वारा कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा कर उस पर अवैध खड़न्जा निर्माण कराये जाने सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जिलाधिकारी मथुरा से प्राप्त आख्यानुसार उक्त शिकायती पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर मथुरा से जांच करायी गयी। जांच आख्या के अनुसार ब्लाक फरह के ग्राम पंचायत दौलतपुर के खसरा संख्या–1019 रकबा 0.040 हे0 श्री रविन्द्रनाथ पुत्र श्री परषोत्तम दास निवासी फरह के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। खसरा संख्या–1020 एन0जेड0ए0 रकबा 0.070 हे0 सड़क डींग दर्ज कागजात है तथा खसरा संख्या 1021 रकबा 0.028 हे0 खतौनी खाता संख्या–514 पर बंजर के रूप में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बरों पर कब्रिस्तान दर्ज नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ख2ण्22, कार्य–सूची के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या–4 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न नं0–4 का उत्तर मा0 राजस्व मंत्री जी बड़े सही ढंग से दे रहे थे। मा0 नेता, भारतीय जनता पार्टी ने अनुपूरक प्रश्न पूछा और आपके माध्यम से जहां तक हमको मालूम है कि श्रीमन्, दूसरे सदन का संज्ञान इस सदन में नहीं लिया जा सकता। मा0 राजस्व मंत्री जी ने कैजुअलटी की संख्या बताई और मा0 नेता, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को गलत रास्ते में डालने के लिये क्योंकि इनकी तो आदत है, इन्होंने विधान परिषद् में क्या कहा गया, इसका संज्ञान लिया जो कि गलत है। श्रीमन्, हमारी सरकार द्वारा, जैसा कि मा0 मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में जितनी भी दैवीय आपदा से कैजुअलटी हुई उसमें 12–12 लाख रुपया दिया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किसानों की सिंचाई मुफ्त की, 50 हजार रुपये कर्जा जो भूमि विकास बैंक का था उसको माफ किया और केन्द्र सरकार ने पैसा नहीं दिया।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

ये आप लोग क्या हाथ उठा रहे हैं, बैठिये। आज ये लोग क्या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ? मा0 मंत्री जी, आप क्या व्यवस्था चाहते हैं, बतायें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न का सही उत्तर देने के बावजूद, जबकि भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र की सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया, ये इस तथ्य को छिपा करके यहां गलत उदाहरण को देकर बाहर जाकर के प्रेस में बताते

हैं, यह निन्दनीय है। हमारी सरकार ने किसानों के मामले में सबसे मजबूत कदम उठाया है। हमारी सरकार ने सिंचाई को माफ किया, कर्जा माफ किया और दैवीय आपदा में पूरा पैसा दिया है।

(सदस्य श्री कमाल यूसुफ मलिक द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

हां, कमाल साहब, आपका क्या है ? अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, अब बैठिये।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्यगण, आप लोग बैठिये। अब नियम–301 लेने दो न।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, नाम लेकर आपने कहा हमें इसलिए माननीय अध्यक्ष जी हमारा अधिकार बनता है। मान्यवर, हमको उत्तर देने दिया जाए। मान्यवर, यह सही है कि दूसरे सदन की बात को यहां नहीं लाना चाहिए लेकिन अगर कोई संख्या में त्रुटि हो। हमने मृतक की संख्या में त्रुटि का आंकड़ा सदन में प्रस्तुत किया है और हम चुनौती के साथ कहते हैं मान्यवर, जो संख्या विधान परिषद् में बताई गई वह दो अलग–अलग जनपदों में मिलाकर 233 होती है और इस सदन में 93 संख्या बतायी गई है। मान्यवर, यह एक ही विभाग के द्वारा दो जगह अलग–अलग उत्तर आये हैं, एक ही विषय के सम्बन्ध में हैं ये उत्तर। ये अपने आपमें दुर्भाग्यपूर्ण भी है और मान्यवर, असत्य भी है और उसके ऊपर से माननीय मंत्री जी गलत तरीके से विधान सभा का समय भी खराब कर रहे हैं और गलत तरीके से आरोप भी लगा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि दोनों सदनों की समिति बना दी जाए मान्यवर। दोनों सदनों की समिति बना दें और यह जांच कर लें। ये जांच कर लें माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इन्होंने नाम लेकर कहा है।

श्री अध्यक्ष–

कहा होगा, अब आप बैठे। मैं उनको बता रहा हूं कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और आपको भी बता रहा हूं कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

ख्ा2ण्24, माननीय सदस्य द्वारा अपनी सुरक्षा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कमाल युसूफ मलिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप मेरे संरक्षक है 24 तारीख को डुमरियागंज ब्लॉक में तमाम लोग अपने वोटरों को ठीक करने के लिए जुटे हुए थे।

मेरे साथ वहां के कुछ शरारती तत्वों ने झगड़ा किया और मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कई बार कहा कि मेरी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया कि मैं आपकी सुरक्षा बढ़वाऊंगा। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि मेरी सुरक्षा में आप इजाफा कर दें।

ख12ण्25, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 26.08.2015 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 53 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें 15 सूचनायें स्वीकार की गई हैः–

पहली सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी की जनपद बहराइच के कतिपय ग्रामों में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री रविन्द्र भड़ाना जी की विधान सभा क्षेत्र मेरठ दक्षिण के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत/चौड़ीकरण व पुनः निर्माण/नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री नीरज 'कुशवाहा' मौर्य की जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद की ग्राम सभा अशरफपुर मिधौल से ग्राम मड़हा, छोटी, मिधौल, बड़ी मिधौल के मध्य सेंडा नाले पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री नीरज 'कुशवाहा' मौर्य–

मान्यवर, मैं अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

(माननीय सदस्य द्वारा अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़ी गई)

चौथी सूचना श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर सदन में अनुपस्थित)

पांचवी सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर सदन में अनुपस्थित)

छठी सूचना श्री हाजी मुसर्रत अली बिट्टन (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर सदन में अनुपस्थित)

सातवीं सूचना श्री गयाचरण दिनकर जी की जनपद बांदा के राजस्व ग्राम बबेरू देहात की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री नूर सलीम राणा जी की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री उपेन्द्र तिवारी (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर सदन में अनुपस्थित)।

10 वीं सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद रायबरेली अन्तर्गत डलमऊ लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है 11 वीं सूचना श्री अयोध्या प्रसाद पाल की जनपद फतेहपुर के खनिज कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है 12 वीं सूचना श्रीमती उमाकांती की जनपद जालौन में विगत 18 वर्षों से पदस्थापित प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी का स्थानांतरण कराये जाने के सम्बन्ध में है 13 वीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत बाढ़ सागर परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है 14वीं सूचना श्री रमेश चन्द्र दुबे की जनपद सोनभद्र के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है 15 वीं सूचना जनपद गाजियाबाद अन्तर्गत साहिबाबाद में पेयजल हेतु गंगा वाटर की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है। चार माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं उनके स्थान पर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री सुभाष पासी, श्री सुरेश कुमार खन्ना की सूचनायें ली जाती हैं। सभी स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

(सदस्य की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी)

जनपद बहराइच के कतिपय ग्रामों में व्याप्त विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

ख्महोदय,

ग्राम नासिरगंज उत्तरपुरवा ब्लाक जरवर जनपद बहराइच में लगभग 7 वर्ष पूर्व राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत खम्भे लगाये गये थे लेकिन खम्भों पर तार आज तक नहीं लगाये गये हैं। जिससे गांव के निवासी विद्युत की सुविधा से वंचित हैं। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा विभाग से पूरा पैसा ले लिया गया है परन्तु तार अभी तक नहीं लगाये जाने से गांव के निवासियों में आक्रोश है। जनहित में तार खींच कर विद्युत आपूर्ति किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रकरण जांच कराकर दोषी ठेकेदार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करके विद्युत तार खींचकर विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

विधान सभा क्षेत्र मेरठ दक्षिण के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत/चौड़ीकरण व पुनः निर्माण/नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविन्द्र भड़ाना–

ख्मान्यवर,

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मेरठ दक्षिण में जुर्रानपुर फाटक से तरहाड़ा होकर हापुड़, गगोल तीर्थ से चांदसारा सुलेमपुर होकर हापुड़ रोड को मिलाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग का चौड़ीकरण कर पुनः निर्माण, नरहाड़ा से जाहिदपुर मार्ग, चांदसारा से खेड़ा मार्ग का नव निर्माण कार्य, ग्राम उपलैहड़ा से महरौली के सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य, परतापुर से महरौली मार्ग, कश्यप बस्ती के मार्ग का नव निर्माण कार्य, ग्राम गगोल का बाई पास का नव निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। उक्त मार्गों के क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है साथ ही दुर्घटनायें भी होती रहती हैं। जनहित में उक्त मार्गों का नवनिर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों का नवनिर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद की ग्राम सभा अशरफपुर मिधौल से ग्राम मड़हा, छोटी मिधौल, बड़ी मिधौल के मध्य सेंडा नाले पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नीरज 'कुशवाहा' मौर्य–

महोदय,

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद की ग्राम सभा अशरफपुर मिधौल से ग्राम मड़हा, छोटी मिधौल, बड़ी मिधौल के मध्य सेंडा नाले पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। उक्त नाले में इससे पहले एक जीर्ण–शीर्ण पुलिया थी, जो कि बरसात के कारण बह गई है। इससे स्थानीय निवासियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त नाले पर पुलिया न होने के कारण कई बार दुर्घटनायें भी हो चुकी हैं।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व पर स्थानीय निवासियों की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुये प्राथमिकता के आधार पर नाले पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराये जाने, शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

जनपद बांदा के राजस्व ग्राम बबेरू देहात की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गयाचरण दिनकर–

ख्महोदय,

सादर संज्ञान में लाना है कि राजस्व ग्राम बबेरू देहात, तह0–बबेरू, जिला–बांदा में स्थित करोड़ों रुपये कीमती सार्वजनिक उपयोग हेतु (तालाब, भीटा व नवीन परती आदि) की आरक्षित भूमि गा0सं0–1929 व गा0सं0–1930ग व गा0सं0–1930क, रकबा–0.3760 हे0 व गा0सं0–1928 भूमि को भू–माफिया शिवरोमण सिंह पुत्र सुन्दर द्वारा दौरान चकबन्दी तथाकथित चकबन्दी अधिकारी (अन्तिम अभिलेख) बांदा से दुरभि सन्धि करके मुकदमा सं0–1406/1575 धारा–9क(2) चकबन्दी अधिनियम शिवरोमण सिंह बनाम गांव

सभा आदि में दिनांक 11–01–90 को संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कराने का विधि विरुद्ध आदेश पारित करा लिया गया जिसे मौका पाकर दिनांक 02–02–2005 को शिवरोमण सिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमि (श्रेणी–1) के रूप में अमल दरामद करा लिया गया। चकबन्दी पूर्व उपरोक्त भूमि के नम्बर गा0सं0–1641, 1642 व 1643 थे जो बन्दोबस्त अन्तिम अभिलेख खसरा सन् 1359 फसली में क्रमशः भीटा, तालाब एवं नवीन परती गांव सभा में दर्ज थे परन्तु भू–माफिया ने खसरा सन् 1359 फसली से खसरा के कालम नं0–21 में वास्तविक प्रविष्टि विलोपित कर दूसरी विभिन्न लिपि में ठा0 शिवरोमण सिंह पुत्र सुन्दर अंकित कर फर्जी प्रविष्टि बनायी गयी। मौके पर आज भी तालाब व भीटा एवं नवीन परती मौजूद है। मा0 उच्च न्या0 इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं0–38910/2003 इकबाल अहमद बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 02–02–2005 व 06–03–2009 व मा0 उच्चतम न्या0 द्वारा सिविल अपील सं0–47087/2001 हिंगलाल तिवारी बनाम कमलादेवी आदि में पारित आदेश दिनांक 25–07–2001 एवं तत्क्रम में शासनादेश/परिषदादेश के आधार पर उपरोक्त भूमि को 1952 के पूर्व की स्थिति में कायम व अंकित होनी चाहिये थी किन्तु उप जिलाधिकारी, बबेरू द्वारा जिलाधिकारी, बांदा को साक्ष्यों सहित स्पष्ट आख्या दिनांक 10–02–2009 को प्रेषित किये जाने के बाद भी फर्जी, जाली व कूटरचित तथाकथित आदेश दिनांक 11–01–90 को निरस्त कर उपरोक्त भूमि को पूर्वत स्थिति में इन्द्राज नहीं किया गया है। भू–माफिया उपरोक्त भूमि की स्थिति व स्वरूप को मुकामी प्रशासन से मिलकर कर रहा है जिससे अप्रिय घटना होने की प्रबल सम्भावना एवं आम जनता के सार्वजनिक उपयोग में भीषण संकट उत्पन्न हो गया है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले में जालसाजी कूटरचना व धोखाधड़ी के लिये दोषी गिरोह के विरुद्ध समयबद्ध कार्रवाई किये जाने व उपरोक्त भूमि को भू–माफिया से अवमुक्त कराये जाने के आदेश उ0प्र0 सरकार को देने की कृपा करें।,

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के कतिपय सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नूर सलीम राणा–

ख्महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत में कई महत्वपूर्ण सड़क सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में बड़े–बड़े गढ्ढे होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती है। जिससे लोगों को आने जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जो निम्नवत है –

1–चरथावन से कुटेसरा तक।

2–कुटेसरा से पावटी तक।

नोटः–ख, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3–कुटेसरा से कसौली तक।

4–मेन रोहाना रोड से निर्धना सरकारी स्कूल तक।

5–ग्राम सीवली से नया गांव मीरापुर तक।

6–ग्राम सिवली से लछेड़ा तक।

7–ग्राम सिवली से नया गांव मीरापुर रजवाहे की पटरी तक।

8–मेन बाई पास रोड से ग्राम सीवली तक।

9–मेन बाई पास रोड से नयागांव मीरापुर तक।

10–मेन जानसठ रोड से ग्राम खेड़ी बीरान तक।

11–ग्राम खेड़ी बीरान से ग्राम बीहारी तक।

12–ग्राम सधावली से ग्राम नरा तक।

13–नेशनल हाइवे 58 से ग्राम जड़ौदा तक।

14–नेशनल हाइवे 58 से ग्राम नरा तक।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त जर्जर सड़क का मरम्मतीकरण/निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद रायबरेली अन्तर्गत डलमऊ लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

ख्महोदय,

मैं माननीय सदन का ध्यान डलमऊ बी लिफ्ट सिंचाई की महत्वपूर्ण व लोकप्रिय परियोजना की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो शारदा नहर खण्ड उन्नाव द्वारा सेवित है। इस योजना में 60 क्यूसेक के 500 अश्वशक्ति चालित 7 लिफ्ट पम्प लगे है। गंगा जी में लकड़ी के बार्ज के स्थान पर सरकार ने ब्ब का पक्का निर्माण कराने का निश्चय किया था ताकि सरेनी विधान सभा के पश्चिमी भाग जो डार्क एरिया घोषित है के किसानों को निर्बाधित एवं सुचारू रूप से नहरों में पानी उपलब्ध हो सके। पूर्व में रु0 3 करोड़ एवं 2015–15 में रु0 13.73 करोड़ कार्यदायी संस्था न्च्च्ब्र को निर्गत किया गया परन्तु विभागीय मतभेद के कारण चेकों तक का भुगतान रूका रहता है। ज्ञातव्य हो कि तीन वर्षों से चालू कार्य का 20 प्रतिशत भी नहीं हो पाया है। उपरोक्त डलमऊ बी लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा खजूरगांव रजवहा बेहटा माइनर सरेनी माइनर आदि सेवित है एवं एक मात्र किसानों की जीवनरेखा है। परन्तु नहरों में जलाभाव के कारण किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है।

नोटः–ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय पर माननीय सदन से अनुनय विनय करता हूं कि शीघ्र ही नहरों में जलापूर्ति हेतु न्च्ब्स् को तत्काल निर्देशित करने की कृपा करें। ताकि 3 वर्षों का लम्बित कार्य अतिशीघ्र पूर्ण हो सके।,

जनपद फतेहपुर के खनिज कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

ख्महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद फतेहपुर में खनन अधिकारी ए0के0 सेन व खनिज बाबू प्रदीप द्वारा जानबूझकर अवैध परितोषिक लेने के वजह से गलत नापकर भण्डारण स्थलों पर पड़ी मोरम को नोटिस पर दर्शाया गया है जो कि काननून अपराध है। दिनांक 6–7–2015 को पत्रांक सं0 405/30 खनिज में 12 स्थानों अवैध भण्डारण के सम्बन्ध में गलत नाप लिखकर नोटिस विज्ञाप्त नीलामी हेतु निकाली गयी थी। नाप गलत होने के वजह से कोई नीलामी लेने नहीं आया था। उसके बाद दूसरी विज्ञप्ति पत्रांक सं0 479/30 खनिज दिनांक 10–8–2015 को निकाली गयी है। जो सरासर अवैध मनमानी ढंग से पुनः नापकर गलत दर्शायी गयी है। क्योंकि 12 भण्डारण स्थलों की जगह केवल 8 भण्डारण स्थल ही नोटिस में दर्शाये गये है। शेष 4 भण्डारण स्थल दिखाये ही नहीं गयी है। प्रथम नीलामी विज्ञप्ति में पत्रांक सं0 405/30 खनिज में भण्डारणों का आरक्षित मूल्य 2,48,87,240 रु0 (दो करोड़ अड़तालिस लाख सत्तासी हजार दो सौ चालीस मात्र) दूसरी विज्ञप्ति पत्रांक सं0 479/30 खनिज में मोरम भण्डारण केवल 58,82,071 रु0 रह गयी है। आखिर 1,90,05,169 रुपया (एक करोड़ नब्बे लाख पांच हजार एक सौ उनहत्तर रुपये) को मोरम कहां चली गयी। जबरजस्त घपलेबाजी खनन अधिकारी व खनन बाबू द्वारा की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय ठेकेदारों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद जालौन में विगत 18 वर्षों से पदास्थापित प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती उमाकान्ती–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद जालौन जिले की ओर आकृष्ट करना चाह रही हूं। मान्यवर, डा0 आसा राम, (मूल निवासी समीपस्थ जनपद झांसी) प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी जालौन स्थान उरई में विगत लगभग 18 वर्षों से

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पदास्थापित है एवं वर्तमान में विगत कई वर्षों से प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी जालौन के पद पर कार्यरत हैं।

मान्यवर, उल्लेखनीय है कि डा0 आसाराम के विरुद्ध मेरे संज्ञान में कतिपय जघन्य अनियमितताओं के बिन्दु लाये गये हैं जिनको मैं आपको इस माननीय सदन के माध्यम से अवगत कराना चाह रही हूं।

मान्यवर, डा0 आसाम जनपद जालौन के समस्त सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 में कार्यरत डाक्टरों एवं कर्मचारियों से माहवारी पैसा लेते हैं, जिससे उक्त अस्पतालों में कार्यरत डाक्टर एवं कर्मचारी अपनी ड्यूटी से गायब रहते हैं। डाक्टरों के अस्पतालों में न रहने से जनपद की जनता को परेशान होकर मरीज को कार से झांसी या कानपुर ले जाना पड़ता है जिससे गम्भीर प्रकृति के मरीज समय से दवाई के अभाव में रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं।

मान्यवर, दिनांक 05–08–2015 को उरई इमरजेन्सी अस्पताल में भर्ती मरीज को किसी डाक्टर के द्वारा इलाज अस्पताल में ही दुखद मृत्यु हो गयी। निधन के बाद परिवार वालों के कहने सुनने पर डा0 आसाराम, प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी जालौन के द्वारा उकसाकर जनपद जालौन के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पताल, महिला अस्पतालों के डाक्टरों व चिकित्सा कर्मियों को दिनांक 06–08–15 से दिनांक 07–08–15 तक हड़ताल पर भेज दिया है एवं महिला अस्पताल, उरई जनपद जालौन में दिनांक 05–08–2015 की रात्रि से ताला डलवा दिया है जिससे जनपद की जनता त्राहि–त्राहि कर उठी है। मान्यवर, इमरजेन्सी में भर्ती मरीज का जब इलाज नहीं हो सका तो सामान्यतया अस्पताल में भर्ती मरीजों की स्थिति एवं उनके इलाज का अन्दाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

मान्यवर, डा0 आसाराम, प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी उरई, जनपद जालौन के द्वारा जनपद के विभिन्न अस्पतालों के सापेक्ष विभिन्न पदों यथा ए0एन0एम0, वार्ड व्याय तथा अन्य पदों के लिए संविदा कर्मी के रूप में लगभग 100 संविदा कर्मियों के पदों पर मनमाने तरीके से प्रत्येक पद के सापेक्ष रु0 2.00 लाख से लेकर 8.00 लाख तक की धनराशि रिश्वत के रूप में लिये जाने की जनपद में आम चर्चा है। मेरी प्रबल संस्तुति है कि उक्त भर्तियों को निरस्त करते हुये उच्च स्तरीय सतर्कता जांच जनहित में अति आवश्यक है।

मान्यवर, डा0 आसाराम, प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी उरई, जनपद जालौन के द्वारा जनपद के विभिन्न अस्पतालों के सापेक्ष शासन से निर्गत की जाने वाली दवाईयों को जनपद के विभिन्न अस्पतालों में न भेजकर सीधे उनको बाजार में बिकवा देते हैं और उनके स्थान पर नान रजिस्टर्ड फर्मों से कमीशन के रूप में प्राप्त दवाइयों को अस्पतालों को भेजते हैं। मान्यवर, यह अति गम्भीर जनहित का विषय है। अतएव इनके कार्यकाल

की दवाइयों के बारे में सतर्कता विभाग से जांच तथा प्राप्त दवाइयों का विभिन्न अस्पतालों में भौतिक सत्यापन विशेषज्ञ टीम से कराया जाना अति आवश्यक है।

मान्यवर, डा0 आसाराम के द्वारा सी0टी0 स्केन एवं अन्य जांचों एवं आपरेशन के लिए मरीजों से मोटी रकम की मांग की जाती है। मान्यवर, गरीब मरीज यदि पैसा नहीं दे पाते हैं तो जांच एवं आपरेशन से मना कर दिया जाता है।

मान्यवर, उक्त गम्भीर विषय पर मैं डा0 आसाराम, प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी जालौन, स्थान उरई को लगभग 18 वर्षों से पदास्थापित होने के कारण तत्काल जनपद से दूरस्थ स्थानान्तरित कराने हेतु एवं उक्त गम्भीर अनियमितताओं के लिए सतर्कता विभाग से जांच कार्यवाही कर समुचित कठोर कार्रवाई किये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करती हूं।,

जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत बाढ़ सागर परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र बिन्द–

ख्मान्यवर,

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत बाढ़ सागर परियोजना का कार्य काफी समय से चल रहा है, जिसके माध्यम से क्षेत्र में स्थित लोवर खजुरी बंधी, टण्डा फाल, विरोहिया पिकअप वीयर एवं जलाशय आदि छोटे बड़े जलाशयों में पानी जाता है, जिससे क्षेत्रीय कृषि भूमि की सिंचाई होती है और क्षेत्रीय किसान सिंचाई हेतु उन्हीं जलाशयों पर ही निर्भर हैं, परन्तु बाढ़ सागर परियोजना का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण वर्तमान समय में उक्त सभी जलाशयों में पानी नहीं जा रहा है, सभी जलाशय सूखने की कगार पर हैं उनमें पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण किसान अपनी खेतीहर भूमि की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष 2013 में मा0 सिंचाई मंत्री जी ने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान बाढ़ सागर परियोजना का कार्य छः माह के अन्दर पूर्ण सभी जलाशयों में पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश भी दिये थी, परन्तु कई वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त मा0 मंत्री जी के आदेशों का अनुपालन नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से जनहित में बाढ सागर परियोजना का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुए क्षेत्रीय जलाशयों में यथाशीघ्र पानी उपलब्ध कराये जाने की भी मांग करता हूं।,

जनपद सोनभद्र के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री रमेश चन्द्र दुबे–

ख्महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, घोरावल, जनपद सोनभद्र में निम्नलिखित सड़कों का नव–निर्माण/पुर्ननिर्माण जनहित में अति–आवश्यक है। इस सड़कों का निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को मुख्य सड़क पर आने जाने में अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिन में तो स्थिति और विकट हो जाती है। नव–निर्माण/पुर्ननिर्माण हेतु सड़कों का विवरण है :–

1–आर0जी0 रोड, खुटहां बजरंग पेट्रोल पम्प से तहसील तक सड़क निर्माण, 2–खुटहां बाई पास से घोरावल बाजार मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण, 3–विसुन्धरी–जुड़ीया बाई पास से मुक्खा मोड़ तक सड़क निर्माण, 4–आर0जी0 रोड से कमोजी मुठेर मार्ग तक सड़क निर्माण, 5–आर0जी0 रोड मुगेहरी माइनर से खाख तक सड़क निर्माण, 6–पाण्डेय पोखर यादव बस्ती से हरिजन बस्ती तक सड़क निर्माण, 7–आर0जी0 रोड मुड़िलाडीह से धोवा रोड तक–गांव के अन्दर होते हुए सम्पर्क मार्ग का निर्माण–पुलिया/रपटा सहित, 8–आर0जी0 रोड मुरूपरासी से रघुनाथपुर सम्पर्क मार्ग, 9–एल0डी0 मार्ग से कसयां खुर्द होते हुए जमसोकर तक सम्पर्क मार्ग, 10–मीरजापुर रोड से भरूहां तक सम्पर्क मार्ग, 11–शाहगंज से भुड़कुड़ा होते हुए बरसोत तक सम्पर्क मार्ग, 12–सरौली से बबुराही के बीच अतरौलिया सम्पर्क मार्ग, 13–पनौली से चोरट जैमोहरा विद्यालय तक सम्पर्क मार्ग, 14–बरवां से मिश्री मार्ग तक सम्पर्क मार्ग, 15–बी0एस0 मार्ग पी0एन0बी0 छपका से पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड तक सम्पर्क मार्ग, 16–बी0एस0 रोड डायट–उरमौरा से बिजपयी गांव तक सम्पर्क मार्ग, 17–आर0जी0 रोड से बरैला होते हुए जमगाई तक संपर्क मार्ग, 18–आर0जी0 रोड कम्हारी से घुर्मा तक सम्पर्क मार्ग, 19–आर0जी0 रोड कम्हारी से बरकरा तक सम्पर्क मार्ग, 20–आर0जी0 रोड कम्हारी से भागलपुर होतु हुए मानपुर रोड तक सम्पर्क मार्ग, 21–राजगढ़ शाहगंज मार्ग–झकाहीं से धोवा होते हुए आर0जी0 रोड कम्हरिया तक सम्पर्क मार्ग, 22–चौहटा विद्यालय से पिपरी तक सम्पर्क मार्ग, 23–ग्राम–केवटा से महुआंव पाण्डेय तक सम्पर्क मार्ग तथा 24–तियरा–शिवदत्त से सिरविट तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

उक्त सभी मार्ग/सम्पर्क मार्गों की स्थिति अत्यन्त खराब है। जनहित में इन सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुर्ननिर्माण अति आवश्यक है। प्रकरण अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सम्पर्क मार्ग का शीघ्र निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद गाजियाबाद अन्तर्गत साहिबाबाद में पेयजल हेतु गंगा वाटर की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरपाल शर्मा–

ख्मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के अन्तर्गत राजेन्द्र नगर, श्याम पार्क, शालीमार गार्डेन, जनकपुरी, लाजपतनगर आदि तमाम ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में गंगा वाटर की आपूर्ति न होने के कारण संक्रामक बीमारियों का प्रकोप हो रहा है।

अतः मैं सदन के माध्यम से गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के अन्तर्गत कतिपय क्षेत्रों में गंगा वाटर आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं।,

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के जन स्वास्थ्य रक्षकों की बहाली कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या–

ख्महोदय,

मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जन स्वास्थ्य रक्षकों की बहाली के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17–11–2006 व उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक सं0–सी0एम0/वि0को0/एम0पी0जी0–10245059–2013 के निर्देश के पश्चात जन स्वास्थ्य रक्षकों की बहाली अभी तक नहीं की गई है। जन स्वास्थ्य रक्षक दर–दर भटक रहे है। उनका पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यरत जन स्वास्थ्य रक्षकों की बहाली कराये जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करायें।,

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में दैवीय आपदा राहत पीड़ितों को सहायता राशि दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

ख्महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर, तहसील–सिकन्दरपुर, जनपद बलिया, जो पिछले रवी के मौसम में दैवी आपदा से सम्पूर्ण तहसील प्रभावित थी। इस तहसील का चयन दैवी आपदा की सूची में स्वीकृत भी है परन्तु अभी तक लगभग 65 ग्रामों में दैवी आपदा राहत चेक का वितरण नहीं किया गया है। लेखपालों की लापरवाही के कारण अभी तक चेक नहीं बनाये गये हैं। इस तहसील सिकन्दरपुर में तहसीलदार की पोस्टिंग नहीं है जिससे कार्य बाधित है व छोटे–छोटे ग्रामों, मजरों का ही चेक अभी तक नहीं दिया गया है। इस भयंकर सूखे से किसान परेशान है। किसानों में बहुत आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि तत्समय जिलाधिकारी

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को आदेशित कर सिकन्दरपुर, जनपद बलिया तहसील में तहसीलदार नियुक्त करके सभी ग्रामों में आपदा पीड़ित किसानों को राहत चेक कैम्प लगाकर बटवाने की कृपा करें।,

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी–

ख्महोदय,

हमारे विधान सभा क्षेत्र 374 सैदपुर जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत बिजली की विकट समस्या बनी हुई है। आये दिन ओवर लोड के कारण ट्रान्सफार्मर जल जाता है तथा तार गर्म होकर टूट जाता है। जिससे कई अप्रिय घटनाएं भी हो चुकी है तथा किसान व उद्योग धन्धा करने वाले क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में 132 के0मी0ए0, 33/11 के0मी0ए0 का नया विद्युत उपकेन्द्र सैदपुर ब्लाक में नुरूद्दीनपुर पम्प कैनान व देवकली ब्लाक में तुरना तथा सैदपुर से सादात सिंगल सर्किट को डबल सर्किट कर दिया जाये।

जिससे विधान सभा सैदपुर जनपद गाजीपुर के जनता को लाभ मिल सके तथा विधान सभा का विकास हो सके।

मान्यवर, इस लोक महत्व के गम्भीर विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुए तत्काल नव निर्माण एवं वक्तव्य दिये जाने हेतु सरकार से पुरजोर मांग करता हूं।,

जनपद शाहजहांपुर में शासनादेश के विपरीत सामुदायिक उपयोग के तालाब, पोखर का आवंटन मत्स्य पालन हेतु किये से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्महोदय,

शासनादेश के अनुसार 0.05 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले तालाब/पोखर सामुदायिक उपयोग हेतु सुरक्षित रहेंगे तथा इसके पट्टे नहीं किये जायेंगे। परन्तु शासनादेश की अवहेलना करके शाहजहांपुर में तहसील जलालाबाद में नौगवां मुबारकपुर के गाटा सं0 890मि0 रकबा 0.186 व 892मि0 रकबा 0.008 कुल 02 किता रकबा 0.194 हे0 अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है, का आवंटन मत्स्य पट्टे के शिविर में किया गया है। नियमानुसार उस श्रेणी के तालाब का पट्टा नहीं किया जा सकता जो 0.200 हे0 से कम हो।

जनहित में पट्टे का निरस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अवैधानिक रूप से इस तालाब का किया गया पट्टा निरस्त करने का कष्ट करें।,

निम्नलिखित सदस्यों की सूचना अस्वीकार की गयीं–

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री सतीश महाना, श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्री सुरेश राणा, श्री आशुतोष टण्डन गोपाल जी, श्री अगयश रामसरन वर्मा, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री गेंदालाल चौधरी, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री सन्तराम कुशवाहा, श्री कालीचरण सुमन, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री सुदेश शर्मा, श्री संजय कपूर, श्री दिलनवाज खान, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री विजय बहादुर यादव, श्री सतीश कुमार निगम, श्री शारदा प्रताप शुक्ला, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री प्रदीप माथुर, मोहम्मद जासमीर अन्सारी, श्री उमेश पाण्डेय, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री पूरन प्रकाश, श्री मनीष असीजा, श्री अनीसुर्रहमान, श्री शमशेर बहादु उर्फ शेरू भईया, श्री रामचन्द्र यादव।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

ख्12.28, औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 26 अगस्त, 2015 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 08 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री सतीश महाना की सरकार द्वारा जारी शासनादेशों के बावजूद भी मा0 सदस्यों के प्रति अधिकारियों द्वारा शिष्ट व्यवहार न किये जाने तथा मा0 मुख्यमंत्री के कार्यालय की प्रगति की जानकारी सदस्यों को उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, नहीं सुनी जायेगी।

नियम–51 एवं नियम–301 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं का जवाब 5 माह बीतने के पश्चात् आज तक न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री राजीव गुम्बर की मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 26–03–2015 को नियम–51 व दिनांक 19–03–2015 को नियम–301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का जवाब 5 माह बीतने के बाद भी आज तक न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मे है। इसमें उत्तर नहीं मिला, आप बतायें।

'श्री राजीव गुम्बर–

दिनांक 26–03–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत सहारनपुर की एक बस जो रेणुकादेवी गयी हुई थी उसके पलटने से 14 यात्रियों की मृत्यु हो गयी थी, उनके आश्रितों को मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में मांग की गयी थी जिसमें से मात्र 2 लोगों को मुअवजा दिया गया बाकी 12 लोगों को मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मेरी सूचना थी और दूसरी नियम–301 के तहत 19–03–2015 को सहारनपुर महानगर में सीवर व्यवस्था ठप पड़ी है।

श्री अध्यक्ष–

यह कैसे बनता है यह बतायें ? आपने सूचना दी इसका उत्तर मिला कि नहीं ?

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजीव गुम्बर–

माननीय अध्यक्ष जी 19–03–2015 को मैने सवाल लगाया था उसका उत्तर एक माह में आना चाहिए था और निमय–51 में 26–03–2015 को मेरे द्वारा सूचना की मांग की गयी थी उसका भी जवाब एक माह में आना चाहिए था परन्तु अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

नियम–301 का पहले एक माह था, उसमें सरकार की तरफ असमर्थता व्यक्त की गयी कि एक माह मे सारी सूचनायें एकत्र करके दे पाना सम्भव नही है इसलिए उसे बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है और आपकी सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है। तीसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की 12 दिसम्बर 2012 को निरसित हो चुके अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के अनौचित्यपूर्ण कार्य के सम्बन्ध में है, नहीं सुनी जायेगी। आप एक्ट में बोलियेगा। उसमें इस बात को रख सकते हैं।

नियम–301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं के सम्बन्ध में निदेश के अन्तर्गत विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

चौथी सूचना श्री अखिलेश प्रताप सिंह की नियम–301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं के सम्बन्ध में निदेश के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसमें आप बतायें।

'श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

सदन सर्वोच्च है प्रदेश की व्यवस्था संचालन में और सदन में यह व्यवस्था सदस्यों को प्रदान की गयी है कि वे जनहित के तमाम प्रश्नों को किन–किन आवश्यकताओं के अनुरूप किन–किन धाराओं में सदन में उठायें। इसी क्रम में एक अधिकार प्राप्त है नियम–301 जिसका आधार बनता है कि विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का हो और हाल मे ही गठित हुआ हो। जब सदन मे इतने गम्भीर विषय पर आपके समक्ष 301 में प्रश्न लगाते हैं तो आप उसकी ग्राहता और गम्भीरता को देखते हुए उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं और एक समय–सीमा के अनुरूप उसको शासन की तरफ से माननीय मंत्री जी द्वारा उसका उत्तर आता है। अभी जो सदन मे इसी सत्र में 02–03 दिन पहले बजट सत्र के दौरान जो 301 की सूचनायें थी जो सदस्यों ने आपसे अनुरोध किया था जिसमें आपने स्वीकृति प्रदान की थी वह सूचनायें थी करीब 386 उन सूचनाओं को जोकि प्रदेश की अत्यन्त महत्वपूर्ण और ज्वलंतशील समस्याओं से संबंधित सूचनायें थी जिसका उत्तर आ जाना चाहिए था और इस अपेक्षा से आप उसे निर्देशित करते हैं परन्तु मान्यवर, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जो आपके ही सदन में उत्तर रखा गया है 386 तीन सौ एक की सूचनाओं में मात्र उनसठ सूचना समय के अधीन इस

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश सरकार के विभागों ने सदन के संबंधित सदस्यों को दिया है। जब मान्यवर, अति अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने में जोकि जनता से जुड़े जनप्रतिनिधियों के प्रश्न होते हैं उनमें यदि इतनी लापरवाही है तो इसी से पूरा सदन अंदाजा लगा सकता है कि जमीनी स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी कितनी गम्भीरता से जनता की समस्याओं को लेते होंगे। मान्यवर, इतना ही नहीं समय से सूचना न देने पर अपेक्षित कार्रवाई का भी प्राविधान है नियमों में। उसमें लिखा गया है कि यथोचित कार्रवाई की जायेगी और उसकी सूचना दी जायेगी। मान्यवर, आपको बताऊं जो आपके सदन के पटल पर रखा गया है 386 में से समय पर सूचना न देने पर मात्र 17 प्रकरणों में ही चेतावनी स्वरूप कार्रवाई की गयी है। इसका भी प्रतिशत आप देख लें। हमारा अनुरोध आपसे है यह बहुत गम्भीर विषय है गम्भीर इसलिए है कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लगाया जाता है जिसकी स्वीकृति आप देते हैं और कुल प्रश्नों का यदि समुचित उत्तर या उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो इससे कितनी ज्यादा दुर्व्यवस्था, प्रशासनिक कमियां, लोगों के क्षेत्र में जनता की तकलीफ क्योंकि यह सब क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े प्रश्न होते हैं। हम आपका ध्यान इस ओर इसलिए आकृष्ट करना चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था आप दें, सख्त व्यवस्था आप दें, माननीय मंत्रियों से अनुरोध करें कि जो प्रश्न जिस मंशा के तहत अधिकार प्रदत्त विधायकों के द्वारा लगाये जाते हैं उसका समयानुकूल कार्रवाई, क्रियान्वयन और उत्तर यह सुनिश्चित हो अन्यथा इन प्रश्नों का महत्व ही क्या रह जायेगा। हम यह चाहते हैं कि यह व्यवस्था आप सख्त से सख्त लागू करें और अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में मौजूद हैं सारा सदन है, वरिष्ठ लोग मौजूद हैं उनकी जानकारी में है इसमें जरूर सरकार कोई गम्भीर कदम उठाये यह हम अपेक्षा करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं इसको दिखवाऊंगा और संसदीय कार्य मंत्री जी से बात करूंगा।

पांचवी सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की उन्नाव की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में राजस्व कर्मियों द्वारा किसानों का अहित एवं उत्पीड़न करने तथा अनुचित लाभ प्रदान करने के संबंध में है यह नहीं सुनी जायेगी। छठीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 19–2–2015 एवं 9–3–2015 तथा 26–3–2015 को नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचना का जवाब 5 माह बीतने के बाद भी आज तक न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है इसको मैं खुद दिखवाऊंगा जो यह कह रहे हैं कि 5 माह हो गये इसका उत्तर नहीं मिला तो मैं इसको देखूंगा। इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। सातवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा माननीय सदस्य को मिलने हेतु समय न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह नहीं सुनी जायेगी।

विधान सभा की समितियों द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के बावजूद प्रकरणों के निस्तारण में समय–सीमा निश्चित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

श्री सुरेश कुमार खन्ना की विधान सभा की समितियों द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के बावजूद प्रकरणों के निस्तारण में समय–सीमा निश्चित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मे है इसमें खन्ना जी क्या कहना है।

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम 300 की सूचना पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आप नियमावली देख लें नियम 200 में समितियों के गठन का प्राविधान है और आप जो व्यवस्था देते हैं सम्पूर्ण सदन चाहे वह दलीय नेताओं के माध्यम से या पूरे सदन के माध्यम से अधिकृत करने का हो तो वह निर्वाचन प्रक्रिया ही मानी जाती है जिसमें हम लोग सदन को इस बात के लिए अधिकृत करते हैं, पीठ को इस बात के लिए अधिकृत करते हैं कि वह अपने हिसाब से इन समितियों का गठन कर दे। आपकी व्यवस्था के अनुसार और नियमों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार समितियों का गठन होता है। समितियों के संचालन के विषय में कुछ दिशा–निर्देश दिये गये हैं कि इन दिशा–निर्देशों का पालन समितियां अपने अपने हिसाब से करेंगी। इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि वर्षानुवर्ष तक लोग एडजर्नमेन्ट सीक कर लेते हैं ओर उसमें कोई निर्धारण की अंतिम समय–सीमा नहीं दी गयी है कि किसी आश्वासन के संबंध में जैसे कोई आश्वासन 1983 में बना या 1985 में बना अब आश्वासन समिति के समक्ष वह लम्बित है और वह लगातार उस सम्बन्ध में एडजर्नमेन्ट सीक हो जाता है उसमें किसी न किसी बात को लेकर विलम्ब होता है। पहले तो इस बात की भी रुचि अधिकारी लोग नहीं रखते हैं कि जल्दी मीटिंग हो जाये। अगर मान लीजिये कि मीटिंग हो भी जाये तो किसी न किसी बात को लेकर एडजर्नमेन्ट सीक होता है और उसमें कार्यवाही आगे के लिए बढ़ जाती है। मान्यवर, इसमें सामान्यतः जो दिशा–निर्देश दिये गये हैं और खास तौर से आश्वासन समिति में भी दिये गये हैं। मैं इसी को कोड करना चाहता हूं कि इसमें तीन महीने से ज्यादा समय दिये जाने की व्यवस्था है। उसके बाद एक दिशा–निर्देश उसी में आगे दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में छह महीने का भी समय दिया जा सकता है। तो तीन–महीने, छह महीने का समय दे दें, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई न कोई एक अंतिम समय सीमा निर्धारित होनी चाहिये कि इस वर्ष का आश्वासन इस पीरियड तक, पॉच साल, सात साल, तीन साल, दो साल की अवधि में निस्तारित कर दिया जाये। लोक लेखा समिति में भी यह व्यवस्था है कि वर्षों के पैरा बने हुये हैं, वर्षों से चले आ रहे हैं, बीस–बीस साल हो गये हैं और पैरा बने चले आ रहे हैं, पर साक्ष्य होता है, लेकिन वह निस्तारित नहीं हो पाते हैं। मेरा आपसे आग्रह यह है कि यह सदन सर्वोच्च है और आपकी पीठ निर्देश देने के लिए सर्वोच्च है, आपको नियमों में परिवर्तन करने के लिए और दिशा–निर्देश देने के लिए पूरा अधिकार प्राप्त है। मान्यवर, अगर इसके लिए चाहें तो निदेश के माध्यम से भी व्यवस्था कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो नियम समिति में जाकर इस संबंध में

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम भी बनाये जा सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह यह है कि वर्षानुवर्ष तक कोई आश्वासन जो माननीय समिति के समक्ष लम्बित हैं, उनके निस्तारण के लिए कोई अंतिम समय सीमा निर्धारित होनी चाहिये कि अंतिम समय सीमा के अन्दर हर हाल में इस आश्वासन का निस्तारण हो जाना चाहिये। इसके लिए उनकी सुविधा भी देखकर और जो संबंधित पक्ष हैं उसकी सुविधा भी देखकर आप इस संबंध में निर्देश दे सकते हैं। मान्यवर, इस प्रकार यह औचित्य का प्रश्न बनता है और इसलिये मैं इस पर आपका निर्देश चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको सुना और इसमें समय सीमा निर्धारित करने अथवा दिशा–निर्देश देने की बात नहीं है। खन्ना जी, इसमें दिक्कत यह होती है कि जब कोई प्रश्न आता है तो वह विचारार्थ आता है और कभी–कभी जैसा कि आप कह रहे हैं कि वर्ष 1982 अथवा वर्ष 1985 का लम्बित चल रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं कोई त्रुटि है, तो इसमें दलीय नेताओं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से विचार–विमर्श करके इसमें कोई राय बनाई जायेगी।

जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा मा0 सदस्य को मिलने हेतु समय न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे दल से माननीय सदस्य श्री अगयश राम सरन वर्मा जी, ने नियम–300 के अन्तर्गत सूचना दी है, कृपया इन्हें सुन लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

'श्री अगयश राम सरन वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–300 के अन्तर्गत जो हमने सूचना दी है, वह अकेले मुझसे ही संबंधित नहीं है, बल्कि सदन के प्रत्येक सदस्य से संबंधित समस्या है। मान्यवर, दिनांक 24 अगस्त, 2015 को समय लगभग 12.00 बजे मैं जिलाधिकारी, पीलीभीत श्री महसूम अली सरवर से भेंट करने हेतु उनके कार्यालय में गया। जहां पर काफी जनता इकट्ठी थी, इस कारण मैंने उनसे कहा कि अधिवक्ता लोग धरने पर बैठे हुये हैं, उनके धरने पर बैठने का कारण यह था कि हमारे जनपद पीलीभीत में तीन तहसीले हैं, पीलीभीत, बीसलपुर और पूरनपुर। 94 राजस्व ग्राम जनपद शाहजहांपुर के जनपद पीलीभीत में जोड़े गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप इस प्रकरण को कैसे नियम–300 के अन्तर्गत उठा रहे हैं। यह प्रोटोकाल का मामला है, यह इसमें कैसे बनता है ?

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बता रहा हूं। एक तहसील हमारे यहां और बढ़नी है, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं कि अमरिया में बने, कुछ लोग कह रहे हैं कि कलीजनगर में बने। अधिवक्ता लोग इस बात के लिए धरने पर बैठे थे कि गुजरौला में तहसील बननी चाहिये। मैंने जिलाधिकारी से कहा कि अधिवक्ता लोग बैठे हैं और मैं धरने को खत्म कराने जा रहा हूं और आप जब मुझे टेलीफोन करेंगे, तभी मैं आ जाऊंगा। मैं गया, धरना मैंने खत्म कराया, मैं धरना स्थल पर बैठा हुआ काफी समय तक इंतजार करता रहा। जिलाधिकारी ने कहा था कि मैं टेलीफोन कर दूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे कोई टेलीफोन नहीं किया। फिर मैनें टेलीफोन किया और अपना गनर भी भेजा, मालूमात करने के लिये, कि देखो जिलाधिकारी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

डा0 साहब और खन्ना साहब इनको समझाइये, यह नियम 300 में कहां से आता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, शासनादेशों में समय–समय पर यह व्यवस्था की गई है कि अधिकारियों को प्रोटोकाल का पालन करना चाहिये। यह एक व्यवहार की बात है। प्रापर रिस्पेक्ट और प्रापर व्यवहार करना चाहिये। यह खुद जाकर वहां कह आये, जिलाधिकारी को इनको बुलाना चाहिये था, जब उन्होंने कहा था कि बुलायेंगे तो इनको बुलाना चाहिये था।

(श्री अगयश रामसरन वर्मा द्वारा पुनः कागज पढ़े जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह रोज ही इस तरह कागज दे देते हैं। ठीक है आप बैठ जाये, मैनें आपका सुन लिया और आपका पढ़ लिया है। अब आप इसको दुबारा मत पढ़िये ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, नियमावली में स्पष्ट व्यवस्था है कि जिस नियम के अन्तर्गत जो बात एक सत्र में उठाई जायेगी, उस सत्र में उसको दोहराने की अनुमति नहीं है। अभी आपने इसी सत्र में 4 दिन पूर्व, माननीय खन्ना साहब भी मौजूद थे, आपने विषय उठाया और आपने भी उठाया और सरकार की ओर से भी इसमें सकारात्मक तौर पर इस बात के निर्देश दिये गये और आपकी पीठ से भी निर्देश दिये गये। यह प्रकरण अभी इसी सत्र में उठा है, अगर यह तीन दिन के भीतर का कोई प्रकरण या कोई नई बात हो तो यह प्रश्न उठता है। यह प्रश्न नियम–300 का नहीं बनता और जब आलरेडी इसका निस्तारण हो चुका है और आपने निर्देश दे दिये हैं तो यह आपको पत्र दे दें, इस पर कार्रवाई हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

इनको मैं बहुत समझाता हूं रोज ऐसे ही लिखकर हमको दे जाते हैं, मैं खुद ही बहुत पीड़ित हो गया हूं। अब आप बैठिये, आपका औचित्य का प्रश्न नहीं बनता। सरकार ने आपकी बात सुन ली, यह बहुत है।

ख्12.45, लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, 2014 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2014 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2011–2012

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2011–2012 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015

(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 अगस्त, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

(2) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 अगस्त, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

(3) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 अगस्त, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2015

---

[४] छापा नहीं गया।

(4) उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2015, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 अगस्त, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

स्टिंग आपरेशन सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण की मद का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–5 में कुछ नहीं है। मद संख्या 6 को स्थगित करता हूं।

ख12.46, नगर पालिकाओं नगर निगमों से सम्बन्धित दोनों सदनों से पारित विधेयक पर महामहिम द्वारा हस्ताक्षर न किये जाने विषयक प्रकरण

(मद संख्या–7 पुकारे जाने पर)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं परिपाटी के बिल्कुल खिलाफ आपकी इजाजत चाहता हूं। एक बिल जो लोक महत्व का था नगर पालिकाओं और नगर निगमों से सम्बन्धित, वह विधान सभा और विधान परिषद् दोनों से पारित हुआ, पास हुआ और महामहिम के पास गया हुआ है। वह सत्र भी चला गया और आज या कल में यह सत्र भी चला जायेगा लेकिन वह बिल वहां से साइन हो करके वापस नहीं आ रहा है। यह जौहर यूनिवर्सिटी का बिल तो है नहीं कि महामहिम दो–दो चले जाएं और उस पर साइन न करें। यह लोकमहत्व का बिल है, मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप अपने स्तर से इसमें कोशिश करें ख ग ग ग , और इससे लोकतन्त्र का बड़ा नुकसान होता है। व्यक्तिगत तौर पर अगर वह हमसे नाराज हैं तो उस नाराजगी की हमें सजा देने के और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं लेकिन उसके लिए पूरे समाज को सजा दी जाए, यह उचित नहीं है। नगर विकास का कोई बिल विधान सभा और विधान परिषद् से पास होकर जाए, अगर उन्हें उस बिल में कोई कमी लगती है या पूरे तौर पर वह बिल गलत है तो उस पर नोट लगा दें, वापस कर दें, विधान सभा उस पर पुनर्विचार कर लेगी लेकिन लोकतन्त्र का गला ना घोटें, मेरा आपसे ऐसा अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस पर विचार किया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम के किसी कृत्य के बारे में इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। जो आपत्ति उठाई गई है, संसदीय कार्यमंत्री जी बहुत योग्य हैं और नियमों के ज्ञाता हैं, ये नियमों और परम्पराओं से चलते भी हैं इसलिए मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा इस बात को सदन में उठाना हम समझते हैं कि उनको शोभा नहीं देता है कि वह नियमों और परम्पराओं के खिलाफ जाएं। महामहिम की किसी भी बात के सम्बन्ध में सदन में इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए, यह हमारा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष–

नोटः– ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

ठीक है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 खन्ना साहब ने एक बात कही है और इन्होंने नियमों का हवाला दिया है और परम्पराओं की बात कही है कि बहुत सी बातें सदन में नहीं आनी चाहिए। श्रीमन्, यह बात सच है कि सदन नियमों से और परम्पराओं से चलता है और यह सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था इसके अतिरिक्त लोकलाज से चलती है। जो चीजें लिखी गई हैं और जो चीजें नहीं लिखी गई हैं उनके मूल्यों परम्पराओं के साथ यह लोकतन्त्र लोकलाज से चलता है। संविधान के निर्माताओं ने सारी बातें सोच करके कि किस समय कौन किस तरह की कमीज पहन करके आयेगा, आधे बांह की या पूरे बांह की पहन करके आयेगा, इसका ध्यान नहीं रखा गया। मर्यादा का ध्यान जब तक रखा जायेगा मर्यादा के स्थान पर बैठे व्यक्ति द्वारा, तभी तक मर्यादा रहेगी अगर वहीं से मर्यादा गड़बड़ा गई, गंगा अगर गंगोत्री से गड़बड़ हो जायेगी तो उसके बाद उसे आगे आकर कोई प्रदूषित होने से रोक नहीं सकता है। इसलिए जो भी मर्यादा के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो उसको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और जब मर्यादाएं टूटती हैं तो वह स्वयं अपमानित होने के लिए आमन्त्रण देता है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इसे कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष महोदय, इस पर कोई बहस नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

हम इसको दिखवा लेते हैं कि क्या है, आप बैठ जाएं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो कहा उसे मैंने सुन लिया, मैं इसे देख लूंगा, आप लोग बैठिये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अरे! आप क्या जानो संविधान को, ख ग ग ग , और संविधान का नाम लेते हो। ख ग ग ग , संविधान का क्या ख्याल रखोगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आप इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात हो गई, मैंने सुन लिया, मैं उसे दिखवा लूंगा, आप लोग बैठिये।

नोटः– ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप अपनी बात का जवाब तो हमसे ले लें क्योंकि आपने नाम लिया है संसदीय कार्य मंत्री। मान्यवर, नेता बीजेपी ने जो बात रखी है, उसका भी वजन है, उसका भी मतलब है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं या महामहिम हैं, राजभवन है, उसके बारे में यहां कोई एडवर्स टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, यह बात सही है। लेकिन यह नौबत कब आती है और क्यों आती है और यह कहना कि अंग्रेजों की उस व्यवस्था से लोकतन्त्र चलेगा और विधान सभा और विधान सभा के फैसले वो सात समन्दर पार के तरीके से आज भी चलेंगे ? बहुत सी जगह गवर्नेस नहीं हैं, बहुत सी जगह यह व्यवस्था नहीं है तो क्या वहां लोकतंत्र नहीं है ? वो भारत के संविधान के अधीन नहीं हैं। तो यह पीड़ा मैंने रखी, मैंने यह कब कहा कि वह अयोध्या के बारे में क्या कहते हैं, मैंने यह कब कहा ?

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य अपने–अपने आसन पर खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करते रहे।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह अधिकारों का दुरूपयोग है। राज्यपाल के ऊपर सदन में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख ग ग ग , तो यहां आयें। उसे राजभवन रहना चाहिए और लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से यह कहना चाहता हूं कि आज यह सरकार है, कल अगर आप खुदा न करे, आते हैं तो जो परेशानियां आज इस सरकार को है, वो आपको न हो और हम अपने ही रहते उन कांटों को निकालना चाहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अध्यक्ष जी, यह नियमों, परम्पराओं और संविधान की भावना के खिलाफ है इसलिए इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है कि मैंने उनकी मर्यादा पर कोई बात नहीं कही है, मैंने अपनी पीड़ा कही है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है, मैंने अपनी पीड़ा कही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, जो टिप्पणी की गयी है, वह आपत्तिजनक है इसलिए उसको कार्यवाही से निकलवा दें। यह हमारा विनम्र अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष–

इसको देख लेंगे।

श्री शाहिद मंजूर–

गवर्नर साहब को ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे उनकी पार्टी के मेम्बर हों। गवर्नर हमारे भी हैं और आपके भी हैं। ऋ ग ग ग ,

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री, मंजूर साहब बैठिये। मद संख्या–7।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि नेता भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी सदस्यों को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि राज्यपाल सबके हैं, ख्या ग ग,

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह ठीक नहीं है, इसको आप कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाईये, मैं इसको देख लूंगा।

ख्12.55, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2015–2016) का बयालिसवां प्रतिवेदन

श्री अनिल कुमार दोहरे–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से ''उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'' (2015–2016) का बयालिसवां प्रतिवेदन जो उक्त समिति की उप समिति के लखनऊ/इलाहाबाद मण्डलों के जनपदों–लखनऊ, इलाहाबाद एवं कौशाम्बी के मण्डल/जनपद स्तरीय कार्यालयों, निगमों व परिषदों आदि की सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों के आरक्षण तथा उक्त जातियों के कल्याणार्थ शासन द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं एवं उक्त जनपदों में संचालित किये जा रहे आश्रम पद्धति विद्यालयों के स्थल निरीक्षण पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–8 में कुछ नहीं है। मद संख्या–9।

श्री सलिल विश्नोई द्वारा अपने सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति के निर्णय को सदन में लिये जाने का आग्रह

श्री सलिल विश्नोई–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विशेषाधिकार पर 11 साल से निर्णय पेंडिग है। आप उस पर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

नोटः– ऋ ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आपका विशेषाधिकार का मामला लंबित है। मैं उस पर कार्य–मंत्रणा समिति में विचार करवाऊंगा। वह हमसे पूर्व के स्पीकर के समय की रिपोर्ट है। अब बैठिये।

ख12.56, कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21 अगस्त, 2015 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 22 अगस्त, 2015 से 27 अगस्त, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

अगस्त, 2015

22 शनिवार 23 रविवार 24 सोमवार 25 मंगलवार	बैठक नहीं होगी।
26 बुधवार	1–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण– (1) एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 (2) उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015 (3) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015 (4) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015
27 गुरूवार	विधायी कार्य।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–10 इसमें कुछ नहीं है। अब मद संख्या–11

डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015[४]

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूँ।

ख12.58, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 26–8–2015 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं हैं उसको मैं पढ़ देता हूं। पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ उनके कई साथी श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया, श्री अली युसूफ अली, श्री ममतेश शाक्य, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री त्रिभुवन राम, श्री संतराम कुशवाहा, श्री अयोध्या प्रसाद, श्री मुसर्रत अली बिट्टन, श्री गुटियारी लाल दुबेश, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री मो0 इकबाल, श्री लोकेश दीक्षित, श्री देवनारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री ओम कुमार, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री रमेश चन्द्र बिन्द, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री जाकिर अली की रबी फसल के दौरान ओलावृष्टि एवं अधिक वर्षा से किसानों को हुये नुकसान का मुआवजा न दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में दिनांक 18–8–2015 के मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयों के फलस्वरूप शैक्षणिक व्यवस्था का पुनर्निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर दीवानी कचहरी के लोकप्रिय अधिवक्ता श्री विजय कुमार श्रीवास्तव की आठ दिन पूर्व हुई हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री अखिलेश प्रताप सिंह की प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों सहित विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर (देवरिया) में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत अधूरी सड़कों का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। शेष पर ध्यान आकृष्ट करना है, यह बाद में पढ़ देंगें। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। कुछ अस्वीकृत हुईं। शेष पर शासन का ध्यान आकष्ट किया है, उसमें आपका

[४] दिनांक 3 सितम्बर, 15 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

भी है। आप ऐसे घुड़क रहे हैं, इस तरह से दवाब में नहीं मानेंगें। आप ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि मैं कुछ हूं ही नहीं। मैं आपसे बहुत सीनियर हूं। मैंने कहा कि बहुत सूचनाएं हैं उसमें जो इम्पार्टेंट हैं उसमें शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। पहले इनको सुनने तो दीजिये। माननीय मौर्या जी आप कहें। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

कहिये, क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, दो दिन का हाउस है और बहुत ज्यादा बिजनेस भी नहीं है तो दो–दो मिनट का समय दे दें। दो तीन सदस्य ऐसे हैं मान्यवर, जिनकी सूचना बहुत कम आती है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, हमको ध्यान है। वह बताने की जरूरत नहीं है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, आपने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने को बोला। सरकार के ध्यान में तो भ्रष्टाचार पहले से ही है।

श्री अध्यक्ष–

अरे महाना जी, अभी बोल लेने दीजिये ना। मौर्या जी को मैंने बुला लिया है।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय मैं इसलिये आपके संज्ञान में ला रहा हूं क्योंकि यह लोक महत्व का प्रश्न है। पूरे प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर एक असमंजस की स्थिति है। सरकार की ईमानदारी के ऊपर बड़ा प्रश्नचिन्ह लग गया है।

श्री अध्यक्ष–

पहले इनको बोलने दीजिये। आप बहुत होशियारी से प्रश्न उपस्थित करते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

अध्यक्ष जी, अब आप देखिये। हमारे महाना साहब बहुत सीनियर मेम्बर हैं लोकायुक्त का जब प्रश्न रखेंगें तो राजभवन का जिक्र आयेगा। आप खुद चाहते हैं कि राजभवन का जिक्र आए। राज्यपाल का रोल भी सामने आएगा। राज्यपाल किस तरह अड़ंगे लगा रहे हैं वह भी सामने आएगा। भा0ज0पा0 दो कश्तियों में पैर रखकर कैसे चलेगी राजभवन का जिक्र न करे, राज्यपाल का नाम न ले और लोकायुक्त पर डिस्कस हो, कैसे दो चीजें चलेंगी।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है यह अच्छी बात नहीं है।

'नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, नियम–56 के अन्तर्गत आपने मुझे, पूरे प्रदेश में अभी विगत फसल के दौरान ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों पर आई आपदा से संबंधित सूचना के संबंध में यहां कहने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, अभी विगत फसल के दौरान ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण प्रदेश में किसानों की फसलें तबाह हो गईं। फसलों की तबाही को देखते हुए तमाम किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मान्यवर, विगत सदन में चर्चा के दौरान इस मामले को सरकार के संज्ञान में आपके माध्यम से लाया गया था। मान्यवर, इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर सरकार ने भी अपनी संवेदनशीलता दर्शाते हुए उनको सहायता राशि दिए जाने की भी बात कही थी। मान्यवर, कई महीने बीत जाने के बाद भी जिला मुख्यालयों से भेजी गई सूची का पूरी तरह से निस्तारण नहीं हुआ। आज भी वह आस लगाए बैठे हैं कि सरकार हमारे आंसू पोंछने के लिए जरूर कुछ न कुछ प्रयास करेगी और हमारे घाव पर मरहम लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन मान्यवर, सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी मात्र तीस प्रतिशत आपदा पीड़ितों को राहत मिली है। यही नहीं फसलों की बरबादी के चलते क्षतिपूर्ति के रूप में किसानों को बड़े पैमाने पर धन देने के लिए बजट में भी प्राविधान किया था लेकिन मान्यवर, अंधा बांटे रेवड़ी अपने–अपने को देय, यानि कुछ विशेष किसानों को सहायता देकर के शेष किसानों को लाभान्वित नहीं किया जा रहा है। अभी तक किसान उससे वंचित हैं। मान्यवर, एक ओर किसान की दैवी आपदा से कमर टूटी थी उससे राहत नहीं मिल पाई थी दूसरी तरफ सूखे का आगाज हो गया। मान्यवर, आज जिस तरीके से बड़े पैमाने पर प्रदेश में किसान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। एक ओर दैवी आपदा का प्रकोप और दूसरी ओर सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं में तमाम प्रकार की लापरवाहियां जिस तरीके से हुई हैं उससे किसान बहुत त्रस्त है और उसकी टकटकी सरकार की ओर है सदन की ओर है और इस पीठ की ओर है कि इस मामले का कहीं न कहीं कोई सकारात्मक निर्णय होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि मांग के माध्यम से उस समय यह भी अनुरोध किया गया था कि आज ऐसे हालात में जब किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है फसलें बरबाद हो चुकी हैं बच्चे उसके भूख से मर रहे हैं तो इस हालात में उसकी जो भी देनदारियां हैं बैंकों की या जो भी ऋण हैं उसकी वसूली स्थगित कर दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी यही नहीं सभी पीड़ितों को जो सहायता मिलना चाहिए जो शेष बचे हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाए। मैंने आपके माध्यम से यह भी अनुरोध किया था कि ऐसे किसानों को जो राहत सामग्री पहुंचाने में जो अधिकारी विलम्ब के दोषी हैं उनको भी चिन्हित करके कार्यवाही की जाए। यही नहीं मान्यवर, हमने यह भी मांग किया था कि ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में जहां पर किसान और किसानों की फसलें बरबाद हो गई हैं। और उनके घर में किसी भी आय का अन्य स्रोत नहीं है तो ऐसे हालात में दैनिक बिजली बिलों के भुगतान पर भी तत्काल रोक लगा दी जाय या माफ कर दिया जाय।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय जी यही नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी अनुपूरक बजट में भी बड़े पैमाने पर धन लाए हैं लेकिन अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से जो धन यहां पर बांटा गया है तीन हजार चार सौ कुछ करोड़ रुपया वह और साथ ही साथ जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुपूरक बजट में अतिरिक्त धन आवंटित किया है वह कुल मिलाकर सात हजार करोड़ रुपए धन होता है। जबकि किसानों की क्षतिपूर्ति का आंकड़ा लगभग 10 हजार करोड़ रुपया आता है। यानी वह भी अपर्याप्त है इसलिए मान्यवर, इस सूचना के माध्यम से जो अविलम्बनीय भी है लोक महत्व की भी है प्रदेश के किसानों से सीधे जुड़ी है और पूरे प्रदेश का किसान आज अपने को ठगा और लुटा महसूस कर रहा है वह तबाही के कगार पर है उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई सब बन्द है यही नहीं आज उनके लिए दाने के भी लाले पड़े हैं ऐसे हालात में इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर मैं सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं जिससे कि उन पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाया जा सके और सरकार जो सहायता राशि देने का काम कर रही है उसको तत्काल समय सीमा के अन्दर चरण बद्ध ढंग से उसको पूरा किया जाय। मान्यवर, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण सूचना की ग्राह्यता पर आपने मुझे सुना।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजस्वमंत्री जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे।

'लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, क्वैश्चन आवर में तो पूरा कह दिया था। जो अनुपूरक बजट में 800 करोड़ रुपया है और 2800 करोड़ रुपया भारत सरकार से आ गया है। शेष रुपया भारत सरकार से जैसे ही आएगा अभी इतने में तो कमी है भारत सरकार को पूरा पैसा देना चाहिए था। जो हमने सात हजार पांच सौ करोड़ के करीब मेमोरण्डम भेजा था उसमें अभी पूरा पैसा भारत सरकार से नहीं आया है जैसे ही भारत सरकार का पूरा पैसा आ जाएगा किसानों को बांट दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी विनम्र निवेदन है अनुपूरक बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आपदा पीड़ित किसानों को राहत देने के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की है। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार के पचड़े में किसान क्यों मर रहे हैं काहे नौ मन तेल होगा काहे राधा नाचेगी केन्द्र सरकार काहे प्रदेश सरकार को पैसा देगी तब किसानों के घावों पर मलहम लगेगा। जब अनुपूरक बजट में अतिरिक्त धन की व्यवस्था हो सकती है तो शेष बचे हुए किसानों के लिए और व्यवस्था क्यों नहीं हम चाहेंगे कि बिना केन्द्र सरकार की बैशाखी पर प्रदेश सरकार चलने के लिए

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब कृतसंकल्प है तो केन्द्र सरकार के बहाने केन्द्र सरकार तो कभी नहीं चाहेगी कि यहां का किसान खुशहाल हो क्योंकि उनके तो अच्छे दिन आ गए अच्छे दिन का सपना दिखाने वाले लोगों के लिए देश की जनता के सामने अच्छे दिन आएं या न आएं लेकिन उनके अच्छे दिन आ गए इसलिए वह प्रदेश के किसानों की सुध नहीं लेने वाले हैं इसीलिए आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इस पर गम्भीरता से विचार करके बिना केन्द्र का सहारा लिए अपने स्तर से विशेष व्यवस्था करके उन किसानों के घावों पर मरहम लगाने का काम करें।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं भी इस पर दो मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी नोटिस नहीं है इस पर चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी का कोई जवाब नहीं आ रहा है हालात यह हो गए हैं कि कभी चिलमन में यह झांकें कभी चिलमन में वह झांकें लगा दो आग चिलमन में न यह झाकें न वह झाकें। सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है इसलिए बहुजन समाज पार्टी सदन का त्याग करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के साथ सदन त्यागकर चले गए)

श्री मोहम्मद आजम खां–

अध्यक्ष जी आज यह भी पता चला कि नेता प्रतिपक्ष झांका–झूंकी का भी काम करते हैं। मान्यवर, बहुत निन्दनीय बात है।

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदार पद होता है और हम उनसे यह आशा करते हैं कि वह झांका–झूंकी का काम नहीं करेंगे। आज वह अपने बारे में जो कह कर गये हैं हम उससे बड़े चिन्तित हैं, लेकिन एक बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आ गये। वह अपनी जगह है कि अच्छे दिन आये नहीं आये। केन्द्र सरकार ने मा0 मुख्यमंत्री जी के पत्रों को एक्नॉलेज तक नहीं किया है। उस पर कोई सहायता करना तो दूर की बात है, लेकिन किसी ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश हो, उसकी चिठ्ठियों को एक्नॉलेज भी न किया जाये, यह भी उत्तर न आये कि आपका फलॉ तारीख का फलॉ नम्बर का पत्र मिल गया है। इसलिये राज्य सरकार उनसे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही है और इसी कारण से राज्य सरकार जितनी सहायता कर सकती थी उसने अपने संसाधनों से कहीं आगे बढ़कर सहायता की है। इंतजार सिर्फ किसानों को ही नहीं है, बल्कि हर उस हिन्दुस्तानी को जिससे 15 से 20 लाख रूपया खाते में पहुॅचाने का वायदा किया था, उसका भी इंतजार है, 24 घंटे बिजली का भी इंतजार है। बीस करोड़ नौजवानों को नौकरी देना, उसका भी इंतजार है और अब तो गुजरात में जो लाठी और आंदोलन चल रहा है उसमें

भी गुजरात को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा तो लोगों की उनसे जो आशायें हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा था कि जैसे अलाउद्दीन का चिराग आ गया है हाथ में, जिसने जो मांगा। फौजियों के देखिये कैसे दिमाग दुरूस्त किये। अब खुद गुजरात में देखिये क्या हुआ है। कल क्या हुआ है, आज देखिये गुजरात में कर्फ्यू लगा हुआ है तो यकीनन अच्छे दिन तो आये हैं, लेकिन प्रदेश सरकार किसानों के मामलात् को लेकर पूरी तरह से चिन्तित है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को विपक्ष में बैठलवा दीजिये, जितने भी आपके जवाब हैं वह सब विपक्ष लायक हैं। मान्यवर, मा0 शिव पाल जी अभी प्रश्नकाल में बता चुके हैं कि केन्द्र सरकार का 2800 करोड़ रूपया आ चुका है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, अभी आया नहीं है, अभी सूचना आयी है। सवा साल पहले बादशाह ने कहा था कि हर किसी को 20 लाख रूपया मिलेगा। अभी आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मा0 मौर्य जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, इसे अग्राह्य करता हूं। प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से बहुत चर्चा हो गयी।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने सदस्यों के साथ सदन में वापस आ गये)

श्री धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी तरफ से एक नोटिस है। दो मिनट में अपनी ग्राह्यता की बात कह लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आपकी नोटिस तो मैंने स्वीकार नहीं की।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, आपने अभी व्यवस्था दी थी कि दो–दो मिनट हम सुन लेंगे। मान्यवर, हमारी नोटिस है, किसानों से जुड़ा मामला है। दो मिनट ग्राह्यता पर बोल लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आप एक मिनट में अपनी बात कह लीजिये।

श्री धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने किसानों के मुआवजे से संबंधित मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश में किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की संख्या सर्वाधिक है। यह पूरी संख्या खेती कार्य पर आधारित है। आज उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। उत्तर प्रदेश में अन्न पैदा करने वाला किसान जब संकट में होता है, जो सबका पेट भरता है आज वह भूखे पेट सो रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का किसान जब हंसता है तो पूरा प्रदेश हंसता है और जब किसान

रोता है तो पूरा प्रदेश रोता है। आज उत्तर प्रदेश का किसान रो रहा है। रोने के कारण हैं। जो बेमौसम बरसात हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी पहले तो सरकार ने उसका सर्वे नहीं कराया। मान्यवर, जब यहां से आपकी व्यवस्था हुयी तब पुनः सर्वे कराया गया और उस सर्वे में भी सरकार का निर्देश था कि जहां किसानों का नुकसान 50 परसेन्ट से ऊपर होगा तब हम मुआवजा देने का काम करेंगे, लेकिन मान्यवर, भारत सरकार ने उसको परिवर्तित किया और 33 परसेन्ट नुकसान पर मुआवजा देने का काम किया। मान्यवर, आपके ही निर्देश से जब विधान सभा चल रही थी तो दोबारा सर्वे आया। पहले सर्वे आया तो समस्त उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 10 जिलों का विवरण आया था कि 10 जिलों के किसानों का नुकसान हुआ है। मान्यवर, आपकी कृपा से दोबारा सर्वे हुआ तो अधिकांश किसानों का नुकसान हुआ है। किसानों के खेत पर सर्वे करने कोई नहीं गया। लेखपालों ने घर बैठे सर्वे कर लिया। सर्वे किया कोटेदारों ने, सर्वे किया प्रधानों ने, सर्वे किया धनवानों ने। मान्यवर, सर्वे ठीक से नहीं हुआ और जिन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिये था उन किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया और जिन्हें नहीं मिलना चाहिये था उन्हें मिल गया। मान्यवर, आपसे मेरा यह अनुरोध है, आपसे निवेदन है, आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूं। अभी उत्तर प्रदेश में 70 प्रतिशत से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है। मान्यवर, इस सरकार ने और भी इस तरीके से व्यवस्था की थी।

श्री अध्यक्ष–

अभी प्रश्न आया था, उसके उत्तर में सारी बातें आ चुकी हैं। इसको तो नियम–56 में आना नहीं चाहिए लेकिन चूंकि यह पहले स्वीकार हो गया था। प्रश्न आया था तो उसमें सारा उत्तर आ गया था, अब इसकी जरूरत नहीं है। आप अपनी बात समाप्त करें। माननीय मंत्री जी ने सब उत्तर दे दिया है और जो उन्होंने कहा है कि हमने अनुपूरक में लिया है और भारत सरकार से जो मिलेगा, सब मिलाकर किसानों को देने का प्रयास सरकार कर रही है।

अब माननीय खन्ना जी, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था वाली सूचना पर बोलें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–56 की इस सूचना पर आपने अपनी बात रखने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इसी महीने की 18 तारीख को माननीय उच्च नयायालय ने शिव कुमार पाठक और कई अन्य लोगों ने जो पी0आई0एल0 दाखिल की थी कि बेसिक स्कूलों में बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो और उससे सम्बन्धित जो याचिकाएं थीं, उनको एक साथ क्लब करके मा0 उच्च न्यायालय ने सुना और इसका एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया है। मान्यवर, यह निर्णय स्वागत योग्य है। हम लोग वर्षों से इस हाउस में यह मांग करते रहे कि शिक्षा का स्तर सुधारा जाए जिसमें भवन है, मिड डे मील की व्यवस्था है, कपड़े भी हैं और शिक्षक भी हैं, शिक्षा–मित्र की व्यवस्था है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता जैसी होनी चाहिए, वैसी नहीं है। मान्यवर, वर्षों से हम लोग

यह मांग करते रहे हैं। मान्यवर, यह जो फैसला आया है, उसके सम्बन्ध में हम इन दो लाइनों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि मंत्रियों, जजों और अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़े जो लोग सरकारी खजाने से वेतन ड्रा करते हैं, उन लोगों के लिए खासतौर से यह व्यवस्था दी गई है कि छः महीने के अन्दर अर्थात् अगले सत्र तक सरकार इस बात की व्यवस्था करे और अगर ऐसा न हो तो उनकी फीस के बराबर, जितनी फीस वह बच्चों के लिए देते हैं, सरकारी खजाने में जमा की जाय। मान्यवर, यह अपने आपमें एक बहुत अच्छा कदम है और हम समझते हैं कि शिक्षा के सुधार के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। मान्यवर, हम और आप सब अवगत हैं, केन्द्र सरकार के जो स्कूल हैं, जो सेन्ट्रल स्कूल हैं, वर्षों से केन्द्रीय विद्यालयों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं और यह व्यवस्था आज से नहीं वर्षों से लागू है, व्यवहार में भी है और इसके लिए मैं समझता हूं कि किसी प्रकार के आदेश की आवश्यकता नहीं थी तो ऐसा नहीं है कि सरकारी खजाने से जो पैसा लेते हैं जो केन्द्र सरकार के लोग हैं, केन्द्र सरकार के जो स्कूल हैं, उनकी गुणवत्ता आज भी काफी बेहतर है और आज भी वहां सरकारी कर्मचारियों के बच्चे जाते हैं और पढ़ते हैं लेकिन जो हमारे बेसिक प्राइमरी स्कूल हैं, उसमें शिक्षकों को अतिरिक्त काम दे रखा है। पिछले 25 मार्च को मा0 हाईकोर्ट का एक जजमेण्ट आया था, उसमें खासतौर से उन्होंने तीन बातों को इंगित किया था कि चुनाव, दैवी आपदा और जनगणना, इनको छोड़कर शिक्षक कोई काम नहीं करेंगे और प्रदेश सरकार इस बात का संज्ञान लेकर इस बात की व्यवस्था करे कि इन कामों के अतिरिक्त बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं में वहां के टीचरों को किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं दी जायेगी ताकि उनका पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई में लग सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। लेकिन मान्यवर, व्यावहारिक स्थिति आज यह है, चाहे मिड–डे–मील की व्यवस्था हो, चाहे प्रबन्ध समिति का कोई रजिस्टर हो, पुस्तक वितरण का रजिस्टर हो, यूनीफार्म वितरण का रजिस्टर हो, छात्रवृत्ति का रजिस्टर हो, आवागमन का रजिस्टर हो, निरीक्षण पंजिका हो, पत्र–व्यवहार का रजिस्टर हो शिक्षक डायरी हो, मिड डे मील की व्यवस्था हो, विकास का अनुदान हो, बैग वितरण की व्यवस्था हो, मान्यवर, 20–20 रजिस्टर को देखने के लिए, उनकी कस्टडी के लिए, उनको मेनटेन करने की जिम्मेदारी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक निर्वाह कर रहे हैं। खासतौर से, मिड डे मील की व्यवस्था में आज भी कोई सब्जी ले कर आ रहा है, कोई घी ले कर आ रहा है, कोई बाकी सामान बनाने के लिए ले कर आ रहा है। यह सारा सामान वह साइकिल पर लाद कर ले जाते हैं। उनका आधा समय इस मिड डे मील की व्यवस्था में चला जाता है। परिणाम यह होता है कि शिक्षा, जिसके लिए वह नियुक्त किए गए वह तो पीछे हो गया और बाकी काम सारे आगे हो गए। मान्यवर, शिक्षा दिन पर दिन चौपट हो गयी है। मैं मा0 उच्च न्यायालय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शिव कुमार पाठक जिनको किसी न किसी रूप में पुरस्कृत किया जाना चाहिए था, जिनको बधाई दी जानी चाहिए थी मुझे

जानकारी मिली है कि उनके खिलाफ वर्तमान सरकार ने कार्रवाई की है। मान्यवर, मैंने बरसों पहले सोक्रटीज के बारे में पढ़ा था, जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ा था।

श्री अध्यक्ष–

इस पर तो बोलिए न आप।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, उसी पर तो बोल रहा हूं कि शिव कुमार पाठक, जिनको बधाई देना तो छोड़ दीजिए, पुरस्कृत करना तो छोड़ दीजिए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। मैं इस बात पर निश्चिंत नहीं हूं मैंने समाचार–पत्रों में देखा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई लेकिन मेरे पास कोई अधिकृत सूचना इस बात की नहीं है कि शिव कुमार पाठक वास्तव में बर्खास्त कर दिए गए या नहीं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गयी या नहीं। लेकिन जब मैंने साइक्रिटिस्ट के बारे में पढ़ा था कि वह एक बहुत बड़ा समाज–सुधारक था।

श्री अध्यक्ष–

असली बात तो कह नहीं रहे हैं। नोटिस में शिव कुमार पाठक का कहीं कोई नाम ही नहीं है आप अपनी बात तो कहो, जो फैसला हुआ। आप ग्राह्येत्तर बोल रहे हैं चर्चा पर तो बोल नहीं रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, क्षमा करें। कभी–कभी ज्यादतियों का सामना करना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, हम ज्यादती नहीं कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, एक तो बहुमत का अत्याचार हमको झेलना पड़ता है। एक भी बात मैंने विषय से हटकर नहीं बोली है। जिस व्यक्ति की वजह से यह पी0आई0एल0 दाखिल हुई, जिसकी वजह से यह निर्णय आया है अगर उसके बारे में नहीं कुछ कहेंगे तो यह भी बहुत बड़ी ज्यादती होगी।

(मेजों की थपथपाहट)

मा0 अध्यक्ष जी, जिस शिव कुमार पाठक को पुरस्कृत किया जाना था उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

आगे तो बढ़िए, कि कब क्या होना चाहिए उस पर तो बोल ही नहीं रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हम आपके माध्यम से सरकार से यह चाहेंगे कि सरकार को छः महीने का समय इस हाईकोर्ट के जजमेण्ट में दिया गया है लेकिन सरकार आज से इसमें

कार्रवाई शुरू करे। हम इसका स्वागत करते हैं और प्रदेश के तमाम संगठनों ने इसका स्वागत किया है। पूरे प्रदेश की 20 करोड़ जनता के लिए यह बहुत सुखद खबर है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में गुणवत्ता का सुधार हो और जिस स्तर से भी चाहें, जो कमेटी बनाना चाहें, जो सरकार इस बारे में फैसला करे हम उस हर कमेटी में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार में सहयोग देंगे। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और यह चाहते हैं कि सरकार आज से ही इस पर कार्य योजना बना कर और शिक्षा के स्तर को सुधारा जाये और जितनी भी कैटेगरी दी गयी हैं उन कैटेगरी के लोगों को प्रवेश दिलाने के लिए प्रेरित भी किया जाये ताकि स्वेच्छा से वह लोग इसमें प्रवेश ले सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके और हम यह भी मांग करेंगे कि इस संबंध में सदन की तमाम कार्यवाही रोक कर एक विस्तृत चर्चा करायी जाये। मान्यवर, आपने नियम–56 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बैठिए। मा0 मंत्री जी।

'बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविंद चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 खन्ना जी ने कार्य स्थगन के माध्यम से जो सवाल उठाया है कि मा0 उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, यह बात सही है।

वह माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है। यह बात सही है। श्रीमन्, आपको पिछला सदन याद होगा। जब मैंने बजट पेश किया था। उस सदन में भी प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए कई सुझाव सत्तापक्ष एवं विपक्ष के मा0 सदस्यों ने दिया था। उस समय भी मैंने इस बात को कहा था कि अगर मा0 सदन के सदस्य ही इस बात पर सचेत हो जायें कि अपने बच्चों को प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने लगें तो प्राथमिक शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा। गुणवत्ता भी सुधरेगी।

श्री विक्रम सिंह–

जो आप कह रहे हैं तो यह होगा कैसे, बतायें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आप अध्यक्ष से कह सकते हैं हमसे कैसे कह सकते हैं। आप हमसे कैसे बैठे–बैठे प्रश्न कर सकते हैं। आपको जो कहना है मा0 अध्यक्ष से कहिये। हमारी बात सुनिये मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी को बोलने दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, जितने भी समाजवादी नेता रहे हैं उन सभी समाजवादी नेताओं का एक मत रहा है कि 'सबकी शिक्षा हो एक समान, चाहे हो निर्धन, चाहे हो धनवान'। श्रीमन्,

---

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप भी लोक नायक श्री जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन में काम कर चुके होंगे। मैं तो उसी आन्दोलन से राजनीति में प्रवेश ही किया हूं। उसी आन्दोलन की प्रमुखता से यह एक मांग रही है 'सबकी शिक्षा हो एक समान, चाहे हो निर्धन, चाहे हो धनवान'। डा0 राम मनोहर लोहिया अपने भाषणों में हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि 'जब रानी का लड़का और लड़की और महतरानी का लड़का और लड़की जब एक साथ बैठकर पढ़ेगा तो शिक्षा में सुधार भी आएगा और शिक्षा में गुणवत्ता भी आएगी'। श्रीमन्, मा0 उच्च न्यायालय को क्यों फैसला देना पड़ा। मान्यवर, मा0 उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। यह अभी हम मंगाये हैं। अभी तक हमने इसको पढ़ा नहीं था। आज ही हमारे पास आया है। मैं इसको पढ़ूंगा और मैं मा0 सदस्य और सदन को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि कि कभी न कभी सदन को एक बात पर केन्द्रित होना पड़ेगा। श्रीमन्, इससे बढ़िया कभी कोई अवसर नहीं आ सकता। शिक्षा में सुधार होना चाहिए। श्रीमन्, मैंने एक बार सदन में भी कहा था कि संविधान ने सबको अधिकार दिया है, सब अधिकार की बात करते हैं और उसी संविधान में कर्त्तव्य की बात है। तो कर्त्तव्य की बात कोई नहीं कहता। क्यों अधिकार की बात करते हैं और शिक्षा में सुधार तभी होगा, जो मा0 उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है। सरकार का इतना पैसा खर्च हो रहा है और अपने बच्चों को उसमें नहीं पढ़ायेंगे। हम क्यों नहीं पढ़ायेंगे। जिन–जिन को पढ़ाने के लिए कहा है सबको अपने बच्चों को प्राथमिक स्कूल में बिना किसी दबाव के पढ़ाना चाहिए। मैंने सभी विधान मण्डल दल के नेताओं को, मैंने सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्षों को, बार काउंसिल के अध्यक्ष को, सभी शिक्षाविदों को, आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 एसोसिएशन को, कर्मचारियों के अध्यक्षों, मैं सबको पत्र लिखूंगा कि मा0 उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप। हमारा आपका कर्त्तव्य क्या है श्रीमन्, प्राथमिक शिक्षा जब तक मजबूत नहीं होगी माध्यमिक शिक्षा मजबूत नहीं होगी और जब माध्यमिक शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो उच्च शिक्षा मजबूत नहीं होगी। इसीलिए श्रीमन्, आज दुनिया के जो टाप के विश्वविद्यालय हैं उसमें हिन्दुस्तान का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। दूसरी तरफ शिक्षा के सुधार के लिए हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया है। जब मा0 मुख्यमंत्री जी शपथ लिए, जब हम सरकार में आये तो अध्यापकों की भारी कमी थी। एक तरफ मा0 उच्च न्यायालय का यह फैसला। तो हमने 72825 शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति करने की प्रक्रिया चालू की, मा0 उच्च न्यायालय ने उसको स्टे कर दिया, फिर फैसला दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गये और सुप्रीम कोर्ट में कम से कम डेढ़–दो साल बाधित होने के बाद उसकी प्रक्रिया फिर से चालू हो पाई। हमने 29835 विज्ञान अध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया चालू की, डेढ़–दो साल हो गया, मा0 न्यायालय में किसी ने रिट किया स्टे हो गया और अब जाकर फिर से प्रक्रिया शुरू हो रही है। मान्यवर, सारा सदन इस बात को जानता है, आप भी जानते हैं कि जब शिक्षक इस प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को बरबाद कर दिये तब शिक्षामित्रों के बल पर प्राथमिक शिक्षा चली थी, अगर शिक्षामित्रों की नियुक्ति नहीं हुई होती तो प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा और स्कूल कभी के बंद हो गये होते, मैं बधाई देना चाहता हूं शिक्षामित्रों को, जिन्होंने

अपनी रोजी–रोटी के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए लगातार शिक्षण कार्य किया। जब इनको हम समायोजित कर रहे हैं फिर मामला कोर्ट में चला गया, वह भी बाधित हो गया। एक तरफ न्यायालय सबके बच्चों को पढ़ाने का निर्देश दे रहा है दूसरी तरफ जब सरकार भर्ती की प्रक्रिया चालू करती है, तो कहीं न कहीं उसमें बाधा उत्पन्न होती है। एक प्रश्न इन्होंने उठाया कि जिसने रिट किया, सुनिये श्रीमन् कि जिन्होंने रिट किया, उसके खिलाफ सरकार विभागीय कार्रवाई कर रही है, श्रीमन् रिट करना अलग बात है और प्रशिक्षण, शिक्षण कार्य करना अलग बात है, ऋषि कुमार यादव की बात आई है याचिका कोर्ट में जा चुकी थी, अकेले शिव कुमार पाठक नहीं थे, बहुत लोग थे, 72 हजार रिक्तयों के प्रति मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अधीन उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ, प्रशिक्षण में कोई छुट्टी का प्राविधान नहीं है, सातवें महीने में जिनकी बात इन्होंने कहा है, वह लगातार छः दिन गैर हाजिर रहे, हर तीसरे अधिकारी ने उनसे पूछा कि भाई प्रशिक्षण में एक दिन भी गैर हाजिर नहीं रहना है, छः महीने का प्रशिक्षण है, आप जवाब दीजिए, जवाब नहीं दिया, फिर 11 दिन गैर हाजिर रहे, फिर नोटिस दिया गया कि भाई पूछो इनसे गायब रहने के कारण टीचर की ट्रेनिंग में बाधा उत्पन्न हो रही है, आप हाजिर हों, नहीं आये, फिर 11 दिन गैर हाजिर रहे, फिर नोटिस दिया गया और श्रीमन् तीन बार के बाद 13–08 तारीख को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खण्ड शिक्षा से बार–बार नोटिस देने के बाद भी जवाब न देने पर उन्होंने उनको प्रशिक्षण से मुक्त किया। 17 तारीख को वह हमसे मिल रहे हैं कि साहब गैर हाजिर होने के कारण हमको निकाल दिया गया, मैंने लिखा निदेशक को इनके निष्कासन पर पुनर्विचार करें। इसी माह 18 तारीख को आदेश आ गया, दो दिन, तीन दिन, चार दिन कोई बात नहीं हुई और पांच दिन के बाद एक चैनल चला कि इस फैसले के कारण से पाठक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई। बाद में मैंने जब उनको कागज दिखाया और उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया तो उन लोगों ने असली सूचना दिखलाई और लिखे भी। जिस दिन उसका निष्कासन हुआ है, उस दिन से मोबाईल पर एस–नो प्रक्रिया भी आई है, तो इससे उस मामले को जोड़ना कतई उचित नहीं हैं। हम अभी 19 तारीख को गये थे केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति की मीटिंग में, टीचर ट्रेनिंग के लिए मंत्री जी, सारे स्टेट के मंत्री, सारे बुद्धिजीवी, सारे चांसलर इस बात के लिए मंथन कर रहे थे कि टीचर की गुणवत्ता कैसे सुधारी जाय ताकि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा की स्थिति सुधरे। उसको भी न निकाला जाये। मास्टर पढ़ाये न, उसको सस्पेण्ड न किया जाये। मास्टर स्कूल में न जाये, उस पर कार्रवाई न की जाये तो फिर गुणवत्ता कैसे आयेगी। श्रीमन्, मा0 सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल के नेता ने यह बात उठाई है उसकी मैं सराहना करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि इस सदन के कौन–कौन लोग अपने बच्चों का नाम प्राथमिक स्कूल में बिना किसी दो राय के लिखवाते हैं। पहले इस सदन के लोग लिखवायें। मैं आपसे कहता हूं कि मैं प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हूं, लड़का भी पढ़ा है, नातिन मेरी ढाई साल की है, वह भी जब पढ़ने लायक होगी तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगी लेकिन सिर्फ सवाल उठा देना, इनके तो बच्चा

ही नहीं है, ये तो कह देंगे हमारा ठीक ही है लेकिन श्रीमन्, ये गम्भीर मामला है। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि सदन के सभी मा0 सदस्य, सभी न्यायाधीशों के लड़के–लड़कियां, सभी अधिकारियों–कर्मचारियों के लड़के–लड़कियां, सभी पत्रकारों के लड़के और लड़कियां, इस प्रदेश में और देश में रहने वाले सभी मानव अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ायें तभी जाकर के शिक्षा में गुणवत्ता आयेगी। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी,

श्री अध्यक्ष–

आप तो बोल चुके हैं, फिर दोबारा क्या है, ये ऐसा तो है नहीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, हमने आपसे निवेदन किया था कि इस पर चर्चा करा दें। मा0 मंत्री जी से हम ये उम्मीद करते थे कि मा0 मंत्री जी अपने उत्तर में कम से कम ये उसकी कार्य योजना के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे कि हम लोगों के साथ बैठ करके, 6 महीने का समय हाईकोर्ट ने इसलिये दिया है कि शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर सुधारा जाये तो ये उस पर तो एक लाइन नहीं बोले। मान्यवर, एक लाइन नहीं बोले और एडमीशन सभी लोग करवाने को तैयार हैं। जब केन्द्रीय विद्यालयों में सारे कर्मचारियों के बच्चे पढ़ सकते हैं तो प्रदेश सरकार के विद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ सकते। हम लोग इस बात के लिये तैयार हैं। 6 महीने का समय इसलिये दिया गया कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी जाये और शिक्षा की गुणवत्ता के लिये कार्य योजना ये बनायेंगे, प्रदेश में सरकार इनकी है उसके बारे में एक लाइन नहीं और इधर–उधर की बातें समेट कर एक बढ़िया सा भाषण दे दिया। मान्यवर, हम आपसे चाहते हैं कि इस पर चर्चा कराई जाये और मा0 मंत्री जी का इस पर उत्तर संतोषजनक नहीं है इसलिये हम और हमारा दल इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष–

मैंने मा0 खन्ना साहब को सुना, मा0 मंत्री जी को सुना, हम इसे अग्राह्य करते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, नियम–56 में शिक्षा से सम्बन्धित यह जो महत्वपूर्ण सूचना लगी थी तो सही मायने में उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण इनके अध्यापकों को जनगणना के सर्वे में लगा देना, वोटर लिस्ट तैयार कराने में लगा देना, केन्द्र सरकार की तमाम योजनाओं में इनकी भागीदारी

सुनिश्चित कराना और यहां तक कि केन्द्र सरकार द्वारा मिड डे मील संचालित करा देना है। मिड–डे–मील से, आज जो उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां पर इसके माध्यम से केवल कटोरा लेने का पाठ पढ़ाया जाता है। पढ़ाई लिखाई गायब हो चुकी है इसलिये ये कमी अगर है तो भारत सरकार की है और मानव संसाधन मंत्री इस पर बैठक करके, प्रदेश सरकार से मिल करके इस पर कोई ठोस शिक्षा नीति तैयार करें। केवल मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से शिक्षा में सुधार नहीं आना है। जब तक केन्द्र सरकार इस शिक्षा व्यवस्था को आमूल–चूल रूप से परिवर्तित नहीं करती है तब तक शिक्षा में सुधार नहीं आयेगा क्योंकि जब तक मिड–डे–मील रहेगा, तब तक शिक्षा का बेड़ा गर्क होता रहेगा, उसमें सुधार नहीं आयेगा। आज बच्चों की आदत पढ़ाने–लिखाने में नहीं बल्कि उनको कटोरा पकड़ा करके भीख मांगने की आदत डाली जा रही है, उनको इस बात का सबक सिखाया जा रहा है। एक सोची–समझी साजिश के तहत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को निरक्षर बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं और साथ ही मैं शिक्षा मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इस आशय का एक ठोस पत्र केन्द्रीय संसाधन मंत्री को लिखें और आमूलचूल परिवर्तन करने की मांग करें और यदि नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की घोर निन्दा का यहां इसी सदन से प्रस्ताव करें।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया बैठिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही वह सही कहा, जब नई शिक्षा नीति बनी थी और जब पहली बार हमने उसमें शिरकत की तो नई शिक्षा नीति में यह है कि एक से आठ कक्षा तक कोई परीक्षा नहीं होगी और कोई फेल नहीं किया जायेगा, सब लड़कों को अगली कक्षा में भेजा जायेगा और ये हाई स्कूल तक ले जाने की व्यवस्था थी। श्रीमन् मैं पहले जब कैब की मीटिंग में गया, मुख्य मंत्री जी ने हमें नामित किया, तो भी नई शिक्षा नीति लागू करने वाले लोग ही उस मीटिंग में मौजूद थे। मैंने इस बात को उठाया जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आप की नई शिक्षा नीति ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बच्चों को मजदूर बनाने के लिए यह नई शिक्षा नीति लागू की है। जब कक्षा–1 से आठ तक परीक्षा ही नहीं होगी, कोई फेल और पास नहीं होगा, तब तो लड़के कुछ जानेंगे ही नहीं। टीचर पढ़ाएगा नहीं, टीचर की कोई जिम्मेदारी ही नहीं होगी तो वह पढ़ाएगा नहीं। मैं लगातार इस पर बोलता रहा हूं और तब मजबूर होकर अपने यहां उत्तर प्रदेश में मैंने परीक्षा कराने का फैसला ले लिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार परीक्षा कराएगी और फिर मैं 19 तारीख को कैब की मीटिंग में गया। मैंने सभी शिक्षा मंत्रियों से अलग–अलग बात की और मैंने फिर इस बात को उठाया। फिर कई शिक्षा मंत्री इस बात को उठाये फिर मैंने हरियाणा के शिक्षा मंत्री से कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के हो, आप ही प्रस्ताव कर दो। मैं बधाई देना चाहता हूं कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने इस प्रस्ताव को रखा कि कक्षा–एक से आठ तक की जो परीक्षा बेकार ही जिस पर रोक किया गया है उसको समाप्त किया जाए और परीक्षा करायी जाये। शिक्षा

की शुचिता को बनाये रखने के लिए तो 15 दिन में मंत्री ने मांगा है राज्यों से इस सम्बन्ध में जो लगभग पूरा हो जायेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करना तो कुछ नहीं है जैसे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है। तीन–तीन बार सदन में रही है, सरकार में बनी है, केन्द्र में तीन बार रही है। हिन्दुस्तान की जनता के लिए कोई काम इन्होंने किया नहीं, केवल आरोप–प्रत्यारोप लगाते रहे। ज्यों ही हमारी सरकार बनी हमारे मुख्य मंत्री जी ने मुख्य सचिव जी से और सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया कि शिक्षक से केवल पढ़ाने के सिवाए कोई काम न लिया जाए दैवीय आपदा, जनगणना और निर्वाचन को छोड़कर। बराबर फिर दोबारा पत्र लिखा गया कि शिक्षकों से कोई काम नहीं लिया जाए, न लिया जा रहा है। कहीं–कहीं जिलाधिकारी लोग अभी मान नहीं रहे हैं श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा कोई काम नहीं दिया जाना चाहिए। शिक्षक को शिक्षा देने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह शिक्षा का कार्य करें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के लोग बहिष्कार किये हैं, उनको तो कुछ करना है ही नहीं, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, समान शिक्षा नीति लागू करने के लिए बिल आया हुआ था। इन लोगों ने अपना सरस्वती शिशु मंदिर बचाने के लिए, उस समान शिक्षा को नहीं आने दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, केन्द्र में इनके मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि इस देश में समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा लागू हो। यह केवल अपनी बात कहने के लिए सदन में अपनी बात कह देते हैं। समाजवादी, जो भी समाजवादी नेता रहे हैं आचार्य नरेन्द्र देव, डॉ0 राम मनोहर लोहिया, लोकनाथ जय प्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, एस0एन0जोशी, एस0एन0 पटेल, अशोक मेहता, चन्द्रशेखर जी और हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव ये सभी समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, गरीब–अमीर, अधिकारी–कर्मचारी सबके लड़कों को समान शिक्षा देने की हमेशा वकालत करते रहे हैं। इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष को आपके माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जब से इसमें आया हूं, हम गांव से आने वाले लोग हैं। खुद शिक्षा की स्थिति से हम लोग आहत हैं। मैंने अब तक पौने तीन लाख शिक्षकों की भर्ती की। हमने अधिकारियों पर नकेल कसी। हमने भ्रष्टाचार को शिक्षा विभाग से समाप्त करने के लिए काफी प्रयास किये। कहा भी सबसे, सदन में कहा सदन के बाहर भी कहा। लगातार हमारी सरकार, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील है और गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। जहां तक कार्य योजना की बात आई, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनते नहीं हैं। मैंने आपके माध्यम से इसी सदन मे कहा कि मैं सभी सदन के सदस्यों से, मैं सभी बार के अध्यक्षों से, आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 अध्यक्ष लोगों को सबको मै पत्र लिखूंगा, मैं कर्मचारी संघों को पत्र लिखूंगा, मैं प्रधान, प्रमुख जिला पंचायत के अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और माननीय प्रतिपक्ष नेता ने कहा है कि फैसला आये या न आये, हमारी यह मंशा है, अखिलेश यादव की सरकार की मंशा है कि सबको समान, निशुल्क और गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाये।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय खन्ना जी को सुना माननीय मंत्री जी को सुना नियम–56 में नहीं आता है, इसे अग्राह्य करता हूं।

दूसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की है।

'श्री राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि गोरखपुर की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या पर आपने शासन का ध्यान आकृष्ट करने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय अधिवक्ता एक ऐसा समुदाय है जो हमेशा तलवार की धार पर चलता है। जब भी वह किसी भी न्यायालय में जाता है एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है और उसका काम होता है अपने पक्ष के मुवक्किल के प्रति निर्भय निडर होकर अपनी वकालत करना और अपने मुवक्किल को सही साबित करने का प्रयास करना। मान्यता यही है कि ऐसा करते समय वह वस्तुतः एक ला–आफिसर की तरह व्यवहार करता है और न्यायालय को न्याय तक पहुंचने मे मदद करता है। यह सारा वह इसलिए कर पाता है अधिकांश जगहों पर उसके विरोध में अपराधी होते हैं, बड़े–बड़े माफिया होते है, भू–माफिया होते हैं ऐसे लोग होते हैं जिनका निजी स्वार्थ होता है। बावजूद इसके वह निडर होकर सारी कार्रवाई इसलिए कर पाता है कि वह जानता है कि न्यायालय की निष्पक्षता का जो आवरण है वह उसको भी सुरक्षा देगा और उस सुरक्षा के आवणन में वह निडर होकर के अपनी बात को माननीय न्यायालय में कहता है। अगर माननीय अधिवक्ता न हो तो प्रदेश में ढेर सारे ऐसे लोग होते जिनकी बातों को न्यायालय में कोई रख नहीं पाता। बड़े–बड़े अपराधियों के डर से अपने मुकदमें न्यायालय में लेकर नहीं आता और यह सम्भव हो पाता है तो माननीय अधिवक्ताओं के नाते। अधिवक्ता अपने जीवन का खतरा लेता है। अपने मनोबल के आधार पर इस लड़ाई को लोकतांत्रिक रूप से वैधानिक लड़ाई को लड़ने का काम करता है। अब अगर किसी अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले अधिवक्ता की हत्या होगी तो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सम्पूर्ण न्यायिक व्यवस्था के ऊपर खड़ा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय मैं जिस प्रकरण को लेकर आया हूं, गोरखपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता पच्चीसों साल की जिनकी प्रेक्टिस है। एक जमीन के कब्जे को लेकर भू–माफिया के खिलाफ अपने मुवक्किल के समर्थन में मुकदमा लड़ा, मुकदमा उनके पक्ष में गया। वह जीते उनका मुवक्किल एक गरीब माली था, उस बड़े भू–माफिया के खिलाफ उस माली की जीत हुई। अगर वह अधिवक्ता न रहे होते तो शायद वह माली उस लड़ाई को न लड़ता। आज से 8 दिन पहले उस माननीय अधिवक्ता की जघन्न हत्या शहर के भीतर कर दी गयी। नामजद किये गये हैं आरोपी और 8 दिन के बावजूद संसदीय कार्य मंत्री इसे सुने, आज तक गिरफ्तारियों का क्रम चल नहीं पाया। माननीय अधिवक्तागण आक्रोशित हैं, लगातार वह काली पट्टियां लगा रहे हैं। अपने आप को न्यायिक कार्यों से विरक्त कर रहे हैं। उन्होंने कल गोरखपुर महाबन्दी का आह्वान किया है। यह सौभाग्य की बात है कि माननीय अध्यक्ष जी आप भी कल गोरखपुर में थे और

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने स्वयं माननीय अधिवक्ताओं के इस आक्रोश को देखा। मै इस विषय को लेकर इसलिए आया कि यह हमारा दायित्व है कि वह जो समाज के न्याय के लिए लड़ रहा है हम उसको सुरक्षित करें। वह निडर होकर अपनी अधिवक्ता के दायित्वों का निर्वहन कर सके और इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस विषय को संज्ञान में लें और जो भी आरोपित हैं उनकी गिरफ्तारी हो और कानून के हिसाब से उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये। वहां के बार एसोसिऐशन ने दों मांगे रखीं हैं वह मैं इस सदन में रखूंगा यह सरकार का निर्णय है उन बार एसोसियेशन की मांगों को वह स्वीकार करतें हैं या अस्वीकार करते हैं उनका यह कहना है कि वह अधिवक्ता अपने परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य था और हत्या के बाद आज वह आर्थिक रूप से परिवार कठिनाई में है उन्होंने मांग की है कि उनकी योग्य कोई पुत्री है जिसे किसी योजना के तहत कहीं सरकारी योजना के तहत कोई नौकरी दी जाय और दूसरे उस मृतक परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग देने के लिए 50 लाख रुपये का उन्होंने मुआवजा मांगा है। यह सरकार का आउटलुक है मेरा आउटलुक यह है कि जो आरोपित हैं, जो नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी हो और विधिसम्मत तरीके से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाय।

'श्री राजेश त्रिपाठी–

मान्यवर, धन्यवाद आपको, आपने एक गम्भीर घटनाक्रम पर जो गोरखपुर में चल रहा है एक वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार श्रीवास्तव की हत्या से संबंधित इस विषय पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की सभी बातों से सहमत हूं और उन बातों से अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि उनके परिवार में उनकी लड़की के अलावा इस समय कोई नहीं है मां पहले मर चुकी पिता की हत्या हो गयी केवल वह लड़की है और सम्भवतः वह एम0ए0 की पढ़ाई कर रही है और एकदम अनाथ की तरह वह है सरकार का पूरा ध्यान इस पर होना चाहिए। आठ दिन हो गये माफिया का गठबन्धन ने इस वकील की हत्या कराया है। स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं हो सकता है राजनैतिक या पुलिस दबाव हो कोई न कोई कारण हो जिसके कारण कार्रवाई पुलिस न कर पा रही हो। मैं चाहूंगा कि सरकार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें, इसमें गिरफ्तारी हो क्योंकि 8 दिन से पूरा न्यायिक कार्य ठप है, गोरखपुर शहर अशांत है, ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब है, पुलिस की सारी उर्जा लगी हुई है अधिवक्ताओं के इस आन्दोलन को समझाने बुझाने या रोकने में, सब कुछ अस्त–व्यस्त है। वहां इस नाते सरकार इस पर ध्यान दे, उस लड़की को आर्थिक सहायता भी दे नौकरी भी दे और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी कराये मैं इसकी मांग करता हूं।

श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

इसमें आपका नाम नही है आपको बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, यह प्रकरण मेरे गोरखपुर से संबंधित है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह आपके जिले से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष–

अब नेता विरोधी दल सबको बुलवाइयेगा इस पर। डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल ने दिया था इस पर यह कोई चर्चा थोड़े ही हो रही है।

श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, विजय श्रीवास्तव जी एडवोकेट साहब जो थे बहुत ही सीधे किस्म के आदमी थे और उनका परिवार जो है पूरा अधिवक्ता वर्ग ही नहीं बल्कि गोरखपुर के सभी लोग उनको जानते हैं और उनके साथ जो यह जघन्य अपराध हुआ है इससे पूरा गोरखपुर कल अस्त–व्यस्त था और कोई भी घर से बाजार करने तक नहीं निकला और अधिवक्ता संघ पूरा बाजार, मार्केट सब बन्द था। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी अपराधी इस तरह की घटना किये हैं, बहुत ज्यादा घटना इस तरह की गोरखपुर में हो रही है इस घटना को सरकार संज्ञान में ले और संज्ञान में लेकर के इस पर कार्रवाई करे और जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गम्भीरता से रखा है डाक्टर साहब ने और आपने भी समर्थन किया है इसे खास तौर से दिखवाते हैं और कहीं कोई कमीं सरकार की तरफ से न रहे इसको सुनिश्चित करते है। जहॉ तक उस बच्ची के बारे मे आपने कहा है आप उसका बायोडाटा दीजिए अगर कहीं किसी तरह से एडजस्ट उसको किया जा सकता है सरकार उसकी कोशिश करेगी।

श्री अध्यक्ष–

मैंने डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल को सुना, त्रिपाठी जी को सुना, निषाद जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, नियम–56 के तहत आपने हमें अपने प्रकरण को रखने का अवसर दिया इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम जिस प्रकरण को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं वह हमारी विधान सभा सहित प्रदेश के समस्त विधायकों से संबंधित यह प्रकरण है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनाने के लिए एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। यह केन्द्र सरकार की योजना है। पिछली केन्द्र सरकार के द्वारा हर ब्लाक में एक सड़क चयनित करके लगभग पूरे प्रदेश से एक हजार सड़कों

को स्वीकृति प्रदान करके उस पर धन आवंटित किया गया था। वह सड़के बननी शुरू भी हो गई थी, काफी हद तक बन भी गई थी, लेकिन मान्यवर, पिछले एक वर्ष से जो प्रकरण मैं बता रहा हूं उससे पीड़ित और प्रभावित हर सदस्य है यहां पर, आप भी होंगे मान्यवर। हर ब्लाक में सड़क चयनित हुई, स्वीकृत हुई, एक–दो किस्त पैसा आया, एक वर्ष से वह सड़कें खुदी पड़ी हैं और उसमें कार्य ठप हो चुका है। सड़कें खुदी होने के कारण, सड़कों की स्थिति जर्जर होने के कारण और चूंकि वह स्वीकृति केन्द्र से हो चुकी है, इसलिये प्रदेश सरकार द्वारा इसमें किसी प्रकार से या किसी अन्य योजना से, चाहे विधायक निधि हो, सांसद निधि हो, या प्रदेश की कोई और योजना हो, इसमें मरम्मत का कार्य नहीं हो सकता है, बनवाया नहीं जा सकता है, इसलिये यह और जर्जर हो चुकी हैं, उस पर चलना दूभर हो गया है। बच्चे–बूढ़े और बीमार उस पर चलकर अपनी किस–किस गति को प्राप्त हो रहे हैं, यह आये दिन जनपदों के समाचार पत्रों में सुर्खिया बनती हैं। मान्यवर, हमारा सीधा सा यह अनुरोध है कि यह सदन और यह सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो उत्तर प्रदेश की सड़के स्वीकृत हुई थी, जिस पर काफी पैसा आ चुका था, जो अवशेष कार्य बचा हुआ है। हमारी विधान सभा रूद्रपुर में भी छह सड़के हैं, उसको लेते हुए जो शेष सड़क बची है, उसका जो शेष पैसा है, वह केन्द्र सरकार से मंगाये, वह केन्द्र सरकार से लाये और यदि केन्द्र सरकार नहीं देती है तो जो भी व्यवस्था हो, जैसे भी हो वह सड़क बननी चाहिये। जनता को जो असुविधा मिल रही है प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से वह असुविधा बंद होनी चाहिये। हम जनप्रतिनिधि उन सड़कों की वजह से विलेन हो जा रहे हैं, क्योंकि हर विधायक के क्षेत्र में तीन–चार और पांच सड़के इस तरह की हैं, लोग यह सोचते हैं कि यह सड़क क्यों नहीं बन रही है। हमसे सवाल जवाब बहुत किया जाता है। हर किसी को समझ में नहीं आता है कि यह भारत सरकार की योजना की सड़क है। लोग धरना–प्रदर्शन कर रहे हैं, जब वह बीमार होते हैं, धक्के खाकर गिरते हैं तो हम लोगों के प्रति जनता आक्रोशित होती है। सरकार जिस तरह से चाहे, जो भी कदम सरकार को उठाना पड़े केन्द्र सरकार से बात करे, पत्र लिखे, जाकर मीटिंग करे, दबाव बनाये और यदि वह न दें तो अपने पास से लगाये। इस प्रकार मेरा कहना यह है कि शीघ्रातिशीघ्र वह अधूरी पड़ी सड़कें बनवाई जाये जो पिछले एक वर्ष से बंद पड़ी हैं, खुदी पड़ी हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि सदन की समस्त कार्रवाई को रोककर इसमें विस्तृत चर्चा कराई जाये और सुनिश्चित कराया जाये कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सारी सड़के हमारे विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर सहित पूरे प्रदेश में जो रुकी पड़ी हैं उसका निर्माण शीघ्र सुनिश्चित हो। आपने इस व्यापक जनहित के मुददे को हमें उठाने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खां

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने माननीय सदस्य की बात का संज्ञान ले लिया है और इस पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इस समस्या से हर कोई व्यथित है। अच्छी बात है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है, यह खुद इस समस्या से व्यथित होंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य संज्ञान शब्द को डिक्शनरी में देंखे और मेरे ख्याल से संज्ञान शब्द आश्वासन से ज्यादा है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने डिक्शनरी देखी है और यदि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि वह इसे करा देंगे, तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय अखिलेश प्रताप सिंह जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं हैं, अतएव इसे मैं अस्वीकार करता हूं।

(इसी मध्य श्री मनीष असीजा, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीमती सीमा द्विवेदी एवं कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग नियम–56 में 30–40 सूचनायें देगें तो इतनी सूचनायें कैसे ली जा सकती हैं। नियम–56 के अन्तर्गत आने वाली सूचनाओं के लिए अलग नियम भी हैं। आप लोग बैठिये, सबकी सूचनायें नहीं ली जायेंगी। अगली सूचना श्री बब्बन सिंह जी की है, जो जनपद चन्दौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मोहम्मदपुर निवासिनी 14 वर्षीय कुमारी आरती की रहस्यमय मत्यु के उपरान्त पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई न किए जाने के संबंध में है।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' एवं श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा वेल में आकर अपनी–अपनी सूचनायें स्वीकार किए जाने का अनुरोध किए जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी सूचनायें नहीं ली जायेंगी, यह कोई तरीका है कि आप लोग 50–50 सूचनायें दे रहे हैं। जो मामलें आप नियम–51 में उठा सकते हैं और जो मामलें आप नियम–300 में उठा सकते हैं, वह आप यहां नियम–56 में उठा रहे हैं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इसे सुन लीजिये। मान्यवर, यह सोसाइटी का मामला है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने–अपने स्थान पर चलिये। अब कुछ नहीं सुना जायेगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मेरी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है यह नदी की कटान से संबंधित है। गांव में बाढ़ का पानी भर रहा है।

श्री अध्यक्ष–

सदस्यगण, यह तय था कि 1.30 बजे तक सारे नियम–56 ले लिये जायेंगे और जो नहीं लिये जायेंगे, वह खत्म माने जायेंगे। एक बार नेताओं के बीच में तय हो गया, अब आप एक–एक करके अपनी–अपनी सूचना उठा रहे हैं। आप लोग टी0वी0 पर दिखाने के लिए यहां पर यह सब कर रहे हैं।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' तथा श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा वेल से लगातार अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने पर–घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं दूरदर्शन को यहां से हटा दूंगा जो आप लोग वहां दिखाते हैं। यह न तो कार्यवाही का अंग माना जायेगा, न यह घटना दूरदर्शन में दिखाई जायेगी। चलिये आप लोग वहां चलिये। आपकी नदी काट रही है, मैं जानता हूं, नदी तो सबके क्षेत्र में काटती है, यह नियम–56 बनेगा ? रघुनन्दन जी आप जायेंगे कि नहीं जायेंगे ।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' तथा श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा लगातार बोलने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बब्बन सिंह जी, मैनें आपकी सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लिया है। इस पर कार्रवाई हो जायेगी। अब आप पढ़ो न, मैनें पढ़ दिया है न।

अब देखिये, आप ही के अध्यक्ष ने नई नीति तय कर दी है, मुझे उस पर ले जाने के लिये बाध्य मत करो। हम बता रहे हैं, चलो आप अपनी सीट पर। माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी, इन्हें समझाइये। मैं सदस्यों का सम्मान करता हूं। इसलिये अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करता हूं। नहीं तो सदस्यता भी चली जा सकती है। अब आप लोग बैठो। यह क्या तरीका है। आप लोगों ने यह तय किया था कि डेढ़ बजे तक नियम–56 हो जायेगा, अब यह हर आदमी नियम–56 देने लगा । इसके अलावा नियम–51 है, नियम–300 है, उसमें भी आप दे सकते हैं।

(बीच में श्री राजीव गुम्बर के खड़े होने पर)

गुम्बर साहब सुनिये। आप बोलेंगे नहीं, मैं आपका पढ़ दे रहा हूं और सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। सहारनपुर नगर में दिनांक 26–7–2014 में हुये दंगे में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लिया है। अब आप लोग बैठें।

(इस बीच श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया अपने स्थान पर वापस चले गये)

माननीय रामचन्द्र यादव जी, आपका उत्तर प्रदेश प्राथमिक जूनियर हाई स्कूलों में बी0पी0एड0 डिग्री धारकों का विषय है, इस पर भी मैनें सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। अब मनीष असीजा जी।

श्री राजीव गुम्बर–

अध्यक्ष जी, एक मिनट मेरी बात आ जाने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैंने आपका विषय पढ़ दिया और सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। आप जो पढ़ोगे, उसे मैंने खुद ही पढ़ दिया है।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा लगातार अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

लल्लू जी, असेम्बली में बड़े परिश्रम के बाद आने का मौका मिलता है। तो उसका सदुपयोग किया जाता है, समय को बरबाद नहीं किया जाता है। असीजा जी, दो मिनट में अपनी बात कहें।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' सदन के वेल में बैठ गये)

श्री अध्यक्ष–

लल्लू जी, आप अपनी सीट पर जाइये ।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, आप एक मिनट इन्हें अपनी बात कहने का मौका दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

क्यों, जो चाहे सारी बातें वही बोलेगा। कुछ हमारा भी चलेगा कि नहीं। आप हमको विवश न करो बस। अभी नियम–56 चल ही रहा है और कूदकर वेल में आ गये। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो हम विधेयक पास कराकर असेम्बली बंद कर देते हैं। आप लोग बैठिये। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब तो कार्रवाई करनी पड़ेगी।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा लगातार अपनी बात कहने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इसकी एक नियमावली है और नियमावली में किसी विषय की एक सीमा है। नेताओं के बीच में बैठक हुयी थी और यह तय हुआ था कि नियम–56 किसी भी सूरत में डेढ़ बजे से ज्यादा नहीं चलेगा और इसी बीच में सब ले लिया जायेगा। आज हमने दो बजे तक सबका लिया। अभी हम दो–दो मिनट के लिये बुला ही रहे हैं कि बीच में ही कूद पड़े। यह दबाव डालकर कोई चीज आप हमसे स्वीकार नहीं करा सकते। यह सदन नियम से चलेगा, आपका अकेले यह सदन नहीं है। इतने लोग बैठे रहेंगे और आप हल्ला करेंगे, यह अब चलने वाला नहीं है। माननीय असीजा जी आप दो मिनट में बोलिये।

(श्री प्रदीप माथुर, श्री अजय कुमार 'लल्लू' को वापस अपने स्थान पर ले गये)

(सदस्य श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा अपने स्थान से लगातार बोलते रहने पर)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

नदी ने काट दिया, गांव कट रहा है आप इसको नियम–51 में देते।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अगर यह गम्भीर विषय नहीं रहता तो मैं आपसे इतना ज्यादा ना कहता। मान्यवर, आप हमारी पीड़ा को तो सुन लेते।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप बैठिये और मा0 असीजा जी को बोलने दीजिए। आप पहले वेल में कूदकर क्यों आये ? जब मैंने एक मा0 सदस्य को बुला लिया पहले आप उनको बोलने देते, आप तो बीच में ही कूदकर आ गये और रघुनन्दन सिंह भी आ गये। असीजा जी, आपका इम्पार्टेन्ट है इसलिए आप बोल लीजिए, उसके बाद हम समाप्त कर देंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, अगर इस तरह से हमारे साथ उपेक्षा होगी।

श्री अध्यक्ष–

आपकी उपेक्षा नहीं हो रही है, वहीं जाकर जिले में धरना दो। आप अभी नये हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। असीजा जी, आप कह लीजिए और सरकार का जवाब आ जाए।

श्री मनीष असीजा–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–56 में चर्चा का अवसर दिया, मैं कृपापूर्वक आपको धन्यवाद देता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, 22 तारीख को हमारे फिरोजाबाद।

(सदस्य श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा अपने स्थान से बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, इनका क्या करें।

(मा0 नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर)

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, इनको थोड़ी देर के लिए बोल लेने दीजिए, यह बहुत पीड़ित हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 2 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी)

(02 बजकर 20 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट के लिये पुनः बढ़ा दिया है)

(02 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 40 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है)

(2 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

'श्री मनीष आसीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–56 पर बोलने के लिए अवसर दिया आपका कृपापूर्वक धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी इसी माह की 22 तारीख को हमारे फिरोजाबाद जनपद की शिकोहाबाद तहसील का जो गांव है नगला गुलाल, लगभग दस हजार आबादी के इस गांव में अचानक से गांव वालों ने कभी सपने में भी न सोचा था एक ऐसी घटना हो गई। सुबह दस बजे ए0डी0एम0 महोदय, ए0एस0पी0 महोदय, जनपद के सारे एस0डी0एम0 सी0ओ0, एस0ओ0 पी0ए0सी0 के तीन ट्रक एवं भारी पुलिस बल के साथ जे0सी0बी0 मशीनों के साथ नगला गुलाल में पहुंचे और वहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस–वे की भूमि अधिग्रहण में भूमि चिन्हित थी उस पर जबरिया उनकी खड़ी हरी फसल पर उनकी बाजरे की फसल पर जे0सी0बी0 मशीन और पोकलैण्ड चलाना शुरू कर दिया । किसानों के विरोध करने पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया माननीय अध्यक्ष जी किसान की खून पसीने की मेहनत खड़ी फसल के ऊपर जब मशीनें चलेंगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी परिवार के बुजुर्ग एवं महिलाओं सहित गांव के लोग इकट्ठे हुए सबको पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दौड़ा दौड़ाकर पीटा 7 लोगों को संगीन धाराओं में निरुद्ध कर दिया गया है इनको जेल भेज दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी नियमों के अनुसार प्रशासन कोई भी कार्रवाई करे यह समझ में आता है लेकिन इन किसानों ने अपनी भूमि के विषय में न्यायालय में अर्जी डाल रखी थी और अभी निर्णय आना लम्बित है। निर्णय न आने पर किसानों के ऊपर इस प्रकार से जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई है वह अपने आपमें बहुत दुर्भाग्यजनक है माननीय अध्यक्ष जी हरे पेड़ जड़ों से उखाड़ दिए गए खेतों के ट्यूबवेल उखाड़ दिए गए यहां तक तो बहुत था वहां एक राजेश वकील जो है जो खेतस्वामी है उनकी जमीन पर दो मंजिला भगवान शिव का मंदिर 10 साल से पुराना खड़ा हुआ था उसको भी मशीनों के माध्यम से जे0सी0बी0 के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी यह वर्ष सरकार के द्वारा किसान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है सरकार हमेशा अपने को किसान हितैषी बताती है और मेरा मानना है कि कोई भी सरकार हो वह किसानों की अनदेखी करना नहीं चाहती लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने पता नहीं सरकार की कौन सी गुडबुक में आने के लिए इतनी कठोर कार्रवाई कर दी जिसकी अपेक्षा मैं समझता हूं कि जनपद में किसी ने नहीं की थी और तो और प्रशासन ने अखबारों में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि कब्जा शांतिपूर्वक हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा करता हूं कि जो निर्दोष किसान हैं जिनके ऊपर संगीन धाराएं लगाई गई हैं उनके केस वापस किए जाएं उनको रिहा किया जाय उनकी खड़ी फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाय और जो किसान चाह रहे हैं कि आस पास के क्षेत्र, सैफई के किसानों को जिस प्रकार से चार गुना मुआवजे का मूल्य मिला है नियमानुसार आपसी

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहमति के साथ उन किसानों को चार गुना मूल्य दिया जाय और सरकार से मेरी एक अपेक्षा और है कि वह एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसकी जांच करे और जो अति उत्साही ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने किसानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों के खिलाफ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाय। अध्यक्ष जी आज गांव में चूल्हे नहीं जल रहे हैं लोग अपने गांव से पलायन करके हटे हुए हैं। सरकार वहां के किसानों को विश्वास में ले उनको मलहम लगाए।

श्री अध्यक्ष–

राजीव गुम्बर जी आपका मैंने ले लिया था ध्यान आकृष्ट कर दिया है। आपकी बात मैंने पढ़ दी थी। माननीय मंत्री जी आप कुछ बोलेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी आपका विवेक आपकी उदारता जब आपने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी पीठ से दिए गए निर्देशों का पालन होगा और माननीय सदस्यगणों ने जो नोटिस दी है उसका आपने उल्लेख कर दिया है उसका संज्ञान लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

'श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय सदस्य श्री अजय कुमार लल्लू का मसला अभी था जिसकी वजह से हाउस अभी एडजर्न हुआ था। इनका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इनके यहां गांव की सड़क कट गई है जिसकी वजह से पानी भर गया है। कुशीनगर विधान सभा में तमकुहीराज के अन्तर्गत लोहिया गांव पिपराघाट की तबकनटोला के सामने कटान हो गयी है और लोहिया गांव में पानी भर गया है वहां पर अफरा तफरी का माहौल है लोग गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं यह बड़ा गम्भीर मामला है इस विषय पर लल्लू जी आपसे प्रार्थना कर रहे थे कि उनको बोलने की अनुमति दी जाय तो मैं चाहूंगा कि आप इसका संज्ञान लें और इनके सड़क का जो कटान है उसको रुकवा दिया जाय। इससे इनके क्षेत्र और गांव में जो अफरा–तफरी मची हुई है वह दूर हो सके।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। मैं इस पर नियम–51 में वक्तव्य के रूप में मान लेता हूं सब आ जाएगा। अब नियम–56 की सूचनाएं बहुत हो गईं। माथुर साहब आपकी सूचना कल ले ली जाएगी। डाक्टर अरुण कुमार जी का है वह कल ले ली जाएगी।

नियम–56 की चर्चा समाप्त।

ख्2.48, एरा विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 पर विचार किया जाये।

'डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मा0 अध्यक्ष जी, यह विधेयक है विश्वविद्यालय के बारे में और सैद्धान्तिक रूप में हम लोग किसी भी नये विश्वविद्यालय की स्थापना का कभी भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मेरे द्वारा इसे प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव करने का एक कारण है। यह एरा विश्वविद्यालय है इसके मूल में एरा मेडिकल कॉलेज है। पिछले 14–15 सालों से यह लखनऊ में अपनी सेवा दे रहा है और उच्च स्तरीय सेवा दे रहा है। आज देश में जो मानक स्थापित किये जाते हैं तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि प्रदेश में यह अकेला विश्वविद्यालय है, अकेला मेडिकल कॉलेज है जो देश के स्तर पर आज जो ऑकड़े इकट्ठे किये जाते हैं कि देश के कुछ सर्वोत्तम मेडिकल कॉलेज कौन हैं उनमें यह एरा मेडिकल कॉलेज आता है चाहे वह किसी भी समूह का अध्ययन ले लिया जाये, पढ़ाई की गुणवत्ता इत्यादि, हम सब भलीभांति परिचित हैं। एक रुपये की फीस पर ओ0पी0डी0, भर्ती मरीज, सी0टी0 स्कैन तक की जॉच, यह सब फ्री हो जाती हैं। मेरा प्रश्न दूसरा है। प्रदेश में ढेर सारे निजी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। हम लोग इस सदन में बार–बार यह प्रश्न लाते रहे हैं। जो ढेर से निजी मेडिकल कॉलेज खुले, हम लोगों की हमेशा से यही प्रार्थना रही कि इनकी गुणवत्ता पर कोई कंट्रोल होना चाहिये। लखनऊ में ही पांच हैं। आसपास पूरे प्रदेश में तकरीबन दस–ग्यारह–बारह हैं और अगर एरा को छोड़ दिया जाये तो आए दिन आप अखबारों में खबर पढ़ते होंगे और हम भी खबर पढ़ते हैं कि कहीं एम0बी0बी0एस0 की सीट हटा दी गयी, कहीं एम0बी0बी0एस0 की मान्यता निरस्त कर दी गयी, कहीं निरीक्षण हुआ तो मरीज ही नहीं हैं, कहीं निरीक्षण के समय डॉक्टर रहता गोरखपुर में है और लखनऊ में पढ़ाता हुआ दिखा दिया जाता है तो एक ऐसे परिवेश में जहॉ हम डॉक्टर बना रहे हैं और यह सारे डॉक्टर घूमफिर कर अन्त में डिग्री पाने के बाद इसी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सेवा करने वाले हैं। हम लोगों की लड़ाई इस बात की होती है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज तो ठीक हैं उनकी गुणवत्ता पर नियंत्रण होता है, लेकिन इन निजी मेडिकल कॉलेजों की गुणवत्ता पर नियंत्रण कैसे किया जायेगा ? आप भी जानते हैं और यह सदन भी जानता है कि यह प्रश्न मैं सदन में कई बार ला चुका हूं। सरकार यह कहती है कि हम किस माध्यम से इनके ऊपर नियंत्रण करें। सरकार ने कदम बढ़ाया। हमारे मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर साहब ने और उनके प्रमुख सचिव ने नोटिसें जारी की, किस प्रकार की वह

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फीस ले रहे हैं, उनके रेगुलेशन की प्रक्रिया चलायी। बाकायदा सबसे उनका डिटेल लिया, अपने यहां बैठक की और कितनी फीस वह बी0डी0एस0 और एम0बी0बी0एस0 में लेंगे उसका उन्होंने मानकीकरण किया। सवाल यह है कि जब हमारे पास एक विश्वविद्यालय एक मेडिकल कॉलेज की जन्मभूमि से पैदा होकर के एक बड़े स्वरूप में आ रहा है जिसने एक लम्बे कार्यकाल में अपनी गुणवत्ता को स्वतः स्थापित किया है, पूरा देश जिसे स्वीकार कर रहा है तो क्या अपने प्रदेश के अन्य निजी मेडिकल कॉलेज में हम वही गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं ? इसीलिये मैं यह स्थगन प्रस्ताव लेकर आया हूं कि सरकार को इस निजी विश्वविद्यालय को बनाने के साथ–साथ कोई व्यवस्था ऐसी भी करनी चाहिये जिससे कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हम प्रदेश में जितने अन्य गैर विश्वविद्यालयी मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं उनकी भी गुणवत्ता, उनके पाठ्यक्रम, उनकी परीक्षा, उनके शिक्षक की योग्यता, शिक्षकों को दी जाने वाली सुविधा और उनके अस्पताल में बेड की संख्या और अस्पतालों में मरीज की संख्या, वहॉ होने वाली जांच–इलाज जिससे कि जो डॉक्टर निकल कर वहां आयें वह वस्तुतः डॉक्टर की तरह समाज में प्रैक्टिस कर सकें। मेरा जो एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने का आग्रह था वह सिर्फ इसी बात के लिये था और मैं नहीं समझता हूं, अध्यक्ष जी, कि इसमें कोई ऐसी बात है जिससे सरकार सैद्धान्तिक रूप से असहमत होगी। मुझे विश्वास है कि सरकार जब इस विधेयक के पक्ष में बोलेगी तो जो हम लोगों की पीड़ा है, उस पीड़ा को वह कहीं न कहीं सम्बोधित करने का काम करेगी।

'नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी सकारात्मक कदम उठाया जाए, वह सराहनीय है क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में बढ़ती आबादी है, प्रतियोगिता के दौर में विभिन्न आयामों में छात्र जाना चाहते हैं और सरकार केन्द्र की हो या प्रदेश की, पर्याप्त शिक्षा संस्थायें या विश्वविद्यालय या संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, ऐसी हालत में इस प्रकार से निजी विश्वविद्यालय खोलने वालों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, हौसला अफजाई करना चाहिए क्योंकि उनसे कहीं न कहीं हमारे प्रदेश के छात्र ही लाभान्वित होते हैं और मान्यवर, एक मेडिकल कालेज है, दूसरा न खुले, एक विश्वविद्यालय है, दूसरा न खुले, जैसा कि पूर्व में भी लगभग 2007 से ले करके अब तक 18 विश्वविद्यालयों को हम लोगों ने इसी सदन में कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में स्वीकृति प्रदान की है। डाक्टर साहब बुद्धिजीवी भी हैं, प्रबुद्ध भी हैं, खुद डाक्टर हैं, हम समझते थे, इस विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीफ करेंगे, उसके सम्बन्ध में दो शब्द कहेंगे। बात सत्तापक्ष और विपक्ष की नहीं है, जनहित में यदि कोई कार्य हो रहा हो तो उसे हमें स्वागत करना चाहिए और रही बात विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और मेडिकल की गुणवत्ता को परखने की तो जब विश्वविद्यालय अभी स्थापित ही नहीं हुआ, जहां रही बात मेडिकल कालेज की, उसके लिए मेडिकल बोर्ड बना हुआ है, समय–समय पर

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेडिकल बोर्ड परीक्षण करता है, मान्यता देता भी है, मान्यता छीनता भी है। इसलिए हम समझते हैं कि मंशा कहीं न कहीं डाक्टर साहब की इस गुणवत्तापरक शिक्षा की नहीं है। इत्तिफाक से एरा मेडिकल कालेज अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित किया जाता है तो अल्पसंख्यकों द्वारा विश्वविद्यालय संचालित किया जाना, हम समझते हैं कि शायद डाक्टर साहब इसको ग्राह्य नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं इस पर अपना अभिमत देता हूं कि विश्वविद्यालय केवल एरा ही नहीं और भी कोई विश्वविद्यालय स्थापित होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं क्योंकि शिक्षा, विकास में कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित होगा और जिस तरीके से पूरे देश में प्रतिभाशाली छात्र प्रतियोगिता के माध्यम से अपने गन्तव्य तक जाना चाहते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त हो, धन्यवाद।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, मा0 नेता प्रतिपक्ष सम्भवतः मेरी बात सुन नहीं रहे थे, इसलिए इतनी सारी बात यह कह रहे हैं। मैंने शुरूआत ही इस बात से किया हूं कि एरा मेडिकल कालेज प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। मैंने यहीं से बात शुरू की है कि देश के चुनिन्दा मेडिकल कालेजों में एरा मेडिकल कालेज का नाम आता है। 14 साल के कार्यकाल में 11वें स्थान पर देश में पहुंच जाना, 01 रुपये के पर्चे पर, भर्ती, इलाज, आपरेशन, जांच, सी0टी0 स्कैन भी एक रूपये में हो जाती है। यह सब कुछ कर लेना यह बताता है कि वह सामाजिक सेवा में लिए कितने प्रतिबद्ध होंगे तो मैं समझ नहीं पाया, माननीय विपक्ष के नेता किस दिमाग से सोच रहे थे कि वह इसे खींच कर अल्पसंख्यक के स्वरूप में ले गए। मैंने तो एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि एरा मेडिकल कालेज अच्छा नहीं है या एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए। मेरी चिन्ता तो कुछ और है। मेरी चिन्ता यह है कि एरा मेडिकल कालेज अच्छा है यह सत्य है लेकिन दूसरा सत्य यह भी है कि बहुत–से अन्य मेडिकल कालेज हैं जो अच्छे नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो नहीं हैं। हम यहां सदन में असत्य बोलकर उन्हें अच्छा सिद्ध कर ले जाये तो वहां से जो डॉक्टर्स निकलेंगे वह अच्छे नहीं होंगे। हमारी चिन्ता वहां है। इसलिए मैंने यह कहा है कि इन निजी मेडिकल कालेजों को एरा यूनिवर्सिटी से संबद्ध करके उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित करने का प्रयास करें। तो मा0 सदस्य मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा से इसमें, मैं 14 साल से इस सदन में आता हूं और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक यह क्या होता है यह मेरे जेहन में कभी रहा ही नहीं है।

(श्री प्रदीप माथुर के बोलने का प्रयास करने पर)

एक मिनट, बहुत गंभीर बातें हो रही हैं, नहीं समझ में आता है तो चुप रहिए। बैठिए। मा0 अध्यक्ष जी, यह कहा से अल्पसंख्यक का विषय ले कर चले आए मेरे नेता प्रतिपक्ष हैं तो मेरे भी नेता हैं इसलिए एक सीमा के बाद मैं इनकी आलोचना नहीं कर सकता। लेकिन मुझे आज पहली बार यह लगा है कि कभी–कभी सत्तापक्ष कहती है कि यह सुनते नहीं हैं। वह आज पहली बार मैंने देखा कि जब जमीन आतल पर यह हो गयी। इसमें मैं अपनी बात को पुनः रिट्रियेट करता हूं और मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस अधिनियम को पारित करने के साथ–साथ यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि जो

अन्य निजी मेडिकल कालेज हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करायी जाए। हमारे पास एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है।

'श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं डा0 साहब की बात से अपने आप को असंबद्ध करता हूं और नेता प्रतिपक्ष की बात से अपनी बात को सम्बद्ध करता हूं। एरा मेडिकल कालेज इस देश के गिने–चुने कालेजों में से है जो कि बेहतरीन शिक्षा देता है और उसकी मेडिकल शिक्षा का कोई जवाब नहीं है। हम लोग इस कालेज को अच्छी तरह जानते हैं और इस बात को भी पहचानते हैं कि उसकी शिक्षा की गुणवत्ता और प्रणाली क्या है। असल में कन्फ्यूजन नेता प्रतिपक्ष में इनके बीच में यह रहा कि डा0 साहब स्वयं तो एक अच्छे आदमी हैं पर जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उस तरह की बू उनको उनमें आई। तो इस बात को लेकर उन्होंने इसमें टिप्पणी की। मान्यवर, स्थिति यह है कि एरा मेडिकल कालेज इतना अच्छा है तो जब एरा विश्वविद्यालय खुलेगा तो हम समझते हैं कि बहुत बेहतरीन एजूकेशन देगा। डा0 साहब की बात से मैं सहमत हूं कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल उत्तर प्रदेश में है या लखनऊ, दिल्ली में है उनकी संबद्धता यदि एरा विश्वविद्यालय से की जायेगी तो वह उन मेडिकल कालेजस की गुणवत्ता पर भी नजर रखेंगे, पकड़ रखेंगे, जिससे कि मेडिकल सटेंर्डडस में व्यापक सुधार हो सके। क्योंकि कुछ मेडिकल कालेज में अच्छे डॉक्टर्स बन कर निकलते हैं, हाई क्लास होते हैं और कुछ कालेज में ऐसी पढ़ाई होती है कि उस गुणवत्ता के न होने पर वह लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। मैं इस बात का स्वागत करता हूं और इस बात को भी नकारता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये। इसे तो सर्वसम्मति से पास कर दिया जाये तो बेहतर रहेगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मा0 मंत्री जी।

श्री अम्बिका चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, एरा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो प्रस्ताव मैंने सदन के सम्मुख रखा है स्थापित किए जाने का और उस पर संशोधन प्रस्ताव रखते हुए डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने मा0 नेता कांग्रेस ने अपने विचार रखे हैं। श्रीमन्, ऐसे कम अवसर आते हैं जब सरकार ऐसे प्रस्ताव ले कर आती है जब प्रतिपक्ष अपनी पूरी राय मजबूती से उसके पक्ष में रखता है। डा0 अग्रवाल ने जब अपना संशोधन प्रस्ताव रखा तो उसमें उन्होंने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि जो ट्रस्ट मेडिकल कालेज का संचालन कर रहा है उसका स्तर इतना ऊंचा है कि हम उस पर गर्व कर सकते हैं। श्रीमन्, एक संस्था जो एक स्वरूप में है अगर उसके स्वरूप को विस्तार दे करके एक कालेज को एक विश्वविद्यालय बनाने की बात है। विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव ले कर के हम विधेयक के माध्यम से सदन में आए हैं, सम्पूर्ण विपक्ष ने इसका स्वागत

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया इसलिए मैं इनका धन्यवाद देता हूं। डा0 अग्रवाल साहब ने औपचारिक तौर पर रखा किन्तु नेता प्रतिपक्ष ने ठीक पहचाना। अपने सदस्यों को तो नेता पहचानता ही है, नेता प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष के लोगों को न पहचाने ऐसा तो हो नहीं सकता। नेता प्रतिपक्ष ने ठीक पहचाना कि तारीफ इतनी कि साहब, इतना बढ़िया कोई नहीं। एक रूपये के पर्चे पर अल्ट्रासाउंड और यह सारी चीजें हो जाती हैं। फिर परेशानी कहां है और हम स्वीकार करते हैं कि डा0 अग्रवाल साहब अल्पसंख्यक–बहुसंख्यक की बात नहीं करते हैं। हम इस सदन में जितने दिन से इनको देख रहे हैं, यह नहीं करते हैं किंतु मान्यवर, अवचेतन का क्या करें। अवचेतन में हम सचेतन हो कर के यह बात नहीं कर सकते किंतु अवचेतन में जो बात बनी हुई है। जो माइंड सेट में बात है वह कहीं न कहीं से निकलकर आती ही है। और इसलिए एतराज की बात आ गयी और यह इसलिए आ गयी कि सारी चीजें अच्छी हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है लेकिन अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय है। अब अगर अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय है तो स्वाभाविक रूप से हमारे संविधान में भी अल्पसंख्यक संस्थाओं के संरक्षण के लिए व्यवस्था दे रखी है। इसलिए उन प्राविधानों की सीधे आलोचना करने के बजाये एक संशोधन के माध्यम से आपने दिया है। अच्छा है। आपने इस संस्था की तारीफ की है। यहां तो हम लोगों ने ऐसी संस्थायें स्थापित कर दीं कि एक ऐसी सोसायटी आयी जिसने कभी प्राइमरी स्कूल नहीं चलाया था। जिसकी ख्याति थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कोई संस्था मा0 नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि कोई विश्वविद्यालय खोले। तो ऐसे विश्वविद्यालय भी खोलने वाले आये जो इस प्रदेश में खनन माफिया के तौर पर बड़े मशहूर थे। एक प्राइमरी स्कूल चलाने का एक्स्पीरियेंस नहीं। लेकिन उन्होंने इन्डालमेंट जमा किया, जमीन खरीदी। विश्वविद्यालय का प्रस्ताव ले आये और विश्वविद्यालय बना दिया। अब कैसे विश्वविद्यालय बने, चले उसकी बात अलग है। लेकिन एक अच्छी संस्था जिसने अपने अनुभव, अपनी सेवा से एक अच्छा नाम कमाया है वह विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है और जो विपक्ष के सभी मा0 सदस्यों की राय है। मान्यवर, कांग्रेस के सदस्यों के लिए सिर्फ एक बात कहनी है। उन्होंने दोनों से अपने को संबद्ध किया। यही कांग्रेस की जो दुविधा है, वही उसकी इस दुर्गति का कारण है। श्रीमन्, वह थोड़ी दूर तक एक के साथ चलती है और थोड़ी देर के बाद उसे यह लगता है कि यह ज्यादा अच्छा है। और खट्टे–मीठे के चक्कर में दो नावों की सवारी में जो होता है वही कांग्रेस का होगा। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं। आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसका पुरजोर समर्थन किया और जो बात मुझे कहनी चाहिए वह नेता कांग्रेस ने कहा कि सर्वसम्मति से यह पारित किया जाये। मान्यवर, मैं तो यह कहूंगा कि यह भी विधेयक पारित किया जाये और सरकार प्रदेश के जनकल्याण के लिए तमाम विधेयक जो लेकर आती है और आज जो चारों विधेयक हैं उनको ध्वनि मत से सर्वसम्मति से पारित किया जाये। इसलिए मान्यवर, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

(मेजों की थपथपाहट)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, यह एक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है। यह एक विश्वविद्यालय है। अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित हो रहा है। लेकिन इनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि इन्होंने इसे एक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का स्वरूप नहीं दिया है। एक अच्छी चीज है। दूसरी चीज अम्बिका जी क्या देख रहे हैं यह अम्बिका जी जानें। जो बात मैंने कही थी शायद वह उन्होंने नहीं सुनी। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जो ढेर सारे निजी मेडिकल कालेज आ रहे हैं। उनकी गुणवत्ता पर कहीं न कहीं नियंत्रण होना चाहिए। अब सरकार चूंकि उनकी गुणवत्ता पर नियंत्रण नहीं करना चाहती थी इस विषय पर चुप रह गयी। अन्यथा हम तो खुद ही कह रहे हैं एरा मेडिकल कालेज अगर अच्छा था और एरा यूनिवर्सिटी अच्छी होने वाली है तो हमारी इच्छा तो यही है कि इस प्रस्ताव के माध्यम से कि यह जो ढेर सारे 17–18 मेडिकल कालेज हैं उनकी गुणवत्ता पर नियंत्रण करने की कोई मैकेनिज्म बनायी जाये। सरकार अगर इससे नहीं सहमत है तो यह सरकार का विषय है। लेकिन मैं यही मानता हूं कि सरकार की चिंता होनी चाहिए कि हम उनकी गुणवत्ता पर नियंत्रण रखें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015

मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा सम्यक रूप से स्थापित एवं प्रशासित एरा एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्श में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम एरा वि वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदे ा अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

परिभाशायें

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम मेंः–

(क) ''विद्यापरिशद्'' का तात्पर्य वि वविद्यालय की विद्यापरिशद् से हैय

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य वि वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से हैय

(ग) ''कुलाधिपति'', ''प्रति–कुलाधिपति'', ''कुलपति'' और

''प्रति–कुलपति'' का तात्पर्य वि ववि़द्यालय के क्रम ाः ''कुलाधिपति'', ''प्रति–कुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति–कुलपति'' से हैय

(घ) ''सभा'' का तात्पर्य वि ववि़द्यालय की सभा से हैय

(ङ) ''निदे ाक/प्राचार्य'' का तात्पर्य किसी विद्यालय/संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र/स्कूल के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से हैय

(च) ''विभाग'' का तात्पर्य किसी अध्ययन विभाग से है और जिसमें अययन, अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र भी सम्मिलित हैंय

(छ) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य वि ववि़द्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें वि ववि़द्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैंय

(ज) ''कार्यपरिशद्'' का तात्पर्य वि ववि़द्यालय की कार्य परिशद् से हैय

(झ) ''विद्यमान महाविद्यालय'' का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक ि ाक्षा प्रदान करता है तथा जिसे वि ववि़द्यालय द्वारा विलयन करना, चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित हैय

(ञ) ''संकाय'' का तात्पर्य वि ववि़द्यालय के संकाय से हैय

(ट) ''छात्रावास'' का तात्पर्य वि ववि़द्यालय के भाोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से हैय

(ठ) ''संस्था/महाविद्यालय'' का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार वि ववि़द्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक होय

(ड) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) ''अभिलेखों और प्रका ानों'' का तात्पर्य वि ववि़द्यालय के अभिलेखों और प्रका ानों से हैय

(ण) ''विनियामक निकाय'' का तात्पर्य समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सांविधिक निकायों से है, यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उसके अंतर्गत आल इण्डिया कौंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन, बार कौंसिल आफ इण्डिया, डिस्टैंट एजूकेशन कौंसिल, डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया, नेशनल कौंसिल फार टीचर एजूकेशन, सेन्ट्रल काउंसिल फार इण्डियन मेडिसिन, फार्मेसी कौंसिल आफ इण्डिया इत्यादि भी हैंय

(त) ''परिनियमों'' और ''अध्यादे ाों'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत वि ववविद्यालय के क्रम ाः परिनियमों और अध्यादे ाों से हैय

(थ) ''छात्र'' का तात्पर्य वि ववविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से हैय

(द) ''वि ववविद्यालय के अध्यापक'' का तात्पर्य आचार्य, उपाचार्य, सहआचार्य, सहायक आचार्य या प्राध्यापक और किसी अन्य व्यक्ति से है जिन्हें वि ववविद्यालय में ि ाक्षा/प्रशिक्षण प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय में नियुक्त किया जाए और अध्यादे ाों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जायय

(ध) ''कोशाध्यक्ष'', ''कुलसचिव'', ''उप कुलसचिव'', ''वित्त अधिकारी'', ''परीक्षा नियन्त्रक'', ''पुस्तकालयाध्यक्ष'' या ''कुलानु ाासक'' का तात्पर्य वि ववविद्यालय के क्रम ाः कोशाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानु ाासक से हैय

(न) ''ट्रस्ट'' का तात्पर्य एरा एजुकेशनल ट्रस्ट, कार्यालय 88, विक्टोरिया स्ट्रीट (तुलसी दास मार्ग), लखनऊ से है जो सब–रजिस्ट्रार–प्रथम, लखनऊ के कार्यालय में पंजीकृत है तथा मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा शिक्षा प्रदान करने हेतु वर्ष 1995 में स्थापित तथा प्रशासित '' लाभरहित'' ट्रस्ट हैय

(य) ''वि ववविद्यालय'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन ट्रस्ट के द्वारा स्थापित एरा वि ववविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदे ा से हैय

(र) ''कुलाध्यक्ष'' का तात्पर्य विश्वद्यिालय के कुलाध्यक्ष से है।

वि ववविद्यालय की स्थापना

3–(1) लखनऊ, उत्तर प्रदे ा में ट्रस्ट द्वारा एरा वि ववविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदे ा के नाम से एक वि ववविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) वि ववविद्यालय एक निगमित निकाय और चिर उत्तराधिकारी तथा सामान्य विश्वविद्यालय होगा ।

वि ववविद्यालय की स्थापना के लिए भार्ते

4–ट्रस्ट, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन वि ववविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित भार्ते पूरी करेगा, अर्थातः–

(क) रूपये 10.00 (दस) करोड़ की स्थायी विन्यास निधि की स्थापना करेगाय

(ख) वि ववविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 40 एकड़ परस्पर जुड़ी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व होय

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिश्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्गमीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगा जिसमें से न्यूनतम 50 प्रति ात का उपयोग भौक्षिक और प्र ाासनिक प्रयोजनों के

लिये किया जायेगाय

(घ) खण्ड (ग) में निर्दिश्ट भवन के कार्यालय और प्रयोग ाालाओं में न्यूनतम एक (1) करोड रूपये मूल्य के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां, अवस्थापना सुविधायें ख्उपरोक्त (ग) में उल्लिखित भवन से भिन्न, स्थापित करेगा तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां क्रय की जायेंगीं तथा आगामी पांच वर्शो में न्यूनतम चार (4) करोड़ रुपये मूल्य के कम्प्यूटर, फर्नीचर आस्तियां तथा अवस्थापना सुविधायें ख्उपरोक्त (ग) में उल्लिखित भवन से भिन्न, तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए वचनवद्ध होगाय

(ङ) प्रत्येक विभाग या शाखा में कम से कम एक आचार्य, दो सह–आचार्य तथा पर्याप्त संख्या में सह–आचार्य तथा सपोर्टिंग स्टाफ को नियुक्त करेगाय

(च) पुस्तकालय हेतु न्यूनतम दस (10) लाख रूपये की पुस्तकें व पत्रिकाओं का क्रय किया जायेगा तथा प्रथम तीन वर्शों में पुस्तकों, पत्रिकाओं, कम्प्यूटर लाइब्रेरी, नेटवर्किंग तथा अन्य पुस्तकालय सुविधाओं हेतु न्यूनतम पचास (50) लाख रूपये का विनिधान करने की वचनवद्धता होगीय

(छ) छात्रों के लिए पाठ्य चर्चा के साथ गतिविधियां, पाठ्य चर्चा से भिन्न गतिविधियां, वाद–विवाद प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरीय कार्यक्रम, खेल–कूद, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार व्यवस्था करने की वचनवद्धता होगीय

(ज) वि ववविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.), एन.सी.टी.ई., एम.सी.आई., डी.सी.आई., आई.एन.सी., सी.सी.आई.एम., बी.सी. आई. एवं केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य संवैधानिक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं ार्तों की पूर्ति की जायेगीय

(झ) वि ववविद्यालय के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने का वचन देगाय

(ञ) वि ववविद्यालय के प्र ाासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादे ा बनाएगाय

(ट) ऐसी अन्य भार्तें जिनको वि ववविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जायय

(ठ) वि ववविद्यालय द्वारा की गई कोई भी व्यवस्था

वि ववविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य विनियामक निकायों के अधिनियम एवं विनियमावली के प्राविधानों से भिन्न नहीं होगीय

(ड) विश्वविद्यालय के पारदर्शितापूर्ण संचालन हेतु विनियामक निकायों द्वारा प्राप्त अनापत्तियों को ''पब्लिक डोमेन'' में रखा जायेगाय

वि ववविद्यालय का आरम्भ

5–(1) राज्य सरकार द्वारा वि ववविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिए ट्रस्ट को प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के प चात ही वि ववविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, ट्रस्ट से इस आ ाय का अभिलेखों सहित असंदिग्ध शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कि धारा–4 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, प्राधिकार पत्र जारी करेगी ।

वि ववविद्यालय के उद्दे य

6– वि ववविद्यालय का उद्दे य विद्या की ऐसी भााखाओं में जिसे वि ववविद्यालय उचित समझे, अनुदे ा, शोध और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके, ज्ञान एवं कौशल का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और वि ववविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित की प्रोन्नति के लिए आव यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगाः–

(क) ि ाक्षा में अभिनवीकरण करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रि ाक्षण और ज्ञानार्जन, जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर ि ाक्षा और ऐसे अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्र ास्त हो सकेय

(ख) विभिन्न भााखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति करनाय

(ग) अन्त ार्ााखीय अध्ययन की व्यवस्था करनाय

(घ) राश्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राश्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अन्तःक्रिया।

वि ववविद्यालय की भाक्तियॉ

7– वि ववविद्यालय की निम्नलिखित भाक्तियां होंगी, अर्थात्:–

(क) विद्या की ऐसी भााखाओं में, जिन्हें वि ववविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे, ि ाक्षण की व्यवस्था करना और शोध के लिए तथा ज्ञान और कौ ाल की अभिवृद्धि, और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करनाय

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, सजीवन विज्ञान, वास्तुकला, जैवचिकित्सा विज्ञान, आयुर्विज्ञान, दंत चिकित्सा विज्ञान, अन्य विभिन्न विज्ञान पाठ्यक्रम जो विशिष्टतः उल्लिखित नहीं हैं, नर्सिंग, पुनर्वास, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि, फार्मेसी, प्रबन्धन, होटल एवं आतिथ्य प्रबन्धन, विधि और अन्य व्यावसायिक पाठ्यकम एवं इतिहास, धर्म, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थ ाास्त्र, मानविकी, द ान भााास्त्र, भाषा, शिक्षा, पत्रकारिता, सामाजिक विज्ञान, संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा आदि या समय–समय पर विद्यापरिषद् द्वारा यथा विनिश्चित इन–कैम्पस, आफ–कैम्पस, आफ–शोर कैम्पस व उपगृह केन्द्रों के माध्यम से अन्य विषय या केन्द्र संचालित करने अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों आदि, जैसा

विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद द्वारा समय–समय पर विनिश्चत किया जाय, के माध्यम से ि ाक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करनाय

(ग) ि ाक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करनाय

(घ) ऐसी भार्तों के अधीन रहते हुए जिन्हे वि ववविद्यालय अवधारित करें, व्यक्तियों की परीक्षायें, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण.पत्र एवम् उपाधियाँ या अन्य भौक्षणिक वि ि ाश्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण.पत्रों, उपाधियों और भौक्षणिक वि ि ाश्टताओं को वापस लेनाय

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य वि ि ाश्टताएं प्रदान करनाय

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो वि ववविद्यालय के सदस्य नही हैंए ि ाक्षण तथा प्र ि ाक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैंय

(छ)वि ववविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सहआचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या भौक्षणिक पद यू जी सी मानकों और राज्य सरकार की विनियमावलियों के अनुसार संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियां करनाय

(ज) प्र ाासकीय, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करनाय

(झ) किसी अन्य वि ववविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हे वि ि ाश्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिश्ट अवधि के लिए नियुक्त करना या काम पर लगानाय

(ञ) दे ा और विदे ा के किसी अन्य वि ववविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा वि ववविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य, सहयोग करना या उनको सहयुक्त करनाय

(ट) शोध और ि ाक्षा के लिए परिसरों, संघटक महाविद्यालयों, सह महाविद्यालयों, विद्यालयों, संस्थाओं, चिकित्सालयों, शोध केंन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों और ऐसे अन्य केन्द्रों, वि ि ाश्टीकृत प्रयोग ाालाओं या अन्य इकाईयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो वि ववविद्यालय की राय में उसके उद्दे य को अग्रसर करने के लिए आव यक होय

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोशिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करनाय

(ड) वि ववविद्यालय के अर्न्तगत आवासों, छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवं

कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करनाय

(ढ) शोध और परामर्शी सेवाओं तथा उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाईयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा वि वविद्यालय आव यक समझेंय

(ण) परिनियमों के अनुसार यथा स्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोशणा करनाय

(त) वि वविद्यालय में प्रवे ा के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तत्समय विधि सम्मत मानक निर्धारित करना जिसके अर्न्तगत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकती हैय

(थ) फीस और अन्य प्रभारों को विहित करना, उनकी मॉग करना और उनका भुगतान प्राप्त करनाय

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के संबंध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझेंय

(ध) वि वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनु ाासन विनियमित करना और उसका पालन कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनु ाासनिक उपाय करना जैसा वि वविद्यालय द्वारा आव यक समझा जायय

(न) वि वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्बर्द्धन के लिए व्यवस्था करनाय

(प) वि वविद्यालय के कल्याण के लिए ट्रस्ट के पूर्व अनुमोदन से दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करनाय

(फ) वि वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट के अनुमोदन से वि वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना या उसे बंधक रखनाय

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अभ्यागत आचार्यों, प्रतिश्ठित आचार्यों, परामि र्यों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो वि वविद्यालय के उद्दे यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकेंय

(भ) बहिर्वर्ती अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेनाय और

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो वि वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्दे यों की प्राप्ति के लिए आव यक, आनुशंगिक या सहायक हों।

प्रवे ा और भौक्षणिक मानक

8–(1) विभिन्न भौक्षिक कार्यक्रमों में प्रवे ा तत्समय प्रवृत्त विधियों और समय.समय पर इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी परिनियमावली तथा अध्यादे ाों के अनुसार किये जायेगें।

(2) वि ववविद्यालय यह सुनि चत करेगा कि वि ववविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के भौक्षिक मानक यथास्थिति वि ववविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकायों के दि ाा.निर्दे ाों के अनुसार हो।

(3) अध्यापक–छात्र अनुपात वि ववविद्यालय अनुदान आयोग तथा वि ाि ष्ट परिशद के दि ाा.निर्दे ाों के अनुसार होगा।

(4) कुलाधिपति द्वारा बनाई गई एक भौक्षणिक वि ोशज्ञों की समिति निर्धारित मानकों पर विश्वविद्यालय के भौक्षणिक कार्यों की समय.समय पर समीक्षा करेगी जिसमें एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य होंगे।

(5) अध्यक्ष एवं अन्य दो वि ोशज्ञ सदस्य भौक्षणिक क्षेत्र से होंगे और आचार्य की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे और वि ववविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे वि ोशज्ञताओं में से एक में होंगे। समिति की रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी और वि ववविद्यालय की सभा में अग्रतर आव यक कार्यवाही हेतु विचार विमर्श होगा।

वि ववविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9–वि ववविद्यालय प्रत्येक लिंग, वं ाा, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और वि ववविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवे ा किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्दे य से धार्मिक वि वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करेंरू

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश में आरक्षण के लिये समुचित उपबन्ध बनाने से संस्थान पर तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार रोकती है।

कुलाध्यक्ष

10–(1) कुलाध्यक्ष की नियुक्ति ट्रस्ट द्वारा की जायेगी जैसा कि विहित किया जाय।

(2) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की शिक्षा और शोध के लिए परिसरों, संघटक महाविद्यालयों, सह महाविद्यालयों, विद्यालयों, संस्थाओं, चिकित्सालयों, शोध केंन्द्रों, प्र िक्षण केन्द्रों और ऐसे अन्य केन्द्रों, वि ाि ष्टीकृत प्रयोग ााालाओं या अन्य इकाईयों का ि िक्षा, अनु ाासन, ाालीनता तथा समुचित कार्यप्रणाली के मानकों के अनुसार निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(3) कुलाध्यक्ष को कुलाधिपति द्वारा उसको निर्दिष्ट विवाद के मामलों में कोई भी कार्यवाई करने का अधिकार होगा।

वि ववविद्यालय के अधिकारी

11– वि ववविद्यालय के निम्नलिखित अन्य अधिकारी होंगेः–

(क) कुलाधिपति;

(ख) प्रति कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रतिकुलपति;

(ड•) निदे ाक/प्राचार्य;

(च) कुल सचिव;

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(झ) परीक्षा नियंत्रक;

(ञ) मुख्य कुलानु ाासक;

(ट) कोशाध्यक्ष;

(ठ) वित्त अधिकारी; और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमावली द्वारा वि वविद्यालय के अधिकारी घोशित किये जांय।

कुलाधिपति

12–(1) ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद् का गठन करेगा जिसमें न्यूनतम पांच सदस्य होंगे परन्तु दस से अनधिक सदस्य होंगे जो इस अधिनियम की धारा–24 (2) के अधीन यथा उपबंधित नियमित कार्य परिषद् के गठन होने पर अस्तित्व में नहीं रह जायेंगे।

(3) कुलाधिपति ट्रस्ट को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

(4) कुलाधिपति को अपने आदेश के साथ.साथ किसी अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा लिये गये किसी निर्णय/कार्यवाई की समीक्षा करने का अधिकार होगा और वह ऐसा कोई आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(5) कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा प्रतिकुलाधिपति अथवा कुलपति को अपनी किसी शक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है।

(6) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कुलाधिपति अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा तथा वह पुनर्नियुक्त होने के लिए पात्र होगाः

परन्तु यह कि कुलाधिपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अधिकतम छः माह की अवधि तक या जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर लें जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा।

प्रतिकुलाधिपति

13–(1) ट्रस्ट के प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिकुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) प्रतिकुलाधिपति कुलाधिपति को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रतिकुलाधिपति कुलाधिपति को स्वलिखित लेख द्वारा संबोधित कर अपना पद त्याग कर सकता है।

(4) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रतिकुलाधिपति अपने पद ग्रहण के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्त होने के लिए पात्र होगा।

कुलपति

14–(1) कुलाधिपति द्वारा कुलपति की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुलपति की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए की जायेगी और वह पुनर्नियुक्त होने के लिए पात्र होगा।

(3) कुलपति वि वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और भौक्षणिक अधिकारी होगा और वि वविद्यालय के विद्या परिशद एवं योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह वि वविद्यालय के कार्य कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और वि वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनि चयों को प्रभावी करेगा।

(4) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आव यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन वि वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भाक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगारू

परन्तु यह कि वि वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदे ा के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करें। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुश्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(5) कुलपति ऐसी अन्य भाक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

15–(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा कार्य परिशद के अनुमोदन से की जायेगी और वह ऐसी भाक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति–कुलपति अपने कर्तव्यों के साथ ही आचार्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रति कुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी ट्रस्ट द्वारा अवधरित की जाय।

निदे ाक/ प्राचार्य

16–निदे ाक/प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी भाक्तियों और कृत्यों का संपादन करेगा जैसी विहित की जांय।

कुल सचिव

17–(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलसचिव को यह भाक्ति होगी कि वह वि ववविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करें, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करें और वह ऐसी अन्य भाक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्यपरिशद और विद्यापरिशद का पदेन सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष

18–प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी भाक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कोशाध्यक्ष

19–कोशाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी भाक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

20–(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी भाक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

21–छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित वि ववविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, भाक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किया जाए।

वि ववविद्यालय के प्राधिकारी

22–वि ववविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगेः'–

(क) सभा;

(ख) कार्यपरिशद ;

(ग) विद्यापरिशद;

(घ) वित्त समिति;

(ड•) नियोजन बोर्ड;

(च) संकाय बोर्ड,

(छ) प्रवे ा समिति

(ज) परीक्षा समिति;

(झ) अनु ाासन समिति;

(ञ) भाोध समिति; और

(ट) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा वि ववविद्यालय का प्राधिकारी घोशित किया जाय।

सभा

23––(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित भाक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(क) वि ववि़द्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों को समय–समय पर पुनरीक्षण करना और वि ववि़द्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देनाय

(ख) वि ववि़द्यालय की वार्शिक रिपोर्ट और वार्शिक लेखों और ऐसे लेखों पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) उसको परामर्श के लिए निर्दिष्ट किये गये किसी मामले के सम्बन्ध में कुलाधिपति को परामर्श देनाय

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।

कार्यपरिशद

24–(1) कार्यपरिशद वि ववि़द्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्यपरिशद का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी भाक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

विद्यापरिशद

25–(1) विद्यापरिशद वि ववि़द्यालय का प्रमुख भौक्षणिक निकाय होगा और परिनियमों और अध्यादे ाों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वि ववि़द्यालय की भौक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगी जिसके अर्न्तगत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं, को सम्मिलित करते हुए उसका प्रयोग करेगी।

(2) विद्यापरिशद का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी भाक्तियाँ और कृत्य ऐसे होगें जैसे विहित किया जाए।

वित्त समिति

26–(1) वित्त समिति, वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए वि ववि़द्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन भाक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

27–(1) नियोजन बोर्ड वि ववि़द्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनि ि चत करेगा कि अवस्थापना और भौक्षिक सहायता प्रणाली वि ववि़द्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिशदों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य भाक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

संकाय बोर्ड, प्रवे ा समिति, परीक्षा समिति और वि ववि़द्यालय के अन्य प्राधिकारी

28–संकाय बोर्ड, प्रवे ा समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के, जिन्हें परिनियमों द्वारा वि ववि़द्यालय के प्राधिकारी घोशित किया जाय, गठन, भाक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

परिनियमों को बनाने की भाक्ति

29–(1) कार्यपरिशद इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए कुलाधिपति के माध्यम से ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के अनुमोदन से परिनियमों को बना सकती हैं, संशोधित कर सकती हैं या

निरसित कर सकती हैं और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कर्यान्वित करने के लिए परिनियमों को लागू करेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विशय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्:–

(क) वि ववविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय–समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी भाक्तियाँ और कृत्यय

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिए उपबंध करना आव यक होय

(ग) वि ववविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, भाक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियाँय

(घ) वि ववविद्यालय के अध्यापकों और अन्य भौक्षणिक और प्र ाासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँय

(ङ) वि ववविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य भौक्षणिक एवं प्र ाासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिए दायित्व लेने के लिए एक नि चत अवधि के लिए नियुक्तिय

(च) कर्मचारियों की सेवा भार्तें, जिनके अर्न्तगत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविश्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनु ाासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैंय

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येश्ठता को भाासित करने वाले सिद्धान्तय

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और वि ववविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रियाय

(झ) वि ववविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरूद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिशद के समक्ष अपील करने की प्रक्रियाय

(ञ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जानाय

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण.पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी वि ाश्टियों का वापस लेनाय

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करनाय

(ड) छात्रों के मध्य अनु ाासन को बनाये रखनाय

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य संयुक्त और संघटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करनाय

(ण) वि ववविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित भाक्तियों का प्रत्यायोजनय

(त) अवश्यकता अनुसार किसी विशेष कार्य हेतु उपसमिति का गठन किया जानाय और

(थ) अन्य सभी विशय जो अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिशद वि ववविद्यालय के किसी प्राधिकारी की भाक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें सं ाोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिशद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विश्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिश्ट किसी मामले के सम्बन्ध में ट्रस्ट समिति के पूर्व अनुमोदनोपरान्त परिनियम में उपबन्ध करने के लिए वि ववविद्यालय को निदे ा दे सकता है और यदि कार्य परिशद् निदे ा की प्राप्ति के दिनाँक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदे ा को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्यपरिशद द्वारा ऐसे निदे ा को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विशय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के प चात् तदनुसार, जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे सं ाोधित कर सकता है।

अध्यादे ा बनाने की भाक्ति

30–इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादे ा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कार्य परिशद द्वारा बनाये जायेंगे, जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विशय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :–

(क) वि ववविद्यालय में छात्रों का प्रवे ा और इस रूप में उनका नामांकनय

(ख) वि ववविद्यालय की सभी उपाधियों, डिम्लोमा और प्रमाण.पत्र के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना जैसा कि शिक्षा परिषद द्वारा व्यक्त किया जायय

(ग) ि ाक्षण और परीक्षा का माध्यमय

(घ) उपाधि, डिम्लोमा, प्रमाण.पत्र तथा भौक्षणिक वि ाश्टियाँ प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपायय

(ङ) वित्तीय समिति की संस्तुति अनुसार वि ववविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं, डिग्री, डिम्लोमा और प्रमाण.पत्रों के लिए प्रभार्य भाुल्क का निर्धारणय

(च) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदकों और पारिताशिकों को प्रदान करने की भार्तेय

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अर्न्तगत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैंय

(ज) वि ववविद्यालय के छात्रों के निवास की भार्तेय

(झ) छात्राओं के निवास, अनु ाासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली वि ोश व्यवस्थायें, यदि कोई हों और उनके लिए वि ववविद्यालय के अन्तर्गत वि ोश अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करनाय

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँय

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्त ार्खीय अध्ययन, वि िाश्ट केन्द्रों, वि िाश्ट प्रयोग ाालाओं,चिकित्सालयों, अनुसंधान केन्द्रों और अन्य समितियों की स्थापनाय

(ठ) अन्य वि ववविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिसके अर्न्तगत विद्वत निकाय और संघ भी हैं, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीतिय

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो वि ववविद्यालय के भौक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आव यक समझी जाय, के सृजन, संरचना और कृत्यय

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तः निरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिकय

(ण) अध्यापकों और अन्य भौक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और भार्तें जो परिनियमों द्वारा विहित न हो।

विनियम

31–इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकारी या निकाय उसके कार्यों के संचालन के लिए विनियम बना सकेगा।

वार्शिक रिर्पोट

32–(1) वि ववविद्यालय की वार्शिक रिपोर्ट कार्य परिशद् के निदे ा के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनाँक को या उसके प चात सभा को प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा विहित किया जायेगा और सभा अपनी वार्शिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा, अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो, वार्शिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्शिक लेखा

33–(1) वि ववविद्यालय का वार्शिक लेखा और तुलन पत्र वित्तीय समिति की देखरेख के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्श में कम से कम एक बार, जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगी, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्टे के साथ वार्शिक लेखों की प्रति कुलाधिपति के पर्यवेक्षणोंपरान्त सभा को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) कुलाधिपति द्वारा वार्शिक लेखों पर किसी संवीक्षा को सभा और कार्य परिशद की जानकरी में लाया जायेगा और कार्य परिशद द्वारा पुनर्विलोकन किये जाने के प चात संवीक्षाएं, यदि कोई हो, कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेंगी।

कर्मचारियों की सेवा भार्ते

34––(1) वि वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) वि वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिश्ट किया जायेगा, जो निर्दे ा के दिनाँक से तीन माह के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के प चात विवाद का विनि चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी कुलपति के आदे ा के विरूद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से, तदर्थ आधार पर या अं ाकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनि चय कुलपति द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदे ा द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसी अपील में कुलाधिपति का विनि चय अंतिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनि चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया होगा।

अपील करने का अधिकार

35–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथा स्थिति, विद्या परिशद, कुलानु ाासक बोर्ड या परीक्षा नियन्त्रक के आदे ाों या संकल्प द्वारा वि वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्श के लिए वि वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, लिखित रूप में अपने द्वारा ऐसे संकल्प की प्रति या ऐसे आदे ाों की प्राप्ति के दिनाँक के दस दिन के भीतर कुलपति को अपील कर सकता है जो यथा स्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनि चय को पुश्ट, उपान्तरित या पलट सकता है ।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अंतिम होगा।

कर्मचारी भविश्य निधि और पें ान

36–वि वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी भार्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिशद द्वारा अवधारित ऐसी पें ान या कल्याणकारी योजना या भविश्यनिधि का गठन कर सकता है, ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है, जैसा कार्य परिशद द्वारा नि चित किया जाये।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

37–यदि ऐसा कोई प्र न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति वि वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने

का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिश्ट किया जायेगा, जिसका उस विशय में विनि चय अंतिम होगा।

समितियों का गठन

38–जहाँ वि वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियाँ नियुक्त करने की भाक्ति दी गयी हो वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझें।

रिक्तियों का भरा जाना

39– वि वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को, जिनके स्थान रिक्त हुए हैं, नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किया था नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किये गये अवधि की भोश अवधि के लिए यथाभाक्य भीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अविधिमान्यता

40–वि वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यो में किसी रिक्त या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

वि वविद्यालय के अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की रीति

41–वि वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज, जो वि वविद्यालय के आधिपत्य में हों, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदे ा, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविश्टि की विद्यमानता प्रथमदृश्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विशय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा, यदि प्रस्तुत मूल प्रति साक्ष्य के रूप में अनुमन्य रही हो।

परिनियमों और अध्यादे ाों का प्रका ान

42–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादे ा लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादे ा सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथा ाीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि

43–(1) वि वविद्यालय विधि अनुसार कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा और राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इस निधि की मूल धनराशि से कोई धन आहरित नहीं किया जायेगा।

(2) वि वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवे ा करने की भाक्ति होगी।

(3) वि वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनरा ि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकता है।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिश्ट न्यूनतम धनरा ि से अधिक कोई धनरा ि वि वविद्यालय के प्रयोजनों और आवर्तक व्ययों के लिए वि वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

44–(1) वि ववविद्यालय एक सामान्य संगठित निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनरा ि ा जमा की जायेगी, अर्थात्:–

(क) सभी भाुल्क जिसे वि ववविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय य

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनरा ि ाय

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदानय और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निशिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अं ादान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनरा ि ा का उपयोग वि ववविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जायेगा तथा इस निधि की अन्य अतिरिक्त धनरा ि ा को विकास निधि में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

विकास निधि

45–(1) वि ववविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनरा ि ा जमा की जायेगी, अर्थात्:–

(क) विकास भाुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता हैय

(ख) वि ववविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनरा ि ाय

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अं ादानय

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा निशिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अं ादानय और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय.समय पर जमा की गयी धनरा ि ा का उपयोग वि वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

46–धारा 43, 44 एवं 45 के आधीन स्थापित निधियों को वित्तीय समिति के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा, जैसी विहित की जाय।

वित्तीय भार्तें

47–वि वविद्यालय स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय है और राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता पर निर्भर नहीं होगा।

भुाल्क

48–विभिन्न भौक्षणिक कार्यक्रमों के लिये प्रभारित किया जाने वाला भुाल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किया जाएगा।

सूचनाओं एवं अभिलेखों की मांग करने के लिए राज्य सरकार की भाक्तियाँ

49–(1) वि वविद्यालय अथवा वि वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह वि वविद्यालय के प्र ाासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि यह पाती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादे ाों के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा 53 के अधीन वि वविद्यालय को ऐसे निदे ा जारी कर सकती है जिसे वह आव यक समझे।

वि वविद्यालय का विघटन

50–(1) यदि ट्रस्ट विश्वविद्यालय के गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार विश्वविद्यालय विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिश्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार वि वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक वि वविद्यालय के नियमित ि ाक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने नियमित पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान वि वविद्यालय का व्यय

51–(1) धारा 50 के अधीन वि वविद्यालय का दाायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान वि वविद्यालय के प्र ाासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिश्ट निधियाँ वि वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान वि वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हों तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय वि वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा वि वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

52–(1) जहाँ राज्य सरकार कोई शिकायत प्राप्त करती है और पाती है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो इस संबंध में वह वि वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि वह ऐसे

समय के भीतर जो छः माह से कम नहीं होगा, कारण बताए कि वि ववि‌द्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई नोटिस पर वि ववि‌द्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार संतुष्ट हो जाय कि वि ववि‌द्यालय के कार्यों में प्रथमदृश्टया इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंधन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदे ा देगी जिसे वह आव यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच के लिये नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का, वि ाश्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में, विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की भाक्ति होगी, अर्थात् :–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और भापथ दिलाकर उसका बयान लेनाय

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) भापथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि वि ववि‌द्यालय ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो वह वि ववि‌द्यालय को निदे ा देगी कि वह आव यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिये सुझाव दे।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि वि ववि‌द्यालय ने लगातार तीन बार इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार, ऐसे समय के भीतर जिसकी अवधि दो माह से कम नहीं होगी, वि ववि‌द्यालय से यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकती है कि क्यों न विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले ली जाय। यदि विश्वविद्यालय के उक्त उत्तर की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उपबन्धों का जानबूझकर उल्लंघन का मामला बनता है तो वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से शासकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा वि ववि‌द्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन वि ववि‌द्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, विघटन के उपरान्त राज्य सरकार का स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग वि ववि‌द्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी, यदि वि ववि‌द्यालय की निधियाँ, वि ववि‌द्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय पूरा करने के लिये वि ववि‌द्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकती है जब तक वि ववि‌द्यालय के नियमित

ि ाक्षण पाठयक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने नियमित पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, जैसी विहित की जाय।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी तथा दोनों सदनों की कुल सदस्यता की दो तिहाई बहुमत के आधार पर पारित की जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विशयक मामलों में निर्दे ा देने की भाक्ति

53–राज्य सरकार समय.समय पर वि वविद्यालय को ऐसे नीति विशयक निर्दे ा जारी कर सकती है, जैसा वह आव यक समझे व जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसे निर्दे ा का अनुपालन वि वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

विघटन होने पर परिसम्पत्तियाँ/ उत्तरदायित्व की प्रास्थिति

54–अधिनियमों में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन वि वविद्यालय के विघटन/ मान्यता वापस लिए जाने की स्थिति में वि वविद्यालय की समस्त आस्तियाँ और सम्पत्तियाँ, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है, तथा वि वविद्यालय के दायित्व ट्रस्ट से संविलित हो जायेंगे।

कठिनाईयाँ दूर करने की भाक्ति

55–राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, वि ाश्टतः उत्तर प्रदे ा राज्य सरकार वि वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्दे ा दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि, में जो आदे ा में विनिर्दिश्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वह परिश्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आव यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के आरम्भ के दिनांक से दो वर्श के प चात् ऐसा कोई आदे ा नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदे ा किये जाने के बाद यथा ाीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदे ा पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई, जैसी उपधारा में निर्दिश्ट की गई है, विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–55 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

ख03.06, उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञान से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

अध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और इसके साथ एक सैद्धान्तिक प्रश्न जुड़ा है, हम बी0ए0 की डिग्री देते हैं, इतिहास में कला में विभिन्न विषयों में, उन तीन विषयों में से कोई एक विषय में एम0ए0 करता है और फिर उसी में वह पी0एच0डी0 करता है, कोई कॉमर्स की डिग्री लेता है और कॉमर्स के क्षेत्र में काम करता है, कोई आर्किट्रेक्चर की डिग्री लेता है और आर्किट्रेक्चर के क्षेत्र में काम करता है, जब कोई मेडिकल लाईन में जाने का प्रयास करता है तो कोई एम0बी0बी0एस0 की डिग्री प्राप्त करता है और एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से इलाज करता है, कोई बी0एम0एस0 की डिग्री लेता है और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करता है, कोई यूनानी की डिग्री प्राप्त करता है और यूनानी चिकित्सा पद्धति से इलाज करता है। मा0 उच्चतम न्यायालय का जो इस पर निर्देश रहा है कि किसी एक विधा से सीखकर किसी दूसरे विधा की चिकित्सा पद्धति का उपयोग न करें, क्योंकि उसके बारे में उन्हें न तो ज्ञान होता है, न उसके बारे में किसी विशेष प्रकार की परीक्षा से वह गुजरे होते हैं और न ही पूरे विश्वास के साथ वह मरीजों का इलाज कर सकते हैं और इस नाते जो नीम हकीम खतरे जान की स्थिति होती है, वही स्थिति पैदा होगी, अगर एलोपैथी का डाक्टर आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग करे या आयुर्वेदिक का डाक्टर एलोपैथिक दवा का प्रयोग करे, सारा विषय मूल चिन्तन यही है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, वैदिक काल से लगातार इसका विकास होता आया है और उस जमाने से हुआ अध्यक्ष महोदय, जब पूरी दुनिया में चिकित्सा नाम की कोई विद्या नहीं हुआ करती थी, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता हममें से लोगों ने सारा न कहा हो, लेकिन फिर भी उसका जो नक्शल है वह सब खुल जाता है, जिस जमाने में कोई चिकित्सा पद्धति नहीं के मायने थी, उस जमाने से हम इलाज करते चले आ रहे हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से। ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति जिनको हम लोगों ने श्रृद्धांजलि दी, उनकी एक बड़ी अच्छी किताब आई, उन्होंने जिक्र किया है इस बात का

कि कैसे एक फ्रांसीसी अग्रेजी सेना का एक सेनापति टीपू सुल्तान से लड़ता हुआ, उसकी नाक कट गई, नाक कटने के बाद वह नाक को लेकर के घूमता रहा, उसका इलाज नहीं करा पाया और अन्त में उसे पता चला कि उससे सौ किलोमीटर दूर एक कुम्हार जो कटी नाक का बड़ा अच्छा इलाज करता है, वह अपनी कटी नाक का टुकड़ा लेकर के उस कुम्हार के पास गए और जैसे आज प्लास्टिक सर्जरी होती है, उस जमाने में आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात हो रही है, उन्होंने उस नाक के फ्लैप बनाये, नाक के फ्लैप बनाकर के नाक पर रखे और जो आर्गन रिप्लेशमेण्ट उस समय तक दुनिया में कहीं नहीं होता था, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उन्होंने कर दिखाया। उसके बाद उस पर शोध हुआ और बहुत कुछ डेवलप हुआ। आज स्थिति अध्यक्ष महोदय, यह है कि कम से कम तीन देश हमारे जो अगल–बगल के हैं, लंका, बांगलादेश और नेपाल, भारत की तरह वह भी बी0एम0एस0, एम0बी0एल0आई0 की शिक्षा देते हैं, आयुर्वेद की पढ़ाई करा रहे हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उनका इलाज कर रहे हैं, ये तीन ऐसे देश हैं और दुनिया के ऐसे कम से कम 50 देश हैं अध्यक्ष महोदय, जिनमें अमेरिका शामिल है, इंग्लैण्ड शामिल है, जर्मनी शामिल है, फ्रांस शामिल है, आस्ट्रेलिया शामिल है, सारे के सारे यूरोपियन देश शामिल हैं। जहां आज आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर शोध हो रहा है। किस प्रकार से यह एक सुरक्षित चिकित्सा पद्धति जो बिना किसी नुकसान के इलाज करती है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जहां ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति भी सफल नहीं हो पाती, वहां भी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति लाभ कर रही है, आज पूरी दुनिया में उस पर शोध चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना बहुत साफ है, हमारी अपनी विधा है, हमारी जमीन से निकल कर आज पूरी दुनिया में इसकी एक स्वीकृति मिली है, पूरी दुनिया में इसमें शोध होने लगा और पढ़ाई होने लगी। हमारा अपना धर्म था बौद्ध धर्म, हमारे ही बीच से निकला था आज दुनिया के न जाने कितने देशों में यह धर्म स्थापित है, सबसे कमजोर है तो हमारे भारत में, वह कैसे हुआ मैं तो नहीं कह सकता लेकिन हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को कमजोर करने का यह विधेयक है। अब आयुर्वेद का डॉक्टर आयुर्वेद की पढ़ाई–लिखाई करके आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा नहीं करता है तो आखिर उसके पढ़ने–लिखने का मतलब क्या हुआ और हमारी यह विधा आज पूरी दुनिया में जो फैल रही है, हमारी ही दुनिया में पिछड़ती कैसी जा रही है। मेरा जो भी प्रश्न है वह सैद्धांतिक है। अगर कोई ऐसा स्कूल चलता मैं उदाहरण दे सकता हूं एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, के0 अनडुप्पा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के निदेशक तक बने हैं वह एलोपैथिक मेडिकल कालेज में, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एम0बी0बी0एस0 का कोर्स किया, एम0बी0बी0एस0 का कोर्स करने के बाद उनकी एम0बी0बी0एस0 और एम0डी0ए0वाई0 दोनों में बराबर की योग्यता हुई और डा0 के0 अनडुप्पा एम0बी0बी0एस0, आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों के एक संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञाता के रूप में स्थापित हो गए। तो यदि कोई ऐसे ज्ञान सरकार देने की व्यवस्था करें कि हमें उन्हें एलोपैथी की विशेष रूप से शिक्षा देंगे उन्हें एलोपैथिक के रूप में प्रशिक्षित करके इस योग्य बनाएंगे, क्योंकि सरकार में ऐसी योजनायें चलती रहती हैं। सरकार ने एक बार

यह योजना बनायी थी कि पांच साल की जगह तीन साल का कोर्स चलाकर हम एलोपैथिक डॉक्टर तैयार कर देंगे। आप अगर करना चाहते हैं तो करिए उनमें इन बच्चों का जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में पढ़कर आ रहे हैं, आपको लगता है कि एलोपैथिक के प्रशिक्षण करके हम गांवों में चिकित्सकों की कमियों को दूर कर सकते हैं, तो आप करिये लेकिन पूरी की पूरी एक चिकित्सा पद्धति को जिस पर भारत गर्व करता है। जिस पर आज पूरी दुनिया शोध कर रही है, हम अपने ही देश में यह कह दें कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से पढ़े हुए लोग एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करने की छूट पाएंगे। मुझे लगता है माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अगर ध्यान में रखा जाए तो शायद यह उचित नहीं होगा, मेरा जो कुछ भी प्रस्ताव है इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने का इसी सैद्धांन्तिक आधार पर है। शेष सरकार की अपनी बहुमत है, सरकार जो चाहे करे।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, डा0 अग्रवाल साहब ने सैद्धांन्तिक बातें कही हैं और इसलिए मैं सैद्धांन्तिक पहलू पर ही अपने को रोकना चाहूंगा इस विधेयक के बारे में बात करते हुए। श्रीमन् जो आज की स्थिति है इस सदन में पिछले अनेक वर्षों से लगभग दो दशक से ज्यादा समय से लगातार जब भी सत्र होते हैं, तो चिकित्सकों की कमी की चर्चा आती है। और सरकार में जो भी हो, यहां जो भी सरकार पदारूढ़ रही हो, जो भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हो, माननीय मुख्य मंत्री रहे हो हमेशा इस कठिनाई को सम्मुख रखा जाता रहा है। और बार–बार प्रयास करने के बावजूद भी, सारी सुविधायें दे देने के बावजूद, इतनी आधुनिकतम मशीनें लगा देने के बावजूद, सारी दवाई मुफ्त कर देने के बावजूद, 108 एम्बुलेंन्स चला देने के बावजूद, जो ह्यूमन रिर्सोस है चिकित्सक के तौर पर जिस डॉक्टर की आवश्यकता है मान्यवर, उसको तो खरीद करके नहीं किया जा सकता। इसीलिए मेडिकल कालेज में सीटों को बढ़ाने का प्राविधान माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया बहुत सराहनीय कदम उठाया कि किसी–तरीके से ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कालेज मिले, ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, जो एक्जिस्टिंग मेडिकल कालेज हैं, उनमें सीटे बढाई जायें और यह सब कराकर के मान्यवर, किसी प्रकार डॉक्टरों की कमी इस प्रदेश में पूरी की जा सके इसका प्रयास सरकार अपनी जगह पर कर रही है। दूसरी ओर सच्चाई क्या है, दूसरी ओर सच्चाई यह है मान्यवर, कि अस्पतालों तक पहुंचने के पूर्व गांवों से जो लोग चलकर जाते हैं, उनको चिकित्सा की व्यवस्था के लिए सारे मरीज अगर इन अस्पतालों में चले जाएं और रात–दिन चौबीस घंटे भी यह अस्पताल काम करें तो भी उनको चिकित्सा समुचित रूप से मिल पाना संभव नहीं है अभी भी एक ओ0पी0डी0 में एक डॉक्टर 250,300 मरीज को देखता है मान्यवर, जिला चिकित्सालयों में, कभी–कभी इससे भी ज्यादा। इस व्यवस्था को कभी झोलाछाप लोग, कभी दूसरे लोग झोलाछाप जिन्हें कह देते हैं ऐसे लोग जिन्होंने मेडिकल साइन्स की बिल्कुल पढ़ाई की ही नहीं ऐसे लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई आर0एम0पी0 के नाम पर। श्रीमन् उसमें ऐसे लोग जिन्होंने मेडिकल कालेज से पढ़ाई की एलोपैथी की नहीं की लेकिन उनको

बकायदा एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की भांति पहले वाले लोगों को तरह उनको फिजियोलॉजी, अनाटॉमी, फार्मकोलॉजी और जो उनके अन्य विषय हैं जिससे वह मानव शरीर की रचना को भी समझें, औषधियों के प्रभाव को भी समझें, औषधियों की रचना को भी समझे और जिस सीमा तक वह इनका प्रयोग कर सकते हो, उस सीमा तक उनको एलाउ किया जाए। श्रीमन् हमने उनको ऑपरेशन थेटर में सर्जरी एलाऊ नहीं किया है। हमने उनको आपरेशन थिएटर में सर्जरी एलाऊ नहीं की हमने उनको पैरिटी एलाऊ नहीं की कि वह समान हो जायेंगे और उनको सर्जरी करने की इजाजत हो जायेगी और वह न्यूरो सर्जन हो जायेंगे जो चाहे वह करेंगे, ऐसा नहीं है लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो इन सबसे अपने नजदीक की बस्ती में आस–पास लोग जो मेडिसिन के जो प्रशिक्षित लोग है वह योग्य है कि वह दवाईयों की संरचना को भी समझते हैं उसके काम्पलीकेशन को भी समझते हैं। अन्तिम तौर पर वह रिफरल या सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर नहीं है। उसका अलग लेवल है आवश्यकता पड़ेगी तो भेजेंगें लेकिन बेसिक लेवल पर ग्राउण्ड लेवल पर चिकित्सा मिल सके ताकि सुपर स्पेशलिटी और रिफरल सेन्टर्स पर बहुत ज्यादा भीड़ भी न हो सके उनको समुचित चिकित्सा सस्ते में मिल सके इस कारण से भी यह प्राविधान किया गया है और पूरे प्रदेश में इसका भारी स्वागत हुआ। जिस दिन भी मंत्रि परिषद ने इसका निर्णय लिया कि इण्डियन मैडिसिन के डाक्टर्स को एलोपैथी प्रैक्टिस की अनुमति होगी पूरे प्रदेश में इसका पुरजोर स्वागत हुआ है और इसलिए आज यह विधेयक हम सदन में लेकर आये हैं कि उनको अनुमति देने में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है और आपने ठीक उल्लेख किया कि आयुर्वेदिक चिकित्सा हमारे यहां बहुत उन्नत थी और उसको और उन्नत करने की आवश्यकता है, इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। उदाहरण भी आपने अच्छा दिया कि डा0 अब्दुल कलाम साहब ने चर्चा की कि फ्रान्सिसी कमाण्डर की नाक कट गई तो लगाया कैसे, यह अच्छी बात है। हम तो उसको पुनः अवसर देना चाहते हैं कि अब कमाण्डर नहीं रहे छोटा सिपाही भी जाये और उसकी आवश्यकता के अनुरूप अगर वह उपचार कर सकता हो तो उसका उपचार करे। मान्यवर, इसलिए यह बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का और इसकी सराहना होनी चाहिए और यह विधेयक सर्वसम्मत से पारित किया जाना चाहिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, इनकी मंशा स्पष्ट हो गयी। अब तो यह खुले आम कह रहे है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक को एलोपैथिक की चिकित्सा करनी चाहिए। यह अजीबो गरीब वक्तव्य है। आप अपने सिस्टम में डाक्टर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मै इसी सदन में बार–बार यह कहता आया हूं कि जितने हमारे सरकारी मेडिकल कालेज हैं उनको हम सरकारी पैसे पर पढ़ाते हैं। हमें उनसे बाण्ड भराना चाहिए कि एम0बी0बी0एस0 की डिग्री पाने के बाद कम से कम 10 या 15 साल वह सरकार की सेवा करें। आप वह तो करते नहीं जहां से डाक्टर मिल सकते हैं उसका तो आप प्रयास नहीं करते और आप इस प्रदेश में क्वैकरी कराना चाहते हैं। जो जिस विधा का जानकार नहीं है आप इस प्रदेश के नागरिकों को चूंकि आप अक्षम हैं, उन्हें उन क्वैक के हवाले कर देना चाहते हैं और

आप उदाहरण दे रहे हैं आर0एम0पी0 का। आप सत्ता में है, आपकी संख्या है आपको अधिकार है, इतिहास आपको याद करेगा आप मजबूती के साथ इस वाकये पर कदम बढ़ाइये हम इसे लोकतांत्रित तरीके से रोक तो नहीं सकते आपको सावधान करते हैं शेष आपकी मर्जी आप करें।

'श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

मै आपकी अनुज्ञा से इस विधेयक के बारे में कुछ ऐसे पहलू है जो अभी हमारे बीच में माननीय सदस्य डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी बोल रहे थे। सारे पहलुओं को सामने नहीं लाया गया है। असत्य तथ्य सामने रखे हैं कौन किस विधा का ट्रेण्ड है, उसका सिलेबस क्या है उसका टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है यह उसका बोर्ड तय करता है। जहां तक इण्डियन सिस्टम आफ एजुकेशन की बात है, इसका अपना बोर्ड है सेन्ट्रल कांउन्सिल आफ इडिण्या मेडिसिन जिसके साथ हमारे यहां पहले 1939 में एक्ट बना है और इस बोर्ड ने इस विधा में जितने भी कालेज खोले गये हैं जो भी सी0सी0आई0एम0 से एफिलियेटेड हैं सी0सी0आई0एम0 से बनाया गया सिलैब्स जो उससे सम्बद्ध कालेजों में चलते हैं उनके यहां का टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम आज मैं माननीय डा0 साहब को अवगत कराना चाहता हूं, साढ़े चार वर्ष की मैडिकल डिग्री लेने के बाद, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि वह लोग भी एनाटॉमी पढ़ते हैं, वह भी फिजिओलाजी पढ़ते हैं फारमाकोलाजी पढ़ते हैं टीचिंग प्रोग्राम पूरा होने के बाद जब उनको ट्रेण्ड किया जाता है तो आज भी साढ़े चार वर्ष के बाद एक वर्ष उनकी इन्टर्नशिप होती है और उस इन्टर्नशिप को एलोपैथ हास्पिटल अलग नियुक्त किया जाता है और आयुर्वेद के हास्पिटल में अलग से नियुक्त किया जाता है। 06 महीने वह किसी एलोपैथिक डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में जाकर ट्रेनिंग करता है और 06 महीने जाकर आयुर्वेदिक हास्पिटल में ट्रेनिंग करता है। एक बहुत बड़ी बात डाक्टर साहब ने कही है कि वह इस विधा एलोपैथ को नहीं जानते हैं, जो स्टूडेन्ट फार्मोकालोजी पढ़ा जो स्टूडेन्ट सीपीएमटी क्वालीफाई करके गया एक ही नम्बर पर कोई गोरखपुर मेडिकल कालेज चला गया तो कोई लखनऊ के आयुर्वेदिक कालेज में चला गया। एक ही नम्बर पर एक रैंक का फर्क हो गया किसी सब्जेक्ट में किसी को प्राथमिकता मिल गयी। प्राथमिकता अगर फिजिक्स को मिल गयी उतना ही अंक है तो फिजिक्स वाला चला गया गोरखपुर एलोपैथिक कालेज और जिसका वरीयता फिजिक्स की नहीं मिली वह चला गया लखनऊ के आयुर्वेदिक कालेज। यहां पर मान्यवर, उसको क्वैक कहा जाना जो यहां पर शर्मसार करने वाली बात है। आज साढ़े पांच वर्ष की डिग्री लेने के बाद आयुर्वेद और एलोपैथिक दोनों विधाओं में टीचिंग और ट्रेनिंग लेने के बाद अब उसे क्वैक कहा जाय आम जनता की नजर में या किसी और की नजर में तो यह शर्मसार करने वाली बात है। यह योग्यता का अपमान है और यह तय कौन करता है तय तो बोर्ड करता है जिसने सिलेबस को बनाया जब सिलेबस माडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन माडर्न कंसेप्ट

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और आयुर्वेदिक कंसेप्ट दोनों का सिलेबस तय करता है और दोनो की ट्रेनिंग दी जा रही है तो ऐसा किस आधार पर कहा जा सकता है कि वह केवल आयुर्वेद का जानकार है। मान्यवर, वह आयुर्वेद और होम्योपैथ दोनों का जानकार है। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं डाक्टर साहब से, डाक्टर साहब ने सन् 1970 के आसपास या मुझे लगता है कि 1975 के आसपास एम0बी0बी0एस0 किया होगा। मान्यवर यहां पर जितने भी माननीय सदस्यगण बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे मेडिकल साइंस में रोज नई नई रिसर्च हो रही हैं सन् 1970 से 1980 के दशक के बीच में हमारे बीच में कितनी एलोपैथिक मेडिसिन्स आई थी आज जो भी उच्च वोड स्पेक्ट्रम एन्टीबायटिक आ रहे हैं उस समय क्या इस्तेमाल किया जाता था ? बिल्कुल नहीं केवल सल्फा ड्रग इस्तेमाल किया जाता था और पेन्सिलिन इस्तेमाल किया जाता था तत्कालीन एम0एम0बी0एस0 डिग्री धारक केवल पेंनिसिलन और सल्फा ड्रग्स पढ़े थे जो आज दोनों ही आउट आफ यूज है कोई भी डाक्टर इसको यूज नहीं करता है ड्यू टू काम्पलीकेशन, ड्यू टू रिएक्शन। तभी तो कोई इसको यूज नहीं करता है डर लगता है उसको। जो डाक्टर 70 के आसपास का एमबीबीएस है जिसने केवल पेन्सलीन पढ़ा है केवल सल्फा ड्रग पढ़ा है वह आज की माडर्न मेडिसिन को कैसे लिखता है ? इसका जवाब भी हम सबको पूरे सदन को डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल के द्वारा दिया जाना चाहिए। मान्यवर, किसी की पद्धति पर, किसी के सिस्टम पर, किसी के बोर्ड पर आपको कमेन्ट करने का राइट कैसे हो सकता है यह तो बोर्ड वही तय करता है जो सिलेबस तैयार करता है जो टीचिंग और ट्रेनिंग तैयार करने की संस्था है जो सेन्ट्रल कौन्सिल आफ इन्डिया मेडिसिन है वह कहता है कि किसको कितना राइट मिलना चाहिए और सी0सी0आई0एम0 ने यह राइट दिया है कि एम0एम0बी0एस0 डिग्री धारक एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनो सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं उसके एक्ट में भी साफ साफ लिखा गया है बस यही बाते जो संज्ञान में सदन की नहीं आई थीं मैं लाना चाहता था। मैं इस विधेयक को पारित करने के लिए पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं विपक्ष में हूं लेकिन मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अपनी बाते सदन में बहुत अच्छी तरह से रखी और रखनी भी चाहिए यह किसी भी विषय के अधिवक्ता का काम होता है कि अपने मुवक्किल के पक्ष में बाते रखना। इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह जो रख रहे हैं वह पूरी तरह से सही है। माननीय सदस्य ने दो बाते कही माननीय सदस्य यह नहीं जानते कि किसी भी मेडिकल की डिग्री प्राप्त किये व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होता है कि वह रिफ्रेशर कोर्स अटेन्ड करे। प्रत्येक वर्ष किसी भी डिग्री होल्डर को यह सत्य है दो बार रिफ्रेशर कोर्स करने होते हैं और रिफ्रेशर कोर्स का डिटेल उसे अपने सर्टिफिकेट कोर्स के साथ जमा करना होता है पहली बात दूसरी बात जो इन्होंने परमीशन की बात कही मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया अब उसके अतिरिक्त इन तथ्यों को मैं फिलहाल नहीं जानता हूं। माननीय उच्चतम न्यायालय

ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जिस विधा का जानकार हो वह उस विधा की चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करेंगे। यह एक सैद्धान्तिक विषय है इसको आयुर्वेद एलोपैथ इत्यादि इत्यादि में जोड़ करके जिसको जो बहस करना हो कर ले। तथ्य और सत्य वहीं रहेंगे जो हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि सरकार अगर इतना ही चिन्तनशील है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को निकाल दे और माननीय उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय के खिलाफ काम न करे जिससे कि आगे चलकर वह फंस जाय तो ज्यादा बेहतर रहेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, हम माननीय न्यायालय का सम्पूर्ण सम्मान करते हैं और उच्चतम न्यायालय या किसी न्यायालय के अवमान के तौर पर हम यह विधेयक लेकर नहीं आये हैं। यह प्रदेश की जनता के हित में है और जैसा कि डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपनी बात में कहा और मैं सदन में स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि डाक्टरों का इग्जाम सरकार नहीं करना चाहती है। डाक्टरों की नियुक्ति के लिए जितने वान्ट्स आते हैं और जो हमारी रिक्तियां हैं, अगर हम उन सारी रिक्तियों को, हमारे यहां सभी जितने स्नातक निकलते हैं, कोई कहीं और जाये ही नहीं, शत प्रतिशत लोग अगर यहीं कर देंगे, तो भी अनेक वर्ष लग जायेंगे। जैसा कि मैं सारी बातें कह चुका हूं, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है, इसलिये श्रीमन् पूरे प्रदेश की जनता के हित में यह विधेयक है, सर्वसम्मति से पारित होना चाहिये और अब मैं डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वह अपना संशोधन वापस लेने का कष्ट करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा काम सदन में होने जा रहा है, मैं कैसे वापस ले सकता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015

संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

2–संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 की धारा–39 में, उपधारा (4) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :–

''(घ) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या–48 सन् 1970) की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अर्हता रखने वाले आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति के रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा, व्यवसायी, आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जिसे एलोपैथिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है, के व्यवसाय के लिये उस सीमा तक पात्र होंगे जहां तक वे उक्त पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और राज्य सरकार द्वारा उस आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा के साथ अधिसूचित किये गये हों जिसमें वे राज्य के रजिस्टर में रजिस्टर्ड हैं।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख03.30, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015

लोक निर्माण, सिंचाई, भूमि विकास, राजस्व मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी, अब आप संशोधन रखें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो राजस्व संशोधन ला रही है, यह एक ऐसा काला कानून है कि जिसके माध्यम से समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए उस समाज जिसको हम अनुसूचित जाति/जनजाति के नाम से कहते हैं, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, धोखा होगा। मान्यवर, भारतीय संविधान भी अपने विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से इस बात की संस्तुति करता है और अनुच्छेदों के माध्यम से प्राविधान भी करता है कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े समाज को सरकारें समय–समय पर उनके पुनरोत्थान, सामाजिक शोषण से बचाने एवं सामाजिक अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए रास्ता प्रशस्त करने का काम करें और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिये उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक है इसमें समय–समय पर एक्ट के माध्यम से उनको संरक्षण प्रदान करने की नियत से कानून बनाया गया और उत्तर प्रदेश जमींदारी एबाल्यूशन एक्ट लैन्ड रिफार्म्स एक्ट, 1950 में सबसे पहले 1969 में अनुसूचित जनजाति के लिये यू0पी0 एक्ट नं0 4 के माध्यम से यह संरक्षण प्रदान किया गया कि अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन आपस में बेचने की अनुमति जिलाधिकारी की अनुमति से है लेकिन अनुसूचित जनजाति के बाहर वह बेच नहीं सकते हैं, यह व्यवस्था थी । मान्यवर, समय के अंतराल पर सरकारों ने इस बात को भी महसूस किया कि अनुसूचित जनजाति जैसे हालात अनुसूचित जाति के भी हैं और इसीलिये मान्यवर, 1957 ए में यू0पी0 एक्ट नं0 34 के माध्यम से वर्ष 1974 में भी एक संशोधन प्रस्ताव लाया गया, जिसके माध्यम से उनको संरक्षण प्रदान करते हुये यह व्यवस्था दी गयी और प्रतिबंध लगाया गया कि अनुसूचित जाति का भूमिधर अपनी भूमि सेल डीड, गिफ्ट डीड, मैरिज डीड, लीज डीड बिना कलेक्टर की अनुमति से अनुसूचित से इतर व्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं करेगा। मान्यवर, साथ ही साथ कलेक्टर यानि जिलाधिकारी इस बात को भी सुनिश्चित करेगा यानि इस बात पर प्रतिबंध लगाया कि वह अनुमति तभी देगा, जब यह सुनिश्चित हो जाय कि स्थानान्तरित करने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के पास 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि तो नहीं है। या बेचने के बाद उसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि तो नहीं हो रही है। दोनों बातों को सुनिश्चित करके मान्यवर, यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एंव भूमि सुधार एक्ट में 1950 में यह जोड़ा गया, मान्यवर, तब से लगातार यह व्यवस्था चली आ रही है। अब ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो गयी कि आज इसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह भारतीय संविधान में बहुत सोच समझ करके इस बात के निर्देश दिये गये कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यू0पी0 एक्ट नं0 4 और यू0पी0 एक्ट नं0–34 के माध्यम से क्रमशः 1969 और 1974 में यहां इसे पारित किया और ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी, भारतीय संविधान ने इस बात को महसूस क्यों किया इसलिये कि हजारों साल तक यह समाज ठगा गया। धन, धरती, शिक्षा और सम्मान से वंचित किया गया और इस बात को केवल संविधान निर्माता परम पूज्य डा0 भीमराव अम्बेदकर ने ही नहीं एहसास किया बल्कि डा0 राम मनोहर लोहिया जी ने, जो समाजवाद के बहुत बड़े चिन्तक थे, उन्होंने भी इस पर बहुत गहन विचार किया था इसीलिये उन्होंने भी नारा दिया था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ। मान्यवर, यह स्लोगन इसीलिये दिया गया था जिससे कि जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, उनके हितों की रक्षा हो सके। जबरदस्ती कोई अपने घर में बैठा करके, ताकत के बलबूते पर, पैसे के बलबूते पर, बाहुबल के बलबूते पर उनकी जमीन न लिखा ले, इसीलिए यह प्रोटेक्शन दिया गया था, संरक्षण दिया गया था और यह व्यवस्था दी गई थी। मा0 अध्यक्ष महोदय, यही नहीं इनके अतीत में जो इनके ऊपर जुल्म, अत्याचार, शोषण हुआ, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से इनको वंचित किया गया, इस समाज के साथ बड़े पैमाने पर उपेक्षा की गई। इसी बात को देखते हुए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं इनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उत्थान हेतु भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से मजबूती प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में अनुच्छेद–15(4) और 15(5) के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की अनुमति दी गई, इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद–16(4)(ब) के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई क्योंकि संविधान निर्माता, उस निर्माण समिति में जितने भी विद्वान थे, सबने इस बात को एहसास किया था कि सदियों से जिसको शिक्षा से वंचित किया गया हो, जिसको धर्म, कर्म, भगवान के नाम पर भी सोशल जनजातीय अत्याचार का माला पहनाया गया हो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी कह करके समाज से उनको दूर रखने का प्रयास किया गया हो, जाति के नाम पर भी उनका अपमान किया गया हो, जो वर्णाधम तेल तुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, अभीर, यवन, कोल, किरात जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके पग–पग पर जिनका अपमान किया गया हो। मान्यवर, हम समझते हैं कि आज उनको बहुत बड़े पैमाने पर संवैधानिक संरक्षण की जरूरत है और इसी मन्तव्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में समय–समय पर विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से यह संरक्षण इन गरीबों, दबे–कुचले, पीड़ित, शोषित समाज के लोगों को प्रदान किया गया जो समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े हैं। अन्यथा क्या जरूरत थी भारतीय संविधान में तमाम अनुच्छेद बनाने की कि शिक्षण संस्थाओं में इनके लिए इतने पद सुरक्षित करो, प्रोन्नति में इनको आरक्षण प्रदान करो। इनके लिए शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा

की व्यवस्था करने की क्या जरूरत थी। कहीं न कहीं संविधान निर्माण करने वालों ने इस बात को महसूस किया, उस दर्द को कहीं न कहीं उन्होंने देखा, समझा और मान्यवर, उन्होंने सही मायने में आंकलन किया। इसीलिए मा0 अध्यक्ष महोदय जी, इस भारतीय संविधान के तमाम अनुच्छेदों के माध्यम से यह सुरक्षा प्रदान की गई। यही नहीं इस विधान सभा में भी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों तरफ तमाम हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायक आते हैं, लोक सभा में भी, संसद में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जाते हैं। मान्यवर, वह ऐसे नहीं जाते, किसी की दया पर नहीं जाते, भारतीय संविधान के अनुच्छेद–330 और 332 में इस बात की व्यवस्था की गई है कि समाज के इस अन्तिम पायदान पर खड़े इस समाज के लोगों को, कहीं न कहीं जिसे हजारों साल तक नजरअंदाज किया गया, जिसे सत्ता साधन से दूर रखा गया वह भी समाज की मुख्य धारा में खड़े हों। ऐसा समाज जिसकी परछाईं से लोग घृणा करते थे वह भी आज विकास की मुख्य धारा में खड़ा हो। जिसको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, जिसको यहां के लम्बरदारों ने केवल मजदूर बनाकर रखने का काम किया था। जिन शूद्रों को गुलामी करने की धार्मिक व्यवस्था दी गई थी जिनका कहीं सम्मान और स्वाभिमान नहीं था। ऐसे वर्ग विशेष को सम्मान और स्वाभिमान दिलाने की मंशा से, जुल्म, ज्यादती और अत्याचार से निजात दिलाने के लिए, शोषण से मुक्त करने के लिए, उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था दे करके संरक्षण प्रदान करने का काम किया। मान्यवर, यह वर्ग प्रतिभा का धनी है लेकिन प्रतिभा दिखाने का इसको मौका नहीं दिया गया। पूरे देश की बड़ी–बड़ी अट्टालिकायें ये खड़ी करता है, विधान सभा और लोक सभा के भवन को यही बनाता है, लखनऊ और बड़े–बड़े शहरों में जो आज बड़ी–बड़ी कोठियां खड़ी हैं उसे इसी वर्ग के लोग बनाते हैं लेकिन उसको रहने के लिए, सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है, फुटपाथों पर रहता है। इन्हीं भावनाओं को देखते हुए भारतीय संविधान ने विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से इस बात का संरक्षण दिया कि ऐसे लोग भी जिनके साथ अभी तक सामाजिक अन्याय हुआ, जिनका आर्थिक शोषण हुआ, जिनके साथ गैर–बराबरी हुई और जो हमेशा गैर–बराबरी का दुःख भोगते रहे। आज उनको सम्मान मिले, स्वाभिमान मिले, सत्ता शासन के माध्यम से उनको भी आज इस प्रदेश और देश के शासन में हिस्सेदारी मिले और साथ ही साथ मुख्यधारा में खड़े हों।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में रखिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या–

मान्यवर, यही नहीं समय–समय पर इनके संरक्षण के हितों को ध्यान में रखते हुए आयोगें गठित हुईं। कहीं अनुसूचित जनजाति का आयोग, कहीं अनुसूचित जाति का आयोग। ये आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद–338 के अंदर बनती हैं। यानी यह संविधान ने व्यवस्था दिया है, हम कुछ भी करते हैं तो यह किसी दया–मया के तहत नहीं जो भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गयी है अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जनजाति के

लिए, 341 में अनुसूचित जाति के लिए, मान्यवर, ये सारी की सारी व्यवस्थायें इसलिए मैंने जिक्र किया कि ये भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के निर्देश में राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर बनाये गये कानून जो ''दि उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोल्यूशन एण्ड लैण्ड रिफार्म्स एक्ट, 1950'' है, के एक्ट नं0–4 और एक्ट नं0–34 के माध्यम से व्यवस्था लाया गया था, आज उसको समाजवादी पार्टी सरकार, वह समाजवादी पार्टी जो डा0 राम मनोहर लोहिया का नाम लेते हुए नहीं अघाती, उसने उनके विचारों पर ध्यान नहीं दिया, उनके विचारों की परवाह नहीं की। जो डा0 राम मनोहर लोहिया यह नारा लगाया करते थे कि–''सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ।'' आज वही सरकार उनका गला घोंटने के लिए तैयार है। यह संशोधन विधेयक कोई और पार्टी लायी होती तो हम समझते थे कि उनके स्वभाव के अनुरूप होता लेकिन यह समाजवादी पार्टी की सरकार जो डा0 राम मनोहर लोहिया के उसूलों पर चलती है, वह आज डा0 राम मनोहर लोहिया के उसूलों का कत्ले–आम कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी और लोग भी बोलने वाले हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए इसके पीछे भावना क्या थी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आर्थिक संरक्षण प्राप्त हो, इन्हें भूमिहीन होने से बचाया जाए, क्योंकि यदि भूमिहीन हो गए तो फिर से मजदूर के सिवाय कुछ नहीं बन पायेंगे और साथ ही साथ इस कानून के माध्यम से सशक्त, दबंग, भू–माफिया इनकी जमीन पर कब्जा न करने पायें यह मंशा थी इसके पीछे। अन्यथा शायद सरकार के संज्ञान में यह बात नहीं है कि आज जो दबंग हैं, किसी के घर पर जब चाहें कब्जा कर लें, किसी की जमीन पर कब्जा कर लें, हमारे पास तमाम ऐसे दृष्टान्त हैं जिसका उल्लेख आज मैं नहीं करूंगा क्योंकि विषय बहुत बड़ा हो जायेगा। लेकिन समाज का वह सबसे लाचार, बेबस, गरीब, उपेक्षित व्यक्ति के हितों के साथ यदि अन्याय होगा तो हम समझते हैं कि यह समाजवादी पार्टी की चरित्र के अनुरूप नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन करूंगा कि जो बिना कलेक्टर की अनुमति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त किसी को बेचने की अनुमति देना भू–माफियाओं का रास्ता प्रशस्त करना कि रास्ता खुला है किसी भी अनुसूचित जाति को डरा कर धमकाकर, मार कर उसकी जमीन पर कब्जा कर लो, उसके घर पर कब्जा कर लो, इसकी नोटिंग बन जायेगी इसीलिये मान्यवर, मैं इस काले कानून का पुरजोर विरोध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, इसके पहले कि मैं इस विधेयक पर आऊं एक स्पष्टीकरण माननीय अम्बिका चौधरी जी से कहना चाहूंगा क्योंकि फिर उसी के आगे बात बढ़ेगी। मेरे

हाथ में बहुत साधारण सरकारी गजट है। यह गजट है 12 दिसम्बर, 2012 का। गजट संख्या–1044/89–बी–1– 12–1(क) 35/2006 और यह गजट है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के बारे में जिसे 29 नवम्बर, 2012 को राष्ट्रपति महोदय ने अपनी सहमति दिया और आपने इसको गजट किया, अधिसूचित किया। इसकी विधिक स्थिति क्या है, इसको स्पष्ट कर दीजिये।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, डा0 अग्रवाल साहब ने जो बात कही है बिल्कुल ठीक है। इस सदन में बहुत लम्बे अंतराल तक चलने के बाद जब माननीय नेता जी मुख्य मंत्री थे तो 2007 के पूर्व यह विधेयक पारित किया। बहुत ध्वनि मत से पारित हुआ सबका समर्थन मिला और लम्बी चर्चा के बाद पारित हुआ। मैं राजस्व मंत्री था और मैंने अनुरोध किया कि इस पर चर्चा हो। लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी ने उद्धरित किया कि एक मंत्री ने आमंत्रित किया कि आप चाहे आलोचना कीजिये लेकिन चर्चा में आइये और परिषद् में पास हुआ। फिर हम लोगों ने इसे भेजा। अब राजनीतिक बात होगी। लेकिन 5 वर्ष तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और एक क्वैरी जो राष्ट्रपति भवन से पूछी गई उस एक क्वैरी का जवाब 5 वर्षों तक नहीं गया। पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार पदारूढ़ हुई, स्थिति हमारे सामने आई कि एक क्वैरी का सिर्फ जवाब जाना था क्योंकि सरकार ने भेजा ही नहीं, उसकी मंशा नहीं है। इसलिये हमने उस क्वैरी का जवाब भेजा और आदरणीय प्रणव मुखर्जी साहब राष्ट्रपति जी हुए तो उसकी सहमति मिल गई और सदन में आ गया और आपके सामने सारी स्थिति है किन्तु आप जानते हैं कि एक विधेयक और खास तौर से विस्तृत है कोई छोटा सा है भी नहीं और सम्पूर्ण प्रदेश की भूमि व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिये उस पर लागू करने के लिये उसकी नियमावली का, जो उसके रूल्स हैं उसकी ड्राफ्टिंग प्रापर तरीके से किया जाना और माननीय राजस्व मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उसमें अपने बनाये हुए विधेयक में भी ठीक से जांच लेना कि अगर कहीं पर कोई कमी रह गई है और कितना बेहतर कर सकते हैं उसमें बाकी सारे लोगों के सुझाव को कैसे शामिल किया जाय, उन्होंने प्रदेश भर के लोगों से सुझाव आमंत्रित किये और अधिवक्ताओं के सुझाव आमंत्रित किये, किसानों के संगठन के सुझाव आमंत्रित किये और उसको आमंत्रित करके, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल से भी पूछा और आमंत्रित करके उसके रूल्स की ड्राफ्टिंग बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है वह इस सत्र में नहीं आ पाई लेकिन वह जल्दी से जल्दी आयेगी। हमने जब राजस्व संहिता को पारित किया इस सदन में तो प्रदेश के किसानों के हित में उसको ले करके आयेंगे। हमारा प्रयास है कि बिल्कुल त्रुटि न हो इसलिये इसमें विलम्ब हुआ। रूल्स फ्रेम हो रहे हैं, जल्दी ही आ जायेगी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न इसी से संबंधित है और इस पर विधिक राय ली जानी चाहिए मैं क्यों कह रहा हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, आई स्टैड टू बी करेक्टेड मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूं। अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम यहां से कोई विषय

भेज दें और महामहिम राज्यपाल के यहां जाकर वह विषय फिर रुक जाय और फिर आप इस सदन में आकर यह कहें कि राज्यपाल महोदय के यहां 6 महीने पहले भेजा था, पास नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, वापस नहीं आ रहा। आप यहां आकर न जाने क्या–क्या टिप्पणी कर देंगें इसलिये हमको विधेयक ऐसा भेजना चाहिए जो वहां जाय तो वहां रुकने न पाय और इसीलिये मैं स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। यह जो विधेयक हम लोगों ने 2006 में पारित किया। हमने यह कहा 2006 में कि यह विधेयक इसका आर्टिकल 2 यह कहती है कि यह विधेयक ऐसे दिनांक को प्रवत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा नियत करे। अब जो शब्द यूज किया गया है वह जैसा राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा नियत करे। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि जैसा राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा नियत करे और उसकी नियमावली बना ले जो वर्ड प्रयोग किया गया है वह अधिसूचित किया जाना है उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के यहां गया राष्ट्रपति महोदय ने 29 नवम्बर, 2012 को उसकी स्वीकृति दे दी। आपने 12 दिसम्बर 2012 को इसे अधिसूचित कर दिया तो जब आपने इसे अधिसूचित कर दिया तो विधिक स्थिति यह है कि यह राजस्व संहिता विधेयक 2006 जहां तक मैं समझ रहा हूं आपके इस हाल में विधिक एक्सपर्ट बैठते होंगे, राय ली जानी चाहिए क्या यह राजस्व संहिता अधिनियम 2006 जिसे आपने 12 दिसम्बर 2012 को अधिसूचित किया क्या यह लागू है या नहीं है ? नियमावली आप नहीं बना पाए यह आपकी समस्या है इन तीन सालों में आप नियमावली नहीं बना पाए लेकिन किसी अधिनियम की नियमावली नहीं बन पाई इसलिए वह अधिनियम लागू नहीं होता है यह आर्गुमेंट मैं पहली बार सुन रहा हूं किसी भी विधेयक का तथ्य जो है वह इतना ही है कि सदन इसे पास करे जैसा उचित हो महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति इसे अनुमति दें और हम उत्तर प्रदेश सरकार के गजट में इसे अधिसूचित करें। राजस्व संहिता अधिनियम 2006 की तीन क्राइटेरिया थीं सदन से पास होना, महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलना और गजट में अधिसूचित करना। नियमावली बनने की कहीं कोई बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यह जो राजस्व संहिता अधिनियम है जिसके बारे में लिखा है 2012 का एक्ट नम्बर–8, अगर यह एक्ट नं0–8 लागू हो जाए तो प्रश्न बहुत साफ है हम इसको संज्ञान लिए बिना जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम, 2050 पर विचार नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, सदन की कार्यवाही में आ जाए,सरकार जो चाहे निर्णय ले ले मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह विधेयक क्या कहता है इस विधेयक की धारा–230 में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रथम अनुसूची में विर्निदिष्ट अधिनियम एतद्द्वारा निश्चित किए जाते हैं, इसमें प्रथम अनुसूची है जिसमें 32 विधेयक हैं और उन सबको रिपील कर दिया गया और उस रिपील विधेयक की सूची मेरे पास है, आपको भेज दूंगा, पुस्तक है आपके पास, आप देख सकते हैं, उसमें 19 नम्बर पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यववस्था अधिनियम 1950 लिखा हुआ है। अब प्रश्न यह है कि अगर यह राजस्व संहिता अधिसूचित हो गई। अगर उसकी धारा 370 यह कहती है कि अनुसूची–1 में जो विधेयक

है वह निरसित होंगे और अनुसूची–1 के 19वीं प्रविष्टि पर उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 है तो यह तो रिपील हो चुकी और रिपील होने के बाद जो हमारा नया अधिनियम आया है यह जो हैक्टेयर वाला क्लाज है इसके आर्टिकिल 99 में है मैं आपको इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष जी, यह जो नई संहिता है उसके आर्टिकिल 98 में यह सारा प्राविधान किया गया है कि कलेक्टर से अनुमति लेंगे। कलेक्टर अनुमति देते समय यह देखेगा कि जमीन कम से कम 1.2 समथिंग एकड़ हैक्टेयर होनी चाहिए यह प्राविधान इसके धारा–98 में है। मेरा संवैधानिक प्रश्न यह है अगर राजस्व संहिता अधिसूचित हो चुकी है तो लागू हो चुकी है आपने नियमावली नहीं बनाई यह आपकी अक्षमता का प्रतीक है। आप क्यों विधेयक बनाये थे जब तीन साल में नियमावली नहीं बना पाए यह तो आपकी समस्या है आपके नियमावली न बनाने से कोई विधेयक कैंसिल तो हो नहीं जाएगा। कैंसिल कराना है तो आपको यहां लाना पड़ेगा अगर यह विधेयक जिन्दा है तो जमींदारी विनाश व्यवस्था अधिनियम 1950 रिपील हो गया तो आपको परिवर्तन करना है तो आपको राजस्व संहिता अधिनियम की धारा–98 में परिवर्तन करना पड़ेगा और आप परिवर्तन लेकर आए हैं 1950 के अधिनियम में, जो रिपील हो चुकी उसके 157 क्रम है तो यह एक प्रश्न है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं आप सदन के सर्वोच्च अधिकारी हैं आप जो अपना अभिमत दे देंगे अध्यक्ष जी, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, इस पर आपका एक निर्णय आना चाहिए यह एक अजीब प्रकार का खेल हो जाएगा कि जो विधेयक समाप्त हो चुका है उसमें हम संशोधन लाएं जो विधेयक काम कर रहा है उसमें संशोधन न लाएं तो कल को मुकदमा होगा कि राजस्व संहिता अधिनियम तो काम कर रहा है उसमें संशोधन हुआ नहीं तो उसके संशोधन से कलेक्टर को जमीन बेचने का अधिकार कहां से मिल गया तो आप क्या करेंगे। यह तो एक विधिक प्रश्न है जो खड़ा होगा। महामहिम राज्यपाल महोदय मैं नहीं कहता कि इसे रोकेंगे लेकिन अगर अपना दिमाग एप्लाई करेंगे और राजस्व संहिता उनके पास जाएगी तब। यह माननीय अध्यक्ष जी पर छोड़ दीजिए माननीय अध्यक्ष जी पर मुझे और आपको विश्वास करना चाहिए। वह भी जमीन से उठकर आए हैं वह इन सारे विषयों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं आप खाली संतुष्ट करिए तो मैं मेरिट पर इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी एक विधिक प्रश्न उठाया है डाक्टर अग्रवाल जी ने और ठीक उठाया है कि इसके प्राविधानों के अन्तर्गत अगर वह अधिसूचित हो गया तो उसके अधिसूचित होते ही मूल रूप से ही उसमें दो अनुसूची हैं एक अनुसूची में 32 और दूसरी अनुसूची में 7 बत्तीस अधिनियम उत्तर प्रदेश में प्रभावित करते थे चूंकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड अलग नहीं हुआ था तो सात ऐसी विधियॉ थीं जो उत्तराखण्ड में तो एप्लाइड थीं लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं थीं तो अनुसूची दो में सात उत्तराखण्ड वाली 39 रिपील हो रही थीं। आपकी बात बिल्कुल सही है लेकिन आपने जो इतना बड़ा भ्रमजाल फैलाया वह आपके अपने स्वभाव चरित्र के अनुरूप हो या न हो लेकिन जिन

लोगों ने अच्छे दिन दिखाने का इतना बड़ा भ्रमजाल फैला दिया ऐसा भ्रम जाल फैलाया लगा जैसे बहुत गम्भीर संवैधानिक कानूनी संकट पैदा हो गया है कि अब क्या होगा उत्तर सिर्फ यह है कि वह अधिसूचित नहीं है और लागू नहीं है। अभी यू0पी0 जमींदारी एब्यूलेशन एक्ट ही उत्तर प्रदेश में प्रभावी है जिस दिन और नियमावली बने। जब एक्ट बन जाता है आपको स्वयं इतना लम्बा अनुभव है मैं आपसे क्या निवेदन करूं आप राजस्व मंत्री भी रहे हैं नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं श्रीमन् जब एक विधेयक बन जाता है उसके बाद उसकी नियमावली बनती है उसमें बहुत सारी चीजें ली जाती हैं हम सम्पूर्ण नियमावली के साथ उसको लागू करेंगे तो अधिसूचित करने की तिथि बताएंगे आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता लागू नहीं है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में यू0पी0जेड0एल0आर0 एक्ट लागू है और उसी में हम संशोधन विधेयक लेकर आए हैं इसलिए डाक्टर अग्रवाल साहब अपना संशोधन वापस ले लें। नेता प्रतिपक्ष ने तो दूसरी बातें कहीं हैं श्रीमन् हम केवल कानूनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते थे। डाक्टर साहब आपकी बात पूरी आ गई है आपके यहां हम पेपर भेज देंगे बाकी माननीय अध्यक्ष जी का अपना विवेक है हमने सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी मैंने अभी तक संवैधानिक प्रश्न उठाया है और आपके विवेक पर छोड़ा है कि यह लागू होती है कि नहीं। माननीय अम्बिका चौधरी जी क्या कह रहे हैं यह यही जानें यह भ्रम क्या होता है इन्हें ही बेहतर जानकारी होगी मेरे हाथ में यह गजट है इस गजट को यह भ्रम कह रहे हैं तो मैं इसे दृष्टिदोष कह सकता हूं विधि दोष कह सकता हूं अज्ञानता कह सकता हूं जो शब्द चाहें प्रयोग कर लीजिए। जहां तक मैं जानता हूं मान्यवर, यह गजट निकल चुका है अगर यह गजट अधिसूचित हो चुका है तो आपने रूल्स नहीं बनाए इसका यह अर्थ नहीं होता कि विधेयक लागू नहीं है। लेकिन यह इस विषय पर चुप हैं इस पर निर्णय तो आपकी ओर से आना चाहिए। आप अगर कहते हैं तो मैं इसकी मेरिट पर बहस शुरू कर दूं।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरिट पर बहस करिए इसको हम देखेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

यह बहस कार्यवाही का हिस्सा हुआ और महामहिम राज्यपाल महोदय के यहां भी यह सारी बातें जाएंगी। इसलिए मैंने अपना काम किया। अब मैं इसकी मेरिट पर आता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इस एक्ट की मेरिट पर बात करिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी आपने चूंकि निर्देश दिया है कि मैं इसकी मेरिट पर बात करूं तो आपका निर्देश अन्तिम है। मैं इनकी किसी भी बात पर असहमत रहूंगा लेकिन आपके

निर्देश का पालन करना मेरा दायित्व है। आपने पीठ से कहा कि इसकी मेरिट पर बहस करिए।

श्री अम्बिका चौधरी–

अध्यक्ष जी आप इस पर चर्चा करा लें मैं एक निवेदन जरूर करना चाहता था। आज आभास हो गया कि गर्वनर साहब को मिसलीड करने का काम और उनकी ओर से बिना वकालतनामे के यहां बहस करने का काम और उनको भी भ्रम में डालने का काम हमारे यही भारतीय जनता पार्टी के विद्वान लोग कर रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी यह बड़े आभासी व्यक्ति तो हैं। इन्हें बहुत कुछ आभास हुआ करता है इसे बलिया वाले बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप आगे बोलें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, जहां तक मेरिट का प्रश्न आया, यह जो क्लॉज 1.2 हेक्टेअर का जोड़ा गया, यह 1950 में नहीं ऐड हुआ है। जमींदारी विनाश अधिनियम–1950 का यह क्लॉज नहीं है जिसमें आज परिवर्तन हो रहा है। इस प्रदेश में जब हेमवती नन्दन बहुगुणा की सरकार हुआ करती थी उस जमाने में यह परन्तुक जोड़ा गया है। मैं कुछ कारणों से इस बात को कह रहा था उससे अधिक इस पर नहीं बोलूंगा। किसी भी विधेयक में संशोधन के कुछ आधार बनते हैं। अगर 1981 में यह क्लॉज जोड़ा गया कि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति की जमीन को बेचते समय कलेक्टर यह ध्यान रखे कि कम से कम तीन एकड़, सवा तीन एकड़ जमीन उसके पास मिनिमम होनी चाहिये और आज आप सदन में लेकर आ रहे हैं कि यह क्लॉज हटा दिया जाये तो इसको हटाने के पीछे कोई तथ्यात्मक कारण होना चाहिये। क्या 1981 से लेकर आज तक अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति में इतना बदलाव आ चुका है ? सरकार ने कोई सर्वे कराया होगा। यह छोटा–मोटा विधेयक नहीं है। यह बहुत दीर्घकालिक प्रभाव रखने वाला विधेयक है। इतने दीर्घकालिक असर वाला विधेयक अगर सरकार लेकर आ रही है तो सरकार ने जरूर कोई सर्वे कराया होगा जिसके हिसाब से 1981 और 2015 इन के बीच जो 25–26 साल 35 साल जो भी साल हैं इनके बीच में सरकार के पास कोई ऑकड़े होंगे जो यह बताते होंगे कि उस समय जो प्राविधान अनुसूचित जाति की रक्षा के लिये किये गये थे कि वह गरीब से डेस्टीट्यूट न हो जायें, पुअरेस्ट न हो जायें और जैसा मा0 नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे वह किसी को उद्धत कर रहे थे। यह सच्चाई है कि एक बार जमीन जायेगी तो लैण्डलेस लेबर बनने के सिवाय उनके पास कुछ नहीं होगा। क्या सरकार ने इन 35 सालों के कोई ऑकड़े इकट्ठे किये हैं जिसके हिसाब से सरकार को यह लगता है कि अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर हो चुकी है कि अब उनको इस जमीन को बेचने की छूट गैर अनुसूचित जाति के लोगों

को दे देनी चाहिये। यह मेरा पहला प्रश्न है। मा0 अध्यक्ष महोदय, जमीन कोई बेचता नहीं है। जमीन भूमाफिया बेचेंगे, जमीन जमींदार बेचेगा। एक गरीब आदमी अपनी जमीन को तब तक नहीं बेचेगा जब तक उसके पास अपनी जमीन बेचने के सिवाय अंतिम कोई विकल्प न बचे। जमीन मां के समान होती है। जमीन छीनने का मतलब है कि उस आदमी को सड़क पर ले आना। आखिर यह जो गरीब उस जमीन पर रह रहा है जिसे किसी जमाने में हमनें पट्टा देकर उस जमीन पर बसाया होगा, क्या वह इतना अमीर हो चुका है कि आज हम कहें कि तुम इस जमीन को बेंचकर निकल जाओ। आर्ग्यूमेन्ट तो बहुत अच्छे–अच्छे आयेंगे कि वह बेंचना चाहता है, उसका खाना नहीं होता है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, वह परेशान है, वह जमीन को दे ही देना चाहता है हम तो उसको सहूलियत दे रहे हैं। वह जो कहते हैं कि जबरा मारे और रोय न दे। हम उनकी हत्या भी करेंगे और कहेंगे कि तुम कितने खुशनसीब हो कि हम तुम्हारी हत्या तुम्हारे हित में कर रहे हैं। हम आर्ग्यूमेन्ट भी यह देंगे कि हम अनुसूचित जाति की बेहतरी के लिये यह कानून लेकर के आये हैं, लेकिन मा0 अध्यक्ष महोदय, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं बना। जब तक सरकार 35 साल के कोई आर्थिक सर्वेक्षण लाकर इस सदन के सामने नहीं रखती और यह नहीं कहती कि वस्तुतः अनुसूचित जाति की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर हो चुकी है। सीधी–सीधी बात है यह भू–माफियाओं के पास जाने वाली है, सीधी–सीधी बात है जमीनें खरीद कर, कान्ट्रेक्ट फार्मिंग की जमीनों को खरीद कर कान्ट्रेक्ट की जगह पर अब कोई बिजनेस फार्मिंग का स्वरूप पैदा होने वाला है। तो यह जो खेल सरकार खेल रही है इस खेल पर मा0 अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूँ कि यह सदन चाहे इधर के मा0 सदस्य हों चाहे उधर के मा0 सदस्य हों, उधर भी 67 लोग अनुसूचित जाति के बैठे होंगे। आज उनकी आत्मा कचोटनी चाहियें, क्योंकि वह अपनी कांस्टीटुएंसी में जायेंगे और उनका समाज उन्हें खड़ा करके पूछेगा कि तुम अनुसूचित जाति की सीट पर, अनुसूचित समाज के प्रतिनिधि के रूप में जीत कर आये हो और तुम्हारी अपनी सरकार तुम्हारी जड़ों पर कुठाराघात कर रही थी और तुम चुपचाप बैठे थे। इस पर मा0 अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति चाहूंगा कि इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आप सब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष राजाओं, बादशाहों, नबाबों का देश रहा है, बाद में कोई विक्टोरिया भी आ गयी और किसान तथा राज्य के बीच में एक मध्यवर्ती व्यवस्था थी, जिसे जमींदारी व्यवस्था कहते थे और जमींदार ही जमीनों की देखभाल करते थे। जब हम आजाद हुए, आजादी के बाद इन सब व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, लोकतंत्र की स्थापना की गयी, अपना संविधान बना। इस संविधान में ऐसे लोग जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे, आर्थिक रूप से पिछड़े थे, उन लोगों के लिए भी तमाम संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं और इसी के चलते उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 1950 में जो जमींदारी की मध्यवर्ती व्यवस्था थी, किसानों और राज्य के बीच में, उसको समाप्त करने के लिए यह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि

व्यवस्था अधिनियम, 1950 बनाया गया। इसमें तमाम प्रावधान किए गए। तमाम अलग–अलग विधियॉ बनायी गयीं और इस पूरी व्यवस्था के चलते–चलते देखा गया कि जो हमारे समाज के कमजोर वर्ग के लोग थे या दूरदराज रहने वाले आदिवासी अनुसूचित जनजाति के लोग रहे हों, जब यह व्यवस्था बनी तो उसकी धारा–154 में यह था कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनके पास अधिकतम् साढ़े बारह एकड़ जमीन होगी, उससे ज्यादा वह नहीं रख सकते हैं। इसके लिए ऐसे लोग जिनके पास ज्यादा जमीनें थीं, उन लोगों ने फर्जी नाम से भी अपनी जमीन को हस्तांतरित करना शुरू किया। तमाम ऐसे काम करने वाले लोग थे, उनके नाम से हस्तांतरित कर दिया। धीरे–धीरे जब पता चला कि एक बेनामी व्यवस्था भी जमीनों की चल रही है, जो काम करने वाले, मेहनत करने वाले दलित, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके नाम जमीनें की जा रही हैं, जब वह चाहते हैं तो उनको धमकाया जाता है और उनसे वापस लिया जाता है, इसके लिए 1969 में अनुसूचित जनजाति के लिए एक कानून बनाया गया कि यह अनुसूचित जनजाति के लोग अपनी जमीन को किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। फिर धीरे–धीरे जो पट्टे उनको दिए गए, उन पट्टे वाली जमीनों पर भी कब्जे होने लगे, उसका भी हस्तांतरण होता रहा तो 1974 में जैसा कि अभी डाक्टर साहब ने बताया, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, उसमें 157(ए) का प्राविजन लाया गया। 157(ए) के अनुसार अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का कोई भूमिधर या असामी, कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, सेल, दान, मारगेज या पट्टा द्वारा हस्तांतरित नहीं कर सकता है। उनको संरक्षित किया गया कि जो उनके पास अपनी जमीन है, उस पर वह खुद मेहनत करके, किसानी करके अपना जीविकोपार्जन कर सकें और समाज में आगे बढ़ सकें। लेकिन इसमें कलेक्टर को भी प्रतिबन्धित किया गया कि अगर किसी के पास 1.26 हेक्टेयर से कम जमीन है तो वह उसको हस्तान्तरित नहीं कर सकते। आज भी बहुत से लोगों के पास ऐसी जमीनें हैं, जैसा कि राजस्व संहिता वाला सवाल अभी डाक्टर साहब ने उठाया है, उसमें अभी स्पष्टीकरण आया है, लेकिन उसमें भी यह प्राविधान है कि जमींन हस्तांतरित नहीं हो सकती। मान्यवर, यह जो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं, यह समाज के सबसे कमजोर, मेहनत करने वाले लोग हैं और उनको यह संरक्षण इसीलिए प्रदान किया गया था कि उनके पास अपनी जमीन रहे, एक अपनी हैसियत रहे, संपत्ति का अधिकार तो संविधान ने दिया हुआ है, लेकिन आज भी जो ऑकड़े हैं, देश के 20 प्रतिशत लोगों के पास सबसे ज्यादा सम्पत्ति है और 80 प्रतिशत लोग आज भी किसी तरह गरीबी की रेखा या उसके ऊपर मध्यम वर्ग में लोग जी रहे हैं। मान्यवर, यह जो प्राविधान है, जो प्रतिबन्ध हटाया जा रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा। चूंकि आपकी राज्य संहिता में भी है जिसके लिए आप नियमावली बनाए घूम रहे हैं, उस प्राविधान को रहने दें।

(श्री दलवीर सिंह सहित कुछ मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

देखिए, आपका नाम नहीं है इसमें।

'श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, नहीं मेरा नाम है मैं जरूर अपना मत रखूंगा।

श्री अध्यक्ष–

बड़ी मुसीबत है, आप नाम तो देते नहीं हैं जब प्रस्ताव देना हो तो लिखते नहीं है बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। देना चाहिए आपको। मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हमारा विषय तो आ जाए, आपने कहा था इनके बाद अनुमति देंगे।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, आपको तो हम बुला रहे हैं आप बोलो न।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, नहीं, यह तो कोई बात नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष–

इन लोगों का नाम है देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, प्रदीप माथुर जी, अनुग्रह नाराण सिंह जी, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री रामहेत भारती, श्री राजबली जैसल, श्री त्रिभुवन राम आपका तो है नहीं। देखिए, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी को बोल लेने दीजिए। जब लिखना होता है तो लिखते नहीं है। न लिखकर नोटिस देंगे।

श्री दलवीर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, वह बात सही है लेकिन इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप रुकिए, इन्हें बोल लेने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, तीन बातें जो इस विधेयक के संबंध में चर्चा हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में कहिए, जो बातें आ चुकी है उनको मत दोहराइए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो बातें आ चुकी हैं उनको नहीं दोहराएंगे। तीन बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूं पहली किस परिस्थिति में यह क्लॉज़ इसमें शामिल किया गया। परिस्थिति यह थी कि अनुसूचित वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह क्लॉज़

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें शामिल किया गया था। जब उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्लॉज़ शामिल किया गया और वह आत्मनिर्भर बन नहीं पाए और उसके बाद उस क्लॉज़ को हटाया जा रहा है। बस इतनी ही बात पर मुझे बल देना है कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आई या कौन–सा डेवलपमेण्ट हो गया जिसके आधार पर यह क्लॉज़ हटाया जा रहा है। मान्यवर, इसमें कारण और उद्देश्य में हमेशा यह दिया जाता है। जब उद्देश्य और कारण दिए जाते हैं तो यह बताया जाता है कि आखिकार वह कौन–सी परिस्थिति आई कि जिसकी वजह से यह क्लॉज़ हटाया जा रहा है। एक तरफ तो यह कहते हैं कि किसान वर्ष मनाएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति को लाभान्वित करेंगे और उस व्यक्ति से जमीन छीनने की बात कर रहे हैं।

(सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, ऐसे तो कोई चीज चल नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष–

मैं कहां कह रहा हूं कि ऐसे चले, चलवाते तो आप ही लोग हैं। आप देख रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हमारा इसमें बकायदा नाम है। मैंने संशोधन प्रस्ताव में अपना नाम दिया है।

श्री अध्यक्ष–

हां, अपनी आप बात रखिए न।

(व्यवधान जारी रहा)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें। मा0 बेग साहब आप बैठ जाओ। आप संक्षेप में कहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी मान्यवर, संक्षेप में कह रहा हूं। मान्यवर, जो परिस्थिति आज है, जिन कारणों को बताकर यह क्लॉज़ हटाया जा रहा है अगर यह क्लॉज को हटाया गया तो निश्चित रूप से उनके सामने भुखमरी पैदा होगी और इसका दुरुपयोग होने से कोई बचा नहीं पायेगा। आज हम बहुमत का अत्याचार देख रहे हैं। इनके पास बहुमत है एक बहुत बड़ा अभिमान है इस सरकार को कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। न तो इसकी कोई उपयोगिता है न आवश्यकता है। अगर यह हटाया जायेगा तो अनुसूचित वर्ग के लोगों को भुखमरी की कगार पर और उनको कंगाल बनाने की कगार पर पहुंचा दिया जायेगा। हम आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट दे और इसके बाद इस पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। अरे, प्रदीप माथुर साहब बोल चुके आपके। क्या बात है क्यों इतना सब कर रहे हैं। अच्छा उन्हें बोल लेने दो।

श्री दलवीर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के बाद यह पहली दफा है कि दोबारा से इस सदन में आ रहा है। जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब इस सदन के राजस्व मंत्री रहे, मुख्य मंत्री रहे उस वक्त उन्होंने जमींदारों और राजा–महाराजाओं से जो अधिकार किसानों को दिलवाया था। यू0पी0जेड0ए0एन0आर0 एक्ट और जमींदारी विनाश अधिनियम बनाया था। उसके बाद दोबारा यह विधेयक यहां लाया जा रहा है। चौधरी साहब की मंशा थी कि भूमि की हदबंदी करके सीलिंग करके गरीबों को बटवारा किया जाये। उन्हीं के बनाये हुए विधेयक और कानून से अनुसूचित जाति और भूमिहीन लोगों को आज तक यह जमीन उत्तर प्रदेश में मिली है। सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी ने अनुसूचित जाति के लोगों को भूमिहीन लोगों सीलिंग एक्ट लगाकर भूमि हदबंदी बनाकर यह जमीन उपलब्ध करायी। उनको अधिकार मिला वह जमीन के हकदार, पटटेदार बने। वर्षों से लालायित थे कि आखिर कब चौधरी चरण सिंह पैदा होंगे जब हमको अपना यह अधिकार मिलेगा। इतने लम्बे अर्से के बाद आज पूरे प्रदेश के अनुसूचित के लोगों को, मैं यह बात बता रहा हूं यहां बैठे रहें कुछ भी कहते रहें। गांव–देहात में लोग देख रहे हैं कि कब यह विधेयक पास हो। कब उनको अधिकार मिले। भू–माफिया अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन का लाभ ले रहे हैं। अनुसूचित जाति के वह बड़े पैसे वाले लोग धनाढ्य लोग इनकी जमीनों को हड़प रहे हैं। 143 कराकर लोग 5 लाख बीघा की जमीन को 50 हजार रूपया बीघा में भूमाफिया खरीद रहे हैं। या अनुसूचित जाति के वह धनाढ्य लोग जिनके पास अनाप–शनाप पैसा है। जिनको उनकी जमीन को खरीदने का अधिकार मिला हुआ है। मैं मा0 मंत्री जी से सवाल कर रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन जितनी भूमाफिया और अनुसूचित जाति के धनाढ्य लोगों ने खरीदी है उतनी सवर्ण जाति के लोगों ने नहीं खरीदी। मेरा यह चेलेंज है। हमारे बड़े डाक्टर साहब जैसे योग्य व्यक्ति, अनुग्रह नारायण सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जैसे लोग कानून के विशेषज्ञ हैं। मैं कानून का विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं व्यवहारिक बात कह रहा हूं। मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। अगर इसमें कोई कानून विसंगति हो तो उसे जरूर दूर किया जाये। मा0 चौधरी चरण सिंह जी के बाद मा0 शिवपाल सिंह जी मैं आपको और आपकी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आज यह कानून बनाया है। पूरे प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोग हर्ष से खुश होंगे। मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(इस बीच सत्तापक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर–शराबा उत्पन्न हो गया।)

(शोर–शराबे के मध्य)

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, आज चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा आठ–आठ आंसू रो रही होगी। क्योंकि इन्होंने आज जमींदारी उन्मूलन एक्ट लाकर उन अनुसूचित जनजाति के लोगों को एक संरक्षण दिया था। आज इनको क्या हो गया है, आज इनकी क्यों मति मारी गयी है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी। आपके अनुग्रह नारायण सिंह जी ने सब रख दिया। अब आप क्या दोहरायेंगे।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, आज सरकार यह संशोधन विधेयक ला रही है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और हम लोग इस पर सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री प्रदीप माथुर दल के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष–

जाइये। माननीय मंत्री जी।

श्री दलवीर सिंह–

हम इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बार–बार अनुरोध कर रहा हूं कि क्या इस संशोधन विधेयक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आप काला कानून के रूप में ला रहे हैं। मान्यवर, इसको वापस करेंगे या नहीं करेंगे ?

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन के वेल में आ गये। जिससे घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण भी सदन के वेल में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे घोर व्यवधान की स्थिति जारी रही।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने–अपने स्थान पर जांय।

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।	संक्षिप्त नाम
2–उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 धारा–157–क में, उपधारा (1) में, परन्तुक को निकाल दिया जायेगा।	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1951 की धारा–157–क का संशोधन

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अधिनियम संख्या–2, सन् 1899 की धारा–76–क में संशोधन

2–भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित, की धारा–76–क में, खण्ड (ख) में, अंक ''56(1)'' के स्थान पर अंक और शब्द ''56(1)(1–क)'' रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

ख04.27, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–51 के अन्तर्गत कुल 72 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :–

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद आजमगढ़ के संविदा कर्मी द्वारा तार जोड़ते समय करेण्ट लगने से दिनांक 18–08–2015 को हुई मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

दूसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) की प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों (गोरखपुर सहित) में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण की सुविधा से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :–

पहली सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद हरदोई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आर0के0एस0के0 प्रोग्राम में तैनात काउन्सलरों को कार्य करने हेतु सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना श्री महावीर सिंह राणा की जिला महिला चिकित्सालय बाराबंकी में तैनात लैब टेक्निशियन द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,

तीसरी सूचना श्री शारदा प्रताप शुक्ला की ऋषि वशिष्ठ सहकारी आवास समिति लि0 के अध्यक्ष एवं उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ की मिलीभगत से समिति के बैंक खाते में गबन किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

चौथी सूचना श्री गजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के अनूप शहर के नये स्वीकृत ब्लाक अगोत की ग्राम पसौरा में भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

पहली सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर की ग्राम पंचायत चन्दौकी की प्रस्तावित भूमि पर खुदाई न करके किसी अन्यत्र भूमि पर खुदाई किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना श्री आशुतोष उपाध्याय की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र भाटपार रानी के ग्राम खैरात में रखे हुए पीपे के पुल को ग्राम संरया में लगाये जाने के सम्बन्ध में,

तीसरी सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद इलाहाबाद के कोरांव क्षेत्रान्तर्गत कतिपय नगर पंचायतों की बाजारों में विद्युत के पुराने तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में है।,

चौथी सूचना श्री वेदराम भाटी की स्वास्थ्य महानिदेशालय लखनऊ क्षय अनुभाग में कार्यरत क्षय रोग अधिकारी एवं बी0सी0जी0 टेक्नीशियन को कार्यमुक्त करते हुए उनके अवैधानिक कृत्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,

पांचवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच के किसानों की सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा का भुगतान एवं भू–राजस्व की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में तथा

छठी सूचना श्री फेरन लाल की जनपद बरेली के थाना सुभाषनगर में दि0 24–06–2014 को पंजीकृत अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :–

क्र0	नाम
1	श्री दीपक पटेल
2	श्री पूर्णमासी देहाती
3	श्री राधेश्याम जायसवाल
4	श्री जयप्रकाश निषाद
5	श्री रामहेत भारती
6	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द
7	श्री मो0 जासमीर अंसारी
8	श्री शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली
9	श्री उमेश पाण्डेय
10	श्री प्रदीप माथुर
11	श्री रामचन्द्र यादव
12	श्रीमती आराधना मिश्र 'मोना'
13	श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप
14	श्री मनीष असीजा
15	श्री रविन्द्र भड़ाना
16	श्री संजय प्रताप जायसवाल
17	श्री अयोध्या प्रसाद
18	श्री सन्तराम कुशवाहा

क्र0	नाम
19	श्री नूर सलीम राणा
20	श्री कालीचरन सुमन
21	श्री बब्बन सिंह चौहान
22	श्री हाजी मुसर्रत अली बिट्टन
23	श्री दिलनवाज खान
24	श्री संजय कपूर
25	श्री लोकेश दीक्षित
26	श्री अगयश राम सरन वर्मा
27	श्री सतीश महाना
28	श्री सुरेश बंसल
29	श्री धर्मपाल सिंह
30	श्री गेंदालाल चौधरी
31	श्री अजय कुमार 'लल्लू'
32	श्री सुदेश शर्मा
33	श्रीमती कृष्णा पासवान
34	श्री रविदास मेहरोत्रा
35	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत
36	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
37	श्री पंकज गुप्ता
38	श्री राजीव गुम्बर
39	श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य
40	श्री सिनोद कुमार शाक्य
41	श्री ममतेश शाक्य
42	डा0 धर्मपाल सिंह
43	श्री अनिल कुमार
44	श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी
45	श्री चन्द्रभान सिंह पटेल
46	श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा
47	श्री भीम प्रसाद सोनकर

क्र0	नाम
48	श्री विजय बहादुर यादव
49	श्री मदन चौहान
50	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या
51	श्री राजेश त्रिपाठी
52	श्री रोशन लाल वर्मा
53	श्री अनीसुर्रहमान
54	श्री सुरेश कुमार खन्ना
55	श्री प्रदीप चौधरी
56	श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट
57	डा0 अरुण कुमार
58	श्री के0के0 ओझा
59	श्री रमेश चन्द्र दूबे
60	श्री अमर पाल शर्मा

लखनऊ की तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम कुरौनी की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, श्री शारदा प्रताप शुक्ला, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा..

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

[नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 19–8–2015 को यह सूचना दी गयी है कि ग्राम कुरौनी तहसील सदर, लखनऊ के निवासियों के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत में स्थित भारतीय बहुधन्धी विकास विद्यालय एक फर्जी संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 224/64–55 व नवीनीकरण सं0 307, फाइल संख्या 14584 है। यह संस्था कभी भी कार्यरत नहीं रही है। संस्था का कोई भी बैंक खाता व आडिट भी नहीं है। संस्था के

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रजिस्ट्रेशन पर भूमि खसरा सं0 1677, 2025स, 696, 1347 जिसका कुल क्षेत्रफल 4.1320 हे0 जो कि फर्जी से खतौनी में दर्ज है।

उपरोक्त भूमि को अशोक कुमार यादव पुत्र स्व0 शिवपाल सिंह यादव निवासी ग्राम कामिस खेड़ा, मजरा कुरौनी ने फर्जी तरीके से अपने पिता का नाम बदलकर अशोक कुमार पुत्र स्व0 हीरालाल यादव से खसरा संख्या 1677 व 696 रकबा 1.7450 हे0 बास्किन मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्सी प्रा0 लि0 201, ओयसिस टावर, वाई0एन0 रोड, इन्दौर, म0प्र0 निदेशक निशांत न्याती को बेच दिया है तथा खसरा संख्या 2025स रकबा 2.0230 हे0 क्रेता हीरालाल यादव सेवा ट्रस्टी अभिषेक सिंह पुत्र श्री श्याम किशोर यादव तथा विक्रेता भा0 बहु0 वि0वि0 कार्यालय कासिम खेड़ा, मजरा कुरौनी अध्यक्ष अशोक कुमार यादव यादव पुत्र स्व0 शिवपाल सिंह यादव द्वारा बेच दिया गया है।

ऊपर विक्रेता ने अपने पिता का नाम अशोक कुमार पुत्र स्व0 हीरालाल यादव तथा दूसरी जगह अशोक कुमार यादव पुत्र स्व0 शिवपाल सिंह यादव दिखाया है। उपरोक्त भूमि पर ग्रामवासियों का कब्जा जमींदारी समय से चला आ रहा है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये भारतीय बहुधन्धी विकास विद्यालय की जमीन को खारिज करते हुये ग्राम सभा में दर्ज कराने तथा जालसाजी करके भूमि को हड़पने वाले लोगों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कर, सरकार से वक्तव्य की मांग की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) लखनऊ से प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया है कि ग्राम कुरौनी, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, व वर्तमान (तहसील–सरोजनीनगर) में स्थित खसरा संख्या–1677/1.239, 2025स/2.023, 696/0.506, 1347/0.364 के संबंध में जांच करायी गयी। उक्त भूमि ग्राम कुरौनी की खाता संख्या–192 पर भारतीय बहुधन्धी विकास विद्यालय कुरौनी के नाम दर्ज है तथा जोत चकबन्दी आकार पत्र–45 के खाता संख्या–471 नवीन परती पर सहायक चकबन्दी अधिकारी के मु0नं0 121 दिनांक 18–03–66 के आदेश द्वारा गाटा संख्या–2025स/8 बीघा, व 696–2 बीघा, 1347–1 बीघा 8 बिस्वा 16 विस्वांसी व 1677–चार बीघा 18 बिस्वा, ग्राम समाज से खारिज होकर सन् 1371 फ0 से भारतीय बहुधन्धी विकास विद्यालय के नाम बतौर सीरदार अंकित होने का आदेश दिनांक 28–6–66 दर्ज है। यह प्रविष्टि संदिग्ध पाये जाने पर अन्तर्गत धारा–33/39 का एक वाद सं0 107/155 सरकार बनाम भारतीय बहुधन्धी विकास विद्यालय, कुरौनी अपर उप जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त भूमि के विक्रय के आधार पर एक वाद संख्या–2243 न्यायालय नायब तहसीलदार, बिजनौर में विचाराधीन है। चूंकि प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन है, अतः तहसील/प्रशासनिक आधार पर कोई कार्रवाई किया जाना समीचीन नहीं है।,

नोएडा स्थित डी0एन0डी0 टोल प्लाजा को टोल मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला बाथम द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य स्थगित

श्री अध्यक्ष–

यह मद स्थगित रहेगी।

जनपद मेरठ में रजिस्ट्रियों पर लगातार सर्किल रेट बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा

लोक निर्माण, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

[नियम–51 के अन्तर्गत दिनिांक 20–08–2015 को निम्न सूचना दी गयी थीः–

मेरठ जनपद में भूमि के क्रय–विक्रय उपरान्त रजिस्ट्री कराये जाने पर वर्ष 2013 से प्रत्येक वर्ष सर्किल रेट बढ़ाये जा रहे हैं। सर्वप्रथम दिनांक 08–08–2013 को तदुपरान्त दिनांक 01–08–2014 तथा 02–08–2015 को पुनः दो बार सर्किल रेट बढ़ा दिये गये। जिसके कारण जमीनें दिन–प्रतिदिन मंहगी हो रही हैं। गरीब व्यक्तियों को आवास बनाना मंहगा पड़ रहा है। प्रत्येक वर्ष सर्किल रेट बढ़ाने का क्या औचित्य है ? यह आम जन एवं हम सब की समझ से बाहर है। प्रत्येक वर्ष मेरठ जनपद में ऐसी क्या उपलब्धि सरकार द्वारा दी गई है जो सर्किल रेट बढ़ाये जा रहे हैं। क्या सड़कें चौड़ी हो गयी हैं, शहर का विशेष आधुनिकीकरण हो गया है या विशेष साफ–सफाई की व्यवस्था हो गयी है। आधे शहर में लगभग सर्किल रेट जमीन की कीमत से भी ज्यादा हो गये हैं। इससे आम जन में रोष व्याप्त है। मा0 सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है।

2. मा0 सदस्य द्वारा नियम–51 पर दी गयी सूचना के सम्बन्ध में महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 20–08–2015 से प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया है कि विभाग की अधिसूचना संख्या–495/11–क0नि0–7–2013–700(81)/2013 टी0सी0, दिनांक 28–05–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 को संशोधित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 बनायी गयी है, जिसमें पूर्व प्रचलित नियमावली के नियम–4

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के उप नियम 1 एवं 2 में संशोधन कर, नई व्यवस्था प्रदान की गयी है यथा–नियम 4 उप नियम (1) में कहा गया है कि जिले के कलेक्टर, जहां तक सम्भव हो, अगस्त के महीने में वार्षिक रूप से विभिन्न मार्गों में स्थित कृषि/अकृषि भूमि का न्यूनतम मूल्य प्रति हेक्टेयर/प्रति वर्ग मीटर, गैर वाणिज्यिक भवनों के प्रति वर्ग मीटर निर्माण का न्यूनतम मूल्य और वाणिज्यिक भवनों के प्रति वर्ग मीटर न्यूनतम मासिक किराए–कतिपय तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नियत करेगा। फलतः उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन में दिनांक 08–08–2013 दिनांक 01–08–2014 तथा दिनांक 02–08–2015 को नई मूल्यांकन दर–सूची प्रति वर्ष अगस्त माह में प्रभावी की गई। वर्ष में दो बार सर्किल दरें निर्धारित नहीं की गयी।

3. जहां तक मूल्यांकन सूची में दरों की वृद्धि के औचित्य तथा आधे शहर में सर्किल दर जमीनों की कीमत से अधिक हो जाने का प्रश्न है, उक्त संदर्भ में जनसामान्य के साथ अनेक बैठक आयोजित कर, भूमि दरों की जानकारी प्राप्त की गयी। सम्पत्ति के मूल्य के संदर्भ में सामने आई भूमि दरें तथा विभिन्न वैबसाइटों पर सम्पत्ति के घोषित मूल्य को दृष्टि में रखकर भूमि दरें निर्धारित करते हुए उन्हें बाजारी मूल्य के सापेक्ष रखा गया है। मूल्यांकन सूची प्रभावी होने की दिनांक 02–08–2015 से अब तक सैकड़ों विक्रय पत्रों का पंजीकरण कराया जा चुका है, किन्तु कहीं से भी सर्किल दर बाजारी मूल्य से अधिक होने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।,

नगरपालिका परिषद् गढ़मुक्तेश्वर में बिना मार्ग का निर्माण किये फर्जी भुगतान किये जाने की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

नगरपालिका परिषद् गढ़मुक्तेश्वर में बिना मार्ग का निर्माण...

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 20–8–2015 को यह सूचना दी गयी है कि नगरपालिका परिषद् गढ़मुक्तेश्वर में व्याप्त भ्रष्टाचार अत्यन्त चरम सीमा पर है। जैसे डस्टबिनों में घोटाला पार्किंग स्थल ब्रजघाट नीलामी में घोटाला स्याना रोड नाले निर्माण में घटिया गुणवत्ता में घोटाला आदि लेकिन एक बड़ा घोटाला

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जोकि एक मार्ग रविदास चौक से सुभाष गेट जिसका निर्माण 2009 में दिखाया गया बल्कि स्थल पर मार्ग सड़क निर्माण हुआ नहीं तथा फर्जी भुगतान लगभग 30 लाख (तीस लाख) सरकारी धनराशि कर दिया गया जिसकी पुष्टि एस0डी0एम0 मिश्रा जी 7–2–2014 तथा दूसरे एस0डी0एम0 शमशाद जी द्वारा 10–7–2014 की गई लेकिन कोई कार्रवाई प्रकाश में नहीं आई मैं इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय सूचना जिसमें सरकारी धन का गबन किया गया की उच्च स्तरीय जांच (टी0ए0सी0) तथा त्वरित दण्डात्मक कार्रवाई हेतु सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।''

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद्, गढ़मुक्तेश्वर द्वारा 13वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत 100 नग हैंगिग डस्टबिन की नगर पालिका में पारित बोर्ड प्रस्ताव संख्या–22 (10) दिनांक 14–01–2015 के अनुसार दिनांक 03–03–2015 को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं राष्ट्रीय सहारा में निविदायें आमंत्रित की गयीं। प्राप्त 03 निविदाओं में से न्यूनतम निविदादाता मे0 जानवी एसोसियेट्स, ब्रजधाट से 100 नग हैंगिंग डस्टबिन मूल्य 7,99,000/– क्रय किये गये। इस मूल्य में हैंगिंग डस्टबिन की कीमत, हैंगिंग हेतु लोहे के एंगिल की कीमत, डस्टबिन को जमीन में गाड़ने हेतु निर्माण सामग्री, रोड़ी सीमेन्ट बदरपुर की कीमत, डस्टबिनों को उपयुक्त स्थानों पर लगाने की मजदूरी, डस्टबिन को लगाने के स्थान पर पहुंचाने हेतु किराया तथा खरीद पर वैट आदि भी सम्मिलित था। इस प्रकार डस्टबिन खरीद में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है।

पार्किंग स्थल ब्रजघाट की नीलामी के संबंध में अवगत कराना है कि वर्ष 2013–2014 व 2014–2015 में नीलामी न होने के कारण पालिका स्तर पर वसूली किये जाने से क्रमशः रु0 7,04,905/– एवं रु0 9,61,015/– की आय हुई। पालिका में कर्मचारियों की कमी के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–2016 हेतु नगर पालिका द्वारा प्रयास कर पार्किंग/स्टैण्ड के ठेके की निविदायें आमन्त्रित की गयी। उक्त के आधार पर वित्तीय वर्ष दिनांक 30–05–2015 से 31–03–2016 हेतु ठेका पार्किंग पैलेस (स्टैण्ड शुल्क) ब्रजघाट हेतु श्री दुष्यन्त त्यागी पुत्र ब्रहम सिंह को अंकन रु0 190100/– में छोड़ा गया। इस प्रकार पालिका कोई क्षति नहीं हुयी।

स्याना रोड नाले के निर्माण में घटिया सामग्री/गुणवत्ता के संबंध में स्पष्ट करना है कि स्याना रोड पर 270 मीटर नाले का निर्माण वर्तमान में चल रहा है जिसकी गुणवत्ता का सत्यापन नगर पालिका के अवर अभियन्ता एवं पी0डब्लू0डी0 के सहायक अभियन्ता द्वारा बराबर किया जा रहा है ताकि घटिया सामग्री का प्रयोग न होने पाये।

रविदास चौक से सुभाष गेट तक सड़क का निर्माण 2009 में कराये जाने तथा स्थल पर निर्माण न होने तथा 30 लाख का फर्जी भुगतान सरकारी धनराशि से कर दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि इस प्रकरण की पूर्व में जांच की जा चुकी है। जांच के अनुसार सड़क के चौड़ीकरण का कार्य संबंधित ठेकेदार द्वारा दिनांक 25–02–2009 को 59.50 लाख के टेण्डर के उपरान्त ढाई वर्ष में पूर्ण नहीं किया गया। इस हेतु सम्बन्धित ठेकेदार को पालिका द्वारा विभिन्न नोटिस दिये गये। इस सम्बन्ध में

ठेकेदार द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् गढ़मुक्तेश्वर को दिये गये पत्र में अवगत कराया गया कि सड़क चौड़ीकरण का लगभग 50 प्रतिशत कार्य किये जाने तथा एक्सीडेंट हो जाने पर आपरेशन आदि के कारण विलम्ब से सड़क तैयार की गयी। इसके पश्चात डिवाइडर के दोनों तरफ सड़क तैयार की गयी किन्तु जल निगम द्वारा सीवर लाईन काटी जाने के कारण सड़क की पुनर्स्थापना की गयी। यह सड़क ठेकेदार द्वारा डिवाइडर के दोनों तरफ 6–6 मीटर चौड़ी बनायी गयी थी। इस हेतु दिनांक 10–11–2011 को प्रस्तुत बिल रु0 32,11,842/– में से अवर अभियंता द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर संबंधित अधिकारियों द्वारा माह मार्च 2013 में करों की कटौती करते हुए रुपये 30,00,023/– रुपये का भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया। उक्त सड़क की गुणवत्ता के संबंध में तकनीकी जांच अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग हापुड़ से करायी गयी। तकनीकी जांच में सड़क की गुणवत्ता को मानक के अनुरूप बताया गया है।,

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रामपुर में मंगापुर उदयपुर नाम से नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रामपुर में मंगापुर...

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

[श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 20–08–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़ अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां पर एक ओर पेयजल की गम्भीर समस्या है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों/संपर्क मार्गों के अभाव में आवागमन की भी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है। ससई नदी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके कारण विकास खण्ड लालगंज का जो क्षेत्र सई नदी के दूसरी तरफ पड़ता है, वहां के लोगों को ब्लाक मुख्यालय आने–जाने में पुल के अभाव में परेशानी होती है, वर्षाकाल के दौरान तो यह स्थिति और भी अधिक विस्फोटक हो जाती है, और लोगों का विकास खण्ड लालगंज मुख्यालय पहुंचना पूरी तरह असम्भव हो जाता है, जिसके कारण जहां जनहित के कार्य प्रभावित होते हैं और क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाता है, वहीं लोगों को भी अपना कार्य कराने में दिक्कतें आती हैं। अतः भौगोलिक दृष्टिकोण से भी लोगों को अत्यन्त परेशानी उठानी पड़ती है। क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने के लिए एवं लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिये जनहित में यह अति आवश्यक है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तहसील लालगंज के अन्तर्गत 'मंगापुर उदयपुर' के नाम से एक नये विकास खण्ड का सृजन किया जाय, जिससे जहां क्षेत्र का चतुर्दिक विकास होगा वहीं लोगों को भी सुविधा होगी। जनहित में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 'मंगापुर उदयपुर' के नाम से एक नये विकास खण्ड की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है, जिसका प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है। विकास खण्ड का सृजन न होने से जहां लोगों को परेशानी हो रही है, वहीं क्षेत्रीय जनता में रोष तथा क्षोभ व्याप्त है।

2– उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में नये ब्लाक के गठन के सम्बन्ध में मानक निर्धारित करने की कार्रवाई अभी प्रक्रियाधीन है, पंचायत चुनाव भी होने हैं। अतः उक्त के दृष्टिगत अभी नये विकास खण्ड का गठन सम्भव नहीं है। पंचायत चुनाव होने के उपरान्त तथा मानक निर्धारण की कार्रवाई होने के उपरान्त ही जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में प्रस्तावित विकास खण्ड ''मंगापुर उदयपुर'' को नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।,

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में मवाना शुगर मिल द्वारा किसानों के गन्ने के बकाये का भुगतान न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रभुदयाल बाल्मीकी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में...

लोक निर्माण, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 19–08–2015 को दी गयी सूचना के माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर की ओर आकृष्ट करते हुए यह उल्लेख किया गया है कि जनपद मेरठ में मवाना शुगर मिल द्वारा हजारों किसानों के गन्ने के बकाये का भुगतान न हो पाने की वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवार भुखमरी के कगार पर आ गये हैं। मा0 सदस्य

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से वक्तव्य देने की मांग करते हुए किसानों के बकाये गन्ने का भुगतान शीघ्र किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर, जनपद मेरठ के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की चीनी मिल मवाना शुगर वर्क्स लि0, जनपद मेरठ पर पेराई सत्र 2014–2015 में कुल रु0 314.60 करोड़ गन्ना मूल्य देय है, जिसके सापेक्ष, दिनांक 21–08–2015 तक की स्थिति के अनुसार, उक्त मवाना चीनी मिल द्वारा रु0 62.26 करोड़ का भुगतान किया गया है तथा रु0 252.34 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है। चीनी मिल को गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करने हेतु दिनांक 13–04–2015 एवं 04–08–2015 को नोटिसें निर्गत की गयीं हैं तथा चीनी मिल के विरुद्ध दो एफ0आई0आर0 दर्ज भी करायी गयी हैं। इस सम्बन्ध में गन्ना मूल्य भुगतान में अपेक्षित सुधार न होने के कारण उ0प्र0 गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन अधिनियम–1953 की धारा–17 के अन्तर्गत चीनी मिल मवाना विरुद्ध वसूली प्रमाण–पत्र–1551/सी/क्रय/गन्ना मूल्य दिनांक 20–08–2015 को निर्गत कर अवशेष गन्ना मूल्य की वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करायी जा रही है।

सरकार गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने हेतु कटिबद्ध है।,

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात नायब तहसीलदार द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात नायब तहसीलदार द्वारा....

लोक निर्माण, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

[श्री उमाकांत तिवारी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में लगभग 5 वर्षों से तैनात हैं, इनके द्वारा ग्राम तुसियाना में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर के निवासियों को अर्जित भूमि के सापेक्ष 6 प्रतिशत आबादी भूखण्ड का आवंटन वर्ष 2010–11 में कराया गया है। ये सभी व्यक्ति दिल्ली के निवासी हैं एवं प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 28–01–1991 के समय ग्राम तुसियानी की खतौनी में इनका निवास पता दिल्ली अंकित है, जबकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नीति के अनुसार प्राधिकरण के अधिसूचित

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्र के ग्रामों के निवासी जिनका नाम वर्ष 1991 की खतौनी में अंकित है, केवल वही व्यक्ति अर्जित भूमि के सापेक्ष 6 प्रतिशत आबादी भूखण्ड पाने के पात्र हैं, लेकिन इनके पश्चात भी इनके द्वारा दुरभि संधि करके 6 प्रतिशत आबादी भूखण्ड नीति के विरुद्ध आवंटित कराया गया है। गलत ढंग से आवंटित व्यक्तियों का विवरण :–

क्र0 सं0	खाता संख्या	लाभार्थी का नाम	6 प्रतिशत आबादी भूखण्ड को क्षेत्र (वर्ग मीटर)
1	110	जितेन्द्र कुमार पुत्र हरवंश लाल।	1780
2	18	अरविन्द मदान पुत्र पी0आर0 मदान	820
3	531, 543, 117, 328	राजीव सरीन पुत्र आज्ञापाल सरीन।	2500
4	152	दयाराम पुत्र खचेडू।	260
5	464	सुरेश कुमार पुत्र हरवंशलाल।	1560
6	480	श्रीमती सुमन कम्पानी पत्नी सतीश कम्पानी।	190
7	390	राहुल अग्रवाल पुत्र राजीव अग्रवाल।	1660
8	458	सुनील सरीन पुत्र आज्ञापाल सरीन।	1330
9	333	राजीव अग्रवाल पुत्र सुन्दरलाल अग्रवाल।	810
10	332	राजीव अग्रवाल पुत्र सुन्दरलाल अग्रवाल व श्रीमती नलिनी अग्रवाल पत्नी राजीव अग्रवाल।	1200
11	390	राहुल अग्रवाल पुत्र राजीव अग्रवाल।	420
12	390	श्रीमती नलिनी अग्रवाल पत्नी राजीव अग्रवाल।	420
13	98	सुमित सरीन पुत्र सतीश सरीन।	660
			कुल क्षेत्रफल– 13610

उपरोक्त सभी व्यक्ति ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर दिल्ली के निवासी है, इनका निवास स्थान पूर्व में कभी भी ग्राम तुसियाना में नहीं था और न ही वर्तमान समय में ग्राम तुसियाना में निवास कर रहे हैं। इन सभी व्यक्तियों से मिलीभगत करके नायब तहसीलदार द्वारा कुल 13610 वर्ग मी0 भूमि अनियमित तरीके से आवंटित कराकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचायी गयी है। इन सभी व्यक्तियों को किन नियमों व प्राविधानों के अन्तर्गत वर्ष 2010 व 2011 में नायब तहसीलदार, श्री उमाकांत तिवारी द्वारा 6 प्रतिशत आबादी भू–खण्ड आवंटित कराये गये हैं। उक्त प्रकरण

की जांच कराकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात नायब तहसीलदार के विरुद्ध जांच तथा करोड़ों की क्षति का वसूली किया जाना अति आवश्यक है।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड की 26वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–10–1997 में निर्णय लिया गया था कि ''किसानों की यह भी मांग रही है कि आबादी के लिए 10 प्रतिशत भूमि छोड़ी जाय, जिससे उनके परिवार के विकास की आवश्यकता पूर्ण हो सके''। आबादी के लिए छोड़ी जाने वाली भूमि का शुद्ध (छमज) क्षेत्रफल अधिग्रहीत की गई भूमि के विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत होगा। इस भूमि पर विकास कार्य कराकर भू–अधिग्रहण पर होने वाला व्यय एवं विकास कार्यों पर होने वाले वास्तविक व्यय को जोड़कर बिना लाभ हानि के आवंटन दर निर्धारित किया जायेगा। भूमिहीन कृषकों की आबादी की आवश्यकता को देखते हुये उन्हें भी समुचित भूमि आवंटित की जायेगी। केवल परम्परागत भूमि पर आधारित परिवार जो ग्रेटर नोएडा के स्थापना के पूर्व गांव के निवासी थे, भूमि पाने के अर्ह माने जायेंगे।

यह भी पाया गया कि विक्रय योग्य भूमि अर्जित भूमि के लगभग 50 प्रतिशत ही रह जाती है। शेष का उपयोग अवस्थापना की संरचना में किया जाता है। अस्तु शुद्ध विक्रय क्षेत्रफल 5 प्रतिशत आंकलित होता है। तद्नुसार अर्जित भूमि के सापेक्ष शुद्ध (छमज) 5 प्रतिशत क्षेत्रफल का विकसित भू–खण्ड देय होता है। प्रश्नगत उपरोक्त सूचना में अंकित सूची के क्रमांक–01 लगायत 04 पर उल्लिखित व्यक्तियों को दिनांक 28–10–2010 को क्रमांक–05 लगायत 08 पर उल्लिखित व्यक्तियों को दिनांक 17–01–2011 को एवं क्रमांक–09 लगायत 13 पर उल्लिखित व्यक्तियों को दिनांक 18–05–2011 को ग्राम तुस्याना में प्राधिकरण द्वारा उनकी अर्जित की गयी भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत आबादी भू–खण्ड प्रदान किये जाने हेतु निर्धारित की गयी पात्रता का अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त सभी व्यक्तियों की भूमि 82.612 एकड़ व 364.058 एकड़ भूमि के अर्जत प्रस्ताव में सम्मिलित है। उक्त भूमि पर प्राधिकरण को कब्जा क्रमशः दिनांक 08–01–1999 व दिनांक 06–09–1996 को प्राप्त हुआ है। अभिनिर्णय क्रमशः दिनांक 11–12–2008 व 16–01–1998 को घोषित हुआ है।

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरणों में कृषकों/भू–धारकों द्वारा पुनर्वास बोनस सहित पुश्तैनी दर से सम्पूर्ण प्रतिकर प्राप्त कर लेने तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये निवास संबंधी अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों के आधार पर प्राधिकरण की नीति के अनुसार 5 प्रतिशत आबादी भूमि आवंटन के पात्र पाते हुये भू–खण्ड आवंटन हेतु पात्रता निर्धारित की गयी है।,

जनपद इलाहाबाद अन्तर्गत तहसील बारा के गांव भगदेवा में आराजी संख्या–114 पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दीपक पटेल

द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद इलाहाबाद अन्तर्गत तहसील बारा के गांव भगदेवा...

लोक निर्माण, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

[में स्थानीय दबंग व्यक्ति द्वारा मौजा भगदेवा की आराजी संख्या–114, रकबा–0.2190 हेक्टेयर भूमि को जो खलिहान की भूमि है, को कब्जा कर लिया गया है। उपरोक्त भूमि पर उपरोक्त दबंग व्यक्ति द्वारा निजी विद्यालय का निर्माण करवा लिया गया है तथा शेष भूमि को कब्जा करके खेती का कार्य किया जा रहा है जबकि उपरोक्त रकबा खलिहान के नाम दर्ज है जिससे क्षेत्रीय लोगों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। मा0 सदस्य द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण मुक्त कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), इलाहाबाद से प्राप्त आख्या में सूचित किया गया है कि ग्राम भगदेवा परगना व तहसील बारा में स्थित आराजी नं0–114 रकबा 0.2190 हेक्टेयर खलिहान के नाम अंकित है, जिसका सीमांकन 03 लेखपालों की टीम द्वारा दिनांक 22–8–2015 को तहसीलदार बारा के समक्ष कराया गया। मौके पर खलिहान की भूमि पर श्री जयसिंह पुत्र मेवालाल सिंह नि0–भगदेवा द्वारा 0.035 हे0 पर पशुशाला, भुसौल, नांद चरनी बनाकर व सब्जियों का बाड़ा बना कर अवैध कब्जा किय गया था। नांद, चरनी व सब्जियों का बाड़ा तत्काल हटवा दिया गया। पशुओं के चारे की समस्या एवं बरसात के मौसम के कारण भुसौल व पशुशाला हटाने हेतु ग्राम प्रधान श्री बंश बहादुर सिंह के समक्ष जयसिंह द्वारा दो दिन का समय लिया गया था। उक्त ग्राम से संबंधित लेखपाल को दिनांक 24–2–2015 को भेजकर स्थलीय निरीक्षण कराया गया। जिसमें पाया गया कि श्री जयसिंह द्वारा उक्त आराजी संख्या–114 से अपना भुसौल व पशुशाला आदि सब हटा लिया गया है। मौके पर उनके द्वारा कोई कब्जा नहीं है। निजी विद्यालय का निर्माण खलिहान की भूमि पर नहीं है। उक्त के अतिरिक्त खलिहान की भूमि मौके पर खाली है। निजी विद्यालय का निर्माण आराजी संख्या–113 में स्थित है जो

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्रीमती सुशीला देवी पत्नी भानु प्रताप सिंह व सुधाकर सिंह पुत्र भानु प्रताप सिंह निवासी–गडैया लोनीपार तहसील बारा के नाम दर्ज है।,

जनपद बलिया की तहसील रसड़ा में ग्रामीण मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना न किये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद बलिया की तहसील रसड़ा में ग्रामीण मुन्सिफ...

लोक निर्माण, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

[न्यायालय समाप्त कर दिया गया है, जिससे वहां के निवासी एवं अधिवक्ता संघ आन्दोलनरत है। उक्त सूचना में यह भी उल्लेख है कि उक्त न्यायालय की स्थापना हेतु रिपोर्ट शासन व उच्च न्यायालय को प्रेषित की गयी है, फिर भी न्यायालय की स्थापना नहीं हो पा रही है। इस संबंध में तहसील रसड़ा पर ग्रामीण मुंसिफ न्यायालय की स्थापना हेतु कार्रवाई/वक्तव्य की मांग की गयी है।

2–उपर्युक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद–227 एवं अनुच्छेद–235 में दी गयी व्यवस्थानुसार अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर मा0 उच्च न्यायालय का पूर्ण नियंत्रण होता है और किसी जनपद विशेष/तहसील विशेष में किसी न्यायालय सृजन के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत/संस्तुति प्राप्त की जाती है। मा0 उच्च न्यायालय के अभिमत/सहमति प्राप्त होने पर वित्त विभाग की सहमति से न्यायालयों की स्थापना के संबंध में निर्णय लिया जाता है। प्रश्नगत प्रकरण में जनपद बलिया की तहसील रसड़ा में ग्रामीण मुंसिफ न्यायालय की स्थापना के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सहमति/संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है।

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में फैले मस्तिष्क ज्वर एवं मलेरिया की रोकथाम कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रूबी प्रसाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में फैले...

लोक निर्माण, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

[जनपद सोनभद्र अति पिछड़ा नक्सल प्रभावित व जंगलों व पहाड़ों से घिरा हुआ आदिवासी क्षेत्र है। क्षेत्र की जनता अत्यन्त गरीब व लाचार है। विधान सभा के तीन ब्लाक दुद्धी, म्योरपुर व बभनी, जो कि रेड जोन घोषित है, जहां प्रत्येक वर्ष मस्तिष्क ज्वर एवं मलेरिया से सैकड़ों आदिवासी मौत के मुंह में समा जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है, जिससे गरीब, कमजोर व आदिवासी व निरीह व्यक्तियों की जान बचायी जा सके।

2–मा0 सदस्य की सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य मलेरिया/वीबीडी मुख्यालय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों हेतु मलेरिया रोग के नियंत्रण, रोकथाम, बचाव एवं उपचार हेतु मलेरिया कार्य योजना प्रत्येक वर्ष निर्गत की जाती है। वर्ष 2015–16 में उक्त रोग की कार्य योजना राज्य मुख्यालय स्तर से समस्त जनपदों को निर्गत की जा चुकी है, जिसके द्वारा मलेरिया रोग के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रदेश के समस्त जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

जनपद स्तर पर जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा रोग के प्रसार पर अंकुश रखने के लिये वेक्टर नियंत्रण की कार्यवाही पर्यावरण उपाय, लार्वानाशक छिड़काव, अवशेषी कीटनाशक छिड़काव, स्पेस स्प्रे एवं फॉगिंग आदि आवश्यकतानुसर निर्धारित निर्देशों/मानकों के अनुसार सम्पादित करायी गयी हैं। विधान सभा क्षेत्र दुद्धी जनपद सोनभद्र में लार्वानाशक रसायनों का छिड़काव वेक्टर (मच्छर) पनपने के लिए उपयुक्त जलीय स्थानों में साप्ताहिक अन्तराल पर कराया गया है।

जनपद सोनभद्र में मलेरिया रोग से वर्ष 2010 में कुल 12068 रोगी, वर्ष 2011 में कुल 8248 रोगी, वर्ष 2012 में 9581 रोगी, वर्ष 2013 में 9997 रोगी, वर्ष 2014 में 11312 रोगी एवं वर्ष 2015 में (माह जुलाई तक) 2751 रोगी सूचित हुये। वर्ष 2010 से 2015 तक मलेरिया रोग से किसी भी रोगी की मृत्यु सूचित नहीं हुई है।

वर्ष 2005 से मस्तिष्क ज्वर रोग का कोई भी रोगी जनपद सोनभद्र से सूचित नहीं हुआ है।,

---

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बहराइच के नानपारा क्षेत्रान्तर्गत सरयू नदी के गढ़ी घाट के पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती माधुरी वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद बहराइच के नानपारा क्षेत्रान्तर्गत सरयू नदी के गढ़ी...

लोक निर्माण, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

[घाट का पुल अभी कुछ दिन पूर्व बनाया गया है जिसकी लागत लगभग 6 करोड़ की उक्त मार्ग से हजारों लोगों को आना–जाना है। नेवादा–पूरे कस्बा से ब्लाक शिवपुर के सड़क को लगभग 500 मीटर सड़क सरयू नदी ने काट दिया है जिसके कारण हजारों लोगों का आना–जाना बंद हो गया है तथा जनता के धन से बने इस पुल का उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। जनहित में उक्त मार्ग 500 मीटर सड़क का अविलम्ब निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व की इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गढ़ी घाट के पुल के रामपुर–धोबिया साइड के पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण वर्ष 2011 में पूर्ण करा दिया गया तथा नानपारा साइड में कार्य मई, 2015 में पूरा करा दिया गया। रामपुर–धोबिया साइड (नेवादा–पूरे कस्बाती) साइड की ओर सरयू नदी की धारा बदल जाने के कारण अपने दाहिने ओर कटान कर रही है, जिसके फलस्वरूप पुल से लगभग 800 मीटर दूर नदी की मुख्य धारा पिछले वर्ष नेवादा–पूरे कस्बाती गांव के कुछ घरों का कटान करते हुये अतिरिक्त पहुंच मार्ग का भी लगभग 600 मी0 लम्बाई में कटान कर दिया गया था, जिसको पूर्व अवस्था में लाने हेतु अनुमानित लागत रु0 136.45 लाख की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।,

नगर पालिका परिषद् गुलावठी, जनपद बुलन्दशहर के बीचों–बीच से गुजर रही 33 के0वी0ए0 की विद्युत लाइन के स्थानान्तरण हेतु निविदायें स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

नगर पालिका परिषद् गुलावठी, जनपद बुलन्दशहर के...

लोक निर्माण, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्के बीचों बीच से 33 के0वी0ए0 की विद्युत लाइन गुजर रही है। उसके नीचे पड़ने वाले मकानों की छतों से विद्युत लाइन मात्र 7–8 फुट की ऊंचाई पर है जिसके कारण वहां पर अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें मानवीय तथा अन्य प्रकार की गंभीर क्षति पहुंची है। उक्त विद्युत लाइन के स्थानान्तरण हेतु मा0 मुख्य मंत्री के आदेशोपरान्त विद्युत विभाग द्वारा नवम्बर, 2014 में इस कार्य के लिये निविदाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं लेकिन अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। जिसके कारण वहां निरन्तर दुर्घटनाओं की स्थिति बनी रहती है। जनहित में उक्त विद्युत लाइन का शीघ्र हटना अत्यन्त आवश्यक है।

इस संदर्भ में अवगत कराना है कि नगरपालिका परिषद् गुलावठी, जनपद–बुलन्दशहर के बीचों–बीच से गुजर रही 33 के0वी0 की विद्युत लाइन हटाने हेतु अण्डर ग्राउण्ड 33 के0वी0 केबिल डालने की निविदा स्वीकृत हो चुकी है एवं कार्य करने की अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। उक्त कार्य नवम्बर, 2015 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।,

जनपद चित्रकूट स्थित कामदगिरी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान सिंह पटेल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद चित्रकूट स्थित कामदगिरी परिक्रमा मार्ग...

लोक निर्माण, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

[''जनपद–चित्रकूट में कामतानाथ देश का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है यहां हर माह अमावस्या मेला में लाखों की तादात में श्रद्धालु कामदगिरि दर्शन कर परिक्रमा लगाने आते हैं। कामदगिरि परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण कार्य कई माह से आधा अधूरा पड़ा है, जिसको दुरुस्त कराना आवश्यक है, उ0प्र0 में स्थित कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पर कुछ वर्ष पूर्व जो पत्थर बिछाये गये हैं वह इतने चिकने हैं कि गर्मी में अत्यधिक मात्रा में गर्म एवं ठण्डी में अत्यधिक ठण्डे तथा बरसा में अत्यधिक फिसलन भरे हो जाते हैं। जिससे परिक्रमा लगाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परिक्रमा मार्ग में लगे पत्थरों के स्थान पर दूसरे किस्म के पत्थर लगाना श्रद्धालुओं के हित में आवश्यक है तथा गर्मी एवं बरसात से बचाव हेतु परिक्रमा मार्ग में शेड का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। एवं साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि उ0प्र0 के भाग पर बने परिक्रमा मार्ग स्थित साक्षी गोपाल मन्दिर एवं खोही आदि स्थानों पर मार्ग अत्यधिक सकरा है। जिससे प्रतिमाह लगने वाले अमावस्या मेला में श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद–चित्रकूट स्थित कामदगिरि पर्वत पर बने परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण कराकर सौन्दर्यीकरण एवं परिक्रमा मार्ग पर लगे चिकने पत्थरों के स्थान पर उच्च किस्म के पत्थर लगवाये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।''

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–चित्रकूट स्थित कामदगिरी परिक्रमा मार्ग के आवश्यकतानुसर सौन्दर्यीकरण हेतु वर्ष 2014–15 में केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत रु0 363.94 लाख की परियोजना स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग को अब तक रु0 72.32 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है, इसके अन्तर्गत परिक्रमा मार्ग, पुलिस चेकपोस्ट, तालाब का सौन्दर्यीकरण, ड्रेन कर्वस्टोन पार्किंग क्षेत्र, स्टोन बोल्डर, बाएण्ड्रीवाल, रिटेनिंग वाल, लैण्ड स्केपिंग एवं हार्टीकल्चर आदि के कार्य कराये जाने हैं। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में राज्य योजनान्तर्गत रु0 16.53 लाख की परियोजना स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम को अब तक रु0 12.39 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है, योजनान्तर्गत 150 लीटर क्षमता के 10 अदद वाटर कूलर, 25 लीटर क्षमता के 02 अदद वाटर प्यूरीफायर, 60 अदद आयरन वेन्चेज लगाये जाने आदि का कार्य प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि कामदगिरि परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य किया चुका है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार पत्थर लगाने का कार्य प्रगति पर है। योजनाओं के पूर्ण होने पर कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पर आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को सुविधा प्राप्त होगी तथा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।,

---

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव ट्रान्स गंगा सिटी की स्थापना हेतु अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 2011 की पुनर्वास नीति से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज गुप्ता द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद उन्नाव ट्रान्स गंगा सिटी की स्थापना हेतु...

लोक निर्माण, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्प्रक्रिया जारी है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान उपजे हालातोंपरान्त किसानों, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के अधिकारियों व जिला प्रशासन के मध्य बनी सहमति पर यू0पी0एस0आई0डी0सी0 व जिला प्रशासन द्वारा किसानों को 2011 की पुनर्वास नीति से आच्छादित किये जाने का आश्वासन दिया गया था। मौके पर भूमि अधिग्रहण करने के बाद प्रक्रिया जारी है किन्तु अभी तक किसानों को 2011 की पुनर्वास नीति से आच्छादित नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा जनपद–उन्नाव के ग्राम–कन्हवापुर, मनभौना व शंकरपुर सराय में कुल 444.9979 हे0 भूमि का अधिग्रहण सुनियोजित औद्योगिक विकास के लिये किया गया था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत समस्त वैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि का अधिकार अर्जन निकाय को सौंपा गया है। साथ ही राजस्व अभिलेखों में विभाग के नाम अमलदरामद करा दिया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा–9 के अन्तर्गत किसानों की आपत्तियां प्राप्त कर उनके पक्ष को सुनकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की धनराशि किसानों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर भूमि अर्जन करार नियमावली, 1997 में प्राविधानित प्रक्रिया के अनुसार आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा प्रतिकर की दर रु0 5.51 लाख प्रति बीघा (सोलेशियम, ब्याज आदि शामिल) की स्वीकृति प्रदान की गई।

इस परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत किया गया है। इस परियोजना में 95 प्रतिशत से अधिक भू–स्वामियों ने अपने करारनामा भरकर अपनी सहमति दी गयी है। जिसके फलस्वरूप भूमि अधिग्रहण करार नियमावली, 1997 के अन्तर्गत प्रतिकर का निर्धारण कर मण्डलायुक्त, लखनऊ से स्वीकृति प्राप्त कर

नोट :–ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अभिनिर्णय घोषित किये जा चुके हैं तथा करार से अवशेष भूमि के अनिवार्य अभिनिर्णय घोषित करने के उपरान्त अधिकांश भू–स्वामियों ने प्रतिकर प्राप्त कर लिया है।

प्रभावित भू–स्वामियों को निराशा से बचाने के लिये यू0पी0एस0आई0डी0सी0 तथा कृषकों के मध्य बनी सहमति पर शासन द्वारा विचारोपरान्त अर्जन से प्रभावित कृषकों को एक्सग्रेसिया के रूप में (अनुग्रह राशि) रु0 7.00 लाख प्रति बीघा दिये जाने का निर्णय लिया गया।

जहां तक प्रभावित किसानों को 2011 की पुनर्वास नीति से आच्छादित करने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4/17 के प्रकाशन के पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–6/17 के प्रस्ताव प्रेषण के साथ अर्जन निकाय द्वारा पुनर्वास नीति के अन्तर्गत आंकलित धनराशि का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। इस प्रकरण में धारा–6/17 की अधिसूचना राजकीय गजट में ग्राम–मनभौना की धारा–6(1)/17, दिनांक 26–02–2003, ग्राम–कन्हवापुर में धारा–6(1)/17, दिनांक 24–05–2005 एवं ग्राम–शंकरपुर सराय में धारा–6 (1)/17, दिनांक 26–02–2003 को प्रकाशित हुई जबकि प्रश्नगत नीति दिनांक 02–06–2011 को तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है जो इस प्रकरण पर लागू नहीं है।,

जनपद बुलन्दशहर में आई0टी0आई0 परीक्षा में सक्रिय नकल माफिया गिरोह की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलनवाज खान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी जाने की सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद बुलन्दशहर में आई0टी0आई0 परीक्षा में.....

लोक निर्माण, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्एक बड़ा नकल माफियाओं का सिंडिकेट पकड़ा गया था। इस प्रकरण के उजागर होने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस घिनौने कार्य कराने में किसी न किसी उच्च अधिकारी का हस्तक्षेप भी हो सकता है। हजारों बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया गया है जांच के नाम पर मात्र औपचारिकता की गयी है। सम्पूर्ण प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच की जानी चाहिए। नकल माफियाओं का यह खेल पहले भी चल रहा होगा। इस कृत से सरकार की छवि भी धूमिल हुई है और शिक्षा का अपराधीकरण हुआ

नोट :–ख, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। ऐसी घटनाओं से भविष्य में छात्रों का तकनीकी शिक्षा से मन भ्रमित हो जायेगा। जिसके दुष्परिणाम निकलेंगे। इस समस्त प्रकरण पर सरकार को तत्काल उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कठोरतम् कार्यवाही की जानी चाहिए। मा0 सदस्य द्वारा जनहित व लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार के वक्तव्य की मांग की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, 2015 माह अगस्त में संचालित की जा रही थी। जनपद बुलन्दशहरा में जिलाधिकारी को उक्त परीक्षा में नकल की शिकायत संज्ञान में आने के उपरान्त उनके द्वारा जिला प्रशासन की टीम के द्वारा औचक निरीक्षण एवं छापेमारी की कार्यवाही करायी गयी। नकल में लिप्त लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी तथा सम्पूर्ण प्रकरण के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या पत्र दिनांक 06–08–2015 एवं 12–08–2015 द्वारा शासन को प्रेषित की गयी तथा प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया। प्रकरण की विषयवस्तु गृह विभाग से सम्बन्धित होने के कारण जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से प्राप्त आख्या/रिपोर्ट के आधार पर यथोचित निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु गृह विभाग को सन्दर्भित कर दिया गया है।,

जनपद मथुरा में पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए नई बोरिंग/रि–बोर कराते हुये जनता को मीठा पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद मथुरा में पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते.....

लोक निर्माण, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्अवगत कराना है कि मथुरा ब्लाक (ग्रामीण क्षेत्र) में अग्रलिखित ग्राम सभाओं 1–महोली, 2–धनगांव, 3–पालीखेड़ा, 4–मणेशरा, 5–मुड़ेसी, 6–छरौरा, 7–नवादा, 8–नरहौली, 9–अडूकी मोहनपुर, 10–विर्जापुर, 11–गिरधरपुर, 12–नौगांव, 13–बाकलपुर, 14–तन्तूरा, 15–राजपुर बांगर एवं 16–बाबूगढ़ सकराया में खारे पानी तथा आर्सेनिक युक्त पानी की बाहुलता के कारण शासन द्वारा पानी की टंकी स्थापित कराकर जलापूर्ति किये जाने की योजना बनायी गयी है। उक्त ग्राम सभाओं में जिन स्थानों पर जल निगम द्वारा रुपये 26 लाख की लागत से पानी की टंकी बनायी गयी है उनमें से 1–नरहौली ग्राम सभा एवं 2–पालीखेड़ा ग्राम सभा में अभी तक मीठे पानी के स्थान पर बोरिंग नहीं

हुई है। कई गांव में टंकियों को जोड़ने के लिये डाली जा रही पाइप लाइन मानक के अनुरूप नहीं है। मथुरा ब्लाक में स्थापित गांवों में पाइप लाइन फट रही है पाइप की फिटिंग मानक के अनुरूप किया जाना आवश्यक है। कई गांव में बोरिंग फेल हो गई है। जिसका मीठे पानी वाले स्थान पर शीघ्र रि–बोर कराते हुए पीने का पानी सप्लाई किया जाना आवश्यक है। ग्राम सभा महोली एवं धनगांव में पाइप लाइन घटिया स्तर की डाली गयी है। भारत सरकार ने खारे एवं आर्सेनिक युक्त पानी के स्थान पर मीठे पानी की उपलब्धता वाले स्थान का परीक्षण कर उस पर विशेष परिस्थितियां मानते हुए बोरिंग किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया है उक्त शासनादेश के तहत मथुरा ब्लाक के 1–दामोदरपुरा, 2–तन्तूरा, 3–बाकलपुर विस्तार तथा 4–अल्हेपुर जहां पर आर्सेनिक युक्त पानी एवं खारा पानी ज्यादा है, में मीठे पानी वाले स्थान पर विशेष परिस्थितियां मानते हुए नई बोरिंग/रि–बोर कराते हुए जनता को मीठा पेयजल उपलब्ध कराया जाना अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में जल निगम द्वारा शीघ्र कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोक महत्व का है।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र मथुरा वृन्दावन के विकास क्षेत्र मथुरा ब्लाक में 15 पेयजल योजनाएं निर्मित /निर्माणाधीन हैं, जिनकी अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	योजना का नाम	अद्यतन स्थिति
1	2	3
1	महोली पेयजल योजना	महोली ग्राम में अवर जलाशय के माध्यम से मार्च, 2014 से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। जलापूर्ति के समय होने वाले लीकेज को तुरन्त ठीक करा दिया जाता है।
2	धनगांव पेयजल योजना	इस योजना में अवर जलाशय के माध्यम से जनवरी, 2014 से निरन्तर पेयजल आपूर्ति चालू है। योजना के समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।
3	पाली खेड़ा पेयजल योजना	इस योजना के अन्तर्गत तीन स्थानों पर नलकूप छिद्रण का कार्य कराया गया, जिसमें कम श्राव एवं पीने योग्य जल उपलब्ध न होने के कारण नलकूप उपयुक्त नहीं पाये गये। अन्यत्र स्थान की तलाश नलकूप हेतु की जा रही है। नलकूप छिद्रण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही योजना के शेष कार्य प्रारम्भ कराये जायेंगे।
4	गणेशरा पेयजल योजना	इस योजना में अवर जलाशय के माध्यम से जनवरी, 2014 से निरन्तर पेयजल आपूर्ति चालू है। योजना के समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

1	2	3
5	मुड़ेसी पेयजल योजना	इस ग्राम में अवर जलाशय के माध्यम से मार्च, 2014 से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।
6	छरौरा पेयजल योजना	छरौरा ग्राम में अवर जलाशय के माध्यम से सितम्बर, 2014 से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। योजना के समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।
7	नवादा पेयजल योजना	इस योजना में अवर जलाशय के माध्यम से सितम्बर, 2014 से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। योजना के समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।
8	नरहौली पेयजल योजना	इस ग्राम की पेयजल योजना का निर्माण कार्य सितम्बर, 2013 में प्रारम्भ हुआ था। योजना के अवर जलाशय, वितरण प्रणाली एवं नलकूप छिद्रण का कार्य पूर्ण हो गया है। विद्युत कनेक्शन अपेक्षित है, जिसके उपरान्त जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।
9	अडूकी मोहनपुर पेयजल योजना	इस योजना में अवर जलाशय के माध्यम से दिसम्बर, 2014 से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। योजना के समस्त कार्य पूर्ण हैं।
10	बिजापुर पेयजल योजना	इस ग्राम की पेयजल योजना का निर्माण कार्य नवम्बर, 2014 में प्रारम्भ हुआ था नलकूप छिद्रण का कार्य पूर्ण हो गया है। अवर जलाशय एवं वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य प्रगति पर है।
11	गिरधरपुर पेयजल योजना	इस योजना में अवर जलाशय के माध्यम से पेयजल आपूर्ति चालू है। योजना के समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।
12	नौगांव पेयजल योजना	इस योजना में अवर जलाशय के माध्यम से पेयजल आपूर्ति चालू है। योजना के समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।
13	बालपुर पेयजल योजना	इस योजना में अवर जलाशय से जनवरी, 2014 से निरन्तर पेयजल आपूर्ति चालू है।
14	तन्तूरा पेयजल योजना	योजना का प्राक्कलन स्वीकृत हो गया है, धनावंटन के उपरान्त कार्य कराया जायेगा।
15	राजपुर बांगर पेयजल योजना	इस योजना में अवर जलाशय के माध्यम से नवम्बर, 2014 से निरन्तर पेयजल आपूर्ति चालू है।

उपरोक्त समस्त निर्माणाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं में आई0एस0आई0 मानकों के अनुसार ही पाइप की आपूर्ति ली जा रही है एवं उसी पाइप को विभिन्न पेयजल योजनाओं में बिछाया जा रहा है। थर्ड पार्टी निरीक्षण मेसर्स क्राउन एजेन्ट्स

इण्डिया प्रा0लि0 नई दिल्ली द्वारा करने के उपरान्त पाइप की आपूर्ति ली जा रही है। उचित स्थान पर पीने योग्य पानी मिलने के उपरान्त ही योजनाओं के अन्य कार्य कराकर जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित समस्त पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जा रहा है। बाबूगढ़ सकराया पेयजल योजना स्वजलधारा कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गयी है।

जहां तक मथुरा ब्लाक के ग्राम सभा औरंगाबाद, दामोदरपुरा, बाकलपुर ग्राम सभा विस्तार एवं अल्हैपुर में नई बोरिंग/पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति किये जाने की मांग का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 से केन्द्र पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश में कमी किये जाने तथा धनराशि का व्यय केवल निर्माणाधीन परियोजनाओं में ही करने के निर्देश के कारण वित्तीय वर्ष 2015–16 से नई परियोजनाएं स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।,

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव अन्तर्गत कन्जौली घाट पुल के दोनों तरफ टूटी सड़कों का निर्माण तथा दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव.....

लोक निर्माण, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्के अन्तर्गत कंजौली घाट पुल के दोनों तरफ की सड़कें (रेपुरा जाट से कंजौली घाट पुल तक तथा कंजौली घाट के पुल से बल्देव की तरफ) सड़कों का निर्माण, लो0नि0वि0 के प्रान्तीय खण्ड मथुरा के द्वारा पिछले वर्षों में कराया गया था तथा मानकता के अभाव में पुल के दोनों तरफ की सड़कें बैठ गई हैं, धंस गई हैं तथा पिचिंग, दीवालें ढह गयी हैं। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता के आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है तथा आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है। कंजौली घाट से कासिमपुर बल्देव मार्ग जर्जर हो गयी है जोकि लो0नि0वि0 (निर्माण शाखा–1) द्वारा बनायी गयी थी तथा कंजौली घाट के पुल के दोनों ओर की पीचिंग दीवार ढह गयी है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनहित में सड़कों की मरम्मत कराने एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध जांच कराकर सख्त कार्रवाई करायी जाय।

अतः इस जनहित व अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद मथुरा में बल्देव–नगला धर्मपुरा–रैपुराजाट मार्ग पर यमुना नदी से कंजौली घाट पर सेतु की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 18–02–2008 द्वारा रु0 945.44 लाख की प्रदान की गई थी। कालान्तर में शासनादेश दिनांक 31–10–2011 द्वारा रु0 1608.13 लाख की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति के अनुसार सेतु का निर्माण एवं सेतु के दोनों तरफ ज्वाइन्ट पर एप्रोच स्लैब का निर्माण सेतु निगम द्वारा तथा पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना था। उपरोक्तानुसार सेतु एप्रोच स्लैब के कार्य के अतिरिक्त समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इस कार्य में कंजौली घाट सेतु का कार्य सेतु निगम द्वारा वर्ष 2011 में एवं पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 30–06–2012 को सम्पन्न कराया गया। पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य मे0 एम0डी0एस0 कंस्ट्रक्शन, मथुरा द्वारा पूर्ण कराया गया है। एप्रोच स्लैब न बनने एवं वर्ष 2012 में हुई अत्यधिक वर्षों के कारण ज्वाइन्ट पर एप्रोच मार्ग धंस गया। बरसात का पानी धंसी हुई सड़क में एकत्र हुआ जो कि निकासी हेतु निर्मित के0सी0 ड्रेन व सूट में न जाकर साइड की दीवारों के नीचे से होता हुआ गुजरा, जिसके कारण सेतु एवं पहुंच मार्ग के जंक्शन के पास साइड दीवार व पिचिंग क्षतिग्रस्त हो गई। जंक्शन पर बनी दबक को पत्थर भरकर सुलभ यातायात हेतु ठीक कर दिया गया है।

बल्देव–बरौली–कैलाश मार्ग से मडौरा (कंजोली घाट) वाया आंगई माइनर मार्ग कुल लम्बाई 11.025 कि0मी0 है। इस मार्ग का निर्माण फरवरी, 2010 पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा कराया गया था। इसी मार्ग पर कासिमपुर एवं सैदपुर ग्राम पड़ते हैं। मार्ग क्षतिग्रस्त है। जिसका सुधार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। कंजोली घाट से कासिमपुर (सैदपुर) मार्ग आंगई माइनर से सैदपुर मार्ग के नाम से हैं मार्ग की लम्बाई 400 मीटर हैं इस मार्ग पर नवीनीकरण का कार्य वर्ष 2006 मे कराया गया था। वर्तमान में मार्ग पर पैच आदि बन गये हैं। मार्ग के पुनः नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

कंजौली घाट पर निर्मित सेतु के दोनों ओर के क्षतिग्रस्त पहुंच मार्ग, पिचिंग दीवालें आदि के सम्बन्ध में जांच हेतु गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या परीक्षणाधीन है।,

जनपद–बहराइच में क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट को तोड़कर मलवे में फेंके जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद बहराइच में क्षतिग्रस्त प्रतीक अशोक की लाट को तोड़कर मलवे.....

लोक निर्माण, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्बनी हुई थी, वहीं नगर पंचायत के पुराने भवन को नगर पंचायत प्रशासन द्वारा तोड़कर नवीन दुकानें बनवाने का कार्य किया जा रहा था। अधिशासी अधिकारियों की उपस्थिति में परिसर में स्थित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट पर हथौड़े चलाकर उसे क्षतिग्रस्त करके मलवे में फेंक दिया गया, जिससे पूरे राष्ट्र भारत, भारतीय संविधान एवं देशवासियों की भावना का भी अपमान है। राष्ट्रीय प्रतीक ''अशोक की लाट'' के इस अपमान से समूचे प्रदेशवासियों व देशवासियों में घोर जनाक्रोश है कभी भी आन्दोलित हो सकते हैं।

अतः नगर पंचायत जरवल, जनपद बहराइच के परिसर में क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय प्रतीक ''अशोक की लाट'' को स्थापित कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2–प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा उप जिलाधिकारी, कैसरगंज को जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर अपर जिलाधिकारी (वि0रा0), बहराइच ने अपने पत्र दिनांक 21 अगस्त, 2015 द्वारा अवगत कराया है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान जरवल स्व0 गुलाम रसूल द्वारा वर्ष 1954 में पंचायत भवन बनवाने के दौरान पंचायत भवन परिसर में राष्ट्रीय चिन्ह ''अशोक की लाट'' की स्थापन करायी थी। 61 वर्ष पुराना पंचायत भवन जर्जर होने के कारण पिछले कई वर्षों से गिर रहा था। जिसे निष्प्रयोज्य किये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत जरवल द्वारा नवम्बर, 2014 में लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा गया था। लोक निर्माण विभाग द्वारा निरीक्षण कर दिसम्बर, 2014 में पंचायत भवन को निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया गया। निष्प्रयोज्य घोषित हो जाने के फलस्वरूप जून, 2015 में बिल्डिंग का मलवा निकाय द्वारा नीलाम कर दिया गया। पंचायत भवन परिसर में खड़न्जा लगा हुआ था, जिसके पश्चिम उत्तर कोने पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट स्थापित है। वर्षा के कारण मूर्ति के नीचे का बालू बह गया था, जिसके कारण मूर्ति पूर्व की दिशा में थोड़ी झुक गयी थी। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट को न तो किसी ने तोड़ा था और न ही किसी के द्वारा क्षति पहुंचायी गयी। देश के राष्ट्रीय प्रतीक ''अशोक

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की लाट'' का सम्मान रखते हुए अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत जरवल द्वारा मूर्ति का सौन्दर्यीकरण करा दिया गया है, जिसकी सुरक्षा हेतु लोहे की जाली भी लगवा दी गयी है।

कृपया वर्णित स्थिति में नगर पंचायत भवन जरवल के परिसर में राष्ट्रीय चिन्ह ''अशोक की लाट'' पूर्णतया सुरक्षित है और इसे न तो किसी के द्वारा तोड़ा गया है और न ही किसी के द्वारा क्षति पहुंचायी गयी है।,

जनपद शामली के थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद शामली में थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों की....

लोक निर्माण, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

1–**बाबरी–भंदौड़ा मार्ग :–**यह मार्ग बाबरी–कैडी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0 3 से दायीं ओर निकलता है जिसकी कुल लम्बाई 3.00 कि0मी0 है। उक्त मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। यह मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

2–बुटराडा नहर की पटरी :–यह मार्ग पानीपत–खटीमा मार्ग (राज्य मार्ग) के कि0मी0 49 से दायीं ओर निकलता है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 18 कि0मी0 का अन्य जिला मार्ग है, जिसमें जनपद शामली के अन्तर्गत लम्बाई 12 कि0मी0 (चैनेज 0.000 से 12.000 कि0मी0) है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में मार्ग के कि0मी0 1, 2 व 5 (500) तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 में मार्ग के कि0मी0 6 से 12 में नवीनीकरण का कार्य कराया जा चुका है। इस प्रकार 12 कि0मी0 लम्बाई में से 9.500 कि0मी0 लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य हो चुका है, जिसकी दशा संतोषजनक है। अवशेष 2.500 कि0मी0 लम्बाई ख्कि0मी0 3, 4, 5 (500), में वित्तीय वर्ष 2015–16 में नवीनीकरण कार्य की जून, 2015 में स्वीकृति हो चुकी है। कार्य प्रारम्भ कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। कि0मी0 12.000 से 18.000 कि0मी0 का भाग जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित है एवं आंशिक क्षतिग्रस्त है जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

नोट :–ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3–बुटराडा बाईपास :–यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जो बुटराडा लिंक मार्ग के कि0मी0 1.20 के अन्तिम छोर से प्रारम्भ होकर ग्राम बुटराडा के बाहर से होते हुए बुटराडा नहर की पटरी अन्य जिला मार्ग के कि0मी0 5 में मिलता है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 530 मी0 है। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

4–बाबरी बन्तीखेड़ा मार्ग :–यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 1.20 कि0मी0 है। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

5–बाबरी–हिण्ड मार्ग :–यह मार्ग पानीपत खटीमा मार्ग (राज्य मार्ग) के कि0मी0 48 से बायीं ओर निकलकर हिण्ड तक जाता है। जिसकी कुल लम्बाई 8.830 कि0मी0 है। उक्त मार्ग अन्य जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है। मार्ग की कुल लम्बाई 8.830 कि0मी0 में से 5.800 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग की दशा संतोषजनक है। अवशेष लम्बाई 3.030 कि0मी0 ख्कि0मी0 6 (200), 7, 8 एवं 9 (830), में मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।,

उत्तर प्रदेश में भूकम्प से बचाव हेतु व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

उत्तर प्रदेश में भूकम्प से बचाव हेतु व्यवस्था कराये जाने...

लोक निर्माण, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्आने की अधिक सम्भावना बतायी गयी है वैसे तो भूकम्प की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। फिर भी इससे होने वाले नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। भुज एवं नेपाल में भूकम्प से भारी तबाही हुई जबकि इतनी ही तीव्रता के भूकम्प से जापान में कोई खास तबाही नहीं होती। सरकार का दायित्व है कि भूकम्प से होने वाले जान व माल के नुकसान को ध्यान में रखते हुए भूकम्प से बचाव के लिये उपाय करने चाहिए जिससे नागरिक सुरक्षित रह सकें। आपदायें बता कर नहीं आती लेकिन सरकार की इच्छाशक्ति यदि हो तो इसके खतरे को काफी कम किया जा सकता है।

नोट :–ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 सदस्य द्वारा भूकम्प से खतरे को काफी कम किये जाने पर वक्तव्य दिये जाने की मांग की गयी है।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भूकम्प एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके सम्बन्ध में अभी तक कोई सटीक पूर्वानुमान किया जाना सम्भव नहीं है। प्रदेश के 31 जनपद बागपत, बिजनौर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, अमरोहा, कुशीनगर, महराजगंज, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, बहराइच, बलिया, संतकबीर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बरेली, बस्ती, बदायूं, बुलन्दशहर, देवरिया, गोण्डा, गोरखपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर तथा सीतापुर सिस्मिक जोन–प्ट में आते हैं जो भूकम्प के दृष्टिकोण से अति जोखिमपूर्ण क्षेत्र हैं। यह भू–भाग अत्यधिक सघन आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण यहां भूकम्प आने की स्थिति में प्रदेश के लिये गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भूकम्प के आने पर सर्वाधिक जन–धन हानि भवनों, इमारतों, मकानों आदि के गिरने/ढहने से होती है। भूकम्प के प्रति प्रदेश की उक्त संवेदनशीलता के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सभी नये बनाये जाने वाले भवनों को भूकम्परोधी बनाया जाए।

3–यह उल्लेख करना है कि उत्तर प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में से एक है जिनके द्वारा वर्ष 2008 में ही भवन उपविधि संहिता (बिल्डिंग बाइलॉज कोड) में भवनों आदि के निर्माण में भूकम्परोधी तत्वों को सम्मिलित किये जाने हेतु संशोधन किया जा चुका है। हाल ही में आये भूकम्प से हुयी जन–धन हानि को दृष्टिगत रखते हुए भूकम्प रोधी तकनीक से भवनों के निर्माण तथा अधिसंरचनाओं के निर्माण में संलग्न सिविल/संरचनात्मक अभियन्ताओं, आर्किटेक्ट व कारीगरों को प्रशिक्षित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन द्वारा समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव, आवास आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, समस्त नगर आयुक्त तथा समस्त जिलाधिकारीगण को शासनादेश संख्या–313/1–11–2015–राजस्व–11, दिनांक 02 जून, 2015 तथा शासनादेश संख्या–313/1–11–2015–राजस्व–11, दिनांक 02 जुलाई, 2015 के माध्यम से निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही पूर्व निर्मित भवनों मुख्यतः लाइफलाइन बिल्डिंग कहे जाने वाले भवनों का रैपिड विजुअल सर्वे कराकर उनमें रेट्रोफिटिंग कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

4–उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के पत्र संख्या–991/रा0आ0प्र0प्रा0/2015–16, दिनांक 12–05–2015 द्वारा भूकम्प के सम्बन्ध में ''क्या करें–क्या न करें'' सम्बन्धी एडवाइजरी समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारीगण को प्रेषित करते हुए इसका प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराने के विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं।,

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल दिनांक 27–08–15 को 11.00 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 26 अगस्त, 2015

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 189 विधान सभा (106)–27–7–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।